

राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)

Q.1. Discuss the contemporary concept of national security.

Other Related Question -

Q. Discuss the concept of national security prevalent in contemporary world.

Q. Discuss contemporary concept of national security.

Q. Critically examine the concept of national security in light of contemporary thinking.

प्रश्न - राष्ट्रीय सुरक्षा की समसामयिक अवधारणा की विवेचना कीजिए।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न - समसामयिक विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिए।

प्रश्न - समकालीन विचारधारा के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्न - विकासशील राष्ट्रों में प्रचलित आधुनिक विचारों के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

प्रश्न - विकासशील देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या बाधाएं हैं।

उत्तर - सामान्य व्यक्ति तथा प्रबुद्ध वर्ग दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल प्रादेशिक अखण्डता एवं राजनीतिक सम्प्रभुता की रक्षा ही लगाते हैं। वे सभी प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा को समानार्थी मान लेते हैं। वास्तविकता यह कि प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अवयव मात्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य जानने के लिए आवश्यक है सुरक्षा का अर्थ ठीक ढंग से समझ ले। सुरक्षा अंग्रेजी शब्द security का रूपान्तर है, जो लैटिन शब्द साइन एवं क्यूरा से बना है। 'साइन' का अर्थ विदाउट (वगैर) तथा क्यूरा का अर्थ 'केयर' (परवाह) से है। इस प्रकार सुरक्षा का अर्थ है बिना परवाह के। बिना परवाह की स्थिति वहीं पैदा हो सकती है जहाँ भय की अनुपस्थिति हो। इस प्रकार मोटे तौर पर राष्ट्र के अन्दर एवं बाहर से भय की अनुपस्थिति ही राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में स्वीकार की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ समय की सपेक्षता में ही समझा जा सकता है। मानव पैरों के निशान इतिहास के गलियारे में जितने पुराने हैं उससे कम पुराना इतिहास सुरक्षा का नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में जब व्यक्ति अपने तक सीमित था तो जीवन की सुरक्षा ही सुरक्षा की अवधारणा की मूलमंत्र थी। धीरे- धीरे मानव जाति ने अपनी आवश्यकताओं के चलते समुदाय एवं राज्य को जन्म दिया। जिससे जीवन की सुरक्षा एवं राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, सुरक्षा की अवधारणा में समाहित हो गयी। कालान्तर में नागरिकों की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के कारण राज्यों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ी। इस व्यवहार के चलते यदि कहीं सहयोग की स्थिति देखने को मिली तो कहीं हितों के टकराव के कारण संघर्ष का शंखनाद सुनाई पड़ा। किसी विकसित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं संस्कृति के अभाव में राज्यों द्वारा हित सम्बर्द्धन हेतु कमजोर राज्यों पर अपनी थोपने और आवश्यकता होने पर उनकी सीमाओं के अधिग्रहण की प्रवृत्ति फलती फूलती रही। इस स्थिति में सैन्य शक्ति के अनुपात में राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल्यांकन होता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में बहुत से राज्यों का सोवियत संघ के अर्न्तगत अधिग्रहण एवं

पूर्वी यूरोप के राज्यों में समाजवादी सत्ता का थोपना इसका प्रमाण है। आगे चलकर राष्ट्रीय जागरूकता, अन्तर्राष्ट्रीय दबाव एवं हथियारों की विनाशकता के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सैन्य शक्ति के समानार्थी होने का भ्रम टूटने लगा। वियतनाम में अमेरिकी असफलता तथा अफगानिस्तान में पूर्व सोवियत संघ की असफलता इसका जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के नाम पर बड़ी शक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य की सर्वत्र आलोचना की जाने लगी। यह आवश्यक हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमाओं को ठीक से निर्धारित किया जाय। तनाव शैथिल्य के युग में राष्ट्र की प्रोन्नति एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सह-अस्तित्व तथा सहभागिता का तेजी के साथ विकास हुआ। उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के कारण राष्ट्रीय सीमाएं बहुत हद तक ढीली कर दी गईं। इस स्तर पर आकर राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत आन्तरिक शांति और भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के समानान्तर राष्ट्रीय धार्मिक हितों एवं मूल्यों का अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में समायोजन हुआ। आज जबकि शीतयुद्ध समाप्त हो चुका है विकसित राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक हितों की रक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव माना जा रहा है। मगर यह स्थिति सिर्फ विकसित देशों में है, जहाँ तक विकासशील देशों का प्रश्न है जातीय विभेद, असमान विकास एवं समूहों के मध्य सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार एवं अकुशलता, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद एवं साम्प्रदायिकता, धर्मन्यता एवं रूढ़िवादिता, आतंकवाद मादक द्रव्यों की तस्करी एवं न्यून तीव्रता संघर्ष के कारण आन्तरिक अशांति तथा सीमा विवाद के चलते आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा की समस्याएं भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जटिल समस्याएं बनी हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि विकसित राष्ट्रों की सुरक्षा चिंताओं की तुलना में विकासशील राष्ट्रों की सुरक्षा चिंता कहीं अधिक है। इसलिए मुख्य समस्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे सुस्पष्ट तरीके से परिभाषित किया जाय और राष्ट्र की सुरक्षा को कैसे अधिक से अधिक सुनिश्चितता प्रदान की जाय?

परम्परागत अर्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा से तात्पर्य क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा है। यह देश की रक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य विश्वसनीय सैनिक तैयारी एवं देश के रक्षा बलों के निर्माण के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन यह दृष्टिकोण इक्कीसवीं शताब्दी की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता के मध्य संकीर्ण एवं अपर्याप्त है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर देशकाल से परे हटकर राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक अर्थों में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत न केवल बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा की जाती है वरन् उन आन्तरिक खतरों पर भी सजग दृष्टि रखते हुए सबल रहना पड़ता है जो देश की एकता अखण्डता एवं राजनैतिक सम्प्रभुता के लिए घातक हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियाँ स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है, जिसके द्वारा राष्ट्र तात्कालिक एवं सम्भावित खतरे का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सके। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत राष्ट्र द्वारा आर्थिक, राजनैतिक तथा सैनिक एवं सामाजिक आधारों को सुदृढ़ एवं एक दूसरे के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता है, ताकि अपने मार्मिक हितों को सुरक्षित किया जा सके। इस अर्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ राष्ट्र द्वारा अपने मार्मिक हितों एवं मूल्यों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अनुकूल बनाना या फिर प्रतिरोध की न्यूनतम क्षमता प्राप्त करना है। इसके आधार पर दो तथ्य सामने उभर कर आते हैं। प्रथम साध्य के रूप में राष्ट्र के मार्मिक हितों एवं मूल्यों की रक्षा एवं विकास द्वितीय साधन के रूप में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अपने अनुकूल बनाना तथा उसके प्रतिरोध को न्यूनतम करना ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, शामिल है। चार्ल्स लर्व और अब्दुल सईद ने राष्ट्रीय हित की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "व्यापक एवं दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य - राष्ट्र और सरकार ये सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं।"

राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा -

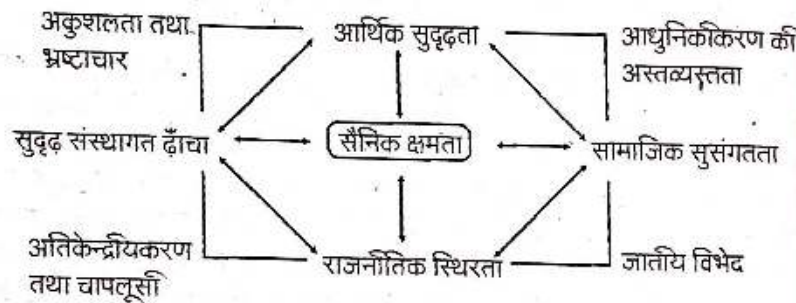
वाल्टर लिपमैन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि "कोई राष्ट्र केवल उस सीमा तक सुरक्षित है जितनी दूर तक उसे, यदि वह युद्ध से बचना चाहता है और यदि उसे ललकारा जाय तो, जितनी दूर तक वह ऐसे युद्ध में विजय द्वारा उन्हे कायम रखने में समर्थ है।" इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा राष्ट्र के हमले के निवारण के सामर्थ्य का मामला है। इस अर्थ में सुरक्षा स्वयं एक मूल्य बन जाती है जिसे शक्ति या सम्पत्ति का समानार्थक माना जा सकता है। लेकिन यदि सुरक्षा सारतः धमकियों के ध्येय के अभाव का बोध ही है तो यह निश्चय करना कठिन है कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था से यह बोध प्राप्त होता है। किसी राष्ट्र की सुरक्षा उसकी सुरक्षा और पूर्ण असुरक्षा के बीच किसी भी जगह हो सकती है।

वर्तमान विश्व व्यवस्था में सभी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे को मजबूत होना आवश्यक मानते हैं। जब कभी उनके आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे को वाह्य शक्तियों से खतरा उत्पन्न होता है तो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इस दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध केवल सैनिक शक्ति से ही नहीं वरन् आर्थिक शक्ति से भी है अतः यदि कोई राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है तो उसे निश्चय ही अपने आर्थिक आय के अन्य स्रोतों पर ध्यान देना पड़ता है। इस सन्दर्भ में आर्थिक शक्ति का महत्व अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रों के लिए अधिक है। यदि कोई विकासशील राष्ट्र उपर्युक्त आर्थिक स्रोतों का समुचित विकास नहीं करता है तो निश्चय ही उसका सामाजिक ढाँचा खतरे में पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में उन राष्ट्रों में आर्थिक विपन्नता के कारण सामाजिक दंगे शुरू हो जाते हैं जो व्यापक एवं विकराल रूप धारण करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर देते हैं। यदि किसी राज्य में सामाजिक मतभेद पहले से विद्यमान हैं तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र अपने विभाजन को लम्बे समय तक नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति में वाह्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप उसकी जटिलता को और बढ़ा देते हैं। इस परिस्थिति में महाशक्तियाँ विकासशील राष्ट्रों पर अपना दबाव बढ़ाना शुरू करती हैं। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ सैनिक कार्यवाही की आवश्यकता है तो महाशक्तियाँ उन स्थितियों को और गम्भीर बनाने का प्रयत्न करती हैं। अन्त में विकासशील राष्ट्र बाह्य शक्तियों से सैनिक साज - सामान खरीद कर उन पर अपनी निर्भरता को निरन्तर बढ़ाता है। इस सन्दर्भ में रावर्ट मैकनमारा ने राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कहा कि "सुरक्षा सैन्य तन्त्र नहीं, यद्यपि यह इसके अन्तर्गत है। इसी तरह सुरक्षा सैन्यशक्ति नहीं अपितु यह सुरक्षा की परिधि में आता है। वास्तव में सुरक्षा का अर्थ है विकास, बिना विकास के कोई सुरक्षा सम्भव नहीं है। सुरक्षा की इस विकासवादी व्याख्या को U. N. O. ने अपने 25वें अधिवेशन 1970 में मान्यता प्रदान की। राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की एकरूपता की स्पष्टता, के. सुब्रह्मण्यम की परिभाषा से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सकती है, जिसमें उन्होंने कहा कि "राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य केवल क्षेत्रीय अखण्डता की सुरक्षा नहीं वरन् इसका तात्पर्य यह भी सुनिश्चित करना है कि वह देश तीव्र औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा हो एवं इसके पास एक शक्तिशाली सुरांगठित समतावादी एवं प्रौद्योगिक समाज निर्माण करने की क्षमता हो। इस प्रकार किसी राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले सभी मूर्त एवं अमूर्त तत्वों को, वाह्य एवं आन्तरिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सभी नकारात्मक तत्वों से उसकी सुरक्षा करना सही अर्थों में राष्ट्रीय सुरक्षा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मार्टन वर्को विट्ज व पी० जी० वाक ने बताया कि "यह किसी राष्ट्र की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह वाह्य आक्रमणों के विरुद्ध अपने आन्तरिक मूल्य को बचाने की कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार भारतीय रक्षा विश्लेषक एअर कोमोडोर

जसजीत सिंह की स्पष्ट धारणा है कि “राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा ही राष्ट्र अथवा राज्य के वाह्य आन्तरिक खतरों के विरुद्ध अपने मार्मिक मूल्यों को सुरक्षित कर सकते हैं।”

राष्ट्रीय सुरक्षा अब अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, इसलिए अब राष्ट्रीय सुरक्षा को एक ऐसी चीज समझा जा सकता है जो राष्ट्रीय हित से पूरी तरह अभिन्न नहीं है। राष्ट्रीय हित का वास्तविक अर्थ अब तक निश्चित नहीं हो पाया है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र नेताओं के मन में सब ऊपर रही है। अब जब कि राष्ट्रीय सुरक्षा तेजी से उस अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनती जा रही है जिसकी चिन्ता अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय कर सकता है। राष्ट्रीय हित का काम है कि वह सुझाए कि विदेशनिति और रक्षानिति के और क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सुरक्षा के लिए अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुरक्षा शब्द का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, क्षेत्र की सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी अवयव समाहित होते हैं। सभी राष्ट्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तविक शक्ति तभी आती है जब एक राष्ट्र अपने लोगों की मूल भूत आवश्यकताओं को पूरा करता है जैसे भोजन, पानी, स्वास्थ्य एवं रोजगार। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवीय सुरक्षा के बीच सम्बन्धों का ध्यान में रखकर यहाँ कहा जा सकता है कि मानवीय एवं पर्यावरण की सुरक्षा वह बुनियाद है जिस पर राष्ट्रों की वास्तविक सुरक्षा निर्भर करती है।



चित्र - राष्ट्रीय सुरक्षा का ढाँचा

सैनिक क्षमता, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सुसंगतता, सुदृढ़ संस्थागत ढाँचा, राष्ट्रीय सुरक्षा में सकारात्मक योगदान देता है।

अकुशलता तथा भ्रष्टाचार, अति केन्द्रीयकरण तथा चापलूसी, आधुनिकीकरण की अस्तव्यस्तता, जातीय विभेद, राष्ट्रीय सुरक्षा में नकारात्मक योगदान देता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संस्थागत ढाँचे के विश्लेषण के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल बाह्य आक्रमण से राष्ट्र की एकता अखण्डता एवं सम्प्रभुता की रक्षा करना नहीं वरन् राष्ट्र के अन्दर इस तरह के सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक, तकनीकी, सैनिक और औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना है, जिससे तत्कालिक एवं सम्भावित सुरक्षा समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं का अवलोकन किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा के मायने और आयाम दोनों ही परिवर्तित होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्र की भौतिक और आन्तरिक सुरक्षा के साथ व्यक्तियों एवं समाज के वैचारिक नैतिक विकास के अवसरों की सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है। इस सन्दर्भ में प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सतृ एवं धारणीय विकास, नैतिक आदर्श, राष्ट्रीय चरित्र मनोबल, लिंग समानता मानवाधिकार, आपदा प्रबन्धन एवं जीवन स्तर का विकास प्रमुख हैं। आधुनिक समय में

राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य केन्द्रित न रहकर व्यक्ति व नागरिक सुरक्षा पर भी केन्द्रित होती जा रही है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता जा रहा है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ भयनिवारण व प्रतिरोधकता की क्षमता के विकास से हटकर विश्वासोत्पादक उपायों (C. B. M.) के निर्माण, संघर्ष के स्थान पर सहयोग हो गया है।

उपर्युक्त विश्लेषणों के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक अवधारणा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना में विकसित हो रही है। ऐसा मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में होने वाले सम्भावित खतरों में अमूल्य चूल परिवर्तन के कारण हो रहा है। प्रमुख नवीन खतरों जिनमें परमाणु क्षमता से उत्पन्न भय परिस्थितिकी असंतुलन भोजन व पानी का संकट, आपदा, मानवाधिकार हनन, लिंग असमानता पर्यावरण की असुरक्षा आदि हैं। इन खतरों से अन्तर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को संकट उत्पन्न हो गया है साथ ही साथ इन्हीं खतरों से राष्ट्रों के समक्ष तमाम सुरक्षा समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। इसका समय रहते विश्व समुदाय को निवारण करना होगा, तभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चितता प्रदान की जा सकती है।

Q.2. Elucidate in brief the tangible elements of national power.

Other Related Questions -

Q. Discuss the various tangible elements of national power.

Q. Explain the various intangible elements of national power.

Q. Elucidate in brief the various components of national power.

प्रश्न- राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न मूर्त तत्वों पर प्रकाश डालिए।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न- राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न मूर्त तत्वों की विवेचना कीजिए।

प्रश्न- राष्ट्र शक्ति के विभिन्न अमूर्त तत्वों को समझाइये।

प्रश्न- राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न संघटकों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर- राष्ट्रीय शक्ति का तात्पर्य उस क्षमता से है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित कर सके। इसकी परिभाषा करते हुए George Schwarzenberger ने लिखा है - “It (power) is the capacity to impose one's will on others by reliance effective on sanction in case of noncompliance. राजनैतिक सन्दर्भ में शक्ति को H. J. Morgenthau ने निम्नांकित प्रकार स्पष्ट किया है - “In political context power means the power of man over the mind and action of other man.”

पेटेलफोर्ड तथा लिंकन के अनुसार - “यह शब्द (राष्ट्रीय शक्ति) राष्ट्र की भौतिक और सैनिक सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति और सामर्थ्य का वह योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है।

हार्टमैन के अनुसार, “राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितनी शक्तिशाली अथवा निर्बल है या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है।”

आर्नेस्टका के शब्दों में, “अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा एवं सम्पन्न क्यों न हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता।” जबकि Vernon Van Dyke का विचार है कि - “Power is the particular type of influence in ability to effect the actions,

thoughts or feeling of others."

मार्गेन्थो के अनुसार, - "राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियन्त्रण की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है।"

राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक मूर्त (Tangible) व अमूर्त (Intangible) तत्वों का विवेचन निम्नांकित है -

(1) भौगोलिक तत्व -

यह सत्य है कि, "Victory smiles on those commanders who apply defence forces according to the geographical factors."

भूगोल मूलक राजनीति के विद्वानों की धारणा है कि शक्ति का मूल अवयव भूगोल है और किसी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में होती है।

शक्ति के आधारभूत तत्वों में भौगोलिक तत्व काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थिर व स्थायी रहने वाला तत्व है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि भौगोलिक तत्व स्थायी तो होते हैं परन्तु विभिन्न भौगोलिक तत्वों का महत्व एक समान नहीं होता है। सरदार के. एम. पन्नीकर के अनुसार, अब भूगोल वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले था। अब नदियों का मार्ग द्वारा बदला जा सकता है, पर्वतों से शक्ति प्राप्त की जा सकती है, मरुस्थल पर भी जिन्हे किसी समय पार करना कठिन होता था, अब यातायात के कुछ साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। अतः भूगोल, जो इतिहास में अब भी अधिक स्थायी और न बदलने वाला तथ्य है, मनुष्यों के प्रयत्न से काफी हद तक बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता डॉ. वाउमैन का विचार है कि, - "यद्यपि प्रायः यह कहा जाता है कि भूगोल नहीं बदलता परन्तु वास्तविकता यह है कि भूगोल इतनी तेजी से बदल रहा है जितनी तेजी से विचारों और टेक्नालोजी में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात् भौगोलिक तत्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता रहता है।"

इतना होने के बावजूद एक सुदृढ़ एवं सफल सुरक्षात्मक तैयारियों के अन्तर्गत भौगोलिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनरल वैंवेज का यह कथन इस सन्दर्भ में काफी महत्वपूर्ण है कि, "The geography of a land determines the courses of a battle." इसी प्रकार फ्रेडरिक महॉन ने भी कहा था कि "भूखण्ड से लाभ उठाओ और शत्रु पर कठोरता से आक्रमण करो, तभी तुम करारी विजय प्राप्ति की आशा कर सकते हो।" प्रसिद्ध युद्ध विशेषज्ञ सन्तजू ने धरातलीय बनावट को युद्ध में विजय हेतु प्रमुख माना है तथा देश की प्राकृतिक बनावट को सैनिकों के मित्र की संज्ञा दी है।

(अ) स्थिति -

किसी भी राष्ट्र की शक्ति एवं प्रतिरक्षा में उसकी स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि राष्ट्रों की स्त्रातेजिक अवस्था का निर्धारण इसी तत्व द्वारा होता है। ज्ञातव्य है कि किसी राष्ट्र को स्थलीय शक्ति (Land power) अथवा नौ - शक्ति (Navy power) बनाना उसकी भौगोलिक अवस्थिति पर ही आधारित है तथा उनके कैसी शक्तियों से सम्बन्ध है। क्योंकि पड़ोसियों की नीतियों व इरादों को ध्यान में रखकर ही रक्षा नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। इनके अतिरिक्त यह भी देखना होता है कि पड़ोस में स्थित देश कमजोर है या शक्तिशाली। क्योंकि पड़ोसी कमजोर होने से वहाँ पर विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप का खतरा अधिक रहता है, जो अन्ततः दोनों देशों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

(ब) आकार -

किसी भी राष्ट्र के प्रतिरक्षा उद्योग, यातायात व्यवस्था जनसंख्या तकनीकी, प्रगति, नागरिकों

को मनोप्रवृत्ति आदि के तत्वों को उस राज्य का आकार अवश्य प्रभावित करता है। सरदार के. एम. पन्नीकर के अनुसार, यद्यपि इसके महत्वपूर्ण उपवाद भी हैं फिर भी यह सत्य है कि किसी भी भू - भाग का आकार और उसकी भौगोलिक अवस्थिति उसकी स्त्रातेजिक अवस्थिति निश्चित करती है। अन्य शब्दों में, किसी राष्ट्र की आक्रामक व प्रतिरक्षात्मक नीति का निर्धारण उस राष्ट्र का धरातलीय विस्तार ही करता है। उल्लेखनीय है कि जिस राष्ट्र का क्षेत्रीय विस्तार अधिक होता है वे प्रतिरक्षात्मक और जिसका क्षेत्रफल कम होता है वे आक्रामक नीतियाँ निर्धारित करते हैं।

आज के परमाणु युग में तो प्रतिरक्षा में गहराई (Depth in defence) अति आवश्यक है क्योंकि आणविक युद्धों में विनाश से बचने हेतु जनसंख्या, उद्योगों व आणविक प्रतिष्ठानों के केन्द्रों को छितराने (Disperse) हेतु अधिक भू - क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। कम क्षेत्रफल वाले राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूस अमेरिका व साम्यवादी चीन अपने क्षेत्रीय विस्तार के कारण ही प्रमुख आणविक शक्ति बनकर आज विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। साथ ही यह भी विचारणीय है कि बंजर रेगिस्तान अथवा अन्य अनुपजाऊ भूमि की बहुलता किसी विस्तृत धरातलीय क्षेत्र वाले राष्ट्र को कमजोर भी बना देती है।

(स) धरातल - मेजर भारूचा का यह कथन कि, किसी प्रदेश विशेष का धरातल वहाँ पर लड़े जाने वाले मुहीमों को नियन्त्रित करता है, सर्वथा न्याय - संगत है। अतः किसी भी कुशल कमाण्डर को अपनी रणनीतियाँ निर्धारित करते समय इस तत्व की अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए। नदी, नाले, पहाड़, पठार, दलदली क्षेत्र एवं रेगिस्तान आदि सैनिक योजनाओं को तो प्रभावित करते ही हैं साथ ही व्यापार तकनीकी प्रगति परिवहन व्यवस्था आदि पर भी अपना अमिट प्रभाव छोड़ते हैं, जो वस्तुतः राष्ट्रीय शक्ति व प्रतिरक्षा के मुख्य आधार होते हैं। Harold तथा Margret Sprout ने ठीक ही कहा है कि, "Together with land size, location and configuration, it provides the geographical setting of the national state and like the others is a significant element of power, military and economic."

(द) मौसम व जलवायु -

किसी भी देश की सुरक्षा में मौसम व जलवायु का प्रमुख योगदान होता है। जलवायु सम्बन्धी विभिन्न तत्व (वायु, जल, तापमान, आदि) उस राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा, तैयारियों स्रोतों की एवं सामरिकी को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। फलतः सभी सैनिकों व सेनानायकों को हर प्रकार की जलवायु व मौसम में रहने के लिये अभ्यस्त होना पड़ता है। जलवायु मनुष्य की शक्ति व स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती है। पामर व पार्किन्स के शब्दों में - "Climate is one of the determinant of culture and of economy along with natural resources, political organization and religion."

(य) जनसंख्या -

राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक साधनों के चालन, सैन्य सेवा तथा आर्थिक वृद्धि आदि कार्यों के लिए यन्त्रिक युग में भी मानवीय तत्व अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्लीचर का कथन है कि जब तक उत्पादन और युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी, तब तक यदि अन्य तत्व समान रहे तो जिस राज्य के पास बड़ी संख्या में लोग होंगे, वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान होगा। जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व है लेकिन इसके गुणात्मक व संख्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अधिक जनसंख्या अधिकतम योग्य सैनिक वैज्ञानिक व मजदूर उपलब्ध कराती है। विपुल जनसंख्या वाला देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का भली - भाँति दोहन करके राष्ट्रीय औद्योगिकरण में वृद्धि कर सकता है, जो अन्ततः विश्व राजनीति पर प्रभाव डालते हैं।

लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि अधिक जनसंख्या ही किसी राष्ट्र की शक्ति का द्योतक है। भारत व चीन की जनसंख्या जर्मनी, जापान, अमेरिका व रूस से अधिक है किन्तु उनका तुलना में दोनों देश कमजोर हैं। कम जनसंख्या होते हुए भी इसराइल अरब राष्ट्रों से शक्तिशाली है। वास्तविकता तो यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए राष्ट्र के लिए अधिक जनसंख्या उसे ओ भी कमजोर व असुरक्षित बना देती है। हाँ, इसके अपवाद भी हैं कि विपुल जनसंख्या विश्व राजनीति को प्रभावित करके राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि नहीं कर सकती। चीन अपनी विशाल जनसंख्या के बल पर ही अमेरिका व रूस के लिए चुनौती बना हुआ है। परन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो किसी राष्ट्र की शक्तिशाली होना वास्तव में जनता की प्रकृति उसके चरित्र व गुणों पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में श्लीघर महोदय ने लिखा है कि यद्यपि शान्ति और युद्ध दोनों ही स्थितियों में जनसंख्या की मात्रा महत्वपूर्ण है लेकिन गुण इससे अधिक महत्वपूर्ण है।

(र) यातायात व्यवस्था -

राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि में यातायात व्यवस्था का प्रमुख स्थान होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाये रखने में यह तत्त्व प्रमुख भूमिका का निर्वहण करता है। डा. के. पी. मिश्र ने कहा है कि जब तक अन्तरक्षेत्रीय वितरण की व्यवस्था नहीं होती या व्यक्तिगत यातायात का प्रबन्ध नहीं होता तब तक कोई राष्ट्र अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्राकृतिक यातायात विपुल जनसंख्या का लाभ उठाने की बात नहीं सोच सकता। समुचित यातायात व संचार साधनों के अभाव में युद्ध के समय में निश्चित मोर्चे पर साज सामान भेजने एवं समुचित निर्देशन में बड़ी असुविधा होती है। इसलिए कहा गया है कि अच्छे संचार व यातायात के साधन एक राष्ट्र की सैन्य सक्रियता (War potential) में वृद्धि करते हैं।

(ल) सीमायें व सीमान्त -

रक्षा नीतियों के निर्धारण में इस तत्त्व की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने नीति - निर्धारण में सीमाओं पर उनकी सैनिक व असैनिक हरकतों के रूख आदि पर गम्भीरता से विचार करता है। प्रायः यह ध्यान रखना होता है कि सीमायें कैसी हैं, पड़ोसी देशों का इरादा क्या है तथा विदेशी शक्तियों से उनके कैसे सम्बन्ध हैं क्योंकि सीमाओं पर सुदृढ़ किलेबन्दी करना तथा अपनी आक्रामक व प्रतिरक्षात्मक नीतियों का निर्धारण इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्षों में प्रमुख कारण सीमा - विवाद ही होता है। अस्तु सुरक्षा नीतियों के अन्तर्गत इनमें प्रकृति का समावेश अपरिहार्य है। भारत - पाक, भारत - चीन, ईरान - इराक, अरब - इसराइल और चीन - वियतनाम आदि देशों के मध्य जो भी युद्ध हुए हैं या हो रहे हैं उनका प्रमुख कारण सीमा - विवाद है।

(व) प्राकृतिक संसाधन -

प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की पूँजी के सदृश हैं, जिस पर उस देश का आर्थिक, वैज्ञानिक सामाजिक, औद्योगिक व सैनिक आधार अवलम्बित होता है। पामर व पर्किन्स ने प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "Natural resources may be defined as a gift of nature of established utility, they would include for example most minerals flora and fauna and as mentioned waterfall and fertility of soil." इसी प्रकार मेजर आर. सी. कुलश्रेष्ठ का विचार है कि प्राकृतिक संसाधन वह प्रकृति प्रदत्त वस्तुएँ हैं जिनका मनुष्य अपने जीवन और भौतिक लाभ के लिये प्रयोग में लाता है। उनका कहना है कि इसके अन्तर्गत खनिज, खाद्य, पशु, वनस्पति, कृषि, अन्न, पृथ्वी, और बालू आदि सभी सम्मिलित हैं। दूसरी ओर H. J. Morgenthau ने प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों - खाद्यान्न (Food) और कच्चा माल (Raw Materials) में विभाजित किया है।

(i) खाद्यान्न -

खाद्यान्न के अन्तर्गत सभी खाद्य सामग्रियाँ आती हैं, जिनके अभाव में वहाँ की जनता व सेना भूखों मर सकती है। सत्य तो यह है कि जब तक सेना का पेट भरा नहीं होगा, वह बढ़ नहीं सकती। खाद्यान्न के संदर्भ में आत्म - निर्भर राष्ट्र उस राष्ट्र से काफी लाभदायक स्थिति में (युद्ध व शांतिकाल) रहता है जो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ब्रिटेन ने अपने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हेतु सामुद्रिक यातायात को सुरक्षित रखते हुए सभी प्रमुख सामुद्रिक मार्गों पर नियन्त्रण कर रखा था। लेकिन जब द्वितीय विश्वयुद्ध में वायु व नौ - सैनिक आक्रमणों द्वारा उसे चुनौती दी गयी तब उसकी खाद्यान्न स्थिति दयनीय दशा में पहुँच गयी। दूसरी ओर जर्मनी ने अपनी रक्षा हेतु ब्रिटिश नौ - सेना को विनिष्ट करने तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार करने की रणनीति अपनायी थी, जिससे ब्रिटेन उसकी (जर्मनी) आर्थिक नाकेबन्दी करके खाद्यान्न संकट न उत्पन्न कर सके। मित्र राष्ट्रों को इस युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई उसमें जर्मनी की नाकेबन्दी करके उसकी संघर्ष करने की इच्छा शक्ति (Will to resist) को समाप्त कर देना प्रमुख कारण था। वर्तमान समय में अमेरिका व रूस की विदेश तथा घरेलू नीतियाँ इसलिए सफल हैं क्योंकि वे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता शक्ति का प्रमुख स्रोत है। जबकि खाद्यान्न के दृष्टिकोण से स्थायी रूप से इसकी कमी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उस राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत में खाद्यान्न की कमी ही उसके विकास में बाधक है। यद्यपि खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता एवं कमी राष्ट्रीय शक्ति का एक स्थायी तत्व है परन्तु इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। यह कृषि में वैज्ञानिकता, उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या पर नियन्त्रण तथा विदेशी आयात करने पर ही सम्भव है।

(ii) कच्चे पदार्थ -

कच्चे पदार्थों की बहुलता राष्ट्र की शक्ति की तो द्योतक होती है, साथ ही विदेशी व्यापार व राष्ट्रीय नीति को भी प्रभावित करती है। राष्ट्रीय औद्योगिकीकरण का आधार कच्चे पदार्थ ही होते हैं। पैडलफोर्ड एवं लिंकन ने इस संदर्भ में कहा भी है कि आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असम्भव है। औद्योगिकीकरण कच्चे माल विशेषतः खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर है। यद्यपि कच्चे पदार्थों की दिशा में कोई भी राष्ट्र पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर नहीं हो सकता तथापि यदि उसके क्षेत्रों में कुछ प्रमुख खनिजों के भण्डार हो तो वे विश्व व्यापार के साथ - साथ अपने राष्ट्रीय हितों की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं।

(2) आर्थिक तत्व -

राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि व रक्षा नीति के निर्धारण में आर्थिक तत्वों की अवहेलना कदापि नहीं की जा सकती क्योंकि वित्त प्रतिरक्षा की चौथी भुजा होती है। आस्ट्रियन जनरल मान्टेकोकुली ने तो यहाँ तक कहा है कि युद्ध संचालन हेतु तीन चीजें आवश्यक हैं - प्रथम धन, द्वितीय धन और तृतीय धन। पर्याप्त मात्रा में बिना वित्त व्यवस्था के न तो कोई सैन्य कार्यवाही की जा सकती है और न ही हथियारों के निर्माण के सम्बन्ध में अनुसंधान व विकास कार्य ही सम्भव है। सुप्रसिद्ध सैन्य विचारक एन्जिल्स ने लिखा है कि देश की आर्थिक दशा पर जितनी अधिक सेनाएँ आधारित होती हैं उतनी कोई दूसरी वस्तु नहीं।

स्पष्ट शब्दों में यह कहना सर्वथा न्याय संगत है कि आज का युद्ध विज्ञान की स्रातेजी की अपेक्षा धन के विज्ञान से अधिक प्रभावित होता है। आर्थिक तत्वों के अन्तर्गत राष्ट्र की संचार व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा एवं औद्योगिक क्षमता जैसे सभी तथ्यों का समावेश होता है क्योंकि ये सभी मिलकर ही राष्ट्र के आर्थिक तन्त्र को मजबूती प्रदान करते हैं।

वस्तुतः प्रत्येक राष्ट्र शक्ति व सुरक्षा में धन को महत्वपूर्ण मानते हुए युद्ध हेतु वित्त व्यवस्था के लिये प्रमुख रूप से निर्माकित विधियों का सहारा लेता है -

- (i) करारोपण (Taxation)
- (ii) ऋण प्रणाली (Borrowing)
- (iii) मुद्रा स्फीति (Inflation)
- (iv) ऐच्छिक चन्दे (Voluntary contributions)
- (i) करारोपण -

युद्ध काल में धन की व्यवस्था हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली यह प्रथम विधि है जिसमें जनता के ऊपर कर लगाकर वित्त व्यवस्था की जाती है। लेकिन युद्धकालीन कर व्यवस्था शान्तिकालीन कर व्यवस्था से भिन्न होती है क्योंकि जहाँ शान्तिकालीन कर व्यवस्था में करों की प्रकृति व कुछ सिद्धान्त होते हैं वही युद्ध के समय कर व्यवस्था का केवल एक ही उद्देश्य होता है - अधिक से अधिक वित्त संचय करना करारोपण की निम्न दो विधियाँ होती हैं -

(अ) अप्रत्यक्ष कर -

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके प्राप्त किया जाने वाला धन अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आता है।

(ब) प्रत्यक्ष कर -

व्यक्तियों के उपभोग की मात्रा में कमी करने के लिये प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था की जाती है। अतिरिक्त कर (Extra tax), अतिकर (Super tax), आयकर (Income tax), अधिकार (Surcharge), अतिरिक्त लाभ कर (Excess profit tax), सम्पत्ति कर (Property tax) तथा मृत्यु कर (Death tax) आदि इसी क्षेत्र में आते हैं। किन्तु कर की उपर्युक्त विधियों से धन एकत्रित करने में काफी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि कर प्रणाली से धन का संचय शीघ्र न होकर काफी दिनों के बाद होता है जबकि युद्ध काल में सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता शीघ्र होती है।

(ii) ऋण प्रणाली -

जब कर विधि द्वारा युद्ध हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती तब ऋण प्रणाली का सहारा लिया जाता है। इसके अन्तर्गत सरकार विदेशों तथा देश के कुछ विशिष्ट लोगों से कर्ज लेकर युद्ध हेतु वित्त व्यवस्था करती है। इस प्रणाली की भी दो विधियाँ हैं -

(अ) आन्तरिक ऋण -

इसके अन्तर्गत सरकार देश के कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों से निश्चित व्याज की दरों पर निश्चित समय हेतु धन लेती है। नागरिकों के अतिरिक्त निजी संस्थानों बैंकों आदि से भी ऋण प्राप्त करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकार अनिवार्य बचत के रूप में अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करने हेतु विवश कर सकती है।

(ब) बाह्य ऋण -

इसके अन्तर्गत विदेशों से कर्ज लिया जाता है। लेकिन यह व्यवस्था राष्ट्र की विदेश नीति के स्वरूप व प्रकृति पर आधारित होती है।

(iii) मुद्रा स्फीति -

इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिक मात्रा में कागजी मुद्रा (नोट) छापकर इनका उपयोग माल खरीदने तथा वेतन व मजदूरी आदि देने में किया जाता है। नयी मुद्रा के कारण मुद्रा का मूल्य घटने लगता है, जबकि बाजार भाव बढ़ने लगते हैं। इस परिस्थिति में नागरिकों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यय तो पूर्ववत् ही करना पड़ता है जबकि उसके बदले प्राप्ति की मात्रा घटने लगती है। फलस्वरूप कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है। इसीलिये प्रो. सी. एन. वकील ने मुद्रास्फीति को एक अदृश्य लुटेरे की संज्ञा दी है।

(iv) ऐच्छिक चन्दे -

युद्धरत राष्ट्र की जनता राष्ट्र भक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत होने के कारण करों के भारी बोझ को वहन करने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार चन्दों की व्यवस्था करती है। इसके अन्तर्गत रूपये व जेवरात आदि देकर युद्धकोष को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस विधि द्वारा प्राप्त किये गये धन की मात्रा कम ही होती है।

3. विज्ञान व तकनीक -

राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि में औद्योगिकीकरण का प्रमुख स्थान है। विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान व विकास कार्य औद्योगिक क्षेत्र में नयी-नयी तकनीकी प्रदत्त करके राष्ट्र के चतुर्मुखी विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान कराते हैं। राइट महोदय का कथन है कि विज्ञान व तकनीकी यान्त्रिक पद्धतियों के विकास तथा युद्ध कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा एवं संचार में उनके प्रयोग की कला है। ये तत्त्व राष्ट्र की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों को प्रभावित करते हैं। कृषि, यातायात उद्योग, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि क्षेत्रों में जो क्रमिक विकास दिन-प्रतिदिन हो रहा है वह वैज्ञानिक अनुसंधानों का ही परिणाम है।

सुरक्षा, शक्ति से ही सम्भव है। शक्ति में सैन्य शक्ति प्रमुख है। अतः हमें यह देखना है कि प्रावैधिकी का सैन्य जगत में क्या योगदान रहा है इस संदर्भ में सरदार के. एम. पन्धिकर का कथन सर्वदा न्याय संगत प्रतीत होता है कि, "आधुनिक सुरक्षा हेतु औद्योगिक विकास का निर्धारण विज्ञान व तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। सर्वांगीण रूप से आधुनिक रक्षा का वैज्ञानिक आधार एक ऐसी वस्तु है जिससे गत शताब्दियों में महान युद्ध नेता आश्चर्य चकित रहे हैं नेतृत्व साहस शारीरिक बल तथा अन्य गुण जिनका प्राचीन युद्धों में अधिक महत्व था आज उतना नहीं है। स्वचलित प्रक्षेपास्त्रों के समक्ष इन मानवीय गुणों की विलक्षणता समाप्त हो गयी है।" सेनाओं के आधार उसके हथियार होते हैं जिनका निर्माण तकनीकी ज्ञान से ही सम्भव है। इसी से राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तोपों, टैंकों, वायुयानों, बमों, मिसाइलों तथा अन्तरिक्ष यानों का आविष्कार व उनकी शक्ति में वृद्धि तकनीकी ज्ञान द्वारा ही सम्भव है। शोध विकास (Research & Development) शाखा के माध्यम से ही नयी-नयी तकनीकी खोजकर निरन्तर घातक शस्त्रास्त्र बनाये जा रहे हैं। परमाणु बम के बाद न्यूट्रॉन बम व एम. एक्स. मिसाइलें इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से ही ऐसे जैविक व रासायनिक हथियार तैयार कर लिये गये हैं जिनमें सम्पूर्ण मानक जाति को कुछ ही घंटों में नष्ट किया जा सकता है।

आणविक ऊर्जा ने भी यौद्धिक क्षमता में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं साथ ही उसके शान्तिपूर्ण प्रयोग से औद्योगिकीकरण में भी तीव्रता आयी है। अनुसंधान, राष्ट्रीय अर्थतन्त्र वैज्ञानिकों की तीव्र बुद्धि व तकनीकी ज्ञान से ही सम्भव हो सका है। ज्ञातव्य है कि परमाणु शक्ति केवल उन्हीं राष्ट्रों के पास है जिनका तकनीकी आधार सुविकसित है। वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्र के नागरिकों व सभ्यता का भाग्य तथा युद्धकाल का आधार उच्च तकनीकी ज्ञान ही निर्धारित करता है।

तकनीकी ज्ञान से राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक स्तर को भी उच्च बनाया जा सकता है। यह राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित करने के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्रों में बीमारियों व महामारियों से नागरिकों को सुरक्षित करके उनकी कार्यक्षमता व जीवन स्तर में वृद्धि करता है। ऊर्जा की जननी तकनीकी है। तेल, गैस, व कोयले के भण्डारों से विपुल सांसाधन प्राप्त करने उनसे ऊर्जा प्राप्त करना उच्च तकनीकी ज्ञान से ही सम्भव है।

तकनीक, राष्ट्र के स्वरूप व प्रकृति के साथ ही परिवर्तन का प्रमुख कारण है जो अन्ततः शक्ति सन्तुलन एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। अमेरिका व रूस का उच्च तकनीकी ज्ञान

ही उनकी प्रतिष्ठा के लिये उत्तरदायी है। तकनीकी ज्ञान व वैज्ञानिक अनुसंधानों का दूसरा पहलू भी है। तकनीकी परिवर्तन से ही शस्त्रीकरण की दौड़ बढ़ी है तथा शीत युद्ध को बढ़ावा मिला है। फलस्वरूप, विश्व आज ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ एक रास्ता विनाश की ओर व दूसरा विकास की ओर ले जाने वाला है। संक्षेप में तकनीकी ज्ञान का प्रयोग यदि सृजनात्मक कार्यों में किया जाये तो विश्व में समृद्धि सहयोग व सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है जबकि विनाशकारी दिशा में इसका प्रयोग मानव के लिए घातक सिद्ध होगा।

4. कूटनीति -

कूटनीति, राष्ट्रीय शक्ति का ऐसा प्रमुख अवयव है जो विदेश नीति के सफल संचालन में महत्वपूर्ण कारक प्रमाणित होता है। मार्गोन्मोच के अनुसार, उन तमाम तत्वों में से जो कि किसी राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कूटनीति की उत्तमता है, भले ही यह तत्व कितना ही अस्थायी क्यों न हो। अन्य सभी वे तत्व जो कि राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित करते हैं, वास्तव में वह कच्चा माल है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति गढ़ी जाती है। किसी राष्ट्र की कूटनीतिक उत्तमता ही इन तत्वों को एक लड़ी में गुँथती है, उन्हें दिशा व गुरुता प्रदान करती है तथा उनकी सुप्त सम्भावनाओं को वास्तविक शक्ति से साँसे प्रदान कर जागृत करती है।

वास्तव में कूटनीति वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रभावशाली रूप में निर्मित व प्रयुक्त किया जाता है। सच तो यह है कि कूटनीतिज्ञों द्वारा वैदेशिक मामलों का संचालन राष्ट्रीय शक्ति के लिए शान्ति के समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युद्ध के समय राष्ट्रीय शक्ति के लिए सैन्य नेतृत्व व विभिन्न दौंव - पेचों का प्रयोग। इतना ही नहीं, कुशल कूटनीति के अभाव में राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों जैसे - भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता, जनशक्ति व सैन्य शक्ति की महत्ता इतनी कम हो जाती है कि वे राष्ट्रीय नीतियों के संचालन में कारगर नहीं हो पाते। इसलिए कूटनीति को राष्ट्रीय शक्ति के मस्तिष्क की संज्ञा दी गयी है।

5. नेतृत्व -

नेतृत्व, राष्ट्रीय शक्ति का ऐसा कारक है जो इसके सभी आधार में यथोचित सामंजस्य स्थापित करने के साथ - साथ राष्ट्रीय विकास की दिशा को भी निर्धारित करता है। वास्तव में समुचित नेतृत्व के अभाव में राष्ट्र की सम्पूर्ण नीतियाँ दिग्भ्रमित एवं प्रभावहीन हो जाती हैं। अतएव खाद्य सामग्री के भण्डारण, कच्चे मालों की सुरक्षा, औद्योगिक इकाइयों के संचालन, राष्ट्रीय मनोबल में वृद्धि तथा रक्षा विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य कुशल नेतृत्व द्वारा ही सम्भव हैं। शान्तिकाल में राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण एवं कुशल वैदेशिक नीति का संचालन तथा राष्ट्र के आन्तरिक मूल्यों की सुरक्षा हेतु वांछित स्वस्थ आर्थिक व सामाजिक वातावरण कुशल नेतृत्व में ही सम्भव है।

6. राष्ट्रीय चरित्र एवं मनोबल -

राष्ट्रीय चरित्र व मनोबल राष्ट्रीय शक्ति के ऐसे अमूर्त मानवीय तत्व हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति, समृद्धि, विकास व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का निर्धारण करते हैं।

7. सैनिक तत्व -

भौगोलिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षमता आदि का महत्व तभी है जब राष्ट्र के पास समुचित सैनिक आधार हो, क्योंकि नीति बन्दूक की नली से आगे बढ़ती है। सैनिक आधार में, सशस्त्र व सुप्रशिक्षित सेनायें, रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठान एवं आधुनिकतम हथियार सम्मिलित हैं। अतः राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि हेतु सैनिक तैयारी करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है, जिसमें उच्च तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने, नेतृत्व की क्षमता एवं सशस्त्र सेना की संख्या एवं गुणों पर ध्यान देना आवश्यक होता है।

क्योंकि इन क्षेत्रों में पिछड़े जाने पर कोई भी देश अपने शत्रु अथवा प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के आक्रमण का शिकार हो सकता है। आज अमेरिका व रूस महाशक्तियों के रूप में इसीलिए विख्यात हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में आधुनिकतम, परम्परागत एवं आणविक हथियारों के विशाल भण्डार एवं उच्च तकनीकी संयन्त्रों से युक्त रक्षा प्रतिष्ठान हैं। वस्तुतः, रंगमंच पर घटित हर महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटना में इन महाशक्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हाथ रहता है, जिसका श्रेय बहुत बड़ी सीमा तक उनकी सैनिक श्रेष्ठता को दिया जा सकता है।

Q. 3. Examine the concept of balance of power as an alternative model of international security in present day world situation.

प्रश्न - विश्व की समसामयिक परिस्थिति में शक्ति संतुलन की अवधारणा का परिक्षण अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के एक वैकल्पिक प्रतिमान के रूप में कीजिए।

उत्तर - शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग अलग - अलग विद्वानों ने अपने ढंग से किया है। कैसलर का विचार है कि "शक्ति संतुलन का तात्पर्य है राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाये रखना जिससे उनमें से कोई इतना ताकतवर न हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके।" अर्नाल्ड टायनबी के अनुसार -

"शक्ति - संतुलन राजनीति की गतिशीलता का एक ऐसा निकाय है जो उस समय स्वयं सक्रिय हो जाता है जब कभी कोई समाज कई परम्पर स्वाधीन राज्यों का रूप ग्रहण करता है।" श्लीचर के अनुसार - "शक्ति - संतुलन व्यक्तियों और समुदायों की आपेक्षक शक्ति की ओर संकेत करता है।"

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सुप्रसिद्ध विचारक प्रो. मार्गेनथाऊ के मतानुसार - "अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति - संतुलन एक सामान्य सामाजिक सिद्धान्त की केवल एक अभिव्यक्ति है, जिसके प्रति विभिन्न स्वतन्त्र इकाइयों से बने सभी समाज अपने अवयवों की स्वतन्त्रता के लिए आभारी होते हैं।" डिकिंसन के अनुसार "संतुलन शब्द का प्रयोग संतुलन और असंतुलन दोनों ही स्थिति में किया जाता है।" लेखा (Account) संतुलन का अर्थ होता है समानता किन्तु जब संतुलन किसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ है असमानता। उनका कहना है कि शक्ति - संतुलन अर्थ का दावा करता है किन्तु दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहता है। यद्यपि मार्गेनथाऊ ने शक्ति संतुलन का अर्थ राष्ट्रों के अन्दर स्थित शक्ति की समानता से लगाया गया है किन्तु यह तभी सम्भव है जब शक्ति शब्द के साथ कोई विशेषण न लगाया गया हो। इसके विपरीत स्पाइकमैन के कथनानुसार - वास्तविकता यह है कि प्रत्येक देश केवल उसी शक्ति - संतुलन में रुचि लेता है जो उसके हित में होता है। इस प्रकार जो राष्ट्र शक्ति - संतुलन की स्थापना करना चाहते हैं, वह संतुलन न करके अपने हित में असंतुलन की स्थापना करता है। इन परिभाषाओं को देखते हुए आइनिस् क्लाड का वह कथन सत्य ही प्रतीत होता है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक पावर एण्ड इण्टरनेशनल पालिटिक्स में व्यक्त किया है कि शक्ति संतुलन के साथ कठिनाई यह नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि यह कि इसके अनेकों अर्थ हैं।

शक्ति संतुलन का मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा की स्थापना करके विश्व में स्थिरता का वातावरण उत्पन्न करना होता है। डा. महेन्द्र कुमार ने शक्ति संतुलन के मुख्यतः दो उद्देश्य बताये हैं।

1. छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता की सुरक्षा -

प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि छोटे राष्ट्र पृथक रूप से बड़े राष्ट्रों के साथ संतुलन स्थापित करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिये उनके सामने एक ही मार्ग होता है कि वे ऐसी स्थितियों

का निर्माण करे जिसमें बड़े राष्ट्र उनकी सुरक्षा समस्याओं में सहायक हो सके। यही भावनाएँ मूल रूप से शक्ति की संतुलन स्थापना हेतु अभिप्रेरित करती हैं। मैत्री सन्धियों का गठन अथवा संश्रय की तकनीक इन्हीं उद्देश्यों का परिणाम होती है। इतना ही नहीं, छोटे राष्ट्रों में यह भी भावना कार्य करती है कि वे स्वयं को बड़े राष्ट्रों से जोड़कर अपनी शक्ति में अभिवृद्धि व शक्ति संग्रह सफलता से कर सकते हैं। डॉ. महेन्द्र कुमार के शब्दों में, "जब यह दावा किया जाता है कि शक्ति संतुलन से छोटे राज्यों की आजादी सुनिश्चित हो जाती है तो इसका अर्थ सम्भवतः यह होता है कि शक्ति संतुलन तन्त्र में कमजोर व छोटे राज्यों को अपनी सुरक्षा नीतियों के लिये एक विशेष आधार प्राप्त होता है।"

2. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का पोषण -

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में ऐसे अनेकों दृष्टान्त उपलब्ध हैं कि शक्ति संतुलन सिद्धान्त के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना एवं उसके पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके बावजूद विद्वानों में इस बात पर पर्याप्त मतभेद है कि किसी काल विशेष में यह सिद्धान्त सर्वाधिक सफल रहा है। जहाँ एक ओर जॉन हर्ज व अन्सर्ट हॉस जैसे विद्वानों ने 18वीं शताब्दी को शक्ति संतुलन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना है वहीं हेनरी किंजिंगर ने 19वीं शताब्दी को इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहा है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अधिकांश विशेषज्ञों ने नैपोलियन युद्धों के अन्त और प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ के मध्य के समय (सन् 1815 से 1914 तक) को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की दृष्टि से बार-बार उद्धृत किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन ने सन् 1958 में कहा था कि, "सन् 1815 से 1914 तक प्रायः निरन्तर शान्ति बनी रही।" प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता फेरो ने इस पर प्रकाश डालते हुये बताया है कि, "19वीं शताब्दी में यूरोप में युद्ध तो बहुत बार हुये पर शक्ति संतुलन तन्त्र ने उन युद्धों को स्थानबद्ध व सीमित रखा।" ई. एच. कार ने भी बताया है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में शक्ति संतुलन तन्त्र के कारण शान्ति की स्थापना में पर्याप्त सहयोग व सहायता मिली।

दूसरी ओर डॉ. महेन्द्र कुमार का दृढ़ मत है कि सन् 1815 से 1914 की अवधि में शान्ति शक्ति संतुलन के कारण नहीं अपितु ब्रिटिश शक्ति की अतिप्रबलता के कारण स्थापित थी। वास्तव में, इस अवधि में शक्ति संतुलन का उद्देश्य शान्ति स्थापित करना नहीं अपितु ऐसी मैत्री सन्धियों करना था जिनके द्वारा अन्य मित्र - मंडलों की शक्ति-वृद्धि पर अंकुश लगाना अपेक्षाकृत सरल हो सके। प्रथम महायुद्ध से भी शक्ति संतुलन की स्थापना में सहायता नहीं मिली। यद्यपि दोनों महायुद्धों के बीच (1918-1939) मित्र राष्ट्रों की शक्ति अधिक होने से शान्ति बनी रही किन्तु बाद में जर्मन शक्ति में हुई अद्भुत वृद्धि के मित्र राष्ट्रों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करके अन्ततः द्वितीय महायुद्ध का पथ प्रशस्त कर दिया।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के महाशक्ति के रूप में उदय हुये व दोनों के पास परमाणु शक्ति सम्पन्नता से विश्व का प्रत्यक्षतः दो क्षेत्रों में विभक्त होना शक्ति संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना रही है। नाटो, सीटो व वारसा जैसी सन्धियाँ एक-दूसरे की शक्ति को संतुलित करने की नीति का ही परिणाम थीं। किन्तु बाद में परमाणु हथियारों के प्रसार, सामूहिक विनाश के भय एवं फ्रांस, चीन व जर्मनी आदि राष्ट्रों द्वारा शीत युद्ध काल में दोनों ही गुटों को दी गयी चुनौतियों से यह संतुलन धीरे-धीरे शिथिल पड़ने लगा जिसमें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

Q. 4. Criticethy examine the efficacy and limitation of collective security system in the contemporary world.

Other Related Questions -

Q. Explain the concept of Collective security and discuss its role

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

under the united nation.

Q. Discuss the efficacy and limitation of the collective security system in the contemporary world.

प्रश्न. 'सामूहिक सुरक्षा' की अवधारणा को समझाइये एवं संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इसकी भूमिका की विवेचना कीजिये।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न. समसामयिक विश्व में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता एवं परिसीमाओं का आलोचनात्मक परिक्षण कीजिये।

प्रश्न. सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को समझाइये तथा संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इसकी भूमिका की विवेचना कीजिये।

प्रश्न. समसामयिक विश्व में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता एवं परिसीमाओं की विवेचना कीजिये।

उत्तर. सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएँ -

सामूहिक सुरक्षा के विभिन्न पक्षों को देखने पर इसमें निम्न विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं -

1. सामूहिक सुरक्षा शक्ति प्रबन्ध का साधन है।
2. सामूहिक सुरक्षा इस बात पर बल देती है कि अतिक्रमण (Encroachment) सदैव होते रहते हैं।
3. सामूहिक सुरक्षा यह स्पष्ट करती है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है।
4. सामूहिक सुरक्षा शक्ति आधिपत्य की समर्थक है।
5. सामूहिक सुरक्षा एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अस्तित्व को आवश्यक मानती है।
6. सामूहिक सुरक्षा एक मध्य स्तर की व्यवस्था है।
7. सामूहिक सुरक्षा निवारक व्यवस्था (Deterrent System) है।
8. सामूहिक सुरक्षा का शत्रु राज्य नहीं, बल्कि युद्ध अथवा आक्रमण है।

शान्ति और सुरक्षा का प्रश्न विश्व के सभी राष्ट्रों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। परन्तु कोई भी राष्ट्र अकेला किसी शक्तिशाली राष्ट्र के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत सारे राष्ट्र अन्य देश की सुरक्षा की चिन्ता सामूहिक रूप से करते हैं, जैसे मानो स्वयं उन सबको अपनी सुरक्षा को खतरा हो। यदि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को संकट में डालने का प्रयत्न करता है तो संकट में पड़े राष्ट्र की ओर से बाकी राष्ट्र सामूहिक कार्यवाही (Collective Action) करेंगे। इसी आधार पर होगन ने सामूहिक सुरक्षा के सन्दर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि "सामूहिक सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने तथा क्रियान्वित करने के लिए सामान्य पारस्परिक सहयोग कार्य है।"

सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ दोनों ही विश्व शान्ति संगठनों ने विद्यमान रही है। संघ कहिए तो सामूहिक सुरक्षा शान्ति के एक प्रमुख मार्ग के रूप में राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य विषय रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रसंघ में ही पहली बार सामूहिक सुरक्षा का विचार व्यवहारिक अर्थ में स्वीकार किया गया। एक बार स्वीकार हो जाने के बाद इस विचार को उन प्रयत्नों द्वारा कारगर बनाने की कोशिश की गयी जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की व्यवस्था सुधारने के लिए दोनों युद्धों के बीच के काल में किये गये।

संयुक्त राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा -

यह नितान्त सत्य है कि सामूहिक सुरक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान उद्देश्य है। राष्ट्र संघ

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

के चार्टर में भी स्पष्ट कहा गया है कि हम स्त्री और पुरुष, छोटे बड़े की समानता में विश्वास रखते हैं। मानव व्यक्तित्व के मूल्य और प्रतिष्ठा के अधिकारों में पूर्ण आस्था प्रकट करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि विश्व के लिए अच्छे पड़ोसियों के समान रहेंगे, सामूहिक हित के अतिरिक्त कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे और मानव जाति की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्नशील रहेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति का दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंप दिया गया है।

चार्टर के अनुच्छेद 7 में शान्ति के लिए धमकी अथवा शान्ति भंग का निर्णय लेने की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा स्थापित करने के लिए किन उपायों का अवलम्बन लिया जाएगा। अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग देने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा परिषद के पास उसके माँगे जाने पर तथा विशिष्ट संविदा अथवा संविदाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से आवश्यक सैन्य तथा सहायता तथा सुविधायें प्राप्त कराएँगे जिनमें आने-जाने का अधिकार भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण हो तो चार्टर में निहित वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार में तब तक कमी नहीं होगी जब तक सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले।

इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 1970 में शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव (Uniting for peace Resolution) के पारित हो जाने से महासभा (General Assembly) की शक्ति में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। महासभा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को उत्पन्न संकट शान्ति भंग अथवा किसी आक्रमणात्मक कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। पामर व पर्किन्स के शब्दों में शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव (Uniting for peace resolution) एक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में प्रगति का एक महान चिह्न था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया स्वेज नहर तथा कांगो संकट के समय सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर सर्वनाश की सम्भावना को समाप्त किया है किन्तु अपने-अपने हितों के प्रश्न पर दोनों महाशक्तियों में मतभेद होने के कारण सामूहिक सुरक्षा के क्रियान्वयन में अनेक अवसरों पर काफी अवरोध भी उत्पन्न हुए हैं। सामूहिक सुरक्षा तो यह चाहती है कि राष्ट्र अपना राष्ट्रीय अहंकार त्याग दे तथा शान्ति के हित के लिए सदैव तत्पर रहे। किन्तु ऐसी स्थिति में जहाँ हर पल विश्व में महाशक्तियों के इशारे पर पदों के बाहर शान्ति के लिए रट लगायी जाती हो तथा पदों के पीछे शान्तिप्रिय देशों में योजना बनाकर अपने इशारे पर चलने वाली सरकार बनाने का षड्यंत्र रचा जाता हो, सामूहिक सुरक्षा की सफलता की सम्भावनाएं उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही हैं।

विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रारम्भिक समय में सामूहिक सुरक्षा स्वयं में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील व्यवस्था थी, लेकिन तीव्रगति से बदलती अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और सैनिक परिस्थितियों ने आज इसे बहुत उपयोगी नहीं रहने दिया है। आणविक युग में परम्परागत शस्त्रों की उपयोगिता दिनों-दिन कम होती जा रही है। आज के अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में किसी भी राष्ट्र को शीघ्र समाप्त किया जा सकता है, आक्रामक कौन है, इसे तय नहीं किया जा सकता तथा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है। अतः सैद्धान्तिक दृष्टि से सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा तर्क संगत एवं कारगर प्रतीत होते हुए भी आधुनिक परिस्थितियाँ उसे कारगर नहीं होने देती। यदा-कदा यदि कहीं संघर्ष रुक जाता है, तो

उसका कारण सामूहिक सुरक्षा न होकर सही अर्थ में आणविक युद्ध का खतरा है तथा महाशक्तियों का पारस्परिक हित है।

उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद सामूहिक सुरक्षा की सर्वाधिक सार्थकता इस बात में है कि इससे अन्य सभी राष्ट्रों के मामले में सक्रिय दिलचस्पी के सिद्धान्त को बल मिला है। इससे सामूहिकता एवं सहयोग की भावना बढ़ रही है और ये बातें किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए परम आवश्यक हैं। यही कारण है कि विलियम होगन ने सामूहिक सुरक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिकतम सहयोग के लिए हो रहे प्रयासों को संगठित करने की एक पद्धति माना है। इस दृष्टिकोण से एक स्थायी और शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रयास एक सकारात्मक मार्ग है।

प्रो. एच. जे. मार्गन्याऊ ने यथार्थवादी परम्परा के आधार पर ही सामूहिक सुरक्षा की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रों से यह निरर्थक उम्मीद की जाती है कि वे पारस्परिक सहयोग और त्याग की भावना से उत्प्रेरित होकर कार्य करेंगे। आइनिश क्लाड ने भी आलोचना करते हुए सामूहिक सुरक्षा को सामान्य नीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण कहा है। निश्चित रूप से विगत इतिहास एच. जे. मार्गन्याऊ और आइनिश क्लाड के विचारों की सत्यता को सिद्ध करता है। लेकिन इस तथ्य को हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते कि पारस्परिक सहयोग, लेन-देन और त्याग की भावना से प्रेरित होकर विभिन्न नेता आज भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका व्यवहार करते हैं।

अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि आज विश्व शान्ति की भावना सामूहिक सुरक्षा की सफलता पर ही आधारित है। सामूहिक सुरक्षा की सफलता से न केवल विश्व की समस्याएँ समाप्त होगी, वरन् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को भी एक नई दिशा मिलेगी। छोटे-छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा तो होगी ही साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सार्थकता भी सिद्ध होगी। सामूहिक सुरक्षा की सफलता मुख्यतः उसके पास उपलब्ध प्रबल शक्ति पर ही निर्भर हो सकती है। किसी भी राष्ट्र को होने वाले विरोध के कारण, आक्रमण का साहस ही न हो। इससे न केवल शान्ति बनी रहेगी, वरन् राष्ट्र शान्तिपूर्ण साधनों से अपने विवादों का निपटारा कराने का प्रयत्न भी करेंगे, परन्तु सामूहिक सुरक्षा को प्राप्त इतनी विशाल शक्ति और समर्थन का आक्रामक राष्ट्र को विश्वास होना स्वयं एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रायः आक्रामक राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा को प्राप्त शक्ति के खोखलेपन से परिचित रहते हैं और वे किसी भी ऐसी धमकी को गम्भीरता से नहीं लेते। यदि कार्यवाही तुरन्त और प्रभावपूर्ण हो तो सामूहिक सुरक्षा कारगर हो सकती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। संघर्ष के आरम्भ काल में कार्यवाही की ही नहीं जाती और जब संघर्ष बढ़ जाता है, तब उसको रोकना सम्भव नहीं रहता और रोकने के प्रयास का परिणाम उसका एक बड़े युद्ध का रूप ग्रहण करना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरु होने की घटनाएं उपर्युक्त कथन की पुष्टि करती हैं। इसलिए सामूहिक सुरक्षा की अनेक कठिनाइयों को देखते हुए राष्ट्र हमेशा अपनी सैनिक शक्ति अथवा सैनिक गठबन्धनों पर विश्वास करते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनेक गठबन्धनों की व्यवस्था का सामने आना उपर्युक्त कथन की पुष्टि करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सैनिक एवं सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ सामूहिक सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विपरीत पड़ती हैं। यद्यपि चार्टर का 51वाँ अनुच्छेद इन सैनिक संधियों को अनुमति भी देता है, लेकिन इन सैनिक गठबन्धनों ने सामूहिक सुरक्षा को आघात पहुँचाया है। वास्तविकता तो यह है कि सामूहिक सुरक्षा की सफलता उसके प्रति बड़े राष्ट्रों के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। उनके द्वारा समर्थित कोई भी कार्यवाही निश्चय ही प्रभावपूर्ण सिद्ध हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास उपर्युक्त विश्लेषण का समर्थन करता है।

Q.5. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टिप्पणी कीजिए।

उत्तर - राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण कारकों में आर्थिक कारक अपना एक विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र की आर्थिक सबलता ही उस राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। आर्थिक कारकों के अन्तर्गत उस राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर औद्योगिक क्षमता के विभिन्न पहलू आते हैं। आर्थिक रूप से शक्तिशाली हुए बिना आज सामाजिक प्रगति सशस्त्र सेनाओं का विकास तथा अन्तराष्ट्रीय राजनीति में स्थान प्राप्त करना असम्भव है।

प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की शान्तिकालीन व युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के प्राण होते हैं। खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर राष्ट्र निश्चित रूप से उन राष्ट्रों की तुलना में लाभदायक स्थिति में रहेगा जिनके पास प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। कच्चे माल के अभाव में देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। कच्चे माल में लोहा, कोयला तथा खनिज तेल प्रमुख हैं। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि प्राकृतिक सम्पदा की प्रचुरता से आक्रमक युद्ध या कम से कम प्रतिरक्षात्मक युद्ध में विजय प्राप्त करने की क्षमता तथा सम्भावना बढ़ जाती है। सच बात तो यह है कि किसी राष्ट्र की शक्ति केवल सम्पदा के स्वामित्व से नहीं बल्कि उसके उपयोग द्वारा प्राप्त होती है। यह भी याद रखना चाहिए कि उसी राष्ट्र को हम शक्ति सम्पन्न राष्ट्र कह सकते हैं जिसके पास शक्ति के स्रोत भी हैं और जो अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने में अपने साधनों का सफलता से उपयोग करना भी जानता है।

आधुनिक युद्धों के यंत्रीकृत हो जाने से तथा परमाणु युद्ध के खतरे के कारण पेट्रोलियम एवं यूरेनियम का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तेल उत्पादक देशों की ओर आज विश्व भर की आँखें लगी हुई हैं। सभी राष्ट्र यह अच्छी तरह जानते हैं कि पेट्रोल की आपूर्ति में बाधा पड़ने से उनकी आजादी किसी भी क्षण संकट में पड़ सकती है। आज के युग में जब मानव तृतीय सहस्राब्दी के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, आणविक शक्ति राष्ट्रों की प्रगति तथा मानव जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त बनती जा रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आर्थिक विकास व सुरक्षा की दृष्टि से सबल बनाने में प्राकृतिक साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है।

यह सर्वविदित है कि आधुनिक सशस्त्र सेनाएँ राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में दृढ़ता प्रदान करने हेतु आवश्यक हैं। सुसज्जित सुप्रशिक्षित एवं अनुशासित सेनाएँ राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। किसी लम्बे युद्ध में वही राष्ट्र अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करने की योग्यता रख सकता है जिसकी रक्षा तैयारी सुदृढ़ हो। क्योंकि आज का युद्ध तो पूर्णतः आर्थिक कारकों पर ही निर्भर कर रहा है। इसलिए यदि आधुनिक युद्ध को आर्थिक युद्ध की संज्ञा दी जाए तो अनुचित नहीं होगा।

वर्तमान प्रगति एवं वैज्ञानिक आविष्कारों की तेज दौड़ के युग में कोई भी देश अपना औद्योगिक विकास किये बिना आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। वैज्ञानिक प्रगति औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। वैज्ञानिक विकास या प्रौद्योगिक परिवर्तन का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है आणविक हथियार का प्रादुर्भाव। आजकल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुँचने वाले और शब्द की रफ्तार से भी तेज उड़ान भरने वाले विमान एवं प्रक्षेपास्त्र बन चुके हैं जो अपना निशाना स्वयं ढूँढ़ रहे हैं। यह विश्व के हर कोने में सरलता से पहुँच सकते हैं और किसी भी खास जगह पहुँचाये जा सकते हैं। भू-उपग्रह और अन्तरिक्ष स्टेशन भी इन नवीन उपकरणों की तालिका में सम्मिलित किये जा सकते हैं। प्रकृति पर पाई हुई विजय से मानव बेहद गर्व का अनुभव कर रहा है पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि विज्ञान की प्रगति मानव के विकास एवं भूख मिटाने के लिए दिन-प्रतिदिन अनिवार्य होती जा रही है तो वही नए हथियार मानव जाति को सर्वनाश का

खुला निमंत्रण देकर समस्त विश्व को राख का ढेर बनाने की भी ताकत रखते हैं। अतः विज्ञान का उपयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करने से विकास की नई आशाएँ सामने उभर कर आयेगी किन्तु यदि बुरे विचारों को सोचकर वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग किया तो मानव पुनः उस लोक में पहुँच जाएगा जहाँ यह कहा जाता है कि उसकी लीला को कोई नहीं जानता।

वास्तव में किसी राष्ट्र का आर्थिक जीवन कायम रखने की क्षमता उसके राजनीतिक सम्मान और शक्ति को पुष्ट करती है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शक्ति के लिए औद्योगिक क्षमता को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। अमेरिका एवं रूस को महाशक्तियों के नाम से जानने का कारण उनका बड़ा आकार एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उनकी औद्योगिक क्षमता है। जब तक एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में ग्रेट ब्रिटेन का कोई प्रतिद्वन्दी नहीं था तब तक वह सम्पूर्ण विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था - अकेला वह राष्ट्र जिसे विश्वव्यापी शक्ति की संज्ञा दी जा सकती थी। जर्मनी की तुलना फ्राँस की शक्ति का पतन जो कि निःसंदेह 1870 के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था और जिसको बाह्य रूप में प्रथम महायुद्ध के उपरान्त रोक दिया गया था, वह बहुत कुछ फ्राँस के औद्योगिक पिछड़ेपन व जर्मनी की औद्योगिक प्रतिभा के राजनीतिक-व सैनिक प्रदर्शन के रूप में प्रकट होता होता था जिसके कारण ही यूरोपीय महाद्वीप में जर्मनी प्रभुत्वकारी शक्ति का रूप धारण कर गया था।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास को सही दिशा दी जा रही है। हमारा देश प्रगति के कई चरणों को पार कर विश्व के दस औद्योगिक राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। रक्षा विज्ञान से सम्बद्ध वैज्ञानिक टैंक, तोप, विमान, प्रक्षेपास्त्र एवं अन्य यौद्धिक सामग्री के विकास व आधुनिकीकरण की दिशा में सतत प्रयासरत है। भारत अब विकास के ऐसे चरण में प्रविष्ट हो चुका है जिसकी आर्थिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्षमता एवं प्रतिभा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर सऊदी अरब, लीबिया, ईरान और अल्जीरिया अन्य दृष्टि से सम्पन्न होने के बावजूद जनशक्ति एवं औद्योगिक क्षमता की दिशा में अभी पीछे हैं। पाकिस्तान में पर्याप्त जनशक्ति है किन्तु छोटे आकार एवं महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधनों जैसे लौह धातुएँ, तेल एवं मैंगनिज के न पाये जाने से यह आज भी औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

Q.6. Critically examine the concept of national security in the light of recent thinking in the developing countries.

Other Related Questions -

Q. What are the obstacles for national security in developing countries.

Q. Discuss contemporary relevance of the non aligned movement.

Q. Explain the concept of non - alignment and discuss the contemporary relevance of the non aligned movement.

Q. Critically examine the role of non - aligned movement in present day world situation.

प्रश्न- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की समसामयिक प्रासंगिकता की विवेचना कीजिये।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न- गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाये एवं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन

की समसामयिक प्रासंगिकता की विवेचना कीजिये।

प्रश्न- समकालीन विश्व परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्न - गुटनिरपेक्षता की अवधारणा एवं भूमिका पर प्रकाश डालिए एवं वर्तमान अन्तराष्ट्रीय वातावरण में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।

उत्तर - गुटनिरपेक्षता विदेश नीति का वह मूल सिद्धान्त है जिसके अन्तर्गत कोई भी देश अपने आप को शीत युद्ध तथा सैन्य गठबन्धनों से दूर रखते हुए अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों तथा शान्ति एवं सुरक्षा के अन्तराष्ट्रीय उद्देश्य की मँग, दोनों के आधार पर सक्रिय भाग लेता है। निश्चय ही गुटनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव तथा विकास हमारे समय की सबसे अधिक लोकप्रिय तथा प्रभावशाली घटना है। उल्लेखनीय है कि गुटनिरपेक्षता शब्द प्रायः उन राष्ट्रों की विदेश नीतियों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो न तो साम्यवादी गुट और न ही गैर साम्यवादी गुट के साथ सन्धि या गठजोड़ करते हैं।

गुटनिरपेक्षता की अवधारणा -

गुटनिरपेक्षता को अन्तराष्ट्रीय राजनीति में नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो द्वारा जीवन दर्शन तथा गति प्रदान की गई। विश्व के राष्ट्रों, जिनमें अधिकांशतः नवोदित एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतन्त्र हुए राष्ट्र थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दो परस्पर विरोधी गुट - पश्चिमी व साम्यवादी की शोषण एवं अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत करने की योजना ही विश्व में तनाव, अशान्ति, असुरक्षा एवं शोषण का कारण है और इससे निपटने की सबसे उपयुक्त रणनीति (Strategy) गुटनिरपेक्षता ही है। यही विचारधारा आगे चलकर निर्गुट आन्दोलन को विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई।

यद्यपि गुटनिरपेक्षता की अवधारणा विकास के प्रारम्भिक चरण में ही है। जो इसके सूत्रधारों द्वारा स्पष्ट की जा चुकी है किन्तु इसकी व्यापकता के कारण इसे अधिकांश विचारक अलग-अलग ढंग से परिभाषित करते हुए कई अवधारणाओं का पर्यायवाची भी समझते हैं जबकि प्रत्येक का दृष्टिकोण भिन्न एवं निम्नवत् है -

(1) अलगाववाद (Isolationism) -

अलगाववाद का अर्थ विश्व राजनीति में कम से कम या बिल्कुल भाग न लेने से है।

(2) असंलग्नता (non - Involvement) -

विभिन्न विचारधाराओं की टकराव से उत्पन्न तनाव से अपने को दूर रखना।

(3) अप्रतिबद्धता (Non - commitment) -

इसका अर्थ है कि दो शक्ति गुटों से समान दूरी एवं सम्बन्ध बनाये रखने के साथ किसी एक के साथ पूर्ण रूप से सम्बन्ध न होना।

(4) तटस्थता (Neutrality) -

किसी विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है। आधुनिक अर्थ में तटस्थता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी सामूहिक व्यवस्था से है जिसकी सहायता से आक्रमणकारी और आक्रान्त के बीच सही भेद स्थापित करके आक्रान्त की रक्षा की जा सके।

(5) गुटनिरपेक्षता (Non - Alignment) -

पण्डित नेहरू के अनुसार, गुटनिरपेक्षता का अर्थ मात्र तटस्थता एवं नकारात्मक व्यवहार से नहीं है बल्कि यह एक निश्चित दिशा में कार्य करने की प्रक्रिया है। हम जिस कार्य को

उचित समझते हैं, उसका समर्थन करते हैं और जिसको अनुचित समझते हैं उसका विरोध करते हैं।

उपरोक्त अवधारणाओं के विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तटस्थता ही एक ऐसी विचारधारा है जो गुटनिरपेक्षता के बहुत करीब है। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में केवल एक ही समानता है - शीत युद्ध के समय संघर्ष से अलग रहना किन्तु संघर्ष के समय गुटनिरपेक्षता का अर्थ है न्याय के समर्थन में उचित सिद्धांत का प्रतिपादन।

गुटनिरपेक्षता के तत्त्व -

1961 में गुटनिरपेक्षता के सन्दर्भ में पाँच आवश्यक मानदण्ड या तत्त्व निर्धारित किये गये, जो निम्नलिखित हैं -

- (1) उसी देश को आमंत्रित किया जाए जिसने स्वतन्त्र नीति अपना रखी हो और उसका आधार भिन्न-भिन्न शासन पद्धतियों वाले देशों के साथ सह-अस्तित्व और गुटनिरपेक्षता का हो।
- (2) उसने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों का निरन्तर समर्थन किया हो।
- (3) वह किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो।
- (4) वह किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता में न बँधा हो।
- (5) उसने किसी भी विदेशी शक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति न दी हो।

गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होने के लिए उपरोक्त शर्तों को बेलग्रेड में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन के पूर्व काहिरा के तैयारी सम्मेलन में निर्धारित किया गया। वास्तव में मानदण्ड विभिन्न मतों एवं दृष्टिकोणों को मिला - जुलाकर तैयार किया गया था।

1961 में प्रारम्भ गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अब तक लम्बा सफर तय कर चुका है। विगत वर्षों की घटनाओं ने निर्गुट आन्दोलन में निहित सिद्धान्तों की उपयोगिता और औचित्य को सिद्ध कर दिया है। कभी समय था जब सं. रा. संघ में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की आवाज नकारखाने में तूती की आवाज जैसी लगती थी, परन्तु आज संख्या बल की दृष्टि से उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। यदि सुरक्षा परिषद को निषेधाधिकार प्राप्त न हो तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र सं. रा. संघ में किसी प्रस्ताव को पारित करने में सक्षम है। सच कहा जाए तो निर्गुट आन्दोलन का इतिहास चुनौतियों का इतिहास है। निर्गुट देशों में भयंकर आर्थिक - राजनीतिक विपन्नताएँ लहरें उठी जा रही हैं। बड़ी शक्तियों का त्रिकोण तेजी से अपने पैतरे बदल रहा है और दक्षिण एशिया पर त्रिकोण के तीनों बिन्दु स्थिर होने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही राजनीतिक क्रिया के कारण अनेक देशों में गम्भीर शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आंतकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में मानव अधिकारों की घोर उपेक्षा हो रही है। क्या ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का अस्तित्व सम्भव है? इन प्रश्नों का उत्तर असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

सिंहावलोकन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि आन्दोलन में पूर्णतः मतैक्य नहीं है और उसमें अनेक अवसरों पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे देखकर लगता है कि आन्दोलन बिखर जाएगा, परन्तु सदस्य देशों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आन्दोलन की उपयोगिता स्वतः ही प्रमाणित हो जाती है। एक निर्बल के लिए इससे अच्छी स्त्रोतेजी क्या कुछ और हो सकती है? गुटनिरपेक्षता ने युद्धोत्तर अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र समाज का हित साधन तो किया ही है, बहुत सारे राष्ट्रों के वैयक्तिक हित भी साधे हैं। इससे सर्वोच्च शक्तियों और वैचारिक शिविरों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायता मिली है और विश्व के कुछ पुराने और बहुत से नये राष्ट्रों की स्वतन्त्रता को नई शक्ति मिली है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बार - बार पैदा होने वाले मतभेद अपने आप में गुटनिरपेक्षता के भविष्य को नष्ट कर देने वाले नहीं हैं। आज भी उनके सभी प्रयासों का चरम उद्देश्य विचार के धरातल पर गुटबन्दी समाप्त करना है। अभी तक उन्हें अपने लक्ष्य में औसिक सफलता ही

मिली है और वे ऐसे राष्ट्र समाज की स्थापना के लिए अब भी प्रयत्नशील है जिसमें गुटों का और प्रधान राजनीति का कहीं कोई अस्तित्व न हो।

विश्व का यही एक ऐसा मंच है जहाँ फैसले परस्पर सहमति के आधार पर होते हैं न बहुमत के आधार पर। शान्ति के प्रयासों के साथ युद्ध पिपासा में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। आज के युग में युद्ध किसी भी प्रकार के अन्तर्विरोध का हल ढूँढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। विश्व में बदलते घटनाक्रम किसी भी समय तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुआलोला के मनना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को किसी न किसी गुट में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किन्तु यहाँ यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व युद्ध की उलझन भरी समस्या को रोकने का तथा तृतीय युद्ध छिड़ने का प्रश्न गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका से अवश्य जुड़ा हुआ है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र मतभेदों को भुलाकर अपने प्रयासों से तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

विश्व का यही एक ऐसा मंच है जहाँ विभिन्न राजनीतिक पद्धतियों में विश्वास करने वाले प्रतिनिधि प्रारम्भ से ही सम्मिलित होते रहे हैं। दिल्ली में आयोजित सातवाँ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन इस सच्चाई पर रोशनी डालता है। इस सम्मेलन में जहाँ एक ओर कम्यूनिज्म में विश्वास करने वाला यूगोस्लाविया था वही दूसरी ओर कट्टर कम्यूनिज्म विरोधी इण्डोनेशिया था। एक तरफ रूस समर्थित वियतनाम था तो दूसरी तरफ अमरीका समर्थित पाकिस्तान था।

आज विश्व चीन, जापान, भारत आदि मध्य शक्तियों तथा ओपेक इस्लामी गुट जैसे क्षेत्रीय ताकतों में विभक्त हो गया है। इससे नये झगड़े तथा नये तनाव क्षेत्र उभरे हैं। अमेरिका शोषण के जाल फैलाता समर्थक देशों की पीठ थपथपाता नजर आ रहा है। फिर भी इन देशों को निर्गुट मंच की आवश्यकता है। ध्यान में रखने योग्य है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के जन्म के समय इसके सदस्यों की संख्या मात्र 25 थी और आज यह बढ़कर 120 हो गयी है। गुट - निरपेक्ष आन्दोलन ने अपनी सारी कमजोरियों और असफलताओं के बाद भी अविकसित और विकासशील देशों को आत्मसम्मान और गौरव के साथ एक ऐसा अनोखा मंच दिया है जहाँ से अपनी बिरादरी के देशों की आशाओं और आकांक्षाओं को वाणी दे सकते हैं। आज विश्व की बड़ी शक्तियाँ यह अनुभव करने लगी हैं कि यदि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने एक स्वर में राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा अवश्य प्राप्त होगी और भविष्य में भी निर्गुट आन्दोलन एक प्रतिरोधी शक्ति बना रहेगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने भी विल्कुल ठीक ही कहा था कि - विश्व में गुटनिरपेक्षता ही बड़ी शक्ति है। इसके पास मजबूत और सन्तुलित शक्ति है और हमें लगता है कि इसने विश्व में शान्ति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत यही भूमिका निभाता रहेगा। गुटनिरपेक्षता को सुदृढ़ बनाने में हम लगातार कोशिश करते रहेंगे और इसे विश्व में शान्ति विकास और सद् भावना रखने के लिए इसकी और विश्व अवधारणा को मोड़ने में महाशक्ति के रूप में प्रयोग में लाएँगे।

अब तक आयोजित विभिन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों की उपलब्धियों की एक झलक

1. बेलग्रेड सम्मेलन (1961)
2. काहिरा सम्मेलन (1964)
3. लुसाका सम्मेलन (1970)

- उपलब्धियाँ/विचार विमर्श के मुद्दे
- टकराव रोकने में सहायक सिद्ध हुआ।
 - पराधीन देशों की स्वतन्त्रता के लिए क्रियात्मक योजना तैयार की गयी।
 - अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के लिए रूपरेखा तैयार की गयी।

4. अल्जीयर्स सम्मेलन (1973)
5. कोलम्बो सम्मेलन (1976)
6. हवाना सम्मेलन (1979)
7. नयी दिल्ली सम्मेलन (1983)
8. हरारे सम्मेलन (1986)
9. बेलग्रेड सम्मेलन (1989)
10. जकार्ता सम्मेलन (1992)
11. कार्टेजेना सम्मेलन (1995)
12. डरबन सम्मेलन (1998)
13. कुआलालनपुर (मलेशिया) (2003)
14. हवाना (क्यूबा) (2006)
15. शर्म अल - शेख (2009)
16. तेहरान (2012)

- स्वतन्त्रता की प्रक्रिया की पूर्णता के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया।
- नयी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के लिए अभियान शुरू किया गया।
- आन्दोलन के मूलभूत उद्देश्यों के दृढीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- आन्दोलन की एकता पर जोर तथा न्याय पर आधारित विश्व व्यवस्था की दिशा में प्रयास।
- परमाणु निरस्त्रीकरण तथा विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग का आह्वान।
- पृथ्वी रक्षा कोष की स्थापना का सुझाव प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा रंगभेद उपनिवेशवाद व आतंकवाद की समाप्ति पर बल।
- तनावमुक्त विश्व की कल्पना तथा आर्थिक सहयोग पर बल।
- विश्व व्यवस्था के सुदृढीकरण का प्रयास।
- परमाणु निरस्त्रीकरण तथा आतंकवाद को रोकने के उपायों पर बल।
- सदस्य राष्ट्रों के हितों के लिए बहुपक्षीय प्रक्रिया अनिवार्य तौर पर अपनाने पर जोर। बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देना तथा राजनयिक तरीके से विश्व में शान्ति स्थापित करना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और नई विश्व व्यवस्था का निर्माण।
- आर्थिक संकट के दौर में विकासशील देशों के हितों का ध्यान। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री ने किया।
- सीरीया संकट, ईरानी परमाणु कार्यक्रम।

विश्व समुदाय आज यह प्रश्न पूछ रहा है कि इस आन्दोलन की भावी दिशा क्या हो? आज चीन को छोड़कर अमेरिका को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। दूसरी ओर विश्व के कई जलते हुए मंचों पर निर्गुट आन्दोलन की भूमिका एक असाहाय दर्शक की होती जा रही है। अफगानिस्तान में युद्ध जारी है तथा ईरान - ईराक युद्ध भी समाप्त हो गया लेकिन इसका श्रेय निर्गुट देश नहीं ले सकते। ईरान - इराक युद्ध 8 वर्ष चला किन्तु क्या कोई सार्थक हस्तक्षेप तीसरी दुनिया के देश कर सके? खाड़ी की भीषण जंग कुवैत पर इराक के कब्जे को लेकर हुई लेकिन युद्ध में जिस में सब कुछ पूर्व घोषित था, निर्गुट देशों ने कोई भूमिका अदा नहीं की। इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास भी तब जाकर किया जब युद्ध छिड़ गया। अब प्रश्न यह है कि फिर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की दिशा क्या है?

बीच में कहा जाता था कि साम्राज्य चले गये तो क्या हुआ आर्थिक साम्राज्यवाद तो मौजूद

हैं। बड़े देशों की छोटे देशों पर दादागिरी तो मौजूद है। लेकिन विश्व के आर्थिक अन्यायों के बारे में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन क्या कर पा रहा है? अमीर देशों की सिफारिश और विश्व बैंक की सहायता के बिना बगैर स्वाधीन आर्थिक विकास का कोई नया रास्ता वह कहाँ सुझा पाया है। उल्लेखनीय है कि किसी सदस्य देश पर विदेशी हमला हो जाए और वह भी महाशक्ति का और वह आदर्शों का मन्त्रजाप करा दे तो इससे क्या नेहरू और टीटो वाले झण्डे की दुनिया में झज्जत बढ़ती है? ईरान-इराक का युद्ध इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि निर्गुट देश किसी सार्थक भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम नहीं हैं। आज प्रश्न यह है कि यदि दक्षिण अफ्रीका से संगठित समाज हो जाए और...

आज प्रश्न यह है कि यदि दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद समाप्त हो जाए और फिलिस्तीन नामक एक स्वतन्त्र देश बन जाए तो सोचिये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रस्ताव पास करने के लिए विषय क्या होगा ? गौरतलब यह है कि इस आन्दोलन में कई क्षेत्रीय गुट उभरने और लाबी बनाने की चेष्टा में रत हैं। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो गुटनिरपेक्षा के मूल उद्देश्यों और संकल्पों का ध्वंस हो जायेगा और आन्दोलन अपने आप में निरर्थक हो जाएगा। याद रखना होगा कि दुनिया के कितने ही रंग-ढंग बदल गये हो दुनिया बदल गयी हो लेकिन आदमी के सरोकारों में कोई तब्दीली नहीं आयी है। बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में इस आन्दोलन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा।

बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में इस आन्दोलन को अपनी भावी सार्थक रणनीति स्वयं तय करनी होगी और यह तभी सम्भव होगा जब सदस्य देश आपसी मुद्दों को अलग रखकर नवस्वाधीन राष्ट्रों के सामूहिक मुद्दों पर विचार करें और उनके समक्ष उपस्थित समस्याओं के निदान के लिए सार्थक प्रयास करें। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि आन्दोलन के मूल उद्देश्यों में रंच मात्र भी विक्षेप न हो अन्यथा इस आन्दोलन का भविष्य हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाएगा। वस्तुतः सच तो यह है कि प्रश्न आज गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सार्थकता और प्रासंगिकता का नहीं बल्कि इसकी नयी भूमिका का है।

बदलते विश्व परिदृश्य में गुटनिरपेक्षता की नीति के कई पैरोकार यह मान रहे हैं कि सम्बन्धों की इस रंग बदलती दुनिया में यह नीति बलि चढ़ गयी है जबकि इस सोच का कोई आधार नहीं है। गुटनिरपेक्ष नीति कोई लाठी नहीं थी कि उसकी आवाज पर देश अपने लाभ से समझौता कर बनावटी सन्तुलन साधने में ही लगा रहे। यह नीति शीत युद्ध के दिनों में ही प्रासंगिक थी। यदि किसी देश से हमारे हित टकराते हैं तो उसका विरोध अवश्य किया जाना चाहिए किन्तु अतीत को आधार मानकर किसी देश से दूरी बनाना या रिश्तों को दरकिनार करना हमारे लिए घातक सिद्ध होगा - चाहे वह चीन हो या अमेरिका।

याद रखना होगा कि किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए बनी चाले नहीं बल्कि रणनीतिक हित देशों को करीब लाते हैं। आज विश्व का कोई भी देश भारत को अपनी आवाज पर हॉकने की कुब्बत नहीं रखता इसलिए हमें दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना समय की माँग है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। बदलते अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य ने निर्गुट देशों को नई रणनीति तय करनी होगी। प्रश्न आज गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सार्थकता और उपादेयता का नहीं बल्कि इसकी नई भूमिका का है और वह है विकासशील देशों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना।

1950 की तुलना में आज विश्व में और ज्यादा संघर्ष चल रहे हैं। अमीरो और गरीबों की आय के बीच का अन्तर बढ़कर 90 : 1 के अनुपात तक जा पहुँचा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति ने उसे ऐसे विकल्प प्रदान किये जिनके जरिये वह राष्ट्रीय हित साधने के साथ-साथ विश्व के दक्षिणी गोलार्द्ध को नैतिक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मात्र 53 देशों द्वारा की गई थी। गुटनिरपेक्षता इस ध्रुविकरण और व्यापक सवाल का एक तार्किक और नीतिपरक जबाब थी। तीसरे विश्व के जिन देशों ने पश्चिमी गुट के साथ जुड़ना पसन्द किया था वे आर्थिक रूप से पश्चिम पर निर्भर रह गये या फिर लोकतन्त्रीकरण के विकास से पिछड़ गये और रुग्ण

पाकर सहारे के लिए पश्चिम का मुँह ताकने लगे। नेहरू ने उन्हें कोका कोला देश का नाम दिया।

भूमण्डलीकरण के दौर में गुटनिरपेक्षता को नयी चुनौतियाँ और नई भूमिका -

आज भूमण्डलीकरण के दौर में गुटनिरपेक्षता यथार्थ और आदर्शवाद के बीच सामंजस्य ढ़ठाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय नीति निर्माता यह मानते हैं कि भारत संकट पैदा करने वाले ढ़ोसी देशों और लगातार बढ़ती जा रही भू-राजनीति प्रतिस्पर्धा से घिरा है। लेकिन इस खतरनाक ढ़ाहौल के बावजूद गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत को पारम्परिक अंतराष्ट्रीय राजनीति से ऊपर उठने के लिए कहता है। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत को शक्तिशाली देशों से अलग व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कहा गया है कि प्रभावी देशों के व्यवहार का एक नया ढ़ाँचा होना चाहिए। हालाँकि यह भी सच है कि भारत तेजी से प्रभावी राष्ट्रों में शामिल होता जा रहा है। भारत अपने हितों को लेकर कोई समझौता करने का पक्षधर आज भी नहीं है। भारत ऊँचे आदर्शों को कायम रखने के लिए स्थायी हितों का बलिदान नहीं करना चाहेगा। हाल में चीनी प्रभाव को समाप्त करने के लिए म्यांमार के साथ भारत के रिश्तों को इस सन्दर्भ में देखा जा सकता है। भारत को ऊँचे आदर्श कायम रखने के लिए अपने हितों की बली देने की भी आवश्यकता नहीं है। हालाँकि गुटनिरपेक्षता के कई पैरोकार इसकी वकालत करते हैं क्योंकि इस तरह की नीति रणनीति तौर पर भारत के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। खासकर ऐसी दुनिया में जहाँ अंतराष्ट्रीय राजनीति में गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही हो। इस नीति को दूसरी बड़ी खामी किसी एक धुरी के साथ निकट का सम्बन्ध कायम करने से इनकार करने की प्रतिबद्धता है। यह भारत की विदेश नीति का सर्वश्रेष्ठ तत्व हो सकता है क्योंकि यह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बचाये रखना चाहता है।

इस समय बहुध्रुवीय विश्व में निर्गुट आन्दोलन का अस्तित्व खतरे में है। सबसे अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दो तिहाई देश इसके सदस्य हैं और दुनिया की करीब 55 प्रतिशत आबादी 'नैम' देशों में बसती है। मगर खेद है कि प्रत्येक तीन साल पर सिवाय सामूहिक सदन के इनकी आवाजें भूमण्डलीकरण के साउण्ड प्रूफ महल में दम तोड़ जाती हैं। नैम को बदलती अंतराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को बदलना होगा। तेल व गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नैम के देश यूरो देशों की तर्ज पर अपनी अलग मुद्रा चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त विकास के लिए एक साक्षी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। नैम को नवजीवन देने के लिए इब्सा (इण्डिया, ब्राजिल, द. अफ्रीका) देशों को आगे आना होगा। आज नैम अपने समक्ष विद्यमान आतंकवादी जैसी चुनौतियों के मसलें पर साझा तंत्र विकसित करने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार ग्लोबल वार्मिंग के लिए सार्थक कदम उठाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, परमाणु अप्रसार तथा विकासशील और निर्धन देशों में विकास जैसे अहम मुद्दों को लेकर विकसित देशों पर दबाव बना सकने में सक्षम है। जहाँ तक अरब की बात है तो यहाँ यह कहना ही प्रासंगिक होगा कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति तभी अपना संदर्भ सही साबित कर पायेगी जब वह रणनीतिक चुनौतियों को अपने दम पर झेलने लायक संसाधन जुटा ले।

Q.7. Examine the concept of terrorism and discuss the current trends of counter terrorism.

Other Related Question -

Q. Elucidate the concept of terrorism and discuss its impact on India's security.

प्रश्न - आतंकवाद की अवधारणा का परिक्षण कीजिये और प्रति आतंकवाद की नवीन प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिये।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न - आतंकवाद की संकल्पना पर प्रकाश डालिये एवं भारतीय सुरक्षा इसके प्रभाव का विवेचना कीजिये।

उत्तर - आतंकवाद का अभिप्राय -

आतंकवाद पर प्रभावकारी नियन्त्रण लगाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने सातवें दशक इसकी समुचित व सर्वमान्य परिभाषा हेतु प्रयास प्रारम्भ किये जिसके अन्तर्गत पारस्परिक विचार विमर्श को प्रमुखता दी गयी। जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी राज्य अथवा अन्तराष्ट्रीय संगठनो के हितो को हानि पहुँचाने अथवा उससे रियायतो की प्राप्ति के लक्ष्य से की जाने वाली कार्यवाही को आतंकवाद की परिधि में लेने की बात कही, वहीं गुटनिरपेक्ष देशो (भारत सहित सदस्य देश) ने उक्त परिभाषा के अन्तर्गत उपनिवेशवादी व रंगभेदी शासन द्वारा मुक्त सैनानियों विरुद्ध की जाने वाली दमनात्मक कार्यवाहीयो को भी आतंकवादी गतिविधियो में सम्मिलित करने की अपील की। फलतः राष्ट्रों के मध्य मतैक्य के अभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद को परिभाषित करने में असफल रहा। तथापि समय - समय पर विभिन्न विचारक, विश्लेषक एवं अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन आतंकवाद को परिभाषित करने हेतु प्रयत्नरत रहे।

Jay Millin ने माओ, चेग्वारा, फिदल कास्त्रो और फिलिस्तीनी कार्यवाहियो का व्यापक अध्ययन व विश्लेषण करने के उपरान्त आतंकवाद को परिभाषित करते हुये कहा कि आतंकवाद एक तत्त्व है जो सशस्त्र संघर्ष है। अतः इसे सैनिक कार्यवाही मानना चाहिये। जब राजनय असफल होता है तब सैनिक कार्यवाही शुरू करते हैं और जब सैनिक असफल होते हैं तब उसका स्थान आतंकवादी ले लेते हैं।

जहाँ एक ओर James A. Millier ने आतंकवाद को राजनीतिक हिंसा (Political Violence) का स्वरूप बताया है वहीं Jordan J. paust ने शासन व उसके अवयवों से आने वाले सौमने के संघर्ष में अक्षम होने के कारण सरकार के साधनो, व्यक्ति, प्रतिष्ठानो व संचार माध्यमो को नष्ट करके आतंक का वातावरण उत्पन्न करने के लक्ष्य से की गयी कार्यवाहियों को आतंकवाद की संज्ञा दी है। Brian M. Jenkins ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि हिंसा की धमकी या व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगो को आतंकित करने के लक्ष्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है।

कन्वेंशन आन प्रिवेन्शन एण्ड पनिशमेण्ट 1973 द्वारा आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि, "आतंकवाद का अभिप्राय उन अपराधिक कृत्यो से है जो किसी राज्य को अपराधिक कारणो से व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अव्यवस्थित कार्यवाही अंजाम दी जाती है और यह विरुद्ध उन्मुख हो और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगो या सामान्य जनमानस के मन में भय का आतंक फैला देना है।" जबकि जी श्वार्जबर्गर के अनुसार - "एक आतंकवादी को उसके तात्कालिक उद्देश्य के लक्ष्य के सन्दर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य होता है भय पैदा करना के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति।"

ले. कर्नर वी. के. आनन्द ने आतंकवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "Terrorism is described as the art of compelling an individual, group or authority to adopt a particular disposition or accept the imposed demand under conditions of fear created by passive action or violence - demonstrated, threatened or implied."

James Boer Bell ने आतंकवाद को निम्नवत् परिभाषित किया है - "Terrorism is the systematic use of violence for the purpose of revolution. It has been an indispensable weapon of the weak, who have no real hope of pursuing an extended campaign, those whose who lack the resources not the will."

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशो द्वारा आतंकवाद के विविध पहलुओ पर अलग - अलग

दृष्टिकोण के कारण आतंकवाद को परिभाषित करने में उत्पन्न हो रही विषमताओ का ही यह परिणाम है कि इन गतिविधियो पर व्यापक नियन्त्रण लगाने में कठिनाइयाँ प्रकट हो रही हैं। आतंकवाद को जहाँ क देश में स्वाधिनता - संघर्ष (जेहाद) कहा जाता है वही दूसरे देश में उसे आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। उक्त विसंगतियो के बावजूद अन्तराष्ट्रीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए सन् 1937 में लीग ऑफ नेशन्स ने यह कहा कि, किसी राष्ट्र व व्यक्ति के विरुद्ध आतंक व अव्यवस्था फैलाने हेतु किये जाने वाले अपराधिक कार्य आतंकवाद की परिधि में आयेंगे, जिसे अनेक राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं किया। अमेरिकी एजेन्सी एफओ वीओ आईओ ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि, आतंकवाद शक्ति या हिंसा का वह अवैधानिक रास्ता है जो राजनीतिक व सामाजिक उद्देश्य के लिये व्यक्ति विशेष या समूहो द्वारा सरकारी व नागरिक सम्पत्ति के लिये प्रयोग में लाया जाता है। अमेरिकी आतंकवाद शोध - केन्द्र के निदेशक नील ए० पोलाड के अनुसार, तार्किक उद्देश्यो को ध्यान में रखे कुछ आतंकी संगठनो और अन्तर्देशीय संगठित अपराध गिरोहो में एक प्राकृतिक साझीदारी देखने आती है। संगठित गिरोहो की पहुँच आसानी से राजनीतिज्ञो तक होती है। नेताओ पर उनका प्रभाव होता है। ऐसे में संगठित अपराध से जुड़े गिराह आतंकी समूहो का इस्तेमाल क्षेत्रीय अस्थिरता से उत्पन्न स्थितियो में अपने को शक्ति सम्पन्न बनाने में करते हैं।

सन् 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद पर हुई अन्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा के फलस्वरूप यू० एन० ओ० ने घोषणा की कि -

वह कभी भी और किसी के द्वारा फैलाये गये हर प्रकार के आतंकवाद को अपराधिक मामला करार देते हुए उसकी कड़ी निन्दा करता है।

किसी राष्ट्र में आतंक फैलाने हेतु वर्ग विशेष व व्यक्ति के विरुद्ध राजनैतिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु चलाई जाने वाली हिंसा को आतंकवाद की श्रेणी में रखता है भले ही उसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जातिगत या अन्य किसी भी आधार पर तार्किक ठहराने की कोशिश क्यों न की जाय।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अमेरिका द्वारा आतंकवाद को परिभाषित करने के उक्त प्रयत्नो को अमेरिकी राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र की अपराध शाखा के आतंकवाद विशेषज्ञ ए० पी०

मिड ने आतंकवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, आतंकवाद एक चिन्ताजनक विधि है जिसमें बारम्बार हिंसात्मक गतिविधियाँ और व्यक्तिगत अथवा सरकारी तौर पर राजनीतिक या

राष्ट्रों ने स्वीकार नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र की अपराध शाखा के आतंकवाद विशेषज्ञ ए० पी० मिड ने आतंकवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, आतंकवाद एक चिन्ताजनक विधि है जिसमें बारम्बार हिंसात्मक गतिविधियाँ और व्यक्तिगत अथवा सरकारी तौर पर राजनीतिक या

इस्तेमाल मुख्य लक्ष्य को प्रभावित करने के लिये ही होता है। किन्तु यह परिभाषा वैधानिक स्तर पर निरपराध मासूमो की हत्या सरीखे अपराधो व भगतसिंह जैसे क्रान्तिकारियो द्वारा उपनिवेशी शासन

के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कृत्यो के मध्य अन्तर को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं करती है। उल्लेखनीय कि भारत के जम्मू - कश्मीर राज्य में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी

गतिविधियो की जहाँ एक ओर अमेरिका जैसे राष्ट्र आलोचना कर रहे हैं वहीं पाकिस्तान कश्मीर के आतंकवाद को जेहाद (स्वाधिनता - संघर्ष) कह रहा है। आतंकवाद का यह परिभाषित द्वन्द्व आतंकवाद के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाही में बाधक है वहीं सशक्त राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के हितो व सुरक्षा की

अनदेखी से इसमें भयंकर उलझाव आ रहा है। आतंकवाद पर नियन्त्रण हेतु किये गये प्रयत्न -

आतंकवादी गतिविधियो पर कारगर नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयत्न किये गये हैं लेकिन उनमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी है। बहुत से देशो में

आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रत्यार्पण संधियाँ भी की हैं जिससे अपने-अपने कानूनों के अनुसार आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना सम्भव हो सके। संक्षेप में आतंकवाद विरुद्ध पारित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन निम्नवत् हैं -

1. कन्वेंशन फार द प्रिवेंशन एण्ड पनिसमेण्ट ऑफ टेररिज्म, 1937।
2. आर्गेनाइजेशन आफ अमेरिकन स्टेट्स (O. A. S.) का सन् 1971 में सम्पन्न कन्वेंशन।
3. संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संख्या 2780 पर आधारित 1973 का कन्वेंशन जिसमें राजनयिकों सहित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित व्यक्तियों पर हमले को अपराध का आधार बनाया गया था।
4. सन् 1977 को यूरोपियन कन्वेंशन जिस पर यूरोप के आस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, डेनमार्क, ग्रीस, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जेंबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, तुर्की, ब्रिटेन व जर्मनी ने हस्ताक्षर किये थे।
5. सन् 1978 में पारित संयुक्त राष्ट्रसंघ का आतंकवाद - विरोधी प्रस्ताव।
6. बन्धक बनाये जाने के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा दिसम्बर 1979 का इण्टरनेशनल कन्वेंशन।
7. सार्क (SAARC) देशों का कन्वेंशन आन द सप्रेसन ऑफ टेररिज्म।

उपरोक्त सभी कन्वेंशन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये या क्षेत्रीय हैं अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य से सम्पन्न हुए हैं। अमेरिकी देशों के कन्वेंशन एशिया व अफ्रीका के देशों पर प्रभावी नहीं हो सकते।

आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 -

भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सन् 1987 में आतंकवाद तथा विध्वंसकारी गतिविधियाँ (निवारक) अधिनियम (The terrorist and Disruptive Activities Prevention Act - 1987) जिसे सामान्यतः टाडा कहा जाता है, लागू किया। यह महत्वपूर्ण प्रयास तो अवश्य किया किन्तु कतिपय राजनैतिक व विधिक कारणों से इसे 1997 में समाप्त कर दिया गया। अतः टाडा के वैकल्पिक विधान की आवश्यकता महसूस करते हुए अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति द्वारा आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (Prevention of Terrorism Ordinance - POTO) जारी किया गया। इस अध्यादेश के कतिपय विवादास्पद मामलों को हटाने बाद 26 मार्च 2002 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में इसे मंजूरी देकर अन्ततः आतंकवाद निरोधक अधिनियम का स्वरूप प्रदान किया गया।

आतंकवाद निरोधक अधिनियम में 6 अध्याय व 64 धाराएँ हैं। इस अधिनियम की धारा 3(1) में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है तथा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों के आजीवन कारावास व फांसी की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, इस अधिनियम के अन्तर्गत आतंकवादियों को शरण देने घोषित आतंकवादी संगठन के सदस्य होने तथा आतंकवादी संगठन की सभा व बैठक आदि आयोजित करने पर कठोर दण्ड के प्रावधान हैं। इस अधिनियम की धारा 18 अन्तर्गत निम्नांकित संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया -

1. बख्तर खालसा इण्टरनेशनल।
2. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स।
3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स।
4. इण्टरनेशनल सिक्ख यूथ फेडरेशन।
5. लश्कर - ए - तोयबा। परवान - ए - अहले हदीस।

Visit Us for more detail at www.dreamtoper.in

6. जैस - ए - मौहम्मद। तहरीक - ए - फुकरान।
7. हरकत - उल - मुजाहिदिन। हरकत - उल - अंसार। हरकत - उल - जेहादे इस्लामी।
8. हिज्बुल मुजाहिदिन। हिज्बुल मुजाहिदिन पीर पंजाल रेजीमण्ट।
9. अल - उमर - मुजाहिदीन।
10. जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक फ्रण्ट।
11. उल्फा।
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट ऑफ बोडोलैण्ड (एन० डी० एफ० बी०)
13. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी।
14. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट (यू० एन० एल० एफ०)
15. पीपुल्स रिवाल्व्युशनरी पार्टी आफ कांगली पाक (पी० आर० ई० पी० ए० के०)
16. कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी)
17. कांगली याओल काम्बा लुप (के वाई के एल)
18. मणिपुर लिबरेशन फ्रण्ट।
19. आल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स।
20. नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट आफ त्रिपुरा।
21. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल टी टी ई)
22. स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेण्ट आफ इण्डिया (सिमी)
23. दीनदार अजुमन।
24. कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) पीपुल्स वार ग्रुप।
25. माओइस्ट कम्युनिस्ट सेण्टर (एम सी सी)

भारत सरकार द्वारा पारित आतंकवाद विरोधी अधिनियम पर जहाँ एक ओर भारत के कुछ राज्यों ने गहरी आपत्ति प्रकट की वहीं अल्पसंख्यक समुदाय भी इससे संशुभित था। विविधताओं वाले इस देश में केन्द्र व राज्य में सम्भावित टकराव राष्ट्रीय सुरक्षा व अखण्डता की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकीकरण को ठेस पहुँच सकती है। अतएव, इसमें अपेक्षित संसोधन एवं सभी राज्यों की भावनाओं को यथोचित महत्व देकर ही आतंकवाद के उन्मूलन में पेटा का उपयोग उचित होगा। किन्तु प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (U. P. A. United Progressive Alliance) सरकार ने पेटा को समाप्त करने की घोषणा कर दी। मुम्बई घटना के उपरान्त आन्तरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं आतंकवाद के प्रभावी उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने दिसम्बर, 2009 में इन्टेलीजेन्स ब्यूरो के वार्षिक सम्मेलन में एन० सी० टी० सी० (N. C. T. C. - National Counter Terrorism Centre) के गठन की घोषणा की है जिसका प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद के विरुद्ध विरोधात्मक कार्यवाही करने एवं घटना के होने के पश्चात् उसकी गुत्थी सुलझाने एवं जबाबी हमले की कार्यवाही करना है। यद्यपि इन्टेलीजेन्स ब्यूरो के अधीन कार्य करने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का भारत के गैर कांग्रेसी सरकारों ने संघीय ढाँचे की दुहाई देते हुए तीव्र विरोध किया है तथापि अमेरिकी प्रेरणा से गठित एन० सी० टी० सी० पर कतिपय विरोधों के बावजूद न केवल इसका गठन शीघ्रतिशीघ्र किया जाना चाहिए अपितु इस संगठन के पास आतंकवाद विरोधी अभिसूचनाओं के एकत्रीकरण व प्रसारण के प्रभावी अधिकार भी होने चाहिए जिससे भारत में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों पर त्वरित व ठोस कार्यवाही करके आन्तरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा सके।

Q. 8. Differentiate between collective security and collective defence.

प्रश्न - सामूहिक सुरक्षा एवं सामूहिक रक्षा में विभेद कीजिये।

उत्तर - सामूहिक सुरक्षा एवं सामूहिक प्रतिरक्षा -

सामूहिक सुरक्षा (Collective security) तथा सामूहिक प्रतिरक्षा (Collective defence) दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें कभी-कभी समानार्थक मान लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त भेद है। यद्यपि यह सच है कि दोनों व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सम्पन्न मैत्री सन्धियों में सम्मिलित देश आक्रमण की स्थिति में एक-दूसरे की सहायता करने का वचन देते हैं तथा दोनों में ही सामूहिक (Collective) शब्द का प्रयोग भी हुआ है तथापि सामूहिक सुरक्षा व सामूहिक प्रतिरक्षा के प्रयोजन अभिग्रह एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जहाँ एक ओर सामूहिक सुरक्षा का लक्ष्य कहीं भी किसी भी आक्रमणकर्ता पर चोट पहुँचाने से सम्बन्ध होता है वहीं सामूहिक मोर्चेबन्दी की सैनिक सन्धि विशिष्ट शत्रु के विरुद्ध होती है किन्तु कुछ विशिष्ट राजनयिक कारणों से इसका उल्लेख सन्धि संविदा में नहीं किया जाता है। उत्तरी अटलांटिक सन्धि संगठन (NATO), दक्षिणी पूर्वी एशिया सन्धि संगठन (SEATO), वारस सन्धि (Warsa Pact) व अन्य कई द्विपक्षीय सैनिक सन्धियाँ किसी किसी सुनिश्चित शत्रु को ध्यान में रखकर ही की गयी हैं जबकि सामूहिक सुरक्षा इन सन्धियों अथवा व्यवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है।

डॉ० महेन्द्र कुमार के शब्दों में, सामूहिक सुरक्षा किसी सुनिश्चित विरोधी का मुकाबला करने की ताकत नहीं देती। वह ऐसे हर देश के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये होती है जो आक्रमण करें, चाहे वह देश किसी देश विशेष के साथ मैत्री सन्धि से जुड़ा देश हो या उसका मित्र हो अथवा निरपेक्षता को अपनाया। इस प्रकार सामूहिक मोर्चेबन्दी के अन्तर्गत शान्ति भंजन का स्वरूप नियत होता है और सामूहिक सुरक्षा के अन्तर्गत अनियत। सामूहिक सुरक्षा किसी सम्भाव्य आक्रमण का विचार नहीं रखती बल्कि यह मानती है कि कोई भी राज्य आक्रामक बन सकता है। P. Chandra ने सामूहिक सुरक्षा व सामूहिक प्रतिरक्षा के अन्तर को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि - Collective security is permanent arrangement. It aims against any aggression anywhere but in collective defence the nature of aggressor is determinate.

वस्तुतः सामूहिक मोर्चेबन्दी की अवधारणा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के प्रतिकूल है क्योंकि यह अन्ततः सैनिक गुटबन्दीयों को प्रोत्साहन देकर विश्व में तनाव प्रतिस्पर्धा व असुरक्षा का वातावरण का सृजन करती है।

Q. 9. Discuss the defence policy of India during -

(i) From 1947 to 1962

(ii) From 1962 to 1971

Other Related Questions -

Q. Discuss the defence policy of India since Independence upto the sino - India conflict of 1962.

Q. Examine India's defence policy between 1962 - 71

Q. Discuss the defence policy of pre - independent India.

Q. Discuss the changes in India defence policy after the sino - India conflict of 1962.

Q. Discuss the defence policy of India since Independence upto the India - China war of 1971.

न - निम्नलिखित काल खण्डों में मध्य भारत की रक्षा नीति की विवेचना कीजिये।

1947 से 1962 के मध्य

1962 से 1971 के मध्य।

सम्बन्धित प्रश्न -

न - स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से 1962 के भारत - चीन संघर्ष तक भारत की रक्षा नीति की विवेचना कीजिये।

न - 1962 - 71 के मध्य भारतीय रक्षा नीति का परिक्षण कीजिये।

न - स्वतंत्रता पूर्व के भारत की रक्षा नीति की विवेचना कीजिये।

न - 1962 के भारत - चीन संघर्ष के उपरान्त भारत की रक्षा नीति के परिवर्तनों की विवेचना कीजिये।

न - स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से 1971 के भारत - पाक युद्ध तक भारत की रक्षा नीति की विवेचना कीजिये।

न - प्रथम काल - 1947 - 1962 तक -

प्रथम काल में पं० जवाहर लाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। यह काल 1947 से 1962 का था। इस काल में भारत ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत रूप में निरपेक्षता को अपनाया। इस काल में मध्यवर्ती अवधारणा जैसे बफर राज्य, शक्ति संतुलन, शक्ति गठबन्धन, सामूहिक रक्षा को कोई महत्व नहीं दिया। कुछ चिन्तकों व विचारकों का मत है कि भारत की सुरक्षा के प्रति सजग न थे। सम्भवतः उन्होंने गुटनिरपेक्षता को सुरक्षा प्राप्त करने का माध्यम चुना, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति उनके विचार से भारत वर्ष को युद्ध से परे रखने में सहायक होगी। साथ ही गुटनिरपेक्षता की नीति राष्ट्रों के बीच बेहतर सम्बन्धों को विकसित करने में सहायक होगी। परन्तु चीनी आक्रमण ने भारतीय चिन्तकों को विदेशनीति व रक्षानीति का पुनः विचार करने के लिए विवश किया।

यदि हम स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की सुरक्षा समस्याओं का मूल्यांकन करें तो निम्न समस्याएँ सामने आती हैं -

1. भारत के कारण उत्पन्न हुई स्त्रातेजिक समस्या।

साम्प्रदायिक दंगों के कारण आन्तरिक सुरक्षा की समस्या।

भारत व पाकिस्तान में क्षेत्रीय शक्ति होने की क्षमता का अभाव जिसके कारण इस क्षेत्र में शक्ति का स्थिति उत्पन्न होना।

हिन्द महासागर में शक्ति शून्यता का अभाव होना।

भारत की सुरक्षा एवं रक्षा का भार उन लोगों के हाथ में आ जाना, जिनके पास इन महत्वपूर्ण पदों का अनुभव नहीं था।

भारत वर्ष के पास रक्षा प्रतिष्ठानों की कमी व इनको आधुनिक बनाने के लिए संसाधनों का अभाव।

इस्लामिक पाकिस्तान व साम्यवादी चीन का, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक भारत वर्ष से शान्ति व अस्तित्व की भावना बनाये रखना, तीनों ही राष्ट्रों के लिए मुश्किल कार्य।

यदि हम स्वतंत्रता से लेकर सन् 1962 की राजनीतिक एवं स्त्रातेजिक समस्याओं का अध्ययन करें तब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आधार मानकर भिन्न शक्ति गुटों से अपने सम्बन्धों को बनाने का प्रयत्न किया। इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ पर

भारत ने अपनी आस्था प्रकट की और कश्मीर समस्या को उसके सामने रखा। शान्तिपूर्ण सहज के महत्व के आधार पर पंचशील नीति का निर्माण किया गया जिसके द्वारा पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया।

गुटनिरपेक्षता व पंचशील नीतियों ने रक्षा योजना को महत्वपूर्ण स्वरूप दिया। विशेष रूप से उसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिंतकों का ऐसा विचार था कि गुटनिरपेक्षता व पंचशील सुरक्षा की अवधारणा है। हमारे चिंतकों का यह भी विश्वास था कि भारत पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, पंचशील निःशस्त्रीकरण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में आक्रमण वर्जित है और हम अनायुद्ध विश्वास करते हैं। पं० नेहरू का विश्वास था पंचशील शक्ति की आधारशिला होगी तथा इस सिद्धान्त किसी दिये गये क्षेत्र में काफी समय के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसी सन्दर्भ में उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का चुनाव किया था कि यह हमारी रक्षा एवं सुरक्षा के लिए गारण्टी होगी और इस प्रकार राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होगा। उस समय के चिन्तकों का मत था कि पाकिस्तान ऊपर आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि वह संख्या एवं आकार में हमसे कम और आर्थिक रूप से गरीब है कि युद्ध के बोझ को वहन नहीं कर सकता। पं० नेहरू सोचते थे कि चीन भी आक्रमण करेगा, क्योंकि वह अभी पच्चीस वर्षों तक आन्तरिक व राजनैतिक समस्याओं से उलझा रहेगा। यंह भी विश्वास था कि उस समय पाकिस्तान सिटो का सदस्य था तथा चीन सोवियत संघ का बड़ा मित्र था इस लिए ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि ये दोनों भारत के खिलाफ एकजुट भी होंगे। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता और विश्व द्विध्रुवीय विभाजन के द्वारा हमारी दीर्घकालीन स्त्रोतेजी का निर्धारण होता रहेगा।

यदि आज हम इतिहास को देखें और पं० नेहरू के विचारों का मूल्यांकन करें तो यह अतिशयोक्ति न होगा कि नेहरू जी के ये विचार पूरी तरह से गलत थे कि पाकिस्तान और चीन कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि पॉंचवे व छठवे दशक में पाकिस्तान मिलने वाली सैनिक सहायता तथा उपयोग भारत के विरुद्ध होगा। उनका यह सोचना भी गलत 1949 में चीन में जो क्रांति हुई उससे वह अनेक आन्तरिक समस्याओं से घिरा होगा। इस बात प्रमाण है कि चीन व पाकिस्तान के सम्बन्ध भारत व इसके नेता जितना सोचते थे उससे कहीं मैत्रीपूर्ण थे। इसीलिए यह सोचना बहुत भ्रामक व गलत था कि चीन और पाकिस्तान भारत के एकजुट नहीं हो सकते।

गांधीजी की अहिंसात्मक नीतियों व नेहरू की गुटनिरपेक्षता व पंचशील नीति प्रभावित चिन्तकों का विचार था कि रक्षा पर किया जाने वाला व्यय अनुपादक होता है तथा मनु संसाधनों को अन्य विकास के कार्यों पर व्यय करना चाहिए। इसलिए हमें रक्षा पर कम से कम करना चाहिए। यदि हम 1947 से 1962 के मध्य, भारत द्वारा रक्षा पर किये गये व्यय का मूल्य करें तो हम देखेंगे कि यह भारत की रक्षा जरूरतों को देखते हुए बहुत ही कम था। सन् 1947-1962 के मध्य रक्षा व्यय औसतन सालाना 300 करोड़ से भी कम था जो G.N.P. का लगभग प्रतिशत ही था। जिसका बहुत बड़ा हिस्सा सेना के वेतन व पेंशन पर खर्च कर दिया जाता था। के लिए आयुधों की खरीद फरोक्त के लिए बहुत कम व्यय किया जाता था। भारत के विभाजन पश्चात भारत व पाकिस्तान के मध्य सेना का विभाजन 2 : 1 के अनुपात पर हुआ। सेना के विभाजन के बाद भारत की 2 लाख 80 हजार सैनिकों की सेना मिली जो पाकिस्तान की तुलना में अधिक

इतनी बड़ी सेना को देखते हुए रक्षा पर किया जाने वाला व्यय बहुत कम था। नेहरू द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से प्रगति कराने के अभियान के परिणामस्वरूप 1950-51 प्रारम्भिक चरण में यह निर्णय लिया गया कि सेना को छोटा व असरदार बनाया जाय। इस नीति

अन्तर्गत सेना में 50 हजार सैनिकों की कमी लाई गयी, जिससे रक्षा का व्यय न बढ़ाना पड़े और कम से कम बजट में सेना का आधुनिकीकरण किया जा सके। इसी समय यह भी निर्णय लिया गया कि 1951 व 1952 में सेना में पुनः कटौती की जायेगी, जो लगभग 1 लाख सैनिकों की होगी। लेकिन भारत की आन्तरिक स्थिति, पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद के कारण कटुता, चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार करने के प्रयत्न तथा बदलती विश्व राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इस विचार को छोड़ना पड़ा।

सन् 1962 तक हमारी रक्षा जरूरतों का बहुत हिस्सा ब्रिटेन द्वारा पूरा किया जाता था। भारत में आयुध इकाईयों का न होना इस बात को दर्शाता है कि हमने अपनी रक्षा जरूरतों का उचित ध्यान नहीं दिया। भारत-चीन युद्ध ने सर्वप्रथम भारतीय जनमानस को रक्षा जरूरतों के प्रति जागरूक किया और यह एहसास दिलाया कि राजनैतिक व स्त्रोतेजिक स्थितियों का सामना करने के लिए अब भारत को अपनी रक्षा आवश्यकताओं पर सजग होकर अग्रसर होना पड़ेगा।

द्वितीय काल - 1962 - 1971 तक -

सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध में भारत की हार के कारणों को समझना बहुत कठिन नहीं है। उसका एक प्रमुख कारण यह था कि भारतीय कर्णधारों को अपनी रक्षा समस्याओं के विषय में कोई जानकारी नहीं थी और वे सैनिक अधिकारियों के चिन्तन को कोई महत्व नहीं देते थे। किसी ने हमारी रक्षा आवश्यकताओं के सन्दर्भ में विज्ञान एवं तकनीकी के महत्व के विषय में कोई विचार नहीं किया। इसी कारण से रक्षा उद्योगों के सन्दर्भ में कभी चिन्तन नहीं किया गया। चीन से करारी हार के बाद भारत ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में चिन्तन प्रारम्भ किया। बदलते हुए स्त्रोतेजिक परिवेश का मूल्यांकन करने के बाद भारत ने अपनी सेना का विकास, संसाधनों एवं आयुधों का निर्माण तथा आयुधों की खरीद - फरोक्त के सम्बन्ध में नये सिरे से योजनाएं बनानी प्रारम्भ की।

चीन तथा पाकिस्तान के मध्य तेजी से सम्बन्धों में सुधार व 1963 में उसके मध्य सीमा सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर ने भारत के समक्ष नयी स्त्रोतेजिक समस्या उत्पन्न कर दी। इस समझौते के बाद इन दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध घनिष्ठ होते गये। जिससे भारत एवं पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों में पुनः तनाव उत्पन्न कर दिया। भारत द्वारा अपनी सेना में तात्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किये गये सुधारों ने पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों को कटु बनाया क्योंकि इस समय पाकिस्तान को अमेरिका व अन्य पश्चिमी शक्तियों से मिलने वाली सैनिक सहायता में कुछ समय के लिए रुकावट आ गयी थी। अक्टूबर 1964 में चीन द्वारा परमाणु विस्फोट ने पुनः भारतीय चिन्तकों को अपनी रक्षा आवश्यकताओं को मूल्यांकन के लिए बाध्य किया। इस समय भारत में न केवल अपनी परम्परागत सेना में सुधार, उसकी संरक्षा, आयुधों, ट्रेनिंग, प्रहारशक्ति के आधार पर किया, वरन् सर्वप्रथम अपनी सेना के लिए अणुबम के विकल्प पर भी विचार किया। जहाँ नेहरू जी अणुशक्ति को सिर्फ शान्तिपूर्ण कार्यों में प्रयोग पर जोर देते थे, वहीं नेहरू की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नेहरू जी की परमाणु नीति में परिवर्तन किया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी परमाणु नीति में अवश्य परिवर्तन लायेंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की धीमी गति को तेज करने के लिए 1964 में पहली रक्षा पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया तथा स्त्रोतेजिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों को अच्छी सड़कों व रेल लाइनों से जोड़ने के लिए विशेष ध्यान दिया। रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेना को पर्वतीय व गुरिल्ला युद्ध कर्म का उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के पास बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित करने की एक विस्तृत योजना बनायी गयी। भारतीय सेना की बढ़ती शक्ति ने पुनः पाकिस्तान को चिंतित कर दिया और उसने कश्मीर समस्या को पुनः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयत्न किया। जिसके

परिणामस्वरूप सितम्बर 1965 को पुनः भारत व पाकिस्तान युद्ध में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। इस युद्ध की समाप्ति ताश्त-कुन्द समझौते के द्वारा हुई। इस युद्ध ने भारत व पाकिस्तान दोनों को अपनी रक्षा आवश्यकताओं के प्रति जागरूक किया। दोनों ही राष्ट्रों ने अपनी सेनाओं के आधुनिककरण के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता लेनी प्रारम्भ की। दोनों ही राष्ट्रों ने अपने रक्षा बजट में तेजी से वृद्धि की और अपनी परमाणु नीति का पुनः मूल्यांकन किया। विभिन्न दस्तावेजों के अध्ययन से यह पता चलता है कि पाकिस्तान इसी समय से परमाणु बम बनाने का निश्चय किया। भारत ने भी परमाणु बनाने की तकनीकी का विकास करने हेतु (SNEP sub terrerion Explosions project) परियोजना को मंजूरी दी। जिसका उद्देश्य परमाणु बम तकनीकी का उस बिन्दु तक विकास करना जो जरूरत पड़ने पर तीन माह के अन्दर परमाणु बम बनाने की क्षमता हमें प्रदान करता हो। भारत ने अपनी प्रथम रक्षा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाएं बनायीं।

पहला - 8 लाख 25 हजार सैनिकों का विकास।

दूसरा - सेना को आधुनिकतम हथियार देना।

तीसरा - वायु सेना की 4-5 स्क्वाड्रेन का विकास करना तथा आधुनिकतम विमानों का आयात करना।

चौथा - जल सेना को और अधिक आधुनिक करके उसकी मारक क्षमता का विकास करना।

पाँचवा - बेहतर संचार सेवा का विकास करना।

छठा - सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करना।

1962 के भारत - चीन युद्ध व 1965 के भारत - पाक युद्ध ने भारतीय चिन्तकों को गुटनिरपेक्षता पंचशील पर आधारित सहअस्तित्व की नीतियों का मूल्यांकन व बदलती हुई स्ट्रोतेजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए इन नीतियों की सफलता के लिए सैन्य शक्ति के सुदृढ़ करने की आवश्यकता हुई। इस काल में भारत - पाक के मध्य बढ़ती कटुता ने पाकिस्तान - चीन व पाक - अमेरिका के समीप किया तथा अमेरिका ने पाकिस्तान की स्ट्रोतेजिक स्थिति की महत्ता को देखते हुए उसके साथ अपने सम्बन्धों को विशेष महत्व दिया। इस समय अमेरिका पाकिस्तान की सहायता से भविष्य में इस क्षेत्र में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयासों में पाकिस्तान के महत्व को समझाने का प्रयास कर ही रहा था कि भारत पाकिस्तान पुनः 1971 में एक दूसरे के आमने - सामने आ खड़े हुए। इस समय तक भारत ने अपनी पहली रक्षा पंचवर्षीय योजना को सफलता के साथ पूरा कर,

पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ कर दी थी। इस समय भारत के पास पाक से आठ गुना ज्यादा जलपोतों के पास इन आयुधों के निर्माण करने की एक विस्तृत व्यवस्था थी। इस युद्ध में भारतीय सेना के तीनों अंगों का पहली बार एक साथ कुशलतापूर्वक प्रयोग कर न केवल भी आश्चर्यचकित कर दिया। भारत ने अपनी मारक क्षमता को प्रदर्शित करने में पराजित किया वरन् अपने को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपने पक्ष में कर लिया।

and missile programmes.

programmes and their

कीजिये।

पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिये।

प्रश्न - पाकिस्तान के नभिकीय कार्यक्रमों के मुख्य लक्षणों का संक्षेप में विवेचना कीजिये।

उत्तर - पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का प्रारम्भ 1953 में हुआ जबकि पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा समिति की स्थापना हुई। 1956 में इसका नाम बदल कर पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग कर दिया गया। 1958 में एक मूलभूत शोध के लिए एक रिएक्टर की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो आइसोटोप भी बनाने का कार्य करेगा। 1960-61 के वजट में इस प्रस्ताव के लिए धन की व्यवस्था की गयी और 1963 में आईएओ (IAEA) की सहायता से इसकी स्थापना भी कर दी गयी।

पाकिस्तान परमाणु अस्त्र की योजना का प्रारम्भ 1972 से ही किया गया। यह योजना 1971 के युद्ध में हारने के बाद जुल्फीकार अली भुट्टो के द्वारा प्रारम्भ की गयी। किन्तु इसके पूर्व ही 1965 में जुल्फीकार अली भुट्टो ने कहा था कि यदि भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास एवं पतियाँ खा लेंगे यहाँ तक कि भूखे रह लेंगे किन्तु हम अपना खुद का परमाणु बम बनायेंगे।

1974 के भारत के शान्तिपूर्ण परीक्षण से जुल्फीकार अली भुट्टो पूर्णतः आश्चर्य हो गये कि भारत वास्तव में परमाणु बम बनाने की योजना बना रहा है और पाकिस्तान के लिए यह उचित समय है कि परमाणु बम के लिए आवश्यक तकनीकी एवं सुविधाएँ एकत्रित की जाय। तभी से पाकिस्तान ने गुप्त रूप से परमाणु बम प्राप्त करने का प्रयास तेज कर दिया। 1979 में जुल्फीकार अली भुट्टो ने कहा कि हमें मालूम है कि इसाई यहूदी और हिन्दू कमोने ने परमाणु बम की महारत हासिल कर ली है। कम्युनिस्टों के पास भी बम हैं, तो सिर्फ इस्लामी विरादरी ही इससे महरूम क्यों रहे।

इस प्रकार पाकिस्तान निरन्तर परमाणु शस्त्र क्षमता विकसित करने की दिशा में प्रयत्नशील रहा। 28 जनवरी 1987 को अब्दुल कादिर ख़ाँ ने कहा कि वे कहते हैं कि पाकिस्तान बम नहीं बना सकता है पर हमने बम बना लिया है और यदि हमारे वजूद पर खतरा आया तो हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। इस रहस्योघाटन से दुनिया में तहलका मच गया। नई दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक यह विश्वास हो गया कि यदि पाकिस्तान ने अभी तक परमाणु बम नहीं बनाया है तो निश्चित रूप से परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है।

अब्दुल कादिर ख़ाँ ने नवाये वक्त अखबार के साक्षात्कार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान अब उन कुछ देशों में है जिन्होंने यूरेनियम सम्बद्ध में सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय राष्ट्रों को जो कार्य करने में 20 वर्ष लगे उसे हमने 7 वर्षों में कर दिखाया। पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रों की क्षमता के बारे में डॉ॰ कादिर ख़ाँ ने कहा कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति को वह चरम निर्णय लेना पड़ा और यह कार्य हमारे ऊपर दिया गया तो हम राष्ट्र को निराश नहीं करेंगे। नई दिल्ली में साऊथ ब्लाक इस बात को लेकर किसी संशय में नहीं था कि यह सधा सधाया वक्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक शासकों की राय बात से रचा गया था।

इसके पूर्व भी बाहरी स्रोतों से जिसमें अमेरिका प्रमुख है, से यह जानकारी होती रही है कि पाकिस्तान परमाणु बम की क्षमता प्राप्त कर चुका है।

चीन - पाकिस्तान के आपणविक शस्त्र कार्यक्रम को निरन्तर सहायता देता रहा है। अमेरिका भी समय - समय पर यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान के कटु संघर्ष को चीन सहायता करता रहता है। चीन ने पाकिस्तान को अणुबम की एक डिजाइन भी दी थी जिसके कारण चीन अमेरिका आपणविक व्यापार संधि पर संकट पैदा हो गया था। इसके अलावा पाकिस्तान को 1990 के दशक में फ्रांस 900 मेगावाट शक्ति का एक आपणविक शक्ति संयंत्र बेचने के लिए सहमत हुआ। इस संयंत्र को केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संचालित करने की घोषणा की गयी। डॉ॰ कादिर ख़ाँ ने

घोषित किया कि काहुता संवर्धन संयंत्र प्रस्तावित फ्रांसिसी संयंत्र की संशुद्धित यूरेनियम की आवश्यकता को पूर्णतः पूरा करने में सक्षम होगा। इस प्रकार पाकिस्तान ने भी, भारत की तरह आगामी 15 वर्षों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संचालित आणविक ऊर्जा कार्यक्रम की आड़ में अपने शस्त्र निर्माण कार्यक्रम को छिपाये रखने का प्रयास कर रहा था। किन्तु अनेक सूत्रों के माध्यम से यह समाचार मिलता रहा कि पाकिस्तान ने कुछ अणु बम लिए हैं। स्वयं पाकिस्तान द्वारा समय-समय पर आणविक शस्त्र क्षमता अर्जित करने की घोषणा की जा चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मिया नवआज शरीफ ने अगस्त 1994 को पाक-अधिकृत कश्मीर में एक जन सभा में पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने की स्वीकारोक्ति की। इस बयान से यह पूर्णतः सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं। पाकिस्तान एवं भारत ने परमाणु बम की प्रतिद्वन्द्विता के परिणाम स्वरूप मई, 1998 में भारत ने पाँच और पाकिस्तान ने भी पाँच परमाणु परीक्षण किये। इन परीक्षणों के फलस्वरूप दक्षिण एशिया परम्परागत युद्ध के साथ परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ गया।

पाकिस्तान के पास दो तरह से परमाणु बम बनाने की क्षमता है।

1. एक यूरेनियम से चैन रिएक्शन से परमाणु बम बना सकता है। इस प्रकार का बम द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागाशाकी के विरुद्ध प्रयोग किया था। इसमें यूरेनियम के अणु को अणु के दो टुकड़े को बारूद के विस्फोटकों से जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान क्रान्तिक द्रव्यमान से कम रहता है मिला दिया जाता है। दोनों टुकड़ों के मिलने से क्रान्तिक द्रव्यमान बढ़ जाता है और शृंखला अभिक्रिया (Chain Reaction) शुरू हो जाती है। यही परमाणु बम बनाने का सरलतम तरीका है।
2. दूसरी विधि में पाकिस्तान संलयन विधि का प्रयोग कर सकता है। इर विधि में प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। एक खोखले गोले में प्लूटोनियम रखा जाता है, जिसमें न्यूट्रान उत्सर्जित करने वाला कोई तत्व जैसे रेडियम या बेरोलियम पहले से रखा होगा। इसमें प्लूटोनियम मुक्त हुए न्यूट्रान की गति को कम कर देंगे, जिसमें न्यूट्रान थोड़ी सुस्ती से प्लूटोनियम के परमाणु को ताड़ेंगे। इसमें अभिक्रिया लम्बी खिंचेगी। पाकिस्तान का अणु बम का कार्यक्रम प्लूटोनियम पर ही आधारित है क्योंकि इससे वह अन्तराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के आँख में आसानी से धूल झोका सकता था।

परमाणु बम की भूख से पीड़ित पाकिस्तान ने बारी-बारी से दोनों रास्तों को अपनाया। सबसे आसान तरीका था कानून रियक्टर में प्रयोग हो चुके ईंधन के परिशोधन का जिससे प्लूटोनियम बम बन सके। इस रियक्टर के लिए प्राकृतिक यूरेनियम 1970 के आस-पास एक फ्रांसीसी उद्योगपति ने पाकिस्तान को विजली बनाने के लिए दिया था। अमेरिका ने फ्रांसीसी सरकार को यह चेतावनी दी थी कि यदि पाकिस्तान को ईंधन दिया गया तो पाकिस्तान बचे हुए प्राकृतिक यूरेनियम का दुरुपयोग कर सकता है और सम्भव है कि वह परमाणु बम भी बना सकता है। फ्रांसीसी सरकार एवं अन्तराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने मात्र सौदे में सावधानी एवं निगरानी की व्यवस्था थोड़ी कड़ी कर दी, लेकिन इसकी पाक के पक्के इरादे के सामने कोई अहमियत नहीं थी।

1972 में अब्दुल कादिर ख़ाँ एवं उनकी अंग्रेज पत्नी एम्सटरडम (हालैण्ड) गये। उन्हें यूरोपीय राष्ट्रों की एक संयुक्त कम्पनी उरेनको की कम्पनी में नौकरी मिल गयी। उरेनको ने हालैण्ड में एक बड़ा यूरेनियम संयंत्र कायम किया था। पाकिस्तान को इसी प्रकार के संयंत्र की आवश्यकता थी। पाकिस्तानी एजेण्टों ने डॉ० अब्दुल कादिर ख़ाँ से सम्पर्क किया और डॉ० कादिर ख़ाँ ने उन्हें सब बता दिया कि किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। धीरे-धीरे ये सभी पुर्जें पाकिस्तान मंगा लिए गये और जब सब सामान पाकिस्तान आ गया तो 15 दिसम्बर 1975 को डॉ० अब्दुल कादिर ख़ाँ एम्सटरडम (हालैण्ड) से पाकिस्तान आ गये। उनका मिशन पूरा हुआ। कहता है सभी उपकरण इसी प्रकार से प्राप्त किये गये हैं।

पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम को चीन ने सहयोग प्रदान किया। इसका प्रमाण जॉन गेल्व की रिपोर्ट में किया था। 1984 में जॉन गेल्व ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित हुई। इनके अनुसार चीन ने अपनी चतुर्थ परीक्षण तकनीकी वाणिज्य डिजाइन पाकिस्तान को दी। इसके पूर्व 1983 में अमेरिकी कांग्रेस सदस्य पाल लेवेन्थाल ने यह सूचना दी थी कि चीन ने चीन की भूमि पर परमाणु परीक्षण किया है।

चीन के चौथे परमाणु परीक्षण 1966 की तकनीकी जिन्हे पाकिस्तान को हस्तान्तरित किया गया। इस डिजाइन की यह विशेषता है कि इसकी विधि से बने बम का भार एक टन से कम है। इसे विमानों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। जैसे F-16, दूसरे SS-4 मिसाइल से जिससे चीन ने पाकिस्तान को प्रदान की है इससे भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस की पुष्टि की कि पाकिस्तानी परमाणु संयंत्रों में चीनी वैज्ञानिक देखे गये हैं। इसके अलावा चीन यह भी पाकिस्तान यूरेन को तकनीकी प्राप्त करने के लिए भी कर रहा है। डॉ० कादिर ख़ाँ ने इस पर को निराधार माना। ख़ाँ ने कहा कि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कुलदीप नैयर से उत्कार में उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं कि चीन की भूमि पर परमाणु परीक्षण किया। यह परीक्षण प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। अपने निरन्तर प्रयासों से भारत एवं पाकिस्तान ने परमाणु शस्त्र बनाने की क्षमता प्राप्त कर रखी है। दोनों मई 1998 में परमाणु बम का परीक्षण किया और दोनों राष्ट्र परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के विकास की दिशा में रत हैं। पाकिस्तान के पास समय कहुटा में परिष्कृत यूरेनियम संयंत्र तथा पिन्सटेक काम्प्लेक्स में नाभिकीय कार्य सम्बर्धन प्रकल्प है। लाहौर में यूरेनियम शोधक संयंत्र कराची में नाभिकीय शक्ति रियेक्टर है। गोलरा में यह शक्ति सम्बर्धन संयंत्र बना रहा है। पाकिस्तान ने चीन से नाभिकीय बम बनाने की प्रौद्योगिकी उधार में ली है। नाभिकीय बम बनाने से सम्बन्धित सारे आवश्यकत संयंत्र कनाडा एवं पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों से चुराये हैं। पाकिस्तान के पास इस समय नाभिकीय बारहेड्स को ले जाने के लिए वायुयान हैं। 1000 किमी० तक हमला करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का भी विकास कर लिया है।

पाकिस्तान जनवरी 1989 में क्रमशः 80 किमी० तथा 300 किमी० स्थल से स्थल तक मारने वाले हल्फ-1 तथा हल्फ-2 प्रक्षेपास्त्रों को अर्जित कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास चीन से मिले एम-11 मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों के मिलने से पाकिस्तान का मनोबल काफी बढ़ गया है। इन मिसाइलों की परिधि में भारत के प्रमुख नगर एवं रियेक्टर आ गये हैं। भारत एवं पाकिस्तान दोनों वर्तमान समय में एक परमाणु सम्पन्न राष्ट्र हैं। भारत ने मई 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद 1999 में अपना परमाणु सिद्धान्त घोषित किया। भारत का परमाणु सिद्धान्त न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता आधारित है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप के दोनों पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान एवं चीन आणविक क्षमता सम्पन्न हैं। अमेरिका व अन्य बड़ी शक्तियों के आणविक एकाधिकार के समक्ष अब चुनौती उत्पन्न हो गयी। इस कारण एशिया एवं दक्षिण एशिया में आणविक तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इन स्थितियों परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निम्न समस्या उत्पन्न हो सकती है।

पाकिस्तान एवं भारत दोनों परमाणु सम्पन्न राष्ट्र हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लम्बी सीमा है। दोनों राष्ट्रों के पास इस तरह के वायुयान व मिसाइलें हैं जो कि बहुत कम समय में एक दूसरे की सीमा क्षेत्र में घुसकर आक्रमण कर सकते हैं। पृथ्वी मिसाइल से 3-5 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी भाग में आक्रमण किया जा सकता है। पाकिस्तान भी अपने गौरी मिसाइल से दिल्ली पर 5 मिनट के अन्दर आक्रमण कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आकस्मिक या मानवीय भूल वस मिसाइलों का प्रयोग हो गया तो दोनों पक्ष के नेता इस भ्रम से कैसे मुक्त होंगे और कैसे युद्ध की सम्भावना को रोकेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध अवश्यम्भावी होगा।

2. अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति निरन्तर बनाये हुए है। अमेरिका का हिन्द महासागर क्षेत्र की संख्या में अपने सैनिक अड्डों एवं सैनिकों को कायम किये हुए है। भारतीय नौ सेना अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। भारत को दीर्घ कालीन सुरक्षा ध्यान में रखकर अपने सैनिक क्षमता का विकास करना होगा, जिससे कि भविष्य में अमेरिका के ऊपर आक्रमण न कर सके। भारत को ऐसी स्थिति में सीमित परमाणु निवारण की विकास करना आवश्यक होगा।

3. पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी को खुला समर्थन एवं प्रश्रय देता है। पाकिस्तान एवं सेना के ऊपर आईओ एचओ का पूरा नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में परमाणु हथियार आतंक के हाथों में पहुँचा सकता है। आतंकवादी संगठन भारत के लिए इसका दुरुपयोग कर ओसामा बिन लादेन भारत को अपना दुश्मन मानता ही है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। ओसामा लादेन का निकटस्थ सहायक परमाणु शस्त्रों को विकसित करने के लिए परमाणु शस्त्रों को एवं सम्बन्धित सुरेनियम को प्राप्त करने का प्रयास निरन्तर कर रहा है।

4. परमाणु अस्त्र आतंकवाद एवं परम्परागत युद्ध रोकने के समक्ष नहीं हो सकते। ऐसी सीमित युद्ध की सम्भावना निरन्तर बनी रहती है। भारत ने परमाणु सिद्धान्त में इसलिए कहा अपनी प्रभावी सैन्य क्षमता बनाये और अपने सैन्य बल के आकार को नहीं घटायेगा। अतः शस्त्रों के नियोजन से परम्परागत सैन्य शक्ति में कोई कमी नहीं आयेगी। इस प्रकार राष्ट्रीय खर्च का सामना करना पड़ेगा।

5. पाकिस्तान सदा अमेरिका से सैनिक सहायता की आशा नहीं कर सकता है। इसलिए उस आप को परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित किया। पाकिस्तान की यह मान्यता कि भविष्य में उनकी के लिए परमाणु हथियार सबसे सरल उपाय सिद्ध होंगे। अब भारत के विरुद्ध पाकिस्तान परम्परागत सेना की हीनता का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। भविष्य में पाकिस्तान भारत के एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता क्योंकि पाकिस्तान संसाधनों की कमी है।

6. पाकिस्तान के परमाणु क्षमता हासिल कर लेने के बाद अनेक इस्लामी राष्ट्र अपनी रक्षा पाकिस्तान का मुँह देख रहे हैं और पाकिस्तान परमाणु शस्त्र पाकर उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहें वह आज पाकिस्तान तथा अन्य अरब राष्ट्रों की रक्षा कर सकता है। इसके लिए सरल एवं प्रभावकारी हथियार उनके पास हैं। इससे पाकिस्तान को अरब राष्ट्र से पेट्रोलियम प्राप्त होगा जिसका प्रयोग वह के सापेक्ष अपनी सेना के आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए कर सकता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान मुस्लिम देशों के नेता के रूप में अपने आपको स्थापित करने का प्रयास करेगा।

7. भारत पाकिस्तान दोनों परमाणु क्षमता हासिल कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में हिन्द महासागरीय राष्ट्रों पर तथा हिन्द महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दोनों राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

8. भविष्य में यदि भारत पाक के बीच युद्ध होते हैं तो इसका गम्भीर प्रभाव भारतीय समरनीय पड़ेगा। युद्ध के समय भारतीय सेनाये संकेन्द्रीय आक्रमण करने का खतरा मोल नहीं ले सका विशेषकर पाकिस्तानी धरती पर सेना का संकेन्द्रण पाकिस्तानी अणु बम के लिए एक बना-बलक्ष्य प्राप्त होगा। यदि पाकिस्तान अपने अणु बम का प्रयोग अपनी धरती पर संकेन्द्रित विदेशी सेना को नष्ट करने के लिए करता है तो विश्व जनमत पाकिस्तान की इन कार्यवाहियों का विरोध कर सकेगा क्योंकि इसे एक प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही माना जायेगा। यह तथ्य इस बात को करता है। ऐसी स्थिति में कवचयुक्त भारतीय सेना की युद्ध में भूमिका पर विचार करना आवश्यकता है।

9. पाकिस्तान भूतकाल में लम्बी भारतीय प्रतिरक्षा रेखा में कमी खोजने में सफल रहा है और उसका अधिक से अधिक लाभ लिया है। कच्छ में उसकी कार्यवाही तथा छम्ब क्षेत्र में उसकी सैनिक कार्यवाही इसके उदाहरण हैं। परमाणु शक्ति का पाकिस्तान इसी तरह लाभ उठा सकता है तब भारत के पास एक विकल्प केवल परमाणु युद्ध का खतरा मोल लेने का रहेगा जो इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती सिद्ध होगा।

10. परमाणु शस्त्र अन्तराष्ट्रीय शक्ति के लिए एक मुद्दा का कार्य करते हैं। पाकिस्तान भारत के सापेक्ष इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा।

11. यह भी संभावना है कि यदि युद्ध के समय परमाणु शस्त्र सेना को सीमा जाता है तो सेना अति उत्साह या साहसिक अभियान के क्रम में इन शस्त्रों का प्रयोग वगैर राजनीतिक निर्देश के कर बैठे। ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत को उपर्युक्त चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी रक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में पाकिस्तान युद्ध की घोषणा किये बिना ही अथवा पारस्परिक युद्ध में हार के कगार पर जाने पर भारत पर एकलक परमाणु शस्त्रों का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। परमाणु युग में दोनों राष्ट्रों के द्वारा युद्ध को हर सम्भव टाला जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय नेताओं को कुशलता का परिचय देना होगा और अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में हमें नये शक्ति समीकरण बनाने होंगे। सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था एवं कुशल कूटनीति के द्वारा भारत भविष्य में सुरक्षित रह सकता है और अन्तराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत एवं पाकिस्तान में सुरक्षा सम्बन्धों के मसाले पर सामान्य सहमति बनाने की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान ऐसी वैश्विक प्रतिरक्षा व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है जिसमें टकराव की अपेक्षा सहयोग पर अधिक जोर दिया जाय। दूरतरा उपाय प्रभावी आर्थिक उपाय अर्थात् रक्षा खर्चों में दोनों राष्ट्रों को कटौती करनी चाहिए। लेकिन यदि हम भारत एवं पाकिस्तान सहित कुछ अन्य देशों के रक्षा खर्चों की बात करें तो पायेगी कि अनेक मदों में होने वाले खर्चों को छिपाते हुए रक्षा - खर्चों को कम करके दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए परिवहन आदि खर्चों को ले सकते हैं। ऐसा इसलिए सम्भव होता है क्योंकि बहुत सी प्रायोगिकी एवं कल पुर्जों व यंत्रों का दोहरा प्रयोग किया जाता है। दोनों राष्ट्र अपने कूटनीतिक दाव पैच से निरन्तर एक दूसरे को नीचा दिखाने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया के समक्ष अनेक सुरक्षा समस्याएं विद्यमान हैं।

Q. 11. Discuss India - china relations in the light of the foundary dispute.

Other Related Questions -

Q. Elucidate the foundary dispute between India and china and the efforts made for its settlement.

Q. Elucidate the positions of India and china on the foundary dispute between two countries and efforts made for its settlement.

Q. Examine India - china rebtions in the light of foundary dispute and efforts for its settlement.

Q. Comment upon the state and direction of India - china foundary

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

dispute.

प्रश्न - सीमा विवाद में भारत - चीन सम्बन्धों की विवेचना कीजिये।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न - भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद एवं इसके निराकरण हेतु किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालिये।

प्रश्न - भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद पर दोनों राष्ट्रों की संस्थितियों एवं निराकरण हेतु किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालिये।

प्रश्न - सीमा विवाद एवं उसके निराकरण हेतु किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए भारत चीन सम्बन्धों का परिक्षण कीजिये।

प्रश्न - भारत - चीन सीमा विवाद की दशा एवं दिशा पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर - सीमा विवाद -

चीन द्वारा तिब्बत को आत्मसात करने के पश्चात् भारत से स्पर्श करती उसकी सीमाएँ तथा दोनों के मध्य प्रारम्भ सीमा विवाद पारस्परिक सम्बन्धों की मधुर स्थापना में मुख्यतः बाधा रहा है। 3840 किलोमीटर लम्बी भारत - चीन सीमा में भूटान व सिक्किम की सीमाएँ तिब्बत से लगी हुई हैं तथा यह सीमा रेखा सन्धियों परम्पराओं अथवा क्षेत्रों द्वारा पुष्ट ऐसी अन्तराष्ट्रीय सीमा है जिस पर सन् 1959 व इससे पूर्व कभी भी कोई विवाद नहीं उत्पन्न हुआ। सदियों से विधिसम्मत यह रेखा भूगोल के जल - विभाजन सिद्धान्त के अनुसार है तथा अधिकांश स्थानों पर यह हिमालय के उन्नत शिखरों द्वारा निर्धारित होती है। यह सम्पूर्ण सीमा रेखा अन्तराष्ट्रीय समझौते द्वारा पुष्ट व मान्य है। इस सम्पूर्ण सीमान्त क्षेत्र में रहने वाली आदिम जातियों के रहन - सहन व सांस्कृतिक जीवन में कभी भी भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तथा कर - वसूली तथा कानून - व्यवस्था आदि के अनुपालन आदि का कार्य सहज ढंग से होते रहे हैं।



सम्पूर्ण भारत - चीन सीमान्त को निम्नांकित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है -

1. पश्चिमी क्षेत्र -

पश्चिमी क्षेत्र की सीमा रेखा जम्मू कश्मीर तथा सीक्यांग व तिब्बत के मध्य है जो 1720

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

मीटर लम्बी है। भारत चीन व अफगानिस्तान से मिले इस क्षेत्र का भूस्त्रोतजिक महत्व अधिक है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र का दो तिहाई भाग तिब्बत तथा कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जिसका निर्धारण सन् 1942 में कश्मीर के महाराजा, तिब्बत के दलाईनामां व चीन के शासक के मध्य हस्ताक्षरित सन्धि के आधार पर किया गया था। इससे पूर्व इस परम्परागत सीमा की पुष्टि 1684 की सन्धि के आधार पर की गयी थी। इतना ही नहीं ब्रिटेन और चीन के बीच 1847 - 48 के मध्य सम्पन्न पत्र - व्यवहार में भी इसी सीमा रेखा को मान्यता प्रदान की गयी थी तथा उन दिनों लाहौर स्थिती क्षेत्र लद्दाख का ही अंग था।

मध्य क्षेत्र -

इस सेक्टर में भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा पर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड (अब उत्तरांचल) तथा तिब्बत की सीमाएँ पड़ती हैं। यह सीमा रेखा भी परम्परा व्यवहार व सन्धियों द्वारा निर्धारित की गयी है। वाराहोती क्षेत्र की सीमा सन् 1889 - 90 में हुए कूटनीतिक पत्र - व्यवहार के आधार पर सर्वमान्य थी तथा आगे चलकर तिब्बत व भारत दोनों की सरकारों ने सन् 1913 में यह स्वीकार कर लिया कि यह सीमा उच्चतम जल विभाजन व पर्वत श्रेणी के अनुसार है। भारतीय राज्य सिक्किम व तिब्बत के मध्य 140 मील की प्राकृतिक सीमा को भी मार्च 1890 में ब्रिटेन व चीन के मध्य हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर वैधानिकता प्रदान कर दी गयी।

पूर्वी क्षेत्र -

इस क्षेत्र में परम्परागत सीमा रेखा भूटान से पूर्व - म्यानमार (वर्मी) व भारतीय सीमा के मध्य बिन्दु तक विस्तृत है। 1913 - 14 में शिमला में भारत - तिब्बत व चीन की तत्कालीन सरकारों के मध्य सम्पन्न त्रिपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप इस सीमा रेखा को मान्यता प्रदान की गयी। तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश (NEFA - North Eastern Frontier Agency) के मध्य यह सीमा रेखा मैकमोहन रेखा (Mac Mohan Line) के नाम से विख्यात है जिसे निम्नांकित मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है -

दोनों देशों के मध्य विवाद पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में लद्दाख से लगी सीमा पर उत्तर प्रदेश (अब उत्तरांचल) से लगी भारत - चीन सीमा पर भी छोटे - मोटे मतभेद हैं। जहाँ तक पश्चिमी क्षेत्र का प्रश्न है चीन भी इस क्षेत्र में व्यापक रुचि रखता है। उसने 1962 के युद्ध के पूर्व ही गार्डचीन मार्ग का निर्माण करके अपनी भू - सामरिक स्थिति पहले से सुदृढ़ कर ली थी। सन् 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इस सेक्टर में अपने दावे वाले 12000 वर्गमील के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने अधीन रखते हुए नियन्त्रण रेखा निर्धारित कर रखी है। इसमें पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र भी सम्मिलित है जिसे उसने चीन को दे रखा है। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में चीन हिमालय की पट्टी तक पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए मैकमोहन रेखा को मान्यता व चीन का यह स्पष्ट तर्क है कि चीन न देकर उसे अवैधानिक व साम्राज्यवादी रेखा की संज्ञा दे रहा है। चीन का यह स्पष्ट तर्क है कि सन् 1914 को सम्पन्न शिमला समझौता उसे इसलिये स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उस समय भी चीन का अभिन्न अंग था। तथा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने गुप्तचुप तरीके से तिब्बत के स्थानीय प्रशासन के साथ साठगांठ करके बिना उसकी सहमति के एकाएक शिमला में अधिवेशन कर लिया। चीन का यह पक्ष है कि तिब्बत को यह अधिकार था ही नहीं कि वह सीमा सम्बन्धी प्रश्न पर किसी दूसरे देश (भारत) के साथ किसी तरह का समझौता सम्पन्न कर सके। इस संदर्भ में आज भी भारत व तिब्बत के बीच 24 मार्च 1914 को हुए गुप्त पत्र - व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत को वरगलाकर इस पत्र व्यवहार के जरिये उसके साथ छल किया था। जबकि वास्तव में शिमला सम्मेलन मूलतः भारत और तिब्बत के मध्य सीमा के निर्धारण हेतु

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

आहुत किया गया था। उस समय तिब्बत स्वतन्त्र व सम्प्रभु राष्ट्र था जिसे इस सम्मेलन में पूर्ण राजनैतिक व कूटनीतिक अधिकार था। चीन के प्रतिनिधियों को तो इस सम्मेलन में आमन्त्रित कर लिया गया था कि तिब्बत व चीन के मध्य मिलने वाली सीमा से संलग्न कुछ क्षेत्रों पर चीन अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था। भारत का कहना है कि शिमला सम्मेलन में मैकमोहन रेखा के निर्धारण के आधार पर तिब्बत व चीन की सीमाओं को सुनिश्चित कर लिया गया था। सम्प्रति चीन को इस क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को मान्यता न देने का कोई औचित्य ही नहीं है। मे स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा प्रकाशित मानचित्रों पर चीन से सन 1950 में आपत्ति प्रकट की थी जिसे पं० नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया था कि भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय सीमा रेखा स्पष्ट व पुष्ट है। जहाँ तक मध्य क्षेत्र व चीन के मध्य विवाद का संदर्भ है, चीन के अनुसार मध्य क्षेत्र के अनेक भू-भागों (बांग्लादेश के भी कुछ भू-क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया। पर बढता सैन्य तनाव -

यद्यपि पंचशील समझौता सम्पन्न होने के पश्चात दोनों देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण की भावना का विकास होना चाहिए किन्तु सीमा सम्बन्धी विवादों के परिणामस्वरूप भारत के मध्य तनाव में वृद्धि होने लगी। जून 1954 में सम्पन्न चाऊ एन लाई की नयी दिल्ली यात्रा के 17 जुलाई 1954 को चीन की सरकार ने भारतीय सैनिकों द्वारा चीन अधिकृत तिब्बत के नीजि पास (Wu - je) क्षेत्र में अवैध घुसपैठ का आरोप लगाया। जबकि वास्तविकता यह कि तिब्बत क्षेत्र से कुछ चीनी सैनिकों व अन्य कर्मचारियों ने अवैध रूप से भारत के होली में घुसपैठ की कोशिश की थी। इसी बीच चीन की सरकार द्वारा प्रकाशित एक मानचित्र 50,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र को चीन के भू-भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश (नेफा) के तीन डिवीजन उत्तर प्रदेश के कुछ भू-भाग तथा जम्मू व कश्मीर के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का काफी विस्तृत भू-भाग सम्मिलित था। इतना ही नहीं उक्त मानचित्र में का सम्पूर्ण त्शिगोंग क्षेत्र (Tshigong Area) तथा उत्तरी-पश्चिमी भूटान का कुछ इलाका भी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। चीन के इस मानचित्र प्रकाशन पर भारत द्वारा आपत्ति पश्चात चीनी सरकार ने यह कहकर पं० नेहरू को सन्तुष्ट कर दिया कि मानचित्रों के सर्वेक्षण विभाग को अपेक्षित समय न मिलने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन चीन के विदेश द्वारा भारतीय आपत्ति के जबाब में यह कहने से कि चीन द्वारा प्रकाशित मानचित्र चीन की सरकार के पूर्व सरकार के मानचित्रों के ही संस्करण हैं तथा अब सभी पड़ोसियों से विचार - विमर्श तक सीमा विवाद के विभिन्न बिन्दुओं पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक दोनों पक्षों को वास्तविक सीमाओं का यथाशीघ्र निर्धारण कर लिया जायेगा, स्पष्ट होता है कि चीन की तत्कालीन भारत के साथ अपने सीमा सम्बन्धी पूर्व वक्तव्यों व सन्धियों के प्रति ईमानदार नहीं थी। सन 56 में नई दिल्ली व पेइचिंग में दोनों देशों के मध्य सम्पन्न विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान सरकार ने बाराहोली (Baraholi) तथा वू-जे (Wu - je) क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया। इसी बीच चीन द्वारा मैकमोहन रेखा की वैधानिकता को अस्वीकार कर देने से के मध्य सीमा समस्या के नये आयाम उत्पन्न हो गये। जबकि पं० नेहरू ने लोकसभा में मैकमोहन रेखा की वैधानिकता के सन्दर्भ में स्पष्ट घोषणा की कि यह सीमा रेखा वैधानिक पुष्ट व सर्वमान्य है पर किसी वार्ता का कोई औचित्य नहीं है।

ध्यातव्य है कि जहाँ एक ओर चीन की सरकार चीन व वर्मा (अब म्यांमार) के मैकमोहन रेखा की वैधता को स्वीकार कर रही है वहीं भारत के साथ उसी मैकमोहन रेखा को घोषित करने की नीति सम्बन्धी दोहरे मानदण्ड उसके (चीन) कूटनीतिक - स्वांग को स्वतः

सितम्बर 1959 में पहली बार चीन की सरकार ने भारत के साथ अपने सीमा विवादों को स्पष्ट रूप से भारत के 50,000 वर्गमील क्षेत्र (लद्दाख में 14,000 वर्गमील, नेफा में 32,000 वर्गमील तथा उत्तरांचल के कुछ भू-भाग) पर अपना दावा प्रस्तुत किया। इसी समय चीन ने सिकिम के भी कुछ भू-क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया।

भारत व चीन के मध्य व्याप्त सीमा विवाद पर दोनों के मध्य 25 अगस्त 1959 को पूर्वी क्षेत्र लांगजू नामक स्थान पर पहली बार सैन्य - झड़प हुई। तत्पश्चात अक्टूबर 1959 में चीनी सेनाएं लद्दाख के चांग चेमो घाटी (Chang Chemmo Valley) में लगभग 40 मील अन्दर घुस आयी कोंगका दर्रे (Kongka Pass) के निकट भारतीय गश्ती दल पर आक्रमण करके नौजवानों की हत्या तथा अन्य सदस्यों को बन्दी बना लिया। चीन का आरोप था कि भारतीय सेनाओं ने चीन के लांगजू का दर्रे क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ करके सीमाओं पर तनाव पैदा करने की कार्यवाहियों की हैं।

7 नवम्बर 1959 को तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने लांगजू और कोंगका दर्रे क्षेत्रों के सन्दर्भ में भारतीय सेनाओं की आलोचना करते हुए पं० नेहरू को एक पत्र लिखा था कि सीमा पर यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखने का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि दोनों देशों को अपनी सेनायें वास्तविक नियन्त्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे तत्काल वापस कर लेनी हैं। भारत ने चीन के इस सुझाव को यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि दोनों राष्ट्रों के मध्य मूल समस्या सेनाओं को पीछे हटाना नहीं अपितु सीमांकन की है जिसके लिए दोनों देशों के मन्त्रियों के मध्य एक वार्ता का आयोजन आवश्यक है।

अप्रैल 1960 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने भारत यात्रा के दौरान पं० नेहरू से व्यापक विचार विमर्श किया। इस अवसर पर चाऊ एन लाई ने सीमा पर शान्ति स्थापित करने के समुचित समाधान हेतु निम्न 6 - सूत्रीय प्रस्ताव रखा -

1. दोनों देशों के मध्य सीमा सम्बन्धी विवाद है तथा अब इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
2. दोनों पक्षों को वास्तविक नियन्त्रण रेखा (Line of Actual Control) का सम्मान करना चाहिए।
3. सीमा के यथोचित रेखांकन हेतु जल के बहाव, नदियों, घाटियों व पर्वतीय दर्रे जैसे विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का ध्यान रखते हुए पश्चिमी मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में समान रूप से स्वीकार करना चाहिए।
4. सीमा विवाद का निदान करते समय दोनों देशों को एक दूसरे की जनता की राष्ट्रीय भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।

5. दोनों देशों को सीमा पर गश्त कार्यवाहियां नहीं करनी चाहिए।
6. दोनों देशों को सीमा पर गश्त कार्यवाहियां नहीं करनी चाहिए।

चीन द्वारा भारत के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रस्तावों पर भारत द्वारा प्रदर्शित असहि के स्वरूप पं० नेहरू व चाऊ एन लाई की वार्ता निष्फल रही। इसी बीच तिब्बत में प्रारम्भ विद्रोह के समय में भारत व चीन के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया। यद्यपि तिब्बत में प्रारम्भ इस विद्रोह के चीन की शोषण व दमनकारी नीतियां ही मूल रूप से उत्तरदायी थी किन्तु चीन ने भारत पर असम्बुल्ला आरोप लगाया कि वह विद्रोहियों को चीन के विरुद्ध भड़का रहा है। चीन ने यह भी आरोप लगाया कि कलिंग्पो विद्रोहियों का मुख्यालय है। तिब्बत में चीनी सेनाओं द्वारा किये गये गोलियों नरसंहार व दमन कार्यवाहियों से असुरक्षित महसूस करके दलाईलामा अपने आठ साथियों के साथ 31 मार्च 1959 की शाम को भारत भाग गये। भारत सरकार द्वारा दलाईलामा को राजनैतिक आश्रय देने से चीन का भारत के प्रति रुख और भी शत्रुतापूर्ण हो गया।

भारत - चीन विवाद से जुड़े संकट के बिन्दु -

यद्यपि 1981 से 1992 तक भारत - चीन के बीच वार्ताओं के कई दौर चले किन्तु सफलता नहीं मिली। अन्ततः सितम्बर 1993 में भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पालन करने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हो गये जब तक तीन दशक पुराने सीमा विवाद हल नहीं निकल जाता। समझौते में चीन - भारत सीमा पर सेना घटाने की भी व्यवस्था है। ऐसा भारत और चीन ने द्विपक्षीय सम्बन्धों में एक नया अध्याय खोला है।

वक्त का तकाजा और भारत - चीन समझौता (7 सितम्बर 1993) -

याद रखना होगा कि अतीत में भी चीन के साथ भारत ने पंचशील समझौता किया जिसकी कड़वी यादें हमारे मन में अस्तिष्ठ पर आज तक छाई हुई हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि समझौते से यदि भारत को इस बात से मुक्ति मिली है कि उसे चीन द्वारा कब्जा की गयी भूमि चौकसी नहीं करनी पड़ेगी तो इससे चीन को यह लाभ मिला कि उसने भारत की जिस जमीन पर कब्जा किया है उस पर कब्जा बनाये रखने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गौर से देखें तो लगता है कि चीन की तुलना में भारत को इस समझौते से अपेक्षाकृत कम लाभ हुआ। कारण यह कि भला चीन को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि भारत की जिस भूमि पर वह कुण्डली मारे उस पर बैठे रहने के लिए उसे कम सेना का इस्तेमाल करना पड़ेगा तथा कम चौकसी करनी पड़ेगी।

इस भारत - चीन समझौते में 9 अनुच्छेद हैं जिसके पहले अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है कि तक सीमा विवाद का स्थायी हल नहीं निकलता दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से पालन करेंगे। कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन नहीं करेगा। एक पक्ष के लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करने की स्थिति में दूसरा पक्ष चेतावनी देने के ठीक बाद उन्हें वापस भेज देगा। याद रखना होगा कि भारत - चीन के बीच यह समझौता ऐसे वक्त में किया गया है जब चीन द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर की मिसाइल देने के मामले में अमेरिका ने चीन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की थी। के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव की चीन यात्रा के दौरान पर्यावरण प्रदूषण वैज्ञानिक तथा टेक्नालॉजी के क्षेत्र में आदान - प्रदान के समझौते हुए हैं जो स्वागत योग्य हैं क्योंकि भारत के हित के और सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

निस्सन्देह दोनों देशों के बीच सबसे प्राथमिक प्राथमिकता अपने अस्तित्व को लेकर अमेरिका जिस तरह से अकेली महाशक्ति होने के दम्भ में इन देशों पर आर्थिक - राजनीतिक डाल रहा है वह दोनों देशों के लिए स्थायी सिरदर्द बन चुका है। पहले भारत - रूस के बीच क्रायोइंजन सौदा रद्द कराकर अमेरिका ने भारत को परेशान किया। अब मिसाइलों को लेकर वह चीन को परेशान कर रहा है। जबकि भारत और चीन के पास सम्मिलित रूप से इतनी ताकत है कि वे विश्व को हो जाय। तो विश्व के कई मामलों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं।

आज भारत और चीन दोनों इस समय दुनिया के दो सबसे विशाल सुदृढ़ और उपभोक्ता बाजार के रूप में उभर कर सामने आये हैं। अगर ये दोनों देश मिलकर एक साझी रूप के तहत अपने उपभोक्ता बाजार को बतौर पूँजी उपयोग करें तो पश्चिम के अमेरिका प्ररित दबक दोनो पर स्वतः कम हो जायेगा। भारत और चीन विश्व की छठे नम्बर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से हैं। चीन तो अमेरिका, जापान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि भारत नम्बर छठा है। इसी तरह चीन खुले रूप में और भारत अघोषित रूप से परमाणु शक्ति है। अगर देश परमाणु शक्ति को लेकर किसी सांझी समझदारी और रणनीति पर पहुँच जाए। तो न केवल पूर्व बल्कि दक्षिण एशिया में परमाणु शक्ति का हौवा खड़ा करने वाले अमेरिका तथा उसके साथी निरुत्तर हो जाए। बल्कि भारत के दुश्मन के रूप में जिन्दा पाकिस्तान की स्थिति इस संदर्भ में किसी विदूषक की सी हो जाएगी जबकि इस समय वह खलनायक बनने की फिराक में है। भारत चीन दोनों के लिए ही मुस्लिम आतंकवाद परेशानी का कारण बने हुए है। मध्य एशिया में सोवियत

साम्राज्य से मुक्त हुए उज्बेकिस्तान से चीन के सीमावर्ती हिस्से में भी वही सिरदर्द पैदा हो गया है जो कि पाकिस्तान शाह के कारण भारत कश्मीर में झेल रहा है। यह पहला ऐसा मौका है जब भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा सहयोग की सम्भावनाये रेखांकित हो रही है। यह इसलिए भी क्योंकि एक तरफ जहाँ अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पूर्वी यूरोप और मास्को के समाजवादी किलो को फतह कर अपनी शक्ति पेड़चिंग गढ़ को ध्वस्त करने के लिए मोड़ दी है वहीं चीन अपनी दुराग्रहपूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव का समावेश कर रहा है। भारत जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के पायदानों में निजिकरण और खुली उदारवादी अर्थनीति के पहिये जोड़कर उसे दौड़ाने का प्रयास कर रहा है वहीं चीन ने इस फन में महारत हासिल कर रखी है।

अब भविष्य बतायेगा कि भारत - चीन का यह ऐतिहासिक समझौता दोनों में सहयोग और विकास की दिशा में क्या गुल खिलाता है। इस सब कुछ के बाद भी हमें इस सच्चाई का अनदेखा नहीं करना चाहिए कि चीन के चुप रहने और बोलने के पीछे कोई न कोई कूटनीति अवश्य रहती है। आज चीन खुद तो भारत के लिए खतरा है ही वह भारत के इर्दगिर्द एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें भारत फसकर रह जाए। पाकिस्तान के अलावा चीन पड़ोसी देश म्याँमार (बर्मा) को भी लगातार न सिर्फ सैनिक साजी सामान से लैस कर रहा है बल्कि म्याँमार में नौ सैनिक अड्डे भी कायम करने में कामयाब हुआ है। म्याँमार सीधे तौर पर भारत के लिए खतरा भले ही नहीं बन सकता हो किन्तु खतरे की किसी घड़ी में भारत के लिए एक और सिरदर्द जरूर बन सकता है।

भारत एक शांतिकामी देश है और वक्त की नजाकत को अच्छी तरह समझता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के० आर० नारायणन ने चीन के साथ सम्बन्धों को और मजबूत बनाने के लिए 28 मई से 2 जून 2000 तक चीन की यात्रा की। दोनों देशों ने उलझे हुए सीमा विवाद के तर्क संगत हल पर सहमति व्यक्त करते हुए द्विपक्षीय सम्बन्धों के विस्तार के लिए विशिष्ट दल गठित करने का फैसला किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की शंकाओं का निराकरण भी किया। वार्ता काफी सफल रही और दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा। इस विश्वास को और प्रगाढ़ बनाने के लिए 15 - 18 सितम्बर 2000 तक शंघाई में भारत और चीन की नौ सेनाओं में पहला संयुक्त युद्धाभ्यास किया। भारत के स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतों आई. एन. एस. दिल्ली और आई. एन. एस. कोरा ने इसमें भाग लिया।

जनवरी 2002 में चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी ने भारत की यात्रा की जिसमें कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बाह्य अंतरिक्ष के शान्तिपूर्ण कार्यों में उपयोग के लिए मिलजुलकर काम करने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग करने तथा ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के दौरान भारत को सूचनाये उपलब्ध कराने संबंधी सहमतियाँ शामिल हैं।

भारत - चीन : एक नजर

S. No.		भारत	चीन
1.	सकल घरेलू उत्पाद (विकास दर)	3.8 प्रतिशत	7.8
2.	मुद्रा स्फीति (चालू मूल्य सूचकांक)	2.5 प्रतिशत	7.7
3.	सकल राष्ट्रीय उत्पाद	452 डालर	840
4.	जनसंख्या (मिलियन)	1005.3	1278.2
5.	निर्यात	44.5 बि. डालर	259
6.	चालू खाता सन्तुलन	5.3 बि. डालर	20.5
7.	आरक्षित स्वर्ण भण्डार	40.3 बि. डालर	180.2

चीनी प्रधानमंत्री ने इस दौर के दौरान यहाँ तक कहा कि चीन पाकिस्तान का निकट सहयोगी एवं मित्र है फिर भी आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में वह पूरी तरह भारत का साथ देगा। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के आकार और शक्ति को देखते हुए व्यापार की वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं। यदि दोनों देशों का सम्बन्ध प्रगाढ़ हो जाए तो न केवल दोनों देशों का सैन्य व्यय काफी कम हो जाएगा बल्कि विश्व राजनीति में एशिया का प्रभाव उभर कर सामने आयेगा।

भारत - चीन : कौन कहाँ

S. No.	भारत	चीन
1. औसत आयु	64 वर्ष	71 वर्ष
2. नरक्षरता दर (15वर्ष से ऊपर वालों की)	42 %	15.5 %
3. प्रति व्यक्ति आय	480 डॉलर	892 डॉलर
4. प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश	3 अरब डॉलर	40 अरब डॉलर
5. सकल पूँजी निर्माण जीडीपी का	25%	जी. डी. पी. का 40%
6. शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)	69	30
7. सामान एवं सेवाओं का निर्यात जी. डी. पी. का	13%	जी. डी. पी. का 26 %
8. सामान एवं सेवाओं का आयात जी. डी. पी. का	16 %	जी. डी. पी. का 25%

चीन ने भारत सीमा में सन् 2010 - 11 में पिछले दो साल में भारतीय सीमा पार घुसपैठ बढ़ाई -

अरुणाचल प्रदेश / सिक्किम	210 घुसपैठ
लद्दाख	419 घुसपैठ
उत्तराखण्ड	120 घुसपैठ

नवम्बर 2011 के दौरान चीनियों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) के उल्लंघन की 20 घटनाएँ हुईं। पश्चिमी सेक्टर - 14 (पेगांग त्सो - 12, डेमचोक - 1 और डोटेटांगो - 1) और पूर्वी सेक्टर - 6 दिवू क्षेत्र 2011 के दौरान घुसपैठ की 323 घटनाओं की सूचना मिली, पश्चिमी सेक्टर में 194, मध्य सेक्टर में 9 और पूर्वी सेक्टर में 120, 2010 में इसी अवधि के दौरान 325 बार घुसपैठ हुई थी, पश्चिमी सेक्टर में 224 बार, मध्य सेक्टर में 111 बार और पूर्वी सेक्टर में 90 बार। इसके मद्देनजर यह समझना मुश्किल नहीं है कि पड़ोसी के इरादे किस ओर संकेत करते हैं।

यह कहा जाता है कि चीन में शासक कोई भी हो अलगाववाद और विद्रोह को किसी भी हद तक जाकर कुचलने में वह विश्वास करता है। चीन की किसी भी सरकार के लिए तिब्बत एक बड़ा मुद्दा है। यह भी सच है कि आने वाले दशक में भारत और चीन अन्तराष्ट्रीय कारोबार के केन्द्र में होंगे। व्यापार के क्षेत्र में दोनों कदम आगे बढ़ा रहे हैं किन्तु व्यापार बढ़ने से तनाव खत्म नहीं होता। चीन का जापान और अमेरिका से अच्छा व्यापार होने पर भी सम्बन्ध तनावपूर्ण ही है। भारत के साथ चीन की

व्यापारिक और वाणिज्यिक पहल की दोस्ती केवल व्यवसायिक है। जहाँ तक सीमा विवाद और शक्ति संतुलन की बात है तो उसकी रणनीति में बदलाव की अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि आज भी चीन के दो ही प्रमुख उद्देश्य हैं - विश्व में अपनी आर्थिक शक्ति मजबूत बनाना तथा विश्व में अपनी प्राक बनाये रखना।

From Chinese point of view preventing a US India axis in India is a key priority.... India needs to play its card wisely.

रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी का विचार पूर्णतः सटीक है कि घुसपैठ की घटनाओं में पड़ोसी का चीन भारतीय सेना को हिमालय के इर्द - गिर्द रोकना चाहता है। बीजिंग नई दिल्ली के साथ सीमा बातचीत को सैन्य दबाव बढ़ाने और उसकी रणनीतिक घेराबन्दी में एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है।

Q. 12. Critically examine Indias nuclear policy.

Other Related Questions -

Q. Keeping in view the security compulsions, examine Indias current nuclear policy and posture.

Q. Critically examine Indias nuclear policy.

प्रश्न - इक्कीसवीं शताब्दी में भारत की परमाणु नीति व परमाणु विकल्प की विवेचना कीजिये।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न - भारत की नाभिकीय नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

प्रश्न - सुरक्षा बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए भारत की वर्तमान नाभिकीय नीति एवं सन्स्थिति का परीक्षण कीजिये।

प्रश्न - भारत की नाभिकीय नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर - भारत का नाभिकीय - सिद्धान्त -

जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं कि शीत - युद्ध की समाप्ति से परिवर्तित अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा - परिवेश भारत की सीमाओं पर चीन - पाक नाभिकीय धुरीकरण डीगोगार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य आधार का आधुनिकीकरण निरस्त्रीकरण की सम्भावनाओं में हो रहा ह्रास नाभिकीय प्रसार एवं सी0 टी0 बी0 टी0 की पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाएं संयुक्त रूप से पोखरण - II नाभिकीय परीक्षण के प्रेरणास्रोत रहे हैं तथापि भारत के नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम पूर्णतः आत्मरक्षा को ही ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इन तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए सन् 1995 में ही भारतीय संसदीय समिति ने रक्षा मामलों सम्बन्धी एक रिपोर्ट में निम्नवत स्पष्ट किया था -

China has also continued to be the main source of major weapons, including missiles and allied technology, to Pakistan a very hostile neighbour causing disquiet to India. Despite warming relations with china, China is and is likely to remain the primary security challenge to India in the medium and long terms. Its enhancement of missile capabilities and its immense help to Pakistan in the missile programme are serious security concerns to India.

इतना ही नहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिखे गये पत्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के सामरिक परिदृश्य पर व्यापक प्रकाश डालते हुए भारतीय

विवशता एवं नाभिकीय कार्यक्रम के उद्देश्यों का स्पष्ट विवरण दिया। वास्तव में भारत का उद्देश्य ऐसे विश्वसनीय निवारण सामर्थ्य को विकसित करना रहा है जिससे कोई राष्ट्र आक्रमण का दुःसाहस न कर सके। पोखरण - II परीक्षण के पश्चात् भारत द्वारा नाभिकीय हथियारों के प्रथम प्रयोग न करने (No - first use) का संकल्प तथा पाकिस्तान सहित अन्य देशों से ऐसे समझौते की इच्छा व्यक्त करना यह पुष्ट करता है कि वह निवारण - सिद्धान्त के आधार पर स्थायी शान्ति का इच्छुक है। पाकिस्तान द्वारा मई 1998 चगाई हिस्स में किये गये नाभिकीय विस्फोट चीन के साथ उसके नाभिकीय सम्बन्धों एवं दक्षिण एशिया में हो रहे नाभिकीय प्रस्पर्ध में अमेरिकी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत के नाभिकीय सिद्धान्त का प्रारूप तैयार करके इसे 17 अगस्त 1999 को सार्वजनिक बहस हेतु जारी कर दिया। भारत के न्यूनतम परमाणु निवारण सिद्धान्त (MIND - Minimum Nuclear Deterrence) निम्नांकित व्यवस्था है -

1. भारत नाभिकीय हथियारों के प्रथम प्रयोग न करने (No first use) के मुख्य सिद्धान्त दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध है। भारत न केवल अपने नाभिकीय पड़ोसियों (पाकिस्तान व चीन) के साथ विश्व के अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते हेतु इच्छुक है क्योंकि वह इन हथियारों को विश्वसनीय निवारक (Credible Deterrent) के रूप में स्वीकार करता है। यद्यपि शीतयुद्धकाल में पूर्व सोवियत संघ व चीन ने नाभिकीय हथियारों के प्रथम प्रयोग न करने की घोषणाएँ की थी किन्तु नवीन परिदृश्य में विश्व शान्ति व सुरक्षा की दृष्टि से भारत व चीन के मध्य ऐसी सन्धि अवश्य होनी चाहिए जिससे विश्व के अन्य राष्ट्र भी अन्तराष्ट्रीय मामलों में इसकी प्रासंगिकता को देखकर इस दिशा में अभिप्रेरित हो सकें।
2. भारत किसी भी नाभिकीय शस्त्र - विहीन राष्ट्रों व नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राष्ट्रों से अस्वीकारगिल - घटना इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है। यद्यपि भारत व चीन के मध्य चल रही वार्ताओं के फलस्वरूप यह सम्भव है कि वह इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल में कुछ कमी लाये किन्तु तकनीकी युद्ध कला हेतु भारत को अपनी सेनाओं को सुसज्जित व सुप्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना होगा जिसके लिए भारत को शोध व विकास कार्यक्रमों को त्वरित रूप देने एवं अपनी तकनीकी-श्रेष्ठता को बढ़ाते हुए परमाणु - सामर्थ्य को शनैः-शनैः विकसित करते रहना होगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा यूरॉन बम की तकनीकी विकसित करने का दावा करना इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है।
3. नाभिकीय - निवारण असफल होने की स्थिति में यदि भारत पर नाभिकीय आक्रमण होता है तो वह आक्रान्ता के विरुद्ध द्वितीय प्रहार से प्रतिकार अवश्य करेगा। यद्यपि नाभिकीय प्रतिकार क्षमता हेतु अन्य नाभिकीय शस्त्र - सम्पन्न देशों के साथ प्रथम प्रयोग निषेध सन्धि (No First Use Treaty) पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल के. डॉट सुन्दर जी के अनुसार विश्वनीय नाभिकीय निवारण क्षमताओं के अन्तर्गत छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध 20 किलो टन के 20 नाभिकीय शस्त्र तथा बड़े राष्ट्रों के विरुद्ध 100 किलो टन नाभिकीय हथियारों की आवश्यकता होगी। किन्तु इसका सही - सही अनुमान परिस्थितियों के आधार पर आक्रामक राष्ट्र की नाभिकीय - शक्ति संरचना एवं आघात - क्षमता पर निर्भर करेगा।
4. पाकिस्तान व चीन के पृथक व संयुक्त नाभिकीय आक्रमणों से अपने नाभिकीय हथियारों अभेध बनाने हेतु भारत को वायुयानों स्थल आधारित गतिशील प्रक्षेपास्त्रों व नौसैन्य - आधारित हथियारों की एक त्रियात्मक रक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी जिसके अन्तर्गत न केवल अग्नि (रेंज - 2500 किमी०) तथा अग्नि - III (रेंज - 3500 किमी०) को विकसित करना होगा अपितु शक्ति

करने हेतु अपनी अन्य मिसाइलों को अचूक बनाना होगा। साथ ही अपने नाभिकीय हथियारों की प्रथम प्रहार क्षमता को प्रभावी एवं घातक बनाने हेतु भारत को नाभिकीय पनडुब्बियों व एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी विकास करना होगा। विश्वसनीयता (Credibility), प्रभावपूर्णता (Effectiveness) तथा अभेधता (Survivability) भारत की नाभिकीय प्रतिकार नीति का मूल सिद्धान्त है जिन्हे ध्यान में रखकर ही उसे नाभिकीय सैन्य सामर्थ्य विकसित करना होगा।

भारत के नाभिकीय सिद्धान्त में यह सुनिश्चित किया गया है कि नाभिकीय हथियारों का कमान नियंत्रण एक चुने हुये प्रजातांत्रिक नेतृत्व के हाथों में होगा तथा नाभिकीय हथियारों के प्रयोग का निर्णय भारत के प्रधानमन्त्री करेंगे। किन्तु बदतरनी (Worst) परिदृश्य तथा संघर्ष व युद्ध के फैलने जैसी परिस्थितियों में नाभिकीय हथियारों के प्रयोग हेतु एक वैकल्पिक प्रजातांत्रिक कमान - शृंखला का गठन आवश्यक है। इतना ही नहीं शत्रु के आक्रमण के पश्चात् भारत द्वारा प्रत्याक्रमण की परिस्थिति में नाभिकीय हथियारों की प्रयोग - विधि कमान व नियंत्रण तथा स्वच्छ प्रयोग की प्रामाणिकता पर निर्णय सम्बन्धी संघटित योजना (C³ - Command, Control, Communication, Computing, Intelligence and Information) पर त्वरित निर्णय आवश्यक है।

भारत अपने नाभिकीय हथियारों की सुदृढ़ रक्षा हेतु एक आवश्यक व भरोसेमंद संरक्षात्मक प्रणाली विकसित करेगा जिससे दुर्घटना हथियारों के अनाधिकारिक प्रयोग तथा इनकी चोरी एवं नाभिकीय शस्त्र पद्धति को तोड़ - फोड़ (Sabotage) से बचाया जा सके।

नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र होने के बावजूद क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य तथा पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में संचालित इन्सर्जेंसी एवं भारतीय सुरक्षा के संभावित खतरो की प्रकृति को देखते हुये भारत अपने परम्परागत सैन्य शक्ति सामर्थ्य को सुदृढ़ करने में कोई शिथिलता नहीं आने देगा। अस्वीकारगिल - घटना इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है। यद्यपि भारत व चीन के मध्य चल रही वार्ताओं के फलस्वरूप यह सम्भव है कि वह इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल में कुछ कमी लाये किन्तु तकनीकी युद्ध कला हेतु भारत को अपनी सेनाओं को सुसज्जित व सुप्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना होगा जिसके लिए भारत को शोध व विकास कार्यक्रमों को त्वरित रूप देने एवं अपनी तकनीकी-श्रेष्ठता को बढ़ाते हुए परमाणु - सामर्थ्य को शनैः-शनैः विकसित करते रहना होगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा यूरॉन बम की तकनीकी विकसित करने का दावा करना इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है।

तकनीकी श्रेष्ठता हाँसिल करने हेतु शोध व विकास की दिशा में प्रभावी व आधुनिकतम कदम उठाये जायेंगे जिससे नाभिकीय निवारण क्षमता की विश्वसनीयता बनी रहे।

नाभिकीय शस्त्र - सम्पन्न राष्ट्र होने के बावजूद भारत निष्पक्ष अन्तराष्ट्रीय नाभिकीय निरस्त्रीकरण हेतु दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करता रहेगा क्योंकि विश्वव्यापी निष्पक्ष नाभिकीय निरस्त्रीकरण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का उद्देश्य है। भारतीय दृष्टिकोण से नाभिकीय युद्ध के खतरो को शिथिल करने हेतु अन्य नाभिकीय शस्त्र - सम्पन्न देशों के साथ प्रथम प्रयोग निषेध सन्धि (No First Use Treaty) के अतिरिक्त उपयोगी व सफल सोपान सिद्ध हो सकता है। इतना ही नहीं भारत नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देशों द्वारा गैरनाभिकीय देशों को सुरक्षा - आशवासन देने का पक्षधर है तथा वह विश्व को विनाश से बचाने हेतु विश्वास - निर्माण एवं संघर्ष - उपसमन प्रक्रिया को उपयोगी मानता है क्योंकि इन्हीं उपायों से नाभिकीय युद्ध के खतरो को शिथिल किया जा सकता है।

नाभिकीय शस्त्र - सम्पन्न होने के फलस्वरूप अब भारत द्वारा की गयी निरस्त्रीकरण - प्रयत्नों का गुरुत्व व महत्व पूर्व की तुलना में और अधिक बढ़ गया है। अब भारत चीन के साथ नाभिकीय हथियारों के प्रथम प्रयोग निषेध - सन्धि पर हस्ताक्षर हेतु महत्वपूर्ण पहल करके विश्व - व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप व निरस्त्रीकरण की उपलब्धियों में वृद्धि कर सकता है। उल्लेखनीय है

कि दिसम्बर 1998 में रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रिमाकोव की भारत यात्रा के समय रूस - चीन सामरिक त्रिकोण को विश्व शान्ति हेतु आवश्यक बताते हुए पारस्परिक मैत्री व सहयोग दिशा में पहल हेतु लिया गया उनका संकल्प यदि मूर्त रूप लेने में सफल हो जाय तो क्षेत्रीय व विश्व व्यापी स्थिरता व शान्ति का पथ प्रशस्त हो सकता है। यदि विश्व के सभी नाभिकीय शस्त्र राष्ट्र व उन्हें प्राप्त करने की दहलीज पर खड़े राष्ट्र सम्मिलित रूप से नाभिकीय हथियारों के प्रयोग न करने की नीति पर सिद्धान्तः सहमत होकर इसकी अवहेलना को सामूहिक सुरक्षा हेतु चुनौती के रूप में स्वीकार कर ले तो सही अर्थों में नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में आशाजनक प्रगति हो सकती है। किन्तु वर्तमान में इस प्रक्रिया में सर्वाधिक बाधक देश अमेरिका व पाकिस्तान क्योंकि उनकी नाभिकीय निवारण स्त्रातेजी मूलतः प्रथम प्रहार (First strike) नीति पर आधारित है। नवम्बर 1988 के मध्य में नाटो की एक बैठक में जर्मनी के विदेश मन्त्री द्वारा नाटो को प्रथम प्रहार करने सम्बन्धी नाभिकीय - सिद्धान्त अपनाने के सुझाव का अमेरिका द्वारा किये गये विरोध से इस पुष्टि होती है जबकि शीतयुद्ध की समाप्ति व सुरक्षा संगठन के विघटन के पश्चात् अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में नाटो का कोई विशेष औचित्य शेष नहीं है।

भारत के दोनो पड़ोसी देशों - चीन व पाकिस्तान के नाभिकीय शस्त्रों की धमताओं परास्परिक सम्बन्ध तथा भारत के साथ उनके रिश्तों के फलस्वरूप भारत की रक्षा चिन्ताओं में बढ़ना स्वाभाविक है। जहाँ तक चीन का प्रश्न है वह भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा तथा उसने अपनी मिसाइलें भारत के विरुद्ध तैनात कर रखी हैं। भारत के पूर्व रक्षा मन्त्री जे. ए. फर्नान्डीज द्वारा चीन को भारतीय सुरक्षा के नं० 1 शत्रु (Potential Security Threat No. 1) के रूप में घोषित करना एवं वाजपेयी द्वारा क्लिण्टन को लिखे गये मई 1998 के पत्र में इसकी स्पष्ट व व्यापक चर्चा से भारत - चीन सम्बन्धों में उत्पन्न उतार - चढ़ाव की छाया भी भारतीय नाभिकीय नीति पर प्रिलक्षित हो रही है। यद्यपि चीनी रक्षा विशेषज्ञों ने यह अनुमान किया है कि भारत - चीन नाभिकीय आक्रमण नहीं करेंगे किन्तु वह उनके मित्र पाकिस्तान के साथ ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा भारत पर नाभिकीय - आक्रमण की धमकी तथा भारतीय विमानों - अपहरण काण्ड (काठमाण्डू - 24 दिसम्बर 1999) के दौरान क्लिण्टन द्वारा कश्मीर को विश्व सर्वाधिक विवादग्रस्त क्षेत्र मानने एवं यहाँ नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग की व्यवस्था की गयी सम्भावना से क्षेत्रीय नाभिकीय परिदृश्य जटिल हो गये हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में भारत व पाक के मध्य नाभिकीय युद्ध की आशंकाओं से क्षेत्रीय सुरक्षा आयाम भविष्य में नई करवट ले सकते हैं।

जहाँ तक भारत के नवीन नाभिकीय - सिद्धान्त का प्रश्न है यह किसी राष्ट्र विशेष आधारित न होकर विश्वव्यापी एवं भारतीय सुरक्षा - हितों पर केन्द्रित है तथापि अमेरिका ने इस आलोचना की है नवीन विश्व - व्यवस्था में शान्त शान्त हो रहे बदलाव तथा इसमें चीन की भूमिका से चिन्तित अमेरिका द्वारा चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने की राजनयिक कोशिश फलस्वरूप प्रधानमंत्री वाजपेयी के पत्र का क्लिफ्टन द्वारा रहस्योद्घाटन व पाकिस्तान के प्रशासन के साथ नरमी दिखाना स्पष्टतः भारत को घेरने की ही चाल है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल की निम्नांकित टिप्पणी सर्वथा सार्थक लगती है :

In the east, there is China, a full-fledged nuclear power. In the south there is Diego Garcia, a major American naval base for its nuclear submarine as well as aircraft-carriers. In the west the Gulf region is nuclearised by the United States. Is it possible for any government in India to remain indifferent to this gigantic array of nuclear arms across its eastern, southern and western borders?

यद्यपि अमेरिका द्वारा यह कहा जाता रहा है कि भारत की नाभिकीय गतिविधियों से स्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा किन्तु उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि एक प्रभावी नाभिकीय निवारण वश्यक मात्र 200 युद्धशीर्षों के स्थान पर उसे 2300 नाभिकीय युद्धशीर्षों के विशाल भण्डार की वश्यकता है, यह भी उस परिस्थिति में जब उसने चीन व रूस के विरुद्ध अपने प्रक्षेपास्त्रों को ही घोषणा कर रखी है। ऐसा लगता है कि भारत के नाभिकीय हथियारों एवं अग्नि प्रक्षेपास्त्रों पर कार्यक्रम को देखते हुए वह अपने डीगोगारियाँ आधार को लेकर चिन्तित है जहाँ उसने अपने हथियारों का विशाल जखीरा जमा कर रखा है। अमेरिका को यह ज्ञात होना चाहिए कि जब आबादी वाले भारत के नागरिकों की सुरक्षा को अन्य राष्ट्रों की न तो दया पर छोड़ा जा है और न ही अपनी सुरक्षा नीति बनाते समय अपनी प्राथमिकताओं पर अन्य राष्ट्रों से सलाह या ही आवश्यक है। वाजपेयी के शब्दों में -

Autonomy of decision making in the development process and in strategic matters is an inalienable right of Indian peoples A country of 100 crores cannot be left to the mercy of other nuclear weaponisation is in self - defence. Our enemies should know that we have nuclear weapons that they will not attack us.

भारतीय परमाणु एवं मिसाइल - कमान का गठन -

नाभिकीय शस्त्र निर्माण एवं नाभिकीय सिद्धान्त के निर्धारण के उपरान्त कमान व नियन्त्रण प्रणाली (C2 - Command & Control) का गठन एवं नाभिकीय शस्त्र भण्डार समुच्चय के विकसित करना महत्वपूर्ण पहलू है। 7 जून 2000 को अमेरिकी मीडिया एन0 बी0 सी0 ने अपनी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान का नाभिकीय शस्त्र - सामर्थ्य किसी भी दिशा में भारत से निम्न (Inferior) नहीं है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1998 में ही अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा एवं विज्ञान संस्थान (I. S. I. S. Institute for science and international security) के एक अधिकारी प्रो० जेविड अल्ब्राइट ने अपनी एक विश्वसनीय टिप्पणी में कहा था कि भारत के पास लगभग 74 नाभिकीय विस्फोटों के निर्मित करने हेतु 370 कि० ग्रा० शस्त्र - स्तरीय यूरैनियम का भण्डार है जबकि पाकिस्तान के पास 800 कि० ग्रा० शस्त्र - स्तरीय यूरैनियम है जिससे वह 95 नाभिकीय निर्मित कर सकता है। जबकि भारत के एक प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ भरत कर्नाड की सन् 2000 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 400 नाभिकीय बमों को निर्मित करने योग्य 1607 कि० ग्रा० विखण्डनीय सामग्री उपलब्ध है। इस प्रकार भारत व पाकिस्तान का नाभिकीय शस्त्र निर्मित करने का संतुलन आंकड़ा जो भी हो किन्तु विशेषज्ञता तो सच है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान चीन व उत्तरी कोरिया के सहयोग से तीव्रता से अपने नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम को संचालित करके प्रक्षेपास्त्रों की दिशा में अग्रसर होकर अपनी प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर रहा है। वस्तुतः चीन - पाक - उत्तरी कोरिया की नाभिकीय धुरी न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण एशिया के लिए एक गम्भीर चुनौती है।

जहाँ एक ओर पाकिस्तान का नाभिकीय हथियार पूर्णतः सेना के नियन्त्रण में है वहीं भारत ने 4 जनवरी 2003 को अपनी प्रथम परमाणु व मिसाइल कमान का गठन किया गया है। ज्ञातव्य है कि परमाणु हथियारों की कमान संभालने वाले परमाणविक नियन्त्रण प्राधिकरण के दो भाग होंगे जिसमें एक प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक परिषद और दूसरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली कार्यकारी परिषद होगी। परमाणु हथियारों के प्रयोग का अन्तिम निर्णय राजनैतिक सत्ता के हाथों में रहेगा जो प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक परिषद होगी। इसे जवाबी परमाणु हमला करने के बारे में निर्देश देने का अधिकार होगा। आठ सूत्रीय परमाणु सिद्धान्त

को स्पष्ट करने के साथ - साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सम्मन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की सामग्री की समिति की बैठक में उक्त सामरिक कमान के प्रबन्धन और प्रशासन के लिए एअर मार्शल अस्थाना को इसका प्रथम सी० इन० सी० नियुक्त किया गया।

परमाणु - सिद्धान्त के सूत्र -

इसमें निम्नांकित बिन्दु हैं -

1. परमाणु हथियारों के प्रयोग का निर्णय मात्र राजनीतिक परिषद ही कर सकती है।
2. एक बार निर्णय हो जाने पर कार्यकारी परिषद को निर्देशों का पालन करना होगा।
3. सामरिक बलों के कमान के सी० - इन - सी० को परमाणु एवं सामरिक बलों का प्रबन्ध व प्रशासन संभालना होगा।
4. पहली प्रयोग न करने का वादा भारतीय भूमि या सेनाओं पर परमाणु आक्रमण के विरुद्ध जबाबी कार्यवाही के तौर पर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा।
5. पहली जबाबी कार्यवाही व्यापक और अवांछित हानि पहुँचाने के उद्देश्य से होगी।
6. जबाबी परमाणु आक्रमण गैर - एटमी देशों पर नहीं, पर जैविक व रासायनिक हमले होने की स्थिति में जबाब दिया जायेगा।
7. जैविक अथवा रासायनिक आक्रमण की स्थिति में भी परमाणु हथियारों के प्रयोग का विकल्प खुला रहेगा।
8. परमाणु व प्रक्षेपास्त्र निर्यात पर सख्त नियन्त्रण रखा जायेगा।

Q. 13. Write a brief essay on the internal security of India.

Other Related Questions -

Q. Discuss the dimensions of threats to India's security from naxalism.

Q. Explain the dimension of internal threats to the security of India.

प्रश्न - भारत की आंतरिक सुरक्षा पर एक निबन्ध लिखिए।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न - नक्सलवाद से भारतीय सुरक्षा के आंतरिक खतरों के आयामों को विवेचना कीजिये।

प्रश्न - भारत की सुरक्षा के आंतरिक खतरों के आयामों को समझाइये।

उत्तर - भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत पर हुए विदेशी हमलों आन्तरिक राजनैतिक उथल - पुथल व अस्थिरता की ही उपज थी। सिकन्दर, गौरी व बाबर आदि के भारत पर आधिपत्य स्थापित करना भी भारत की तत्कालीन आन्तरिक अस्थिरता एवं राजाओं के पारस्परिक फूट का ही परिणाम था। स्वाधिनता के बाद भी जहाँ एक ओर भारत को अपने पड़ोसियों (चीन व पाकिस्तान) के आक्रमण का शिकार होना पड़ा है वहीं विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक कारणों ने सम्मिलित रूप से समय - समय पर भारतीय सुरक्षा के आन्तरिक खतरों को संकटापन्न करने की कोशिश की है। शिक्षा व संचार माध्यमों के हो रहे विस्तार परिणामस्वरूप विकास की दौड़ में शामिल भारतीयों की बढ़ती महत्वाकांक्षायें तथा इनकी प्राप्ति में नैतिक मूल्यों को भूलाकर अनैतिक साधनों के प्रयोग से देश का आन्तरिक ढाँचा जर्जर होता जा रहा है।

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

क्षेत्रीयता - प्राचिन भारत में वृहत्तर भारत की अवधारणा एवं अनेकता में एकता की प्रवृत्ति में शून्य के क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित किया है। जहाँ यह सत्य है कि भारत को एक वृहद राष्ट्र का स्वरूप देने का श्रेय अंग्रेजों को है वहीं उनकी फूट डालो और राज्य करो की नीति ही क्षेत्रीयता हेतु भी उत्तरदायी रही है। क्षेत्रीयवाद का तात्पर्य उन प्रवृत्तियों से है जिसके अन्तर्गत विभिन्न भाषायी व क्षेत्रीय समुदाय राजनैतिक प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वायत्ता की माँग कर रहे हों।

क्षेत्रीयवाद का यही स्वरूप अन्ततः राष्ट्रीय विभाजन का कारण बन जाता है। भौतिक अनुरूपता सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण ही क्षेत्रीयता की भावनाओं का जन्म होता है जो अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय सुरक्षा का सिर दर्द बन जाता है। भारतीय स्वाधिनता के प्रयास सन 1950 के प्रारम्भ होने वाले दशक में कुछ सीमित क्षेत्रों में ही क्षेत्रीय अलगवादी प्रवृत्ति देखने को मिलती है लेकिन 1960 के बाद व्यापक रूप से क्षेत्रीयता की भावनाएँ बलवती होने लगीं। सर्वप्रथम पूर्वोत्तर भारत में नागा विद्रोहियों ने अलग राज्य की स्थापना हेतु विद्रोह किया। तदुपरान्त मद्रास महा प्रदेश में विशाल आन्ध्र आन्दोलन तथा द्रविड मुनेत्र कडगम का पृथकतावादी द्रविड आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। भारत के असम, नागालैण्ड, मिजोरम, पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर राज्य मुख्य रूप से क्षेत्रीयता - आंदोलनों से प्रभावित रहे हैं। जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है यहाँ के पृथकतावादी आन्दोलन के पीछे धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक तत्व उत्तरदायी रहे हैं। पंजाब में जो भी घटित हुआ वह धर्म की अधार्मिक राजनीति का ही परिणाम है। इसकी पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी शाह पर कुछ मुठ्ठी भर पृथकतावादी सिक्खों द्वारा तथाकथित खलिस्तान की माँग एवं आनन्दपुर साहब प्रस्ताव की शर्तें मनवाने की जिद में भारत की राष्ट्रीय अखण्डता को चुनौती देने की कुचेष्टा की है। पंजाब के अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर राज्य में पाक - प्रेरित व समर्थित पृथकतावादी तत्वों ने आतंकवाद का सहारा लेकर इस राज्य को भारत से पृथक करने का सुनियोजित अप्रत्यक्ष - युद्ध छेड़ रखा है जिसके समाधान हेतु भारत सरकार प्रयत्नशील है।

उत्तर पूर्वोत्तर असम राज्य क्षेत्रवाद का शिकार बनता जा रहा है। बांग्लादेश के अभ्युदय और उसके बाद बंगाली शरणार्थियों की असम में हुई घुसपैठ ने यहाँ के मूल निवासियों को चिन्तित कर रखा है कि कहीं वे अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बनकर न रह जायें। आज असमवासियों द्वारा इन विदेशियों की पहचान कर इन्हें असम से बाहर निकालने की माँग जोर पकड़ती जा रही है। बोडोलैण्ड समस्या व उत्पत्ती की बढ़ती गतिविधियों की पृष्ठभूमि में यही कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में गढ़वाल व कुमाऊँ डिवीजन के सभी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तरांचल राज्य तथा पृथक झारखंड राज्य की स्थापना क्षेत्रीयता के ही परिणाम है।

2. भाषावाद -

राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा के संदर्भ में यह प्रमुख तत्व है बहुभाषी राष्ट्र होने के कारण स्वाधिनता के बाद भारत में भाषा की समस्या कभी - कभी गम्भीर संकट उत्पन्न करती रही है। भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किये जाने के बावजूद सम्पूर्ण भारत में इसे व्यावहारिक - मान्यता नहीं मिल पायी है। दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी भाषा को लेकर न केवल रोष है अपितु कई हिंसक आन्दोलन भी हो चुके हैं। तमिलनाडु में तो भाषाई प्रश्न को लेकर भारत से अलग होने की माँग भी की गयी थी। ध्यातव्य है कि भाषाई आधार पर भारतीय प्रान्तों के पुनर्गठन ने इस समस्या में उछेरक का कार्य किया है।

वैसे भाषावाद का सकारात्मक प्रवृत्ति कभी भी विघटनकारी नहीं हो सकती क्योंकि

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

सभ्यता एवं सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से किसी न किसी भाषा की जरूरत पड़ती है। लेकिन राजनैतिक उद्देश्य एवं संकीर्ण भावनाएँ आज तक हिन्दी को राष्ट्र एवं सम्पर्क भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त में सर्वाधिक बाधक रही हैं। समय - समय पर भाषा सम्बन्धी यही उल्लाव राष्ट्रीय एकता समृद्धता का अपशकुन बन जाता है।

3. साम्प्रदायिकता -

भारत में साम्प्रदायवाद का उद्गम ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और राज्य करो की नीति का दुष्परिणाम है जिसकी परिणति द्विराष्ट्र - सिद्धान्त के माध्यम से राष्ट्रीय विभाजन एवं दो राष्ट्र (भारत व पाकिस्तान) के निर्माण से हुई जो आज तक एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। साम्प्रदायवाद की भावना दो विभिन्न समुदायों के मध्य कटुता एवं पारस्परिक विरोध उत्पन्न करने साथ - साथ दूसरे धर्मों का शोषण करती है जिसका उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनैतिक होता है। उल्लेखनीय है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और प्रत्येक साम्प्रदाय अपने अपने धर्म के पालन के लिए स्वतंत्र है। इतना ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्म परिवर्तन हेतु भी स्वतंत्र है किन्तु वोट और सत्ता को वर्तमान दूषित राजनीति ने साम्प्रदायिक भावनाएँ उभारकर पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगे हिंसा व मारकाट जैसे निन्दनीय कर्मों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। राम जन्म भूमि / बाबरी मस्जिद विवाद के घातक परिणाम आज सम्पूर्ण भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कट्टर हिन्दूवादी कहने वाले विभिन्न राजनैतिक दलों (कांग्रेस, जनतादल व साम्यवादी पार्टियाँ) द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु की जा रही मुस्लिम - तुष्टीकरण की नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू समाज भी कठोर रुख अपनाने हेतु विवश है। 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में हुई घटना के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि इस विस्फोट के नायक थोड़े से वे कट्टर सनातनी हिन्दू थे जिनमें मध्ययुगीन मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा हिन्दू मन्दिरों के विध्वंस की प्रतिशोध भावना काम कर रही थी किन्तु बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है इन घटनाओं का मुख्य कारण साम्प्रदायिक धुवीकरण अन्तर - प्रवाह ही था। आज भी इन्हीं तत्वों को केन्द्रक मानकर साम्प्रदायिक राजनीति का संचालन किया जा रहा है जिसके लिए देश के सभी राजनैतिक दल काफी हद तक उत्तरदायी हैं।

आज भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर-प्रदेश व जम्मू - कश्मीर राज्य साम्प्रदायिक समस्याओं से सर्वाधिक संतप्त हैं। जहाँ एक ओर उत्तर प्रदेश राम जन्म भूमि, कृष्ण जन्म भूमि ज्ञानवापी (काशी) जैसे विवादों की त्रासदी झेल रहा है। वहीं कश्मीर समस्या के समाधान में के सरकार (कांग्रेस ई) मुस्लिम - ग्रन्थि से मुक्त नहीं हो पा रही है। केरल में मुस्लिम तुष्टीकरण शुकुवार को राजकीय अवकाश की स्वीकृति तथा बिहार के जनता दल व उत्तर प्रदेश की सपा बसपा सरकारी द्वारा मुस्लिमों को आरक्षण की सुविधा देने की घोषणाएँ भारतीय समाज में साम्प्रदायिक विष घोल रही हैं जिनके दुष्परिणाम आने वाले दिनों में काफी घातक सिद्ध होंगे।

4. जातिवाद -

सामाजिक न्याय व दलित उत्थान हेतु भूतपूर्व प्रधानमंत्री वी० पी० सिंह द्वारा मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करने तथा जातिगत आरक्षण हेतु देश की कई राज्य सरकारों के म प्रारम्भ प्रतिस्पर्धा ने सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक - व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। वोट राजनीति की इस स्पर्धा से जहाँ एक ओर देश में प्रतिभा पलायन व कुण्ठा की भावनाएँ तीव्र हो रही हैं वहीं आरक्षण का लाभ भी गरीबों व दलितों को नहीं मिल पा रहा है। तमिलनाडु, बिहार व कर्नाटक जैसे राज्यों द्वारा सर्वोच्च - न्यायालय की अनदेखी करके आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने से न्यायपालिका भी हतप्रभ रह गयी है।

5. इस्लामी आतंकवाद -

कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों द्वारा भारत के सीमान्त क्षेत्रों एवं विभिन्न प्रमुख व्यवसायिक व घनी आबादी वाले शहरों में की जा रही व्यापक तोड़ - फोड़, बम विस्फोट व घुसपैठ से भारतीय सुरक्षा व अखण्डता के समक्ष नूतन चुनौती उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रिय गृह मन्त्रालय की गुप्तचर एजेंसियों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि इस समय पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई० एस० आई० के अतिरिक्त बांग्ला देश की आई० एस० एस० (इंस्टीच्यूट फार स्ट्रेटेजिक स्टडीज) तथा सुऊदी अरब की इंटरनेशनल इस्लामीक रिलीफ आर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों द्वारा भारत के पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों के अतिरिक्त पश्चिमी व मध्य क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाने से आन्तरिक सुरक्षा - आयाम जटिल हो गये हैं। बम्बई बम काण्ड की जाँच से उभर रहे तथ्यों तथा इसमें विदेशी तत्वों के हाथ होने की पुष्टि से उक्त आशंका को नया बल मिला है। इतना ही नहीं अमेरिकी संसद की रिपब्लिक रिसर्च कमेटी द्वारा भारत की अन्तराष्ट्रीय सीमा पर पनपते व पोषित हो रहे इस्लामी आतंकवाद की खोज हेतु गठित जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस्लामी आतंकवादी भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी बहुराष्ट्रीयता के विस्तार में तीव्रता से सक्रिय हैं तथा इनका मुख्य लक्ष्य भारत है। इस कार्य में आई० एस० आई० की भूमिका प्रमुख है जो भारत में पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों के जरिये प्रशिक्षण चलाने आधुनिक हथियार भिजवाने, इस्लामी शिक्षा का विस्तार करने व देश भर में तोड़ - फोड़ जैसी कार्यवाहियों का संचालन कर रही है। आई० एस० आई० ने नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश का सीधा व सुरक्षित मार्ग ढूँढ़ निकाला है जहाँ से पाक प्रशिक्षित आतंकवादी दस्ते और हथियार सरलता से भारत भेजे जा रहे हैं। इस तथ्य की भी पुष्टि हो गयी है कि दिल्ली के हवाई अड्डे पर 25 जून 1991 को हुआ बम विस्फोट, 1 सितम्बर 1991 को दिल्ली से लंदन व न्यूयार्क जाने वाली एअर इण्डिया के बोइंग - 747 में बम रखने तथा सन् 1992 में दिल्ली में हुई भीषण बम विस्फोट की घटनाओं में आई० एस० आई० का ही हाथ था। अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी - इण्टरनेशनल' की 1994 की वार्षिक रिपोर्ट में भी यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि भारतीय सामाजिक के अन्दर पनप रहे इस्लामी आतंकवाद का संचालन आई० एस० आई० कर रही है। इतना ही नहीं अवकाश प्राप्त ले० जनरल के० के० नन्दा ने अपनी पुस्तक "कांकरिंग कश्मीर: पाकिस्तानी ऑपरेशन" में आई० एस० आई० के बढ़ते कदम पर कई प्रश्न उठाये हैं।

पाकिस्तान गुप्तचर संस्था आई० एस० आई० ने कश्मीर व मुम्बई के अतिरिक्त बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल व सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरतनियाँ प्रखण्ड से लगे नेपाल के राजपुर गांव में आई० एस० आई० का प्रमुख अड्डा है जहाँ से प्रशिक्षित युवकों का भारतीय सीमा में प्रवेश हो रहा है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति व बांगमती व लालबकिया के मध्य स्थित उक्त प्रमुख क्षेत्र पर पाक - प्रशिक्षित घुसपैठियों की गहरी अभिरुचि है। बिहार के सीमान्त जिलों - पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, साहेबगंज, तथा पश्चिमी बंगाल से लगे कई क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में हुई त्वरित वृद्धि के फलस्वरूप ही यह क्षेत्र आई० एस० आई० की गतिविधियों का आकर्षण केन्द्र बन गया है। आई० एस० आई० तथा बांग्लादेश की गुप्तचर एजेंसियों ने कट्टरपन्थियों की सहायता से पश्चिमी बंगाल के उत्तरी सीमा क्षेत्रों में अपना सुदृढ़ तन्त्र विकसित करके व्यापक तोड़ फोड़ की पृष्ठभूमि तैयार कर ली है। नागालैण्ड से लेकर बिहार के सीमान्त जिलों तक आई० एस० आई० ने अपना जाल फैलाने के साथ - साथ जाली नोटों का समानान्तर बाजार तो विकसित कर ही लिया है साथ ही इसने प० बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर व असम के कई निचले इलाकों को सोने की तरकरी का केन्द्र बनाया है।

इस्लामी कट्टरवादी शक्तियाँ नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, व असम आदि राज्यों में

अपना सघन जाल फैलाकर विध्वंसक कार्यवाहियों का संचालन करने में सफल रही है। असम अल्फा व बोडो उग्रवादियों को आई० एस० आई० का खुला संरक्षण प्राप्त है। नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन० एस० सी० एन०) नामक प्रमुख उग्रवादी संगठन जो आई० एस० का प्रमुख औजार है, आज सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में चल रहे पृथकतावादी आन्दोलन को एक जुट करने हेतु कर रहा है। असम में बोडो सिक्युरिटी फोर्स तथा भारत में अवैध रूप से सक्रिय बांग्लादेश का कट्टर संगठन मुस्लिम वालेंटियर फोर्स आई० एस० आई० के हाथों का खिलौना बनकर इन क्षेत्रों के बांग्लादेश के नागरिकों की धार्मिक भावनाएँ भड़काकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में संलग्न हैं। बांग्लादेश के इस राष्ट्र घोषित होने के पश्चात इस क्षेत्र में कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों की सक्रियता ने साम्प्रदायिक - शोध को छिन - भिन्न करके राष्ट्रीय अखण्डता के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

6. राजनैतिक अवमूल्यन -

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात अधिसंख्य भारतीय राजनीतिक द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु गई मूल्यविहीन, व अवसरवादी व राष्ट्र विरोधी राजनीति ने देश के सभी पहलुओं को नितो खोखला व संवेदनशील बना दिया है। बोफोर्स फेयर फैक्स व प्रतिभूति घोटाले जैसे बड़े काण्ड आ भारतीय राजनैतिक तन्त्र के लिये आये दिन की सामान्य घटनाएँ बनती जा रही हैं। देश के शीर्ष बैठे राजनेताओं में इन घोटाला काण्डों की नैतिक जिम्मेदारी लेने का न तो साहस रह गया है और ही उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण। उल्टे वे इन घोटालो में संलिप्त व्यक्तियों की यत्र तत्र सहायता का देखे जाते हैं। राष्ट्रीयता व राष्ट्रीय हितों से मुँह चुराते देश के लगभग सभी राजनैतिक दल अप्रतिष्ठित स्वार्थों की पूर्ति हेतु देश की सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता, रक्षा उपकरणों की खरीद फरो में दलाती राष्ट्रीय सम्पत्ति का दुरुपयोग तथा विदेशनीति के संचालन में प्रदर्शित राजनयिक बौद्धि से यह पुष्ट होता जा रहा है कि वस्तुतः देश का मौजूदा राजनैतिक तन्त्र लक्ष्य विमुख हो गया है।

भारतीय राजनीति का हो रहा अपराधीकरण एक ऐसी चुनौती है जिसकी चिन्ता राजनैतिक दल भी करने लगे हैं। अगस्त 1995 में लोकसभा में प्रस्तुत बोहरा समीति की रिपोर्ट में ये साफ - साफ कहा गया है कि राजनीतिज्ञ, नौकरशाह तथा अपराधियों (माफिया) के त्रिकोण सम्पूर्ण देश को अपना बन्धक बना लिया है तथा ये माफिया देश में समानान्तर सरकार चला रहे हैं। यह राजनैतिक हस्तक्षेप का ही परिणाम है कि देश के बड़े बड़े अपराधी ससम्मान अपराधों से मुक्त होते जा रहे हैं। टाडा जैसे महत्वपूर्ण विधेयक की समाप्ति तथा लोकपाल की अक्षमता राजनैतिक जीवन में बढ़ रहे माफियाओं के हस्तक्षेप तथा राजनैतिक निरंकुशता का ही परिणाम है। नैन साहनी हत्याकाण्ड तथा इसके अभियुक्त सुशील शर्मा की मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा राजनैतिक दबाव में की गई अग्रिम जमानत यह सिद्ध करती है कि अपराधियों की पहुंच इस स्तर की है कि देश में मनमानी करने से रोका नहीं जा सकता, यही कारण है कि आज भारतीय जनता का विश्वास न केवल देश के राजनेताओं अपितु लोकतन्त्र के वर्तमान स्वरूप से शनैः शनैः हटता जा रहा है। देश में उत्पन्न हो रही यह राजनैतिक रिक्तता एक चुनौती है जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा व अखण्डता को प्रभावित कर रही है।

7. जनजातीय विद्रोह -

जनजाति का तात्पर्य ऐसे स्थानीय आदिम समूहों से है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं तथा एक सामान्य भाषा व संस्कृति का अनुसरण करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत की जनजातियों को प्रमुख चार क्षेत्रों (उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र व दक्षिण क्षेत्र) में विभाजित किया गया है जिनके अन्तर्गत लगभग 550 विभिन्न जनजातियाँ आती हैं। इनमें भील, गुज्जर, खासी, धारु, कोरबा, गोड, संथाल, चेंचू, नागा, कुकी, गारो, व मिजो आदि

प्रमुख हैं। इन जनजातिय समुदायों का पारस्परिक टकराव तथा इनकी दयनीय, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा व स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक व राजनैतिक समस्याएँ राष्ट्र का आन्तरिक - आयामों को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रही हैं। इनके अतिरिक्त भारत की जनसंख्या में हो रही अनियन्त्रित वृद्धि गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा घूसखोरी जैसे अन्य सामाजिक - आर्थिक कारक भारत के आन्तरिक ढाँचे को सतत् कमजोर करते जा रहे हैं। यद्यपि राष्ट्र का बहुमुखी विकास व राष्ट्रीय समृद्धि की प्राप्ति के लक्ष्य से भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण नीति को क्रियान्वित कर रखा है तथापि विदेशी कम्पनियों के भारत में फैल रहे जाल से जहाँ एक ओर आर्थिक - समृद्धि की सम्भावनाओं को बल मिल रहा है वहीं आर्थिक व वैदेशिक नीति के परतन्त्र होने की सम्भावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इन कम्पनियों के भारत - प्रवेश के परिणामस्वरूप देश में बन्द हो रहे कुटीर व लघु उद्योगों बेरोजगारी समस्या को और भी जटिल बना रहे हैं। यह आर्थिक क्रान्ति गरीबों को और गरीब तथा अमीरों को और अधिक अमीर बनाकर भारत की जनसंख्या के एक भारी हिस्से में असन्तोष अराजकता एवं कुण्ठा को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं जातिवादी आरक्षण तथा साम्प्रदायिकता के कारण भारतीय समाज की समरता बंधुत्व भावनाएँ तथा विभिन्न सांस्कृतिक तत्व शनैः - शनैः निष्प्राण होते जा रहे हैं। राजनीतिज्ञों की स्वार्थ परक राजनीति ने देश के सामाजिक व आर्थिक ढाँचे को पहले से ही जर्जर बना रखा है।

अतएव राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्रवाद साम्प्रदायिकता, जातीयता व विद्रोह आदि से उत्पन्न हो रही विस्फोटक परिस्थितियों पर प्रभावकारी अंकुश लगाया जाय। इसके लिये राष्ट्रीय चेतना का विकास करने आर्थिक असन्तुलन दूर करने तथा देश में स्वस्थ राजनैतिक वातावरण उत्पन्न करना परमावश्यक है। इसके साथ ही आरक्षण नीति के पुनर्मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पर सरकार को त्वरित व दूरदर्शितापूर्ण ठोस कदम उठाना होगा। अन्यथा आन्तरिक एकता एवं समृद्धि के अभाव में राष्ट्रीय सुरक्षा व अखण्डता को बनाये रखना दुष्कर होगा।

21वीं शताब्दी के एक प्रमुख शक्ति ध्रुव (Power - Center) के रूप में उभर रहे भारत के समक्ष नक्सल - विद्रोह ऐसी गम्भीर चुनौती है जिससे उसके आन्तरिक सुरक्षा आयाम जटिल होते जा रहे हैं। नक्सलवाद मूलतः ऐसी सामाजिक - आर्थिक समस्या है जो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, क्षेत्रवाद, अशिक्षा, कुशासन व राजनैतिक अवमूल्यन एवं पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप पनपती है। उल्लेखनीय है कि भूखे लोग तथा नवीन विचारधाराएँ ही क्रान्ति का पथ प्रशस्त करती हैं (Hungry Peoples and new ideas gives birth to the revolution) तथा अभावग्रस्त एवं सामाजिक तथा आर्थिक पक्षपात के शिकार गरीब दलित व वंचित लोग एकीकृत होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु अभिप्रेरित होकर हिंसा का सहारा लेते हैं।

जहाँ तक नक्सलवाद का संदर्भ है भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के एक गाँव नक्सलवादी में हुई एक हिंसा से ही यह शब्द चर्चित हुआ जिसमें प्रमुख उग्रवादी नेताओं - कानू सान्याल, चारु मजुमदार, जंगल सान्याल, कदम मलिक एवं मुजीबुर्रहाम आदि की केन्द्रीय भूमिका थी। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र (नक्सलवादी) नेपाल से 4 मील बांग्लादेश से 14 मील सिक्किम से 30 मील तथा तिब्बत से 50 मील दूर स्थित है तथा लगभग 256 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह महत्वपूर्ण भू - क्षेत्र जुलाई 1967 में साम्यवाद - प्रभावित किसान सभा के भूमि सुधार सम्बन्धी विद्रोह से न केवल चर्चित हो गया अपितु इन गतिविधियों में संलिप्त तत्वों ने चीन - समर्थक नारे लगाकर भू - अपहरण की व्यापक कार्यवाहियाँ कीं। यद्यपि नक्सलवादी घटनाएँ सामान्य प्रतिक्रिया मात्र थीं किन्तु 28 जून 1967 को पेकिंग रेडियो ने अपने एक प्रसारण में इस सशस्त्र कृषक - संघर्ष को

माओत्सेतुंग के वैचारिक धारणा पर आधारित एक क्रांतिकारी कदम बताया।

यद्यपि पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने इस विद्रोह को बल पूर्वक दबा तो अंततः दिया किन्तु इसमें चीन की सलिप्तता तथा काठमाण्डु के माध्यम से भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को मार्क्स - लेनिनवादी विचारधाराओं से संदर्भित साहित्य उपलब्ध कराने के साथ - साथ इस विद्रोह को नैतिक समर्थन देकर इसे निरन्तर ऊर्जा प्रदान करने में कोई कमी नहीं आने दी। तदुपरान्त 1969 को कलकत्ता में भारतीय लेनिन - मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी की एक विशाल रैली में नक्सलवादी नेता कानू सान्याल ने यह स्पष्ट कहा कि राज्य शक्ति पर सशस्त्र क्रान्ति ही अंकुश लगा सकती है तथा जन संघर्ष की प्रबल लपटें ही गुरिल्ला युद्ध द्वारा सशस्त्र - संघर्ष के आधार को विस्तृत कर सकती हैं। फलतः न केवल कलकत्ता में चीनी अध्यक्ष - हमारा अध्यक्ष एवं हमारा तुम्हारा नक्सलवादी विद्यतनाम के नारे लगाये गए अपितु नक्सलवाद के मूल ध्येय को स्पष्ट करते हुए चारु मजूमदार ने कहा कि, Naxalbari represents the first ever application of Mao Tsetung's thought in the soil of India. It was in Naxalbari that the peasantry for the first time launched the struggle for the seizure of power. For this reason Naxalbari symbolises the part of the liberation for the exploited masses of the Indian peoples. Thus ushering a new era in the political history of India.

चीन - अभिप्रेरित उक्त हिसात्मक गतिविधियों से स्पष्ट हो गया कि मूलतः माओवादी विचारधारा पर केन्द्रित नक्सलवाद माओवाद पर विश्वास करता है तथा भारतीय संविधान में इनका आस्था नहीं है। माओवादियों ने भारतीय प्रजातन्त्र को पूँजीवाद व शोषण पर आधारित व्यवस्था मानते हुए इसकी तीव्र भर्त्सना की सी० पी० आई० (माओवादी) के प्रवक्ता गोपालस्वामी के शब्दों में

"Indian state is capitalist and exploitative; it is led by a comprador bourgeoisie and semi - feudal landlord class; is an agent of American imperialism and should be overthrown by a peoples revolution, where only maoists can lead."

माओवादियों का दृढ़ मत है कि भारत की पुलिस व स्थानीय जमींदार न केवल सरकार के शह से गरीबों का शोषण करते हैं अपितु सरकार की नीतियों भी उन्हीं के हितों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित की जाती हैं। यही कारण है नक्सलविद्रोही भारत सरकार द्वारा विदेशों के साथ सम्पन्न सहमति पत्रों (MOU) के प्रबल विरोधी तो हैं ही साथ ही वे ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना हेतु तत्पर हैं जहाँ जल, जंगल, व जमीन (water, Forest and land) पर स्थानीय आदिवासियों का अधिकार हो। यही कारण है माओवादी तत्व आदिवासियों के साथ जुड़ कर अपने एजेण्डे को सरकार पर थापने हेतु संकल्पित हैं तथा वे सरकारी तन्त्र के आतंक से आदिवासियों की सुरक्षा, शस्त्र छिपाने एवं अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु हिंसा को अनिवार्य कार्यवाही मानते हैं। हिंसा को अन्तिम विकल्प (Annihilation is the last choice) मानते हुए नक्सलवादी न केवल अपने कैंडर के गठन हेतु स्थानीय नागरिकों की भर्ती करते हैं अपितु पुलिस स्टेशन, रेल लाइन, सरकारी भवनों एवं स्कूल आदि को अपना निशाना बनाकर सरकारी - तन्त्र की विफलता को प्रचारित करने की सामरिक अपनाते हैं। वैचारिक - दृढ़ता पर आधारित इनके संगठन में सक्रिय व समर्पित कार्यकर्ता मारो और भागो की नीति पर कार्य करते हैं जहाँ तक माओवादियों के संगठन - तन्त्र का प्रश्न है यह ग्रामीण ईकाई (village Unit), क्षेत्रीय सचिव (Area Secretary) व क्षेत्रीय कमाण्डर (Area Commander) में विभक्त है जिनकी देखरेख क्षेत्रीय कमाण्डर (zonal commander) द्वारा की जाती है। इनके संगठन की सर्वोच्च संस्था पोलिट ब्यूरो कही जाती है तथा इनके सशस्त्र सैन्य बल (Armed militia)

अन्तर्गत छापामार संक्रिया में दक्ष एक गुरिल्ला ईकाई होती है जिसे दलम (Dalams) व पीपुल्स रिवोल्यूशनरी गुरिल्ला आर्मी (PLGA) कहा जाता है इनके अन्तर्गत लगभग 50,000 लडाके सैनिक व 10,000 पी० एल० जी० ए० सदस्य सम्मिलित होते हैं। गाँवों में होने वाली घटनाओं को नियन्त्रित करने हेतु माओवादियों की एक ईकाई भी सक्रिय रहती है जिन्हे संघम (Sangham) कहा जाता है। इतना ही नहीं राज्यों की निष्क्रिय संस्थाओं को देखते हुए उनकी समानान्तर माओवादी जन अदालत (Peoples court) का गठन करते हैं जहाँ पार्टी की विचारधाराओं के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ जन सेना (jan militia) दण्डात्मक कार्यवाही करती है। ध्यातव्य है कि आदिवासी - संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की केन्द्रक मानी जाने वाली महिलाओं के विरुद्ध कोई अनैतिक कार्य न करने के कारण माओवादियों के कैंडर में महिलाओं की संख्या अधिक है।

माओ की विचारधारा राजनैतिक, - "शक्ति बन्दूक की नली से प्रवाहित होती है" पर आधारित नक्सवाद आन्दोलन पर माओवाद का स्पष्ट प्रभाव है जिससे इस समय पश्चिमी बंगाल, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, बिहार व उत्तर प्रदेश के लगभग 33 जिले मूलरूप से वामपंथी उग्रवादीयों (L. W. E. - Left wing Extremist) के पूर्ण प्रभाव में आ गये हैं। भारत के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैथ्यर का मानना है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के कलेक्टर यह स्वीकार करते हैं कि वहाँ उनका अधिकार नहीं चलता। भारत के कुछ अन्य भागों में भी यही स्थिति है। 626 में से देश के लगभग 210 जिले में कलेक्टर असहाय स्थिति में यही कहते हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वहारा वर्ग की रक्षा एवं उसे समस्त अधिकार देने के नाम पर प्रारम्भ यह सामाजिक सशस्त्र - संघर्ष आज आतंक का रूप लेते हुए पशुपति से तिरुपति तक एक लाल गलियारे का निर्माण करके 20 राज्यों के लगभग 92,000 किमी क्षेत्र तक विस्तृत हो चुका है। नक्सलवादियों से प्राप्त हथियार व साहित्य से यह पुष्ट हो चुका है कि इसमें वाह्य शक्तियों की परोक्ष भूमिका है तथा सन् 2050 तक भारत से लोकतन्त्र को उखाड़कर वे देश पर अपना शासन स्थापित करने की महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं। भारत के पूर्व गृहसचिव जी० के० पिल्ले ने भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की है। सत्ता - संघर्ष में परिणित हो चुका नक्सली आन्दोलन भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौती बनता जा रहा है।

जहाँ तक नक्सलवाद के विस्तार - क्षेत्र व हिंसक गतिविधियों का प्रश्न है इस समय आन्ध्र प्रदेश का जिला खम्मन, बिहार के छः जिले - जहानाबाद, औरंगाबाद, जामुई, गया व रोहतास, छत्तीसगढ़ के सात जिले - दंतेवाड़ा, बंस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनन्द गांव व सरगुजा, महाराष्ट्र के दो जिले - गडचिरोली व गोडिया, झारखण्ड के दस जिले - पूर्वी सिंह भूमि, पश्चिमी सिंह भूमि, लोहरदगा, गुमला, चत्रा, हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा, लातेहार, व पलामू, मध्यप्रदेश का एक जिला - बालाघाट, उड़ीसा के पांच जिले - गजपती, रायगढ़ा, देवगढ़, मल्कानगिरी व सम्बलपुर तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र नक्सली हिंसा के भीषण शिकार हुए हैं। उक्त राज्यों में व्याप्त आर्थिक - सामाजिक असमानता का ही यह परिणाम है कि बिहार में 1127, छत्तीसगढ़ में 1760, झारखण्ड में 1727, महाराष्ट्र में 291, उड़ीसा में 526, पं. बंगाल में 55, आंध्र प्रदेश में 287, उत्तर प्रदेश में 69 तथा मध्य प्रदेश में 29 सुदृढ़ नक्सली ठिकानों के प्रमाण मिले हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा का स्वरूप अत्यन्त क्रूर व भयानक है छत्तीसगढ़ में 40 हजार वर्ग किमी क्षेत्र में फैला बस्तर का क्षेत्र पूर्णतः नक्सलियों के नियन्त्रण में है। नक्सलियों के विरुद्ध प्रारम्भ सलवा जुद्ध की प्रतिक्रिया में नक्सलियों ने व्यापक हिंसा की है। घने जंगलों व घाटियों से युक्त इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ जहाँ एक ओर नक्सलियों को सुविधाएँ प्रदान

कर रही हैं वही सरकारी मशीनरी प्रभावी नहीं हो पा रही है। 3900 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत अखंडता क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से न कोई सर्वेक्षण हुआ और न ही सरकार नाम की कोई संस्था पहुँच सकी है। छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित नक्सलियों की लिस्ट गुरिल्ला आर्मी में लगभग 4 हजार जवान हैं। दंतेवाड़ा नक्सली हिंसा का मुख्य केन्द्र है जहाँ पर पुराने सादी वर्दी पहनती हैं तथा विद्रोही वर्दियों पहनकर निश्चित होकर घूमते हैं। इन्द्रवती नदी के माओवादियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को पुलिस द्वारा पाकिस्तान की संज्ञा देना यह सिद्ध करता है कि क्षेत्र प्रदेश की पुलिस के नियन्त्रण से बाहर है।

(Death Related to the Violence)

Period	Civilians	Security Forces	Insurgents	Total
1984 - 2001	1,610	432	1,007	3,049
2002	382	100	141	623
2003	410	105	216	731
2004	466	100	87	653
2005	524	153	225	902
2006	521	157	274	952
2007	460	236	141	837
2008	399	221	214	834
2009	586	317	217	1,120
2010	713	285	171	1,169
2011	276	128	199	602
2012	144	104	116	364
Total	6,432	2,312	2,965	11,709

नक्सलवादी नेतृत्व का यह दृढ़ मत है कि विचारधारा पर आधारित उनके सघर्ष को भाग्य की सशस्त्र सेनाएँ भी नहीं कुचल सकती। सी० पी० आई० (एम) के प्रवक्ता गोपाल के शब्दों में "Police, CRPF are salaried army. It can never fight the army that derives strength from ideology and convictions. The army of ideology came move even himalayas. प्रमुख नक्सलवादी संगठन -

माओवादी विचारधाराओं पर आधारित नक्सलवाद की पृष्ठभूमि में भारत में निम्नांकित संगठनों की इसमें सलिप्तता के प्रमाण मिले हैं -

1. सेण्ट्रल री आर्गेनाइजेशन कमेटी -

1979 में स्थापित यह भाकपा (मार्क्सवादी - लेनिनवादी) का माओवादी समूह है।

2. सेण्टर ऑफ इण्डियन कम्युनिस्ट -

सन् 1974 में एर्नाकुलम में स्थापित यह केरल का माओवादी समूह है।

3. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माओवादी) -

पीपुल्स वार ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेण्टर ऑफ इण्डिया के विलय से सन् 2000 में इस भूमिगत संगठन की स्थापना हुई।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माले) - महादेव मुखर्जी द्वारा स्थापित। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माले) जनशक्ति - इसकी स्थापना आन्ध्र प्रदेश में सन् 1992 में हुई।

4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माले) नक्सलवादी - यह आन्ध्र प्रदेश का एक भूमिगत संगठन है।

7. पीपुल्स वार ग्रुप - आन्ध्र प्रदेश में इसका गठन 1980 में हुआ था।

8. एम० सी० सी० - बिहार में सक्रिय देश का यह दूसरा सबसे बड़ा हथियारबन्द माओवादी संगठन है जिसकी नींव पश्चिम बंगाल के श्रमिक नेता कन्हैया चटर्जी ने रखी थी। यह वामपंथियों के पारस्परिक टकराव का परिणाम था।

9. प्रोविजनल सेण्ट्रल कमेटी - यह पश्चिम बंगाल में सक्रिय भाकपा (माले) का अभिन्न अंग है।

10. दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी - छत्तीसगढ़ में चार हजार वर्ग किमी क्षेत्र में इस संगठन का विशेष प्रभाव है जहाँ पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करती है।

नक्सलीय हिंसा एवं भारतीय सुरक्षा आयाम -

भारत में चल रही नक्सली हिंसा से उसका आन्तरिक सुरक्षा आयाम निरन्तर जटिल स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। साउथ ऐशिया इन्टेलीजेन्स रिव्यू के एक सर्वे में कहा गया है कि लगभग आधा भारत (माओवाद से प्रभावित 223 जिले, पाक-प्रायोजित जेहादी आतंकवाद से प्रभावित जम्मू - कश्मीर के 20 जिले तथा पूर्वोत्तर भारत के 67 जिले) हिंसात्मक गतिविधियों से संतुलित है। यद्यपि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवादी हिंसा को भारत की आन्तरिक सुरक्षा हेतु एक मात्र गम्भीर चुनौती के रूप में स्वीकार तो अवश्य किया है किन्तु इस समस्या के उन्मुलन हेतु कोई प्रभावी रणनीति बनाने के संदर्भ में भारत सरकार असमंजस व विभ्रम की शिकार है। संभवतः यही कारण है कि नक्सलवाद से निपटने में भारत द्वारा चलाये गये निम्नांकित अभियानों को वांछित सफलता न मिल सकी -

1. सलवा जुद्ध -

सन् 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में नक्सलवादियों के सफाये हेतु पीस मार्च नामक अभियान चलाया गया किन्तु यह योजना असफल रही तथा प्रतिक्रियास्वरूप नक्सली गतिविधियाँ और बढ़ गईं।

2. ग्रे हॉन्ड्स -

सन् 1989 में आन्ध्र प्रदेश में यह अभियान चलाया गया जो पर्याप्त अंश तक सफल रहा।

3. कोबरा -

सन् 2009 में सी० आर० पी० एफ० व उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को शामिल करके नक्सलवाद के विरुद्ध यह अभियान प्रारम्भ किया जो अभी चल रहा है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड, उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश में चल रही नक्सलवादी हिंसा को समाप्त हेतु ऑपरेशन हॉक चलाया जा रहा है।

पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा भौगोलिक - आर्थिक विषमताओं से उत्पन्न नक्सलवाद राष्ट्र की आन्तरिक शिथिलता का ही परिणाम है। यह न तो कानून - व्यवस्था की लड़ाई है और न ही सीमापार घुसपैठ। नक्सलवाद से निपटना अब राज्य सरकारों के वश में नहीं है। यही कारण है कि केन्द्रीय सुरक्षा बलों को भी इसके समाधान में शामिल किया गया है किन्तु क्षेत्रीय भौगोलिक - परिस्थितियों से अनभिज्ञ ये बल भी बहुत कारगर नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि

अब भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में नक्सलियों के विरुद्ध केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सैन्य बलों, खुफिया तन्त्र तथा राज्य पुलिस प्रशासन के समन्वय से एक कमान के गठन का निर्णय लिया गया है जिसका संगठनात्मक स्वरूप निम्नवत् है -

- अध्यक्ष - मुख्य सचिव
सदस्य -
1. सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल।
 2. आई० जी० नक्सल ऑपरेशन।
 3. सी० आर० पी० एफ० के आई० जी० ऑपरेशन।
 4. राज्य पुलिस के समकक्ष अधिकारी।
 5. राज्य खुफिया तन्त्र का एक सदस्य।

इस महत्वपूर्ण कमान के अन्तर्गत प्रभावित राज्य में अभियान की सफलता हेतु जहाँ जहाँ ओर 16000 विशेष पुलिस अधिकारियों का नियुक्ति के साथ - साथ रिजर्व पुलिस की बटालियनों की संख्या बढ़ाकर 13 से 34 करने का निर्णय लिया गया है वहीं 20 - 25 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का व्यवस्था भी की गयी है। किन्तु रिटायर्ड मेजर जनरल करीम का मत है कि सेना की भूमिका सलाह मशविरे तक ही सीमित रखी जानी चाहिए। नक्सलवाद सामाजिक - आर्थिक समस्या अतएव इसे विकास के हथियार से ही लड़ा जाना चाहिए। यह कहना कि नक्सली विकास विरोधी सर्वथा गलत है। इसी तरह आई० बी० के पूर्व प्रमुख अजीज डोभाल ने एकीकृत कमान के फॉर्मूले पूर्णतः अव्यवहारिक बताया है। यद्यपि कश्मीर व पूर्वोत्तर भारत में ऐसे प्रयोग आंशिक रूप से सफल रहे हैं किन्तु नक्सली क्षेत्रों की परिस्थितियाँ उनसे पूर्णतः भिन्न हैं। अतएव नक्सलवादी हिंसा में वृद्धि के विविध पक्षों पर दृष्टिपात करने की पृष्ठभूमि में निम्नांकित तथ्यों पर गम्भीरता पूर्वक राष्ट्रीय चिन्तन - मनन अपरिहार्य है -

1. स्वाधीनता के पश्चात पूँजी व तकनीकी - प्रधान विकास रणनीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में विकेन्द्रित परम्परागत लघु व कुटीर उद्योगों का तीव्रता से पतन हुआ तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों स्थापित बड़ी - बड़ी परियोजनाओं का लाभ स्थानीय समुदायों को नहीं मिल सका। दामोदर घाटी परियोजना इस संदर्भ में विशेषतः उल्लेखनीय है जिसके विस्थापितों को सन् 1948 से अब तक मुआबजा नहीं मिल सका है जब कि इस परियोजना से उत्पन्न बिजली का लाभ लेकर हजारों लोगों करोड़पति बन गये हैं।
2. खनिज संसाधनों से सम्पन्न किन्तु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध श्रम के फलस्वरूप मूल्यवान खनिजों को निकालने हेतु अरबों डालर निवेश किये जा रहे हैं व आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। ऐसी पीड़ित व असहाय आबादी में नक्सलवाद का ऊर्जा मिलना स्वाभाविक है। उदाहरण हेतु यह तथ्य रेखांकित करना आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ के उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क जहाँ जापान को 2000 रुपये प्रति टन बँचा जा रहा है वहीं भारत के छोटे स्टील उत्पादकों व मिलों को यही अयस्क 6000 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदना पड़ता है। स्पष्ट है कि यही असन्तोष स्थानीय समुदायों को नक्सलवाद की दिशा में उद्येयित करता है।
3. नक्सलवाद के सन्दर्भ में भारत के राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही संकीर्ण राजनीति इस विस्तार को गति प्रदान कर रही है। यद्यपि पश्चिम बंगाल के माकपा नेता ममता बनर्जी पर नक्सलवाद को समर्थन देने का आरोप लगा रहे हैं किन्तु उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि बंगाल सरकार नक्सलवादियों के विरुद्ध सीधी व सशक्त कार्यवाही क्यों नहीं करती। ममता बनर्जी द्वारा लाला लाल से केन्द्रीय सुरक्षा बलों को हटाने की मांग करना तथा माकपा द्वारा माओवादियों को अपना हथियारबंद कैडर मानना यह सिद्ध करता है कि वोट राजनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण मानने की

वृत्ति अब प्रभावी होती जा रही है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं एकांगी विकास - रणनीति के परिणामस्वरूप अमीरी - गरीबी अन्तराल हो रही वृद्धि सर्वाधिक चिन्ताजनक है। 'जेप्सप पेपर्स' ने सन् 2008 में 'जर्नल आफ कन्ट्रिप्रेरी शिया' में लिखा था कि भारत में सबसे अमीर व सबसे गरीब के बीच का अन्तर नब्बे लाख गुना हो गया है। दो दशक पहले बीस घरानों के पास जी डी पी की दो प्रतिशत सम्पत्ति थी जो अब बढ़कर बीस प्रतिशत हो गयी है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटक सिंह अहलूवालिया ने भी यह स्वीकार किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किये जा रहे खर्च में एक रुपये का केवल 16 पैसा ही गरीबों तक पहुँचता है। भ्रष्टाचार का यह स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कदापि शुभ नहीं है।

29 लोकसभा क्षेत्र में विस्तृत नक्सलवाद प्रभावित जिलों के चुनाव परिदृश्य से (2009 के चुनाव) यह पुष्ट होता है कि यहाँ एनडीए को 16 सीटों पर विजय (वोट प्रतिशत 23.1) मिली जबकि यूपीए केवल सात सीट (वोट प्रतिशत 23.8) प्राप्त कर सकी। इन क्षेत्रों में वामपन्थियों को कोई सफलता न मिलना तथा वोट प्रतिशत मात्र 2.7 होना यह सिद्ध करता है कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में उसे क्रान्ति हेतु वांछित जन सहयोग हासिल नहीं है। वे शिथिल व भ्रष्ट सरकारी तन्त्र का ही लाभ उठा रहे हैं। अरूंधती राय व कुछ अन्य समाजसेवी संगठनों द्वारा नक्सलियों का पक्ष लेना अत्यन्त संवेदनशील प्रश्न है। यद्यपि यह सच है कि विकास से वंचित व उपेक्षित इस क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त दयनीय है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वंचित लोगों को हिंसा के मार्ग अपनाने हेतु अभिप्रेरित किया जाय। यद्यपि यह सही है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में कतिपय कारणों से विकास कार्य अपेक्षाकृत नहीं हो पा रहे हैं किन्तु अब तो यही नक्सलवादी स्वयं विकास - विरोधी गतिविधियों में संलग्न होते देखे जा रहे हैं। अन्दर व बाहर से देशी - विदेशी कुचक्रों से आहत हो रहे भारत को यह गम्भीरता पूर्वक सोचना होगा कि कम्युनिस्ट चीन द्वारा भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण एवं आक्रमण की धमकी, भारत सरकार का अपमान एवं नेपाल में माओवादियों के उग्र भारतीय - विरोध के बावजूद उन्ही तत्वों के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व उनके सहयोगी बुद्धिजीवियों की पक्षधरता बड़ी विचित्र व हास्यापद लगती है। कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रवर्तक (अरूंधती राय, महाश्वेता देवी व राम चन्द्र गुहा आदि) माओवादी कश्मीर ही नहीं नागालैण्ड व असम आदि राज्यों में आत्मनिर्णय के नाम पर भारत की अखण्डता पर हमले कर रहे हैं किन्तु केन्द्र में सरकार बनाने व चलाने हेतु प्रतिबद्ध राजनेता इस पर मौन साध लेते हैं। पं० बंगाल में आतंकवाद का पोषण करने वाले मदरसों पर वहाँ की सरकार का मौन रख, भारतीय संसद पर आक्रमण करने वाले प्रमाणिक आतंकवादी मुहम्मद अफजल को सजा से वंचाने हेतु भाकपा महासचिव एबी वर्धन का धरना - प्रदर्शन आखिर क्या संकेत करते हैं? मुम्बई - आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में संसद में इसे अमेरिका से सहयोग बढ़ाने का परिणाम बताने वाले कम्युनिस्ट नेताओं के वास्तविक इरादों पर गम्भीर राष्ट्रीय बहस क्या ज्वलन्त विषय नहीं है?

उक्त तथ्यों पर सम्यक विचार - विमर्श करते हुए भारत सरकार को माओवादी आतंक की समाप्ति हेतु समुचित सामाजिक - आर्थिक - राजनैतिक - सैनिक रणनीति का निर्धारण करना होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अर्ध सैनिक बलों को ऐसे संघर्ष हेतु सुप्रशिक्षित करते हुए राज्य के सुरक्षा बलों के साथ - साथ यथोचित सामंजस्य स्थापित करने की पहल करने के साथ सरकार को इन कार्यवाहियों को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने का संकल्प भी लेना होगा। राजनैतिक भ्रष्टाचार से पोषित हो रही माओवादी - चुनौती के उन्मुलन में राजनेता बन ठेकेदार - माफिया के दुष्क्र को शिथिल करने के साथ - साथ वनवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे। बहुआयामी रणनीति निर्धारित करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि मात्र सैन्य शक्ति से माओवाद को ईमानदारी व पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए गरीब व वंचितों तक यह धारा पहुँचानी

होगी। इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं के निर्धारण में दीर्घकालीन उद्देश्यों व हितों का सा ध्यान रखते हुए गम्भीर वार्ता प्रक्रिया भी प्रारम्भ करनी होगी तभी हिंसक तत्वों को शान्तिप्रिय साधनों से पृथक् कर राष्ट्रीय सुरक्षा का यथेष्ट व वांछित उद्देश्य प्राप्त किया जा सकेगा। अब समय आ रहा है कि नक्सलवाद के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष प्रतिरक्षात्मक नहीं अपितु आक्रामक रूप से चलाया जाय। देश के समक्ष राजनेताओं को यह उद्घाटित करना होगा कि माओवादियों को धर्म समाज व सार्वजनिक धर्म करने का अधिकार किसने दिया है? उल्लेखनीय है कि जिस माओ की सांस्कृतिक - क्रांति को स्वयं चीनी जनता ने नकार दिया है उसे अपना आदर्श बनाने वाले क्या वैचारिक दृष्टि से अपराधी नहीं हैं? अतएव नक्सलियों के साथ वार्ता युद्ध में उलझने के बजाय अब भारत सरकार को सार्वजनिक विकास के समानान्तर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए तथा दृढ़ता से यह हृदयंगम करना चाहिए इस थोपे हुए युद्ध को जीतने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

Q. 14. Examine the main challenges and problems of India's defence industrialization.

Other Related Questions -

Q. Discuss India's defence industrialization and its achievements.

प्रश्न - भारतीय रक्षा औद्योगीकरण में प्रमुख चुनौतियों एवं समस्याओं की परीक्षा कीजिये।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न -

प्रश्न - भारतीय रक्षा औद्योगीकरण एवं उसकी सफलताओं का विवेचन कीजिये।

उत्तर - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेनिन के कथन कि "वर्तमान युग में विजय प्राप्ति हेतु उत्तम काफी नहीं है अपितु इसके लिए तकनीकी श्रेष्ठता अधिक महत्वपूर्ण है" की सार्थक महायुद्धोत्तरकालीन युद्धों (अरब, इसराइल, इराक - ईरान और खाड़ी प्रथम व द्वितीय) से स्पष्ट परिलक्षित होती है। प्राचीन एवं अर्वाचीन (नाभिकीय) युग की राष्ट्रीय सुरक्षा अवधारणा, युद्ध प्रकृति व स्वरूप के मध्य व्याप्त अन्तर भी युद्ध विज्ञान व नवीनतम तकनीकी क्रान्ति का ही द्योतक विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में नित नूतन हो रहे अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप युद्ध - विज्ञान प्रभावित हुआ ही है, स्त्रातेजी सामरिकी सम्भरणतन्त्र एवं युद्ध कर्म की सम्पूर्ण प्रकृति में भी मूल परिवर्तन हुए हैं वस्तुतः आज के युद्ध - तकनीक के नूतन प्रौद्योगिकी पर अधिकाधिक आश्रित होते रहे हैं। हथियारों के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के साथ - साथ संचार - प्रणाली की क्रान्ति ने युद्ध स्वरूप एवं परिणामों को सदैव प्रभावित किया है। ध्यातव्य है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग फ्रेसी के संग्राम में प्रयुक्त लम्बा धनुष प्रथम विश्व युद्ध काल में विषैली गैसों, टैंकों वायुयानों का प्रयोग तथा द्वितीय विश्व युद्ध के अन्तिम चरण में नाभिकीय बमों के प्रयोग आदि के उदाहरण हैं जिनसे इस तथ्य की पुष्टि स्वतः हो जाती है। उल्लेखनीय है कि आधुनिकतम विमान तोपों, प्रक्षेपास्त्रों, रडारों, रोबोट, कम्प्यूटर व सुपर कम्प्यूटर जैसे आविष्कारों ने युद्ध को विषमयुग व उत्तेजक बना दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा व रक्षा की बदल रही अवधारणा एवं इसका विस्तृत हो रहा क्षेत्र वैज्ञानिक आविष्कारों की ही देन है। सच तो यह है कि विज्ञान व तकनीक में हो रहे अनुसंधानों ने ही राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सैनिक, औद्योगिक, व्यापारिक व मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को प्रभावित करके सभी को रक्षा आत्मनिर्भरता, रक्षा व विकास तथा समृद्धिशाली बनने हेतु अभिप्रेरित व उन्मुख किया है। आज के इस वैज्ञानिक युग में अत्याधुनिक तकनीक के आदर्श उपयोग के अभाव

आत्मनिर्भर, स्वस्थ, वैभवशाली व सुरक्षित राष्ट्र की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती क्योंकि तकनीक ही वह प्रमुख घटक है जो राष्ट्रों की उत्तरजीविता (Survival) को आधार प्रदान करता है। विज्ञान में हो रहे उत्तरोत्तर अनुसंधानों के बल पर ही सोवियत विघटनोपरान्त संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक मात्र महाशक्ति एवं अपराजेय राष्ट्र बना हुआ है। उसके विशाल नाभिकीय सशस्त्र भण्डार, युद्ध - तकनीक समुन्नत संचार व शस्त्र - प्रणाली का ही यह सुफल है कि नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन उसके मनोनुकूल हो रहा है तथापि विश्व के प्रमुख देश (जर्मनी, जापान, चीन, फ्रांस, 30 कोरिया तथा भारत आदि) भी औद्योगिक क्रान्ति एवं विज्ञान व तकनीक के नूतन अनुसंधान व विकास के बल पर अपनी राष्ट्रीय सम्प्रभुता व सुरक्षा को अक्षुण्ण रखते हुए दुःप्रवीण विश्व - व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं।

भारत में रक्षा - प्रौद्योगिकी का विकास -

उक्त परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, सन् 1947 में स्वाधीनता अर्जित करने पूर्व ही अन्तरिम सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सुदृढ़ ढाँचे के निर्माण हेतु जहाँ एक ओर संतुलित आदर्श विदेश नीति के निर्धारण को प्राथमिकता दी वहीं राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण व बहुमुखी विकास हेतु वैज्ञानिक, तकनीकी व औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को सक्रिय व गतिशील बनाया।

तत्कालीन रक्षा परिवेश व आर्थिक चुनौतियों के कारण भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कृतिशाली बनाना दुष्कर अवश्य था फिर भी अक्टूबर 1946 में मार्शल आकिनलेक ने सुरक्षा में सशस्त्र सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका एवं भारत के भू - स्त्रातेजिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए एक रक्षा - योजना प्रस्तुत की किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 15 अक्टूबर 1947 को हुए भारतीय विभाजन तथा जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर समस्याओं से उत्पन्न तत्कालीन रक्षा चुनौतियों एवं महाशक्तियों के मध्य क्रमशः उग्र हो रहे शीतयुद्ध का भारत की रक्षा नीतियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। गुटनिरपेक्ष नीति के माध्यम से ही राष्ट्रीय सुरक्षा व शक्ति - संतुलन के प्रबल पक्षधर पं० नेहरू अक्टूबर 1962 में चीन द्वारा (पंचशील समझौते - (29 अप्रैल 1954) को तिलांजली देकर) भारत पर किये सशस्त्र आक्रमण से हतप्रभ हो गये। चीनी विश्वासघात के कारण मिली पराजय, चीन के बढ़ रहे सामरिक सामर्थ्य एवं पाकिस्तान के आक्रमण मनोवृत्ति का ही यह परिणाम है कि आज भारत में 39 आईनेन्स फैक्ट्रियों कार्यरत हैं जिनमें लगभग 1500 प्रकार की रक्षा - वस्तुओं व उनसे सम्बद्ध अवयवों हथियारों, वाहनों, कवाचित वाहनों, विस्फोटकों, गोला - बारूद तथा अन्य युद्ध सामग्रियों का उत्पादन उच्च स्तर पर किया जा रहा है। सिपरी (SIPRI) 1998 की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त रूप से भारत की आईनेन्स इकाइयों का विश्व में 45 वां स्थान है तथा इस समय इनमें 1,73,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। उच्च व आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित इन आईनेन्स फैक्ट्रियों में आधुनिकतम मुख्य युद्धक टैंक (MBT) तथा इन्फेन्ट्री कम्बेट वेहिकल्स (I. C. V.) व स्वप्रणोदी बन्दूकों का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है। जहाँ तक टैंक के निर्माण का प्रश्न है आवडी (Avadi) में स्थापित हैवी वैहिकल फैक्ट्री (H. V. F.) में सर्वप्रथम ब्रिटिश वाइकर्स आर्म्सटांग फर्म के सहयोग से विजयन्ता टैंक का निर्माण किया गया तथा सन् 1998 में इसी फैक्ट्री ने सुप्रसिद्ध T - 72 M - 1 अजेय टैंक का निर्माण करके यह सिद्ध कर दिया कि अनुसंधान व विकास कार्यक्रम में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस समय यही उद्योगशाला मुख्य टैंक (MBT) अर्जुन के निर्माण में संलग्न है। इस समय आईनेन्स फैक्ट्रियों में स्वदेशी तकनीक पर आधारित रक्षा उपकरणों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिसमें भारतीय फील्ड गन MK II तथा अत्याधुनिक 5.56 एम. एम. एसाल्ट राइफ्ले सर्वोधिक उल्लेखनीय है जिन्हें अप्रैल 1994 में भारतीय स्थल सेना को सौंपा गया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (D. R. D. O.) की इनमें प्रशंसनीय भूमिका है। आईनेन्स फैक्ट्रियों रक्षा

क्षेत्र के अतिरिक्त नागरिक क्षेत्र के लिए भी विभिन्न उपकरणों का उत्पादन कर रही है।

(ब) रक्षा क्षेत्र के सर्वाजनिक प्रतिष्ठान -

रक्षा मन्त्रालय के अधीन सक्रिय इन प्रतिष्ठानों का विवेचन निम्नवत है -

1. हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL) -

सन् 1964 में स्थापित इसकी छः राज्यों में 13 फैक्ट्रियाँ कार्यरत हैं। इनका मुख्य बंगलौर में है। इस कम्पनी का कार्य विभिन्न प्रकार के विमानों हेलीकाप्टरों, उनके इंजनों और सार्वजनिक पुर्जों का डिजाइन उत्पादन एवं मरम्मत करना है। इस समय यह कम्पनी जगुआर, डार्लियर-228, मिग-27 विमान और चेतक तथा चीता हेलीकाप्टर बना रही है। यह कम्पनी हल्के युद्धक विमान डिजाइन व विकास कार्य को प्रमुखता से कर रही है।

2. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) -

इसकी स्थापना 1954 में जलाहाली (बंगलौर) में की गयी थी। देश के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में यह कम्पनी प्रमुखता से कार्य कर रही है। बंगलौर, गाजियाबाद, तलौजा, पंचकुला, और कोटद्वार में इसके कारखानों तथा हैदराबाद व मद्रास में दो सहायक केन्द्र हैं। इस कम्पनी द्वारा उच्च शक्ति के संचार उपकरणों उच्च शक्ति के चल और अचल राडार प्रसारण ट्रांसमीटर तोप नियन्त्रण उपकरण फ़िग्रेट जहाजों के लिये शस्त्र नियन्त्रण उपकरण आदि उत्पादन किया जा रहा है।

3. भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (BEML) -

सन् 1964 में स्थापित इस कम्पनी द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी के मिट्टी हटाने वाले उपकरण बुलडोजर, डम्पर, लोडर, स्क्रैपर, मोटर ग्रेडर तथा क्रेनो का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी बंगलौर कोलार गोल्ट फ़ील्ड्स और मैसूर स्थित तीन उत्पादन इकाइयाँ बड़ी लाइनों पर चलने वाले इन्ट्री कोचो का भी निर्माण कर रही है। यह कम्पनी टैंक ले जाने वाले वाहनों तथा वायु सेना के विमान जाने वाले ट्रैक्टरों का भी उत्पादन कर रही है।

4. मझगाँव डाक लिमिटेड (MDL) -

बम्बई स्थित यह कम्पनी भारतीय डिजाइन पर आधारित विभिन्न फ़िग्रेटों का निर्माण कर रही है। इस शृंखला में प्रथम जहाज आई0 एन0 एस0 गोदावरी दिसम्बर 1983 में भारतीय नौ सेना को सौंपा गया था। द्वितीय फ़िग्रेट आई0 एन0 एस0 गोमती को नौ सेना को सौंपा गया जिन परिकल्पना डिजाइन व निर्माण पूर्णतः भारतीय है।

5. गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ऐण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड (GRSE) -

कलकत्ता स्थित इस कम्पनी ने पहला बड़ा मालवाहक जहाज लोकप्रति तैयार कर 1981 में मुगल लाइन लि0 के सुपुर्द कर दिया। यह कम्पनी दो सर्वेक्षण जहाजों संधायक व निर्देशन का पहले ही निर्माण कर चुकी है। यह तटरक्षक संगठन व नौ सेना हेतु विभिन्न रक्षा एवं गश्ती नौकाओं का निर्माण कर रही है।

6. गोआ शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) -

गोआ स्थित यह कम्पनी मुख्य रूप से जहाजों की मरम्मत का कार्य करती थी किन्तु अब यह पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में एक मध्यम दर्जे के जहाज निर्माण की कम्पनी बन गयी है तथा नौ सेना के लिये समुद्रवर्ती रक्षा नौकाये अवतरण (लैंकिंग) नौकाये और तेज गति से चलने वाली गश्ती नौकाये बना रही है।

7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) -

सन् 1970 में हैदराबाद में स्थापित यह कम्पनी मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी और गाइडेंस

मिसाइलों के उत्पादन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके सुदृढ़ तकनीकी आधार को देखते हुये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा उत्पादन की प्रमुख एजेन्सी के रूप में इसे नामजद किया गया है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI) -

सन् 1973 में हैदराबाद में स्थापित इस कम्पनी का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, वैमानिकी, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स रसायन इन्जीनियर और उपकरण उद्योगों जैसे अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिये विभिन्न आकार प्रकार की अनेक आधुनिक और सामरिक महत्व की धातुओं और मिश्रित धातुओं के उत्पादन की क्षमता तैयार करना है। इसमें उच्च शक्ति वाली अनेक मिश्रित धातुओं का उत्पादन किया जा रहा है।

(स) नागरिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान -

उक्त रक्षा प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त देश में कुछ असैनिक उद्योग भी हैं जो नागरिक सेवाओं के साज-सामानों के अतिरिक्त रक्षा उपकरणों के निर्माण का भी कार्य करते हैं। इनमें हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि0 एवं भारत हवी इलेक्ट्रॉनिक्स लि0 का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है जो नौ सेना के लिए छोटे पोत एवं तीव्रता से फायर करने वाली बन्दूकों का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार अजेय व सारथ जैसे वाहनों के निर्माण में काम आने वाले विभिन्न संयंत्रों का निर्माण असैनिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं पृथ्वी व अन्य प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में भी विभिन्न असैनिक प्रतिष्ठान संयुक्त रूप से कार्यरत हैं।

2. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन -

रक्षा क्षेत्र में समुन्नत समाघात-क्षमता सामर्थ्य विकसित करने एवं आत्मनिर्भरता हासिल करने में रक्षा सम्बन्धी शोध व विकास क्षेत्र में स्वावलम्बी राष्ट्र की आज के परिवर्तनशील विश्व सुरक्षा परिदृश्य में अपनी सम्यक रक्षा एवं राष्ट्रीय हितों को परिरक्षित करते हुए स्वतन्त्र व प्रभावी विदेशनीति के संचालन में समर्थ हो सकते हैं। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखकर ही द्वितीय विश्व युद्ध काल में आयातित आयुधों एवं अन्य उपकरणों में अपेक्षित संशोधन व परिमार्जन हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में तकनीकी विकास संस्थानों की स्थापना की। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1949 में ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रो० पी० एम० एस० ब्लैकेट के परामर्श से सभी तकनीकी विकास संस्थानों को एकीकृत करके एक रक्षा विज्ञान संगठन (D. S. O.) की स्थापना की गयी जिसका संचालन रक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा किया जाने लगा। किन्तु राष्ट्र के समक्ष रक्षा अनुसंधान व विकास सम्बन्धी निश्चित प्रारूप, दिशा व उद्देश्य न होने के कारण प्रारम्भिक वर्षों में यह संगठन प्रभावी न बन सका। ज्ञातव्य है कि प्रारम्भिक वर्षों में इस महत्वपूर्ण संगठन की बागडोर ऐसे आयोज्य व अकुशल हाथों में थी जिन्होंने विश्व बाजार में अतिरिक्त तकनीकी व प्रक्रम की उपलब्धता के कारण उसे देश में विकसित करने की कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं की। फलतः स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त शान्ति व अहिंसा की राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत भारतीय नेतृत्व ने तकनीकी विकसित करने की अपेक्षा उसके आयात को प्राथमिकता दी किन्तु सन् 1962, 1965, व 1971 में पड़ोसियों द्वारा थोपे गये युद्धों ने भारत को अपनी रक्षा-विज्ञान नीति में गुणात्मक परिवर्तन हेतु विवश कर दिया। परिणामस्वरूप सन् 1980 में रक्षा मन्त्रालय ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास (Defence Research & Development Organisation) का विभाग विकसित किया जिसके माध्यम से सरकार ने सम्पूर्ण देश में कार्यरत रक्षा उत्पादन इकाइयों को एकीकृत एवं पुनर्गठित करने की ऐसी योजना प्रारम्भ की जिसमें उत्पादन व गुणवत्ता में अद्भुत वृद्धि करके रक्षा उपकरणों के मामले में स्वावलम्बी बनाया जा सके। इस समय देश में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के अन्तर्गत लगभग 50 प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं, जिनका विस्तृत लेखा-जोखा निम्नांकित है -

1. एरियल डेलिवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट आगरा।
2. व्हाइकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट अहमदनगर।
3. कम्बैट व्हाइकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट, आवडी, चेन्नई।
4. अन्तरिम टेस्ट रेन्ज, बालासोर,
5. प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल इस्टाब्लिशमेंट, बालासोर।
6. एडवॉन्स सिस्टम इंटीग्रेशन एण्ड इवैलुएशन ऑर्गेनाइजेशन, बंगलौर।
7. एअरनॉटिल डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट, बंगलौर।
8. सेण्टर फॉर एरोनॉटिकल सिस्टम स्टडीज एण्ड एनलिसिस, बंगलौर।
9. सेण्टर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, बंगलौर।
10. सेंटर फॉर आर्टीफिसियल इंटेलिजेंस एण्ड रोबोटिक्स, बंगलौर।
11. डिफेंस बायो इन्जीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेट्रीज, बंगलौर।
12. इलेक्ट्रॉनिक एण्ड राडार डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट, बंगलौर।
13. गैस टरबाइन रिसर्च इस्टाब्लिशमेंट, बंगलौर।
14. माइक्रोवेव ट्यूब रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेण्टर, बंगलौर।
15. नेवल केमिकल एण्ड मेटालर्जिकल लैबोरेट्रीज, मुम्बई।
16. डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट यूनिट, कोलकाता।
17. टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च, चण्डीगढ़।
18. नेवल फिजिकल एण्ड ओशनोग्राफिकल लैबोरेट्री, कोचीन।
19. डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेट्री, देहरादून।
20. इन्ट्रामेंट रिसर्च डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट देहरादून।
21. सेण्टर फॉर एनवायरमेंट एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी, दिल्ली।
22. डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ फायर रिसर्च, दिल्ली।
23. डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ फिजियोलॉजी एण्ड एलाइड साइंसेज, दिल्ली।
24. डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, दिल्ली।
25. डिफेंस साइन्स सेण्टर, दिल्ली।
26. डिफेंस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एण्ड डाक्यूमेंटेशन सेंटर, दिल्ली।
27. डिफेंस टेरेन रिसर्च लैबोरेट्री, दिल्ली।
28. इन्स्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर मेडीसिन एण्ड एलाइड साइंसेज, दिल्ली।
29. इन्स्टीट्यूट आफ सिस्टम स्टडीज एण्ड एनालिसिस, दिल्ली।
30. साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप, दिल्ली।
31. सालिड स्टेट फिजिकल लैबोरेट्री, दिल्ली।
32. डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट, ग्वालियर।
33. डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, लैबोरेट्री, हल्द्वानी।
34. एडवॉन्स न्यूमेरिकल रिसर्च एण्ड एनालिसिस ग्रुप, हैदराबाद।
35. डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेट्री, हैदराबाद।
36. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेट्री, हैदराबाद।
37. आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट, पुणे।
38. इन्स्टीट्यूट आफ आर्मामेंट टेक्नॉलॉजी, पुणे।
39. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टाब्लिशमेंट (इन्जीनियर्स), पुणे।

40. नेवल साइंस एंड टेक्नॉलॉजिकल लैबोरेट्री, विशाखापटनम।

रक्षा उत्पादन में सक्रिय उपरोक्त ईकाइयाँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ निरन्तर शोध के माध्यम से आधुनिकतम तकनीक विकसित करके विश्व शस्त्र तकनीक से स्पर्धा कर रही हैं। अन्तरिक्ष अनुसंधान एवं मिसाइल तकनीक का विकास भारतीय रक्षा सामर्थ्य सुदृढ़ करने में इन रक्षा ईकाइयों का विशिष्ट भूमिका रही है जिसे निम्नांकित तालिका से सरलता से समझा जा सकता है -

भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास की प्रमुख उपलब्धियों की सूची

S. No.	संख्या क्षेत्र	प्रमुख उत्पाद	उत्पाद किए जा रहे कार्य	प्रमुख वर्तमान कार्यक्रम	टिप्पणी
1.	वैज्ञानिकी	एच0 टी0-2 प्रशिक्षक एच0जे0टी0-16एम0आर01 तथा 2 प्रशिक्षक एच0 एफ0 24 मारुत उन्नत जेट युद्धक एच0 पी0टी0-32 प्रशिक्षक		हल्का युद्धक विमान(LCA)एय रबोर्न सर्वलेंस, वार्निंग एंड कंट्रोल अस्वाक (ASWAC) दुरस्थ नियंत्रित विमान (RPV) निशांत	कि प्रथम उडान-1996 कावेरी इंजिन की LCA में स्थापना 2002 भारतीय वायुसेना में LCA की पूर्ण समर्पण तथा उपयोग-2006
2.	प्रक्षेपास्त्र		छोटे परास की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी	मध्यम परास की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि छोटे परास की सैम त्रिशूल अधिक परास की सैम आकाश	अग्नि मिसाइल का एक तकनालॉजी प्रदर्शक : परीक्षण जारी
3.	युद्धक वाहन	कवचित ऐंबुलेंस	कैरियर कमांड पोस्ट	अर्जुन, मुख्य युद्धक, टैंक (MBT)	उत्पादन से पूर्व परीक्षण शुरुआत के लिए 42 अर्जुन टैंक का निर्माण
4.	नौसैनिक तंत्र	खुखरी जलपोतो को पनडुब्बी से रक्षा कराने वाला पोत कॉवेट (Corvette)	डिस्ट्रायर देहली फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र आधुनिक उन्नत सोनार	उन्नत तकनालॉजीपोत (ए0 टी0 वी0) उन्नत सोनार पंचेद्विय टैक्टिकल शस्त्रो युक्त कंट्रोल सिस्टम	ए0 टी0 वी0 में न्यूक्लीय इंजिन

5.	गोली बारूद	100 मिमी RCL बंदूक/7062 मिमी रायफल हल्की मशीनान (LMG) 7062 मिमी कारबाइन 40मिमी0विमान भेदी तोप प्रति टैंक मिनेह मोटर (81मिमी0, 120मिमी0) 75 मिमी0पैकेज हॉवित्जर	पिनाका रॉकेट सिस्टम	पिनाका पराशः 40 मिमी
6.	इलेक्ट्रॉनिकी तथा इंस्ट्रुमेंशन	इंद्रा - तथा आरक्षक संचार उपकरण	बी0 एल0 एफ0 रिसेंटर	राजेंद्र कला सारणी (Phased array) राक्षस धल सेना के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिकीयुद्ध तंत्र (Integrated EW Systems)
7.	सामग्री	हल्के अलौय उच्च ताप की सामग्री उच्च शक्ति (high strength) की सामग्री	पृथ्वी मिसाइल के इंटरनल टर्बोइन रोटर तथा सेरामिक स्पेसर्स अलुमीनियम अलौय (RDE - 40)	कंचन कवच न्यूनमेटालिक तथा कम्पोजिटस
8.	इंजीनियरिंग	पुल टैंकवेज	मैनुअली लॉन्च अलैन्ट ब्रिज	बिज लेअर टैंक

9.	कम्प्यूटर तथा सिस्टम अध्ययन	वेस - स्पार्क II - 4 अनामिका	उत्तम कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर	सैनिक तथा नागरिक उपयोग के लिए उत्तम कम्प्यूटर
10.	जीव विज्ञान	विभिन्न न्यूनात्मक शिकित्सा प्रणाली बायो मेडीकल रिसर्च	उत्तम न्यूनात्मक चिकित्सा पद्धति	देश में न्यूनात्मक चिकित्सा पद्धति के प्रवर्धक

विज्ञान व तकनीक में निरन्तर हो रहे अनुसंधान का उपयोग करते भारत शनैः शनैः अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु तत्पर व सचेत है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु भारत अपनी रक्षा - उत्पादन ईकाइयों में आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करते हुए जहाँ एक ओर वह आधुनिकतम कम्प्यूटरों, प्रक्षेपास्त्रों, विमानों, टैंकों व पनडुब्बियों आदि का विकास कर रहा है वहीं नागरिक सेवाओं हेतु भी उपयोगी संयंत्रों व कल पुर्जों का निर्माण करके अपनी औद्योगिकीकरण प्रक्रिया को तीव्र करने में तत्पर है। भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नांकित हैं -

1. सुपर कम्प्यूटर -

भारत में निम्नांकित सुपर कम्प्यूटर विकसित किये गये हैं -

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| (i) फ्लोरोलवर एम के - 3 | (ii) पेरा |
| (iii) टेरा फ्लॉप | (iv) मल्टी माइक्रो |
| (v) माख | |
| (vi) परम | |
| (vii) परम - 10,000 | |
| (viii) परम अनन्त | |
| (xi) सी - डैक | |

2. पायलट रहित विमान (निशान्त) -

भारत के इस पायलटरहित विमान का परीक्षण किया जा चुका है। इसका उपयोग धल सेना हेतु किया जायेगा।

3. लक्ष्य -

भारत में निर्मित पायलट रहित यह विमान समुद्र तल से मात्र 300 मीटर से लेकर 9 किमी. ऊँचाई तक उड़ान भर सकता है। 750 किमी. प्रति घण्टे की रफ्तार से यह विमान 40 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है।

4. हंस - 3 -

भारत में पूर्ण विकसित यह प्रशिक्षण विमान बंगालीय स्थित नेशनल एअरोस्पेस लैबोरेटरीज में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशक में विकसित किया गया है।

5. अर्जुन टैंक -

इसका विकास भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड एवं आरबी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से किया गया है। 150 अश्वशक्ति एवं 55 टन भार वहन करने वाला यह टैंक 120 एम. एम. तोपों से सुसज्जित है। रात्रि में भी फायर करने की क्षमता से सुसज्जित

यह टैंक बैलिस्टिक कम्प्यूटर एवं गन नियन्त्रण उपकरणों से युक्त है।

6. पिनाक -

भारत में ही निर्मित ये बहुनालक राकेट प्रणाली हैं जिससे 12 राकेट प्रति सेकण्ड तक साथ दागे जा सकते हैं। इस प्रणाली का विकास आयुध अनुसंधान व विकास संस्थान पुणे ने किया।

7. एन0 बी0 सी0 कलैक्टिव सिस्टम -

रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा एक शरणस्थली के रूप में विकसित ये प्रणाली हैं जिसमें 30 व्यक्ति 36 घण्टे तक नाभिकीय हमले की स्थिति में सुरक्षित रह सकते हैं। सिस्टम नाभिकीय, जैविक व रासायनिक हमले से बचाव में सक्षम है।

सोवियत विघटन के बाद बढ़ रही अमेरिकी चौधराहत से परिवर्तित अन्तराष्ट्रीय परिवेश में सामंजस्य हेतु अपनी जटिल भू - स्त्रातेजी व भू - राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान रखकर भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर निरन्तर अनुसंधान करे। आज के एक ध्रुवीय विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा के बदल रहे भावार्थ एवं खाड़ी युद्धों (प्रथम व द्वितीय) प्राप्त अनुभवों, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था की अवहेलना, बढ़ती हुई "इस्लामिस्ट कट्टरता" तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन में अमेरिका के दोहरे मानदण्डों से इस अवधारणा का बल मिला है कि अब सभी राष्ट्रों को चाहे वे छोटे हो या बड़े अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसके लिए इच्छाशक्ति युक्त आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय समर्पण, दूरदर्शितापूर्ण कुशल नेतृत्व एवं अर्थव्यवस्था सुदृढता के साथ - साथ विज्ञान व प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नूतन अनुसंधानों की सक्रियता अपरिहार्य है।

प्रश्न-15. नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा एवं तत्वों का विवेचन कीजिए।
उत्तर - प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण हथियारों की प्रतियोगिता नहीं बल्कि हथियारों का अभाव था जबकि अब तक परमाणु युद्ध (जिसकी तीसरे विश्व युद्ध के रूप में कल्पना की जाती है) छिड़ने का प्रमुख कारण प्रतिरोधकता (Deterrence) की सफलता है। आज युद्ध का स्वरूप बदल चुका है क्योंकि हम आणविक युग में जी रहे हैं। इस आणविक युग में मानव जहाँ असंमित शक्ति से युक्त है वहीं वह इनके विनाशकारी प्रभावों से इस कदर भयाक्रांत है कि वह एक प्रकार से अनिर्णय स्थिति में जी रहा है।

यूरोप में किसी भी प्रकार के युद्ध को प्रतिरोधित करने में नाभिकीय आयुध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आयुध ऐसी भूमिका तब तक निभाते रहेंगे जब तक कि ये यूरोपीयनों को उपलब्ध रहेंगे। लेकिन आज तक इन नाभिकीय आयुधों की प्रतिरक्षा के लिए अनुपयोगिता में बढ़ा विश्वास के कारण सारे विश्व की अभिरुचि पारम्परिक आयुधों में सन्तुलन एवं पारम्परिक प्रतिरोधकता की ओर पुनः बढ़ रही है।

प्रतिरोधकता एक मनोवैज्ञानिक आभास है जिसका दो सन्दर्भों से सीधा सम्बन्ध है। नीति के रूप में तथा द्वितीय स्थिति के रूप में। नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रतिरोधकता से अर्थ उस सुविधा प्रयास से है जिसके द्वारा एक राष्ट्र शत्रु राष्ट्र को कोई कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है अथवा धमकी के द्वारा किसी कार्य को करने पर बंदिश लगाता है। स्थिति की दृष्टि से इसका अर्थ उस स्थिति से है जिसके अन्तर्गत धमकियों के द्वारा अथवा संघर्ष को रोक दिया जाता है। किन्तु उन धमकियों का अमल नहीं किया जाता अर्थात् बल का प्रयोग करने से वंचित रखा जाता है।

उल्लेखनीय है कि धमकी के बाद यदि बल प्रयोग की स्थिति आ गयी तो प्रतिरोधकता

उद्देश्य स्वयं समाप्त हो जाता है अतः प्रतिरोधकता में सदैव इस बात पर बल दिया जाता है कि भय की स्थिति बनी रहे तथा दुश्मन के विरुद्ध सैन्य ताकत का प्रयोग न करना पड़े।

जान. जे. मियर शायमर के अनुसार -

"व्यापक अर्थ में प्रतिरोधकता किसी विरोधी को कोई निश्चित कार्यवाही प्रारम्भ करने से यह कारण बताकर रोकना है कि उसके द्वारा प्रत्याशित लाभ, परिकल्पित मूल्य और जोखिमों को सार्थक एवं उचित सिद्ध नहीं कर पावे।" चूंकि युद्ध करने का निर्णय सैनिक कारकों के अतिरिक्त अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है अतः अन्य असैनिक कारक भी प्रतिरोधकता को प्रभावित करते हैं। अर्थात् किसी राष्ट्र द्वारा लिया गया निर्णय केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी सेनाएं समर क्षेत्र में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थ हैं या नहीं, अतः प्रतिरोधकता असैनिक प्रकृति के अन्य कारकों पर निर्भर करती है।

मोटे तौर पर यदि हम यह माने कि हमें सैन्य कार्यवाही द्वारा किसी राजनीतिक लाभ या उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो हमें यह आवश्यक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि इस प्रकार का निर्णय लेते समय निर्णायकों पर अनेक प्रकार के कारकों पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें कार्यवाही की सारी सम्भव प्रतिक्रियाओं एवं प्रत्याशाओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ता है, विशेष रूप से किसी भी सैनिक कार्यवाही के पूर्व निर्णायकों और नेताओं को इसके फलस्वरूप असैनिक प्रकृति के मूल्यों एवं खतरों के विषय में आवश्यक रूप से विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ निर्णायकों को मित्रों एवं अमित्रों की सम्भावित प्रतिक्रियाओं का निश्चित रूप से आकलन कर लेना चाहिए तथा कार्यवाही के पूर्व निर्णायकों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न पहलुओं, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर होने वाली प्रतिक्रिया और देश पर उसके द्वारा हो सकने वाले प्रभाव आदि विषयों पर भी गहनतापूर्वक विचार करना चाहिए। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि "व्यापक अर्थों में प्रतिरोधकता किसी सैनिक कार्यवाही के फलस्वरूप हो सकने वाले प्रत्याशित लाभों एवं सैनिक तथा असैनिक प्रकृतिक के अनेक मूल्यों एवं जोखिमों के मध्य एक सम्बन्ध है।"

प्रतिरोधकता की अवधारणा को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त कर सकते हैं -

- (1) दण्ड पर आधारित प्रतिरोधकता
- (2) वचन पर आधारित प्रतिरोधकता

इन दो प्रकार की अवधारणाओं में बहुत सुस्पष्ट अन्तर है। दण्ड आधारित प्रतिरोधकता में शत्रु के नागरिकों, उद्योग - धन्धों, कारखानों आदि को नष्ट करने की धमकी दी जाती है तथा वचन पर आधारित प्रतिरोधकता के अन्तर्गत हम शत्रु को कायल करते हैं कि वह समरक्षेत्र या युद्ध भूमि में उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा। दंडाधारित प्रतिरोधकता को प्रायः नाभिकीय आयुधों से तथा कभी - कभी परम्परागत आयुधों से सम्बद्ध किया जाता है। यद्यपि कुछ विचारकों के अनुसार नाभिकीय आयुधों को भी समरक्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है अतः यहाँ पर हम पारम्परिक को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि "पारम्परिक प्रतिरोधकता समरक्षेत्र में पारम्परिक बल के माध्यम से आक्रामक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से वंचित रखने की सामर्थ्य का परिणाम है।"

इस प्रकार कहा जा सकता है कि पारम्परिक प्रतिरोधकता का तात्पर्य युद्ध क्षेत्र के परिणामों से है। यहाँ पर युद्ध क्षेत्र को बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। यहां पर एक अर्थ में युद्ध क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र से है जहाँ दो सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं तथा युद्ध आरम्भ हो जाने पर अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र में एक दूसरे से लड़ती हैं। इस प्रकार की परिकल्पना गुरिल्ला युद्ध कला जैसे वियतनाम युद्ध और पर्लहार्बर जैसी जल एवं वायु युद्ध प्रधान परिस्थितियों में सफल नहीं होती है।

किसी शक्तिशाली आक्रमणकारी की सैन्य कार्यवाही के परिणामों की अनिश्चितता एवं भय ही प्रतिरोधकता की अवधारणा के मूल में स्थित होते हैं। विशेष रूप से ऐसी प्रतिरोधकता जो कि

सैन्य कार्यवाही से उत्पन्न मूल्यों एवं खतरों का फल है, उस स्थिति में प्राप्त की जा सकती है। आक्रामक यह मान बैठे कि इस जोखिम में सफलता की संभावना अत्यन्त कम और इसकी अत्यधिक है।

वर्ष 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में अचिन वानाईक ने परमाणु हथियारों की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर जो विचार व्यक्त किये हैं वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं -

As for the USA, nuclear weapons as "Currency of Power" could prevent Vietnam, humiliation in Somalia, or its own relative economic decline. After the end of the second World War, it is difficult to cite even one instance where the might of the USA's nuclear weapons brought it significant political gain vis-a-vis a non nuclear power. Similarly, nuclear weapons could not prevent the economic disarray and political collapse of the USSR, or prevent the UK from becoming the 'Sick man of Western Europe.' In the final count, all that this 'Currency of Power' seems to have gained for the USA, France and the other nuclear weapon states (NWSs), is a 'feel good' for its diplomatic Negotiators which is untranslatable, however, into any other meaningful gains vis-a-vis non nuclear powers.

भारत की द्वितीय प्रहारक क्षमता की परिपक्वता से युद्धनीतिक संतुलन को बनाये रखने में काफी मदद मिलती है। फ्रैंक ओ डोनेल ने इस सन्दर्भ में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं -
..... the ripening of India's second strike capability will provide reassurance to India about the strategic balance, yet India would do well not to get caught in the intellectual trap of thinking that nuclear deterrence is a numbers game, Chiana's saying that matters - counts for basically nothing As India's former army chief General Sundarji once observed "In war fighting whether conventional or nuclear, whilst calculating relative strengths more is always better. But for deterrence more is not better, less is adequate." As India rightly celebrates (successfully testing missile's) improvement of its national deterrent, this is sound advice.

वक्त का तकाजा और नवीनतम हथियारों का विकास मांग करता है कि चाहे वह पारम्परिक हों या आणविक, किसी भी स्थिति में भयादोहन को फेल होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

Q. 16. Discuss the concept and elements of nuclear deterrence.

Other Related Question -

Q. Throw light on the strategic significance of Indian ocean region.

प्रश्न - हिन्द महासागर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिये।

उत्तर - हिन्द महासागर न केवल भारत वरन् सम्पूर्ण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया व पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका के तटों को स्पर्श करता है साथ ही उसकी सामरिक, व्यापारिक, सामुद्रिक नीतियों के निर्धारण में प्रमुख भूमिका का निर्वहण करता है। यह एक स्थलबद्ध सागर है जो 7 करोड़ 50 लाख वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत है। हिन्द महासागर समस्त पृथ्वी के जल क्षेत्र का 1 प्रतिशत तथा लगभग 44 देशों के तटों को स्पर्श करने वाला अपार खनिज सम्पदा से युक्त है। पूर्व पश्चिम से हिन्द महासागर में प्रवेश करने के लिये क्रमशः मलक्का तथा वेव - एल - मेण्डेव के प्रमुख

जलडमरूमध्य है। अधिकांश भाग ऊष्ण कटिबन्ध में स्थित होने के कारण यह महासागर बर्फ, कोहरा व ओंधियों से युक्त रहा है। इसी भौगोलिक विशिष्टता के कारण यहाँ सामुद्रिक यातायात अधिक विकसित हो सका है। हिन्द महासागर में स्थित अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, लक्षद्वीप, सेशिलीज द्वीप माल्दोव द्वीप, मारीशस द्वीप, चागोस तथा सोकोत्रा जैसे महत्वपूर्ण द्वीपों के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यन्त ही संवेदनशील है।

हिन्द महासागर के व्यापारिक आर्थिक व भू - सामरिक विशिष्टता की अभिवृद्धि में निम्नांकित रोधक स्थलों (Choke - Points) की विशिष्ट भूमिका है -

स्वेज नहर -

भूमध्यसागर व लाल सागर को संलग्न करने वाली यह महत्वपूर्ण नहर पूर्व व पश्चिम के मध्य होने वाले व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है। 103 मील लम्बी इस नहर से हिन्द महासागर मार्ग से होते हुए लगभग 12 हजार से भी अधिक समुद्री व्यापारिक पोत प्रतिवर्ष गुजरते हैं। उत्तरी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड जैसे विकसित देशों को यह नहर विश्व के अन्य विकासशील राष्ट्रों से जोड़ती है।

2. फारस की खाड़ी -

अरब सागर से संलग्न खाड़ी का यह क्षेत्र हिन्द महासागर की भू - सामरिक व भू - राजनीति को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस क्षेत्र की विशाल खनिज तेल सम्पदा तथा खाड़ी युद्धों (1991 व 2003) के फलस्वरूप यहाँ बढ़ती जा रही अमेरिकी सैन्य उपस्थिति ने हिन्द महासागर की सामरिक महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया है। पश्चिम - एशिया की समस्या तथा तेल - राजनीति से बढ़ रहा अमेरिकी हस्तक्षेप वर्तमान में सर्वाधिक चिन्ता का विषय है।

3. बाब - अल - मन्डेव -

अरब सागर व लाल सागर को जोड़ने वाला यह क्षेत्र हिन्द महासागर की शक्ति - स्पर्धा में अत्यन्त संवेदनशील है। मुख्यतः एशियाई तटवर्ती क्षेत्र एवं अफ्रीकी तटवर्ती क्षेत्र में विभक्त इस क्षेत्र के सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, यमन व साउदी अरब जैसे महत्वपूर्ण देशों में सैन्य आधार विकसित करने हेतु बड़ी शक्तियों के मध्य चल रही स्पर्धा ने क्षेत्रीय सैन्य - सामरिकता को जटिल बना दिया है। इस क्षेत्र की राजनीतिक व भू - सामरिक दशाएं अरब - इजराइल संघर्ष की प्रकृति पर विशेष प्रभाव डाल रही हैं। यहाँ के सीमा - विवादों में अमेरिका रूस व चीन जैसी शक्तियों की बढ़ रही अभिरूचि हिन्द महासागर की शक्ति - स्पर्धा को नूतन आयाम दे रही है।

4. मलक्का जलडमरूमध्य -

पूर्व व पश्चिम के मध्य सम्मिल होने वाले व्यापार का एक मात्र सामुद्रिक मार्ग होने के कारण सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से इस तंग मार्ग का विशिष्ट महत्व है। प्रशान्त व हिन्द महासागर के बीच बड़ी शक्तियों के मध्य होने वाली स्पर्धा में प्रमुख रोधक - बिन्दु का भूमिका का निर्वहन करने वाला यह जलडमरूमध्य हिन्द महासागरीय शक्ति राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

भारतीय प्रायद्वीपीय स्थिति ने हिन्द महासागर का भू - सामरिक व भू - राजनीतिक महत्व और भी बढ़ा दिया है। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया में केन्द्रीय स्थिति होने के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के सभी बन्दरगाह बंगाल की खाड़ी व अरब सागर जो हिन्द महासागर के ही भाग हैं ही में स्थित हैं तथा भारत का 80 प्रतिशत व्यापार इसी महासागर के द्वारा सम्पन्न होता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह पूर्व व पश्चिम के मध्य मुख्य व्यापार मार्ग है जहाँ से लगभग 7 करोड़ टन माल प्रतिवर्ष आता जाता है तथा लगभग 80 - 90 मालवाहक पोत प्रतिदिन इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। कुल मिलाकर इसकी भू - रणनीतिक व भू - राजनीतिक स्थिति

इतनी महत्वपूर्ण है कि महाशक्तियाँ इस क्षेत्र पर अपना - अपना नियन्त्रण चाह रही हैं। संक्षेप में हिन्द महासागरीय प्रतिस्पर्धा के निम्नांकित कारण हो सकते हैं -

1. हिन्द महासागर के तटीय देशों में विद्यमान सम्पदा पर अधिकार करना।
2. एशिया में उत्पादित लगभग 37 प्रतिशत तेल के निर्यात मार्ग (जो कि इसी समुद्र द्वारा होता है) पर नियन्त्रण करके तेल राजनीति (Oil - Politics) को अपने पक्ष में करना।
3. हिन्द महासागर पर नियन्त्रण कर यहाँ के क्षेत्रीय संघर्षों में यथासम्भव हस्तक्षेप एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर नियन्त्रण।
4. पश्चिम साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपने - अपने औद्योगिक एवं सामरिक आधार स्थापित करने का लालसा।

अमेरिकी नौ - सेना के भूतपूर्व कमाण्डर एच० जे० गिपल ने सन् 1963 - 64 में कहा था कि ज्यादा दिन की बात नहीं अधिक से अधिक 17 - 18 साल बाद महाशक्तियों की आपसी होड़ केन्द्र होगा हिन्द महासागर और सिर्फ हिन्द महासागर क्योंकि अटलांटिक और प्रशान्त महासागरों में प्रतिस्पर्धा के दायरे बहुत सीमित हो गये हैं। उन्होंने अपने बहुचर्चित शोधग्रन्थ "United States Nuclear Navy" में समुद्रों के सामरिक महत्व एवं महासागरीय प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश डालते लिखा है ... चूँकि दुनिया का ज्यादातर भाग पानी है, समुद्र है इसलिये जाहिर है कि तूती उसी को बोलेंगे जो महासागरों पर वर्चस्व रखेगा और महासागरों पर कब्जा करने की सबसे आसान तरकीब है कि महासागरों में छितरे - बितरे द्वीपों पर कब्जा करके वहाँ सैनिक अड्डे कायम कर लेना ताकि वक्त जरूरत कहीं भी सैनिक मदद भेजी जा सके। उपरोक्त कारणों ने सम्मिलित रूप से शान्त हिन्द महासागर को अशान्त बनाकर ब्रिटिश विदेश सचिव सर अलेक डगलस होम का कथन विश्व शक्ति और अपनी धाक जमाने के लिये विश्व शक्तियों के संघर्ष का निर्णय अब एशिया में होगा। को सन् प्रमाणित कर दिया है।

विश्व शक्तियों के अड्डे -

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद के चुगल से मुक्त हो रहे राष्ट्रों को अपने - अपने प्रभाव में लाने की होड़ ने एशिया को महाशक्तियों की शक्ति प्रतिस्पर्धा का केन्द्र बिन्दु बना दिया। युद्धोपरान्त आर्थिक रूप से जर्जर ब्रिटेन अन्ततः अपने उपनिवेशों पर अपना दबाव पूर्ववत् कायम रखने में अपने को असमर्थ महसूस करने लगा। परिणामस्वरूप ब्रिटेन द्वारा स्वेज के पूर्व की नीति घोषित करने से हिन्द महासागर में उत्पन्न हुई रिक्तता की पूर्ति हेतु महाशक्तियों द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश को बढ़ावा मिला। महाशक्तियों की इन कार्यवाहियों से हिन्द महासागर में शक्ति प्रतिद्वन्द्विता का ऐसा दौर प्रारम्भ हुआ जिसने इस क्षेत्र को एक उबलता हुआ क्षेत्र बना दिया। यहाँ पर निम्नांकित देशों के सामरिक अड्डे हैं -

1. अमेरिका -

यद्यपि भू - राजनैतिक व रणनीतिक दृष्टिकोण से यूरोपीय शक्तियों ने ही इस क्षेत्र में पहले पदार्पण किया था परन्तु उनके बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। सन् 1965 में ब्रिटिश सचिव श्री एन्थोनी ग्रीनवुड ने यह घोषणा की कि अमेरिका व ब्रिटेन संयुक्त रूप से BIOT का निर्माण करके यहाँ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से संचार अड्डे की स्थापना करेंगे। इस नयी कालोनी का प्रमुख केन्द्र सेशेल्स के विकटोरिया नामक स्थान पर था जिसमें निम्न क्षेत्र आते हैं।

(अ) अलडबारा, फरकुहार, डिसरोचेस तथा फरकुहार का आइसलैण्ड जिनकी आबादी क्रमशः 1000, 172 व 112 थी।

(ब) चागोस द्वीप समूह (मारीशस) का डियागोगार्सिया, जिसकी आबादी 1200 थी।

ब्रिटिश कालोनियल नियम के अन्तर्गत मारीशस व सेशेल्स को मुआवजा देने का वादा भी ब्रिटेन द्वारा किया गया जो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। उक्त स्थलों में डियागोगार्सिया की स्थिति हिन्द महासागर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ एक संचार अड्डे के निर्माण हेतु ब्रिटेन व अमेरिका के मध्य 50 वर्षीय समझौता हुआ था जिसमें संयुक्त रूप से इसको विकसित करने का प्रबंधन था डियागोगार्सिया की दूरी दक्षिण अफ्रीका से 2000 मील मारीशस से 1000 मील मालदीप से 1000 मील, कोचीन से 1500 मील इण्डोनेसिया से 800 मील तथा आस्ट्रेलिया से 1500 मील है। अड्डा V आकृति का है तथा 13 मील लम्बाई व 4 मील की चौड़ाई में फैला हुआ है। सन् 1965 ई० (19 मिलियन डालर की लागत से) यहाँ पर संचार व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, तथा सन् 1973 तक 8000 फिट लम्बी हवाई पट्टी निर्मित का ली गयी। बाद में जुलाई 1975 अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 29 मिलियन डालर अतिरिक्त धन की व्यवस्था से हवाई पट्टी को विस्तृत कर 12,000 हजार फिट कर दिया गया जहाँ से बी - 52, एफ - 111, फैंटम एफ - 4 तथा सी - 135 मान उड़ान भर सकते हैं। हवाई सुविधाओं के अतिरिक्त यहाँ नाभिकीय ईंधन से संचालित होने वाली आधुनिकतम पनडुब्बियों को हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। यह आधार अमेरिका की त्वरित विस्तार बल (R. D. F.) का मुख्यालय है तथा यहाँ तैनात बी - 52 बमवर्षक 50, 000 फिट की हवाई पर ध्वनि की गति से उड़कर विश्व के किसी भी क्षेत्र में नाभिकीय एवं परम्परागत हथियारों से हमला करने में पूर्णतः सक्षम है। खाड़ी युद्धों एवं तालिबान - विरोधी अमेरिकी सैन्य अभियान में डियागोगार्सिया की सामरिक उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है। वर्तमान में डियागोगार्सिया अड्डे पर अमेरिका ने निम्नांकित संचार व सैन्य सुविधाएं विकसित की हैं -

1. Navy Support Facility (N. S. F.)
2. Naval Computer and Telecommunications Stations (NCTS)
3. Navy Maritime Prepositioning Ship (Squadron two)
4. Military Sealift Command Unit.
5. Patrol Squadron.
6. Patrol wing one Detachment
7. Detachment 4, 18th Space Surveillance Command.
8. Detachment 8, 750 Space Group.
9. Defence Mapping agency.

डियागोगार्सिया के अतिरिक्त पश्चिमी व पूर्वी हिन्द महासागर के निम्नांकित देशों में अमेरिका को नौ सैनिक व हवाई सुविधाएं प्राप्त हैं -

बहरीन -

सन् 1949 से ही यह देश अमेरिका के मध्य - पूर्व सैन्य शक्ति (U.S. M. E. F.) का प्रमुख आधार रहा है तथा आज यह अमेरिका के पाँचवें बड़े का मेजबान देश है। यहाँ सन् 1998 से ही तीस अमेरिकी एफ - 16, एफ - 15, दो बी - 1 बास्कर तथा 4 के सी - 135 टैंकर्स को सैन्य सुविधाएं प्राप्त हैं। अमेरिका व बहरीन के मध्य सन् 1991 में एक रक्षा - सहयोग समझौता सम्पन्न हुआ है जिसके अन्तर्गत यहाँ अमेरिका को नौ व वायु सुविधाएं सतत मिलती रहती हैं।

कुवैत -

कुवैत में अमेरिका को हर प्रकार की सैन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद यह राष्ट्र अमेरिका के अग्रिम - आधार की भूमिका निभा रहा है। सन् 1998 से कुवैत के हवाई अड्डों पर अमेरिका के एफ - 16, एफ - 117 व 18 ए - 10 आक्रामक वायुयानों को सुविधाएं मिल रही हैं।

इनके अतिरिक्त कुवैत में अमेरिका के एक कवचित बिग्रेड को भी सैन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ओमान -

ओमान व अमेरिका के मध्य सन् 1980 में हुए रक्षा समझौते के अन्तर्गत ओमान के दो भाग में स्थित थुमरैट (Thumrait) में अमेरिका को हवाई सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा इसके बदले ओमान को अत्याधुनिक सैन्य साज - सामान की आपूर्ति कर रहा है।

कतार -

सन् 1991 में दोहा में अमेरिका ने एक सैन्य सम्पर्क कार्यालय स्थापित किया था तथा 1992 में दोनों देशों के मध्य हुए रक्षा समझौते के बाद कतार में अमेरिका को कवचित बिग्रेड हेतु सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं।

सऊदी अरब -

इस क्षेत्र में यह अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी देश है। सन् 1990 से सऊदी अरब के प्रिन्स सुल्तान हवाई आधार पर 30 अमेरिकी एफ - 15, एफ - 16, आर 135 विमान, यू - 2 जासूसी विमान तथा 6 सी - 130 विमानों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संयुक्त अरब - अमीरात -

जुलाई 1994 में अमेरिका व संयुक्त अरब - अमीरात के मध्य हुए रक्षा - सहयोग समझौते के आधार पर अमेरिकी पोतों को आबूधावी फुजेरा, दुबई और जुबैर अली में नौ सैन्य सुविधाएं मिल रही हैं।

मिस्र अपने हवाई अड्डों को अमेरिका के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों में उपलब्ध करा रहा है तथा दोनों देश संयुक्त मानवीय सहायता कार्यक्रमों हेतु रक्षा सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं।

केन्या -

यहाँ अमेरिका को महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1990 के दशक के प्रारम्भ में ही सोमालिया और रवाण्डा में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहियों हेतु अमेरिका केन्या स्थित मोम्बासा और नैरोबी में सैन्य सुविधाएं प्राप्त करता रहा है।

पाकिस्तान -

अरब सागर तट पर स्थित पाकिस्तान अमेरिका का विश्वस्त सहयोगी व फ्रण्ट - स्टेट है। कराची व ग्वादर में अमेरिका को सैन्य सुविधाएं मिल रही हैं। प्रेसलर - संसोधन के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान को फिलहाल एफ - 16 विमान तो नहीं दिये हैं किन्तु समय समय पर दिये जाने वाले अनुदानों के अतिरिक्त फिलहाल जून 2003 में 3 अरब डालर की सहायता राशि दी है।

सिंगापुर -

सन् 1990 में अमेरिका व सिंगापुर के मध्य हुए रक्षा समझौते के आधार पर अमेरिका की तटीय सुरक्षा प्रशिक्षण व संचरण सुविधाएं मिल रही हैं। इतना ही नहीं, सिंगापुर अमेरिका के सात बड़े के लडाकू पोतों को सम्भरण तन्त्र व मरम्मत सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य विमान वाहक पोत पनडुब्बियों व अन्य लडाकू पोतों हेतु नौ सैन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। चौगी नौ - सैन्य आधार इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

थाईलैण्ड -

इस क्षेत्र में थाईलैण्ड अमेरिका का प्रमुख रक्षा सहयोगी देश है। दोनों के मध्य सन् 1990 में मनीला पैक्ट, जिसे बाद में सीटो का सझा दी गयी थी, में निहित रक्षा व्यवस्थाओं के अनुसार अमेरिका भी अमेरिका थाईलैण्ड की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध है। इस क्षेत्र में थाईलैण्ड अमेरिकी हितों की रक्षा हेतु

पर सम्भव सैन्य व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है तथा स्वयं उसने भी अपने नौ - सैन्य सामर्थ्य पर्याप्त वृद्धि की है।

आस्ट्रेलिया -

सन् 1951 में अमेरिका आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड के मध्य सम्पन्न सुरक्षा सन्धि अन्जुस (ANZUS) के द्वारा सन्धिकर्ता देश एक दूसरे की सहायता हेतु वचनबद्ध हैं। आस्ट्रेलिया की भूमि पर अमेरिका को आधुनिकतम सैन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा दोनों देशों की नौ व वायु सेना के मध्य परस्पर सैन्य अभ्यास इस क्षेत्र में चलते रहते हैं। कोबरा गोल्ड (Cobra Gold) एवं सी ईगल (Sea Eagle) नौ सैन्य अभ्यास इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।

फ्रान्स -

फ्रांस को जिबौती, रियूनियन, डीगास्यारेज, टनारिव, क्रोजेट कराग्यूलेन तथा एम्सटर्डन में वायु नौ - सुविधाएं उपलब्ध हैं। मायेटो (Mayotte) में भी फ्रांस सुविधाएं प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहा है।

चीन -

चीन को तंजानिया में नौ सैन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा सऊदी अरब, पाकिस्तान व नेपाल देश में सैन्य सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। चीन, म्यामार के निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।

इन देशों के अतिरिक्त हिन्द महासागर में द्वितीय दर्जे की सबसे बड़ी शक्ति सोवियत संघ को भी दक्षिण यमन लाल सागर, वियतनाम व इथियोपिया आदि में नौ व वायु सैन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं किन्तु उसके विघटन के पश्चात् हिन्द महासागर में स्वतः अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया है किन्तु ईरान इण्डोनेशिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया जापान आदि राष्ट्र भी अपनी नौ - सैन्य शक्ति में वृद्धि करके हिन्द महासागर की सामरिक - स्पर्धा में नये आयाम उत्पन्न कर सकते हैं।

हिन्द महासागर में सामरिक स्पर्धा -

हिन्द महासागर में प्रतिस्पर्धा मुख्यतः अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ की उपस्थिति के कारण हो रही है। ये दोनों बड़े देश अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हिन्द महासागर में समय समय पर सैन्य व शीत युद्ध को प्रोत्साहित करते रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका का सम्बन्ध है उसने आस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन से समझौता करके इस महासागर में नौ सैन्य आधारों एवं संचार सुविधाओं को निर्माण कर लिया है जिसके निम्नांकित लक्ष्य हैं -

1. अपने आर्थिक, राजनैतिक व्यापारिक व सैनिक हितों की पूर्ति हेतु इस सम्पूर्ण क्षेत्र में उत्पन्न शक्ति की पूर्ति।

2. अपने प्रतिद्वन्द्वियों की सामरिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर शक्ति - संतुलन पर नियन्त्रण।

उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रारम्भ से ही जहाँ एक ओर अमेरिका ने हिन्द महासागर के विभिन्न तटवर्ती देशों को सामरिक संगठनों के सूत्र में बाँधकर साम्यवाद के प्रसार पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया है, वहीं दूसरी ओर वह अभी भी हिन्द महासागर में खुलने वाले प्रमुख जलद्वारों पर अपना नियन्त्रण करना चाहता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय व्यापार पर नियन्त्रण स्थापित करना सम्भव हो सके। इतना ही नहीं अमेरिका मध्य - पूर्व के तेल भण्डारों में लगी अपनी पूँजी और उनसे होने वाली आय को बरकरार रखते हुए इस क्षेत्र के देशों पर अपना नियन्त्रण चाह रहा है।

अमेरिका की भाँति ब्रिटेन भी अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा हेतु सतर्क रहा है। उसने रूसी प्रभुत्व को शिथिल करने के लक्ष्य से अमेरिका को हिन्द महासागरीय रणनीति में सहभागी

बनकर अपने व्यापारिक व सामरिक हितों को काफी हद तक सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की। वास्तव में ब्रिटेन का स्वेज नहर के पूर्व से हटने का तथाकथित निर्णय एक प्रकार की चाल थी। जिसके अन्तर्गत यह हिन्द महासागरीय जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी कन्धे के उपयोग का इच्छुक था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के हिन्द महासागरीय उद्देश्यों तथा हितों में किसी प्रकार के टकराव का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः महासागर में उनके हित एक दूसरे के पूरक ही हैं। यही कारण है कि डीयागोगार्सिया के सम्मिलित अड्डे के विकास का कार्य तटीय राष्ट्रों के विरोध बावजूद द्रुत गति से चल रहा।

उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के मध्य संघर्ष अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ईरान शाह के पतन ईरान - इराक युद्ध एवं श्रीलंका में तमिल सिंहली संघर्ष आदि घटनाओं ने हिन्द महासागरीय समर नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ज्ञातव्य है कि सोमालिया ने बारबेरा का अड्डा सोवियत संघ से वापस लेकर अमेरिका को सौंप दिया, जिससे अमेरिका (वियतनाम युद्ध में प्राप्त असफलता एवं सीटो तथा सेण्टो के बिखराव आदि) हिन्द महासागर में अपनी साख जमाने के लिए प्रोत्साहित हुआ। उसने अपने दोस्ती को सामरिक सहायता पहुंचाने एवं अपने हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर विश्व शान्ति का लबादा ओढ़कर एक त्वरित प्रतिस्तर टुकड़ी (R. D. F.) गठित की है जिसकी धाक जमाने में वह डीयागोगार्सिया एवं बारबेरा के नौ सैनिक अड्डों का सहारा लिये बिना नहीं रह सकता। इस गतिशील टुकड़ी में 1,50,000 नाविक व सैनिक, 20 विमान, 4 मालवाहक जहाज, 16 कूजर व विध्वंसक पोत, 3 विमानवाहक पोत (निमिटज, विटहाक मिडवे) तथा भारी संख्या में बी - 52 बमवर्षक, एफ बी - 111 लड़ाकू विमान एवं सामरिक परमाणु सम्मिलित हैं। R. D. F. का अन्तिम लक्ष्य फारस की खाड़ी व हिन्द महासागर के क्षेत्र को अपने प्रभुत्व में रखना तथा अरब तेल क्षेत्रों पर नियन्त्रण स्थापित करना है।

इतना ही नहीं अमेरिका ने अपने सेण्टो से सेण्टकाम की नीति के अन्तर्गत सेण्टकाम (Centcom - Central command) का गठन किया है जिसमें इस क्षेत्र के 19 देशों को सदस्य बनाया गया है जिसके उद्देश्य 3C (Command Control & Communication) पर आधारित हैं। इसके अन्तर्गत से अमेरिका की सैनिक पकड़ हिन्द महासागर में और भी सुदृढ़ हो गयी है। अमेरिका ने महासागर में गश्त अर्थात् समुद्री की पहरेदारी और निगरानी हेतु कई उपग्रहों को अन्तरिक्ष में भेजकर नक्षत्र युद्ध (Star war) की योजना को भी अपनी रक्षा नीति में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक उपस्थिति का एक अपरोक्ष पहलू भी है। अमेरिका अपने तथाकथित वफादार देशों के सैन्यीकरण के द्वारा इस क्षेत्र में अपनी सैनिक स्थिति और भी मजबूत करता जा रहा है। पाकिस्तान, इसराइल, द० अफ्रीका व सऊदी अरब इसी श्रेणी में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका व इसराइल न केवल परमाणु हथियारों से लैस हो चुके हैं अपितु वे अमेरिकी शस्त्रीकरण नीति के पूरक सहयोगी व स्थानीय एजेंट (Local Agent) का कार्य कर रहे हैं। सऊदी अरब ने एक ओर अमेरिका से अरब डालर के हथियार खरीदकर ईरान के शाह की अनबुझी शस्त्रों की भूख स्वयं अपना ली है दूसरी तरफ वह पाकिस्तान को इस्लामी बम के निर्माण में अपने धन की थैली खोलकर परमाणु हथियारों को अपने शस्त्रागार में शामिल करने के प्रयास में है। यह सब हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिकी फौजी उपस्थिति के ही स्वरूप माने जायेंगे। इसी में यदि हिन्द महासागर के बाहरी छोरों पर अमेरिकी सैनिक उपस्थिति के पूरक सहयोगी के रूप में जापान की बढ़ रही नौ सैन्य शक्ति को जोड़ दिया जाय तो यह तस्वीर और भी भयावह हो जाती है।

यद्यपि अमेरिका के परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी सोवियत संघ के विघटन से क्षेत्रीय सामरिक प्रतिस्पर्धा में कुछ शिथिलता के संकेत परिलक्षित हो रहे हैं, किन्तु चीन, इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया एवं

सिंगापुर आदि देशों की बढ़ रही नौ सैन्य अभिरुचि क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इस समय साम्यवादी चीन अपने युद्ध पोतों के लिये आवश्यक आधार सुविधाएँ प्राप्त करने एवं अपनी सुरक्षा के लिये प्रयत्नरत है। विशेषकर तंजानिया जाम्बिया और जंजीबार में चीन ने अपने अड्डे निर्मित किये हैं। सम्भवतः इसलिये उसने न केवल तंजानिया को किंगमबोनी में डाक - यार्ड निर्माण में सहायता की अपितु तंजानिया - जाम्बिया रेलवे लाइन एक वाटर वर्क्स और समुद्र तटीय फ्रैक्चरी निर्माण कराकर उसने इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर लिया है। ज्ञातव्य है कि चीन कराची और जंजीबार में नौ सैनिक सुविधाएँ पहले ही प्राप्त कर चुका है। फ्रांस भी हिन्द महासागर की प्राचीन नौ - शक्ति है। बड़ी शक्तियों की गतिविधियों की देखा देखी फ्रांस ने भी पुनः अब इस महासागर में दो रूपों में दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी है। एक तो अपने अड्डों के संरक्षक के रूप में और द्वितीय इस क्षेत्र (विशेषकर खाड़ी क्षेत्र) में युद्धोपयोगी शस्त्रों के निर्यातक के रूप में।

इस क्षेत्र में जापान, ईरान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, इण्डोनेशिया और सिंगापुर की नौ शक्ति गतिविधियाँ भी दृष्टिगत होती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जापान विश्व रगमंच पर बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा है साथ ही वह जहाज निर्माण और व्यापारिक जहाजी बड़े के निर्माण में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। अतः जापान का अपने आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ के लिये हिन्द महासागर की गतिविधियों में दिलचस्पी लेना स्वाभाविक हो जाता है। ज्ञातव्य है कि जापान तेल कच्चे माल तथा बाजार की प्राप्ति हेतु हिन्द महासागरीय परिवहन एवं संचार मार्गों को निष्कटक बनाये रखना चाहता है। अतः तटीय देशों को आर्थिक सहायता अथवा नौ सैनिक साज सामान प्रदान कर अपने सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए वह प्रयत्नरत है। इथोपिया में खनिज निष्कर्षण हेतु Nippon mining Co. की स्थापना कर जापान वहाँ पर अपने नौ सैनिक अड्डे की स्थापना हेतु लालायित दिखाई देता है। जहाँ तक ईरान का सम्बन्ध है सन् 1967 तक उसकी हैसियत इस क्षेत्र में एक मार्ग दर्शक की थी किन्तु 1967 से 1971 के बीच ब्रिटेन के पीछे हटते ही वह खाड़ी क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नरत हुआ और खाड़ी युद्ध के बाद तो वह भी हिन्द महासागरीय शक्ति बनने के लिये कृत सकल्प प्रतीत होता है।

हिन्द महासागर एवं प्रशान्त महासागर को जोड़ने वाले मार्ग में फैले हुए इण्डोनेशिया की भूसागरिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिन्द महासागर के तीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तथा चीन, जापान, द० पू० एशिया, अफ्रीका व दक्षिण एशियाई देशों का सामुद्रिक व्यापार इन्हीं मार्गों से होता है। इण्डोनेशिया प्रारम्भ से ही हिन्द महासागरीय प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए अपनी नौ सेना को आधुनिकतम व 'जपित' शक्तिशाली बनाने के हर सम्भव प्रयत्न करता रहा है। उसने पूर्व सोवियत संघ से भारी ऋण लेकर अपनी नौ सेना को अन्य किसी अफ्रो एशियाई देश की तुलना में पर्याप्त सुदृढ़ कर लिया है। उसके पास ऐसी मारक क्षमता से युक्त नौ सेना है जो बंगाल की खाड़ी तक अपने पास के समुद्र में पर्याप्त आतंक उत्पन्न कर क्षेत्रीय सुरक्षा को संकटापन्न कर सकती है।

Q. 17. Discuss the assumptions and possible Causes of Insurgency.
Other Related Questions -

Q. What are the possible causes of causes of insurgency?

Q. What are assumptions related to insurgency.

प्रश्न - विप्लव से सम्बन्धित पूर्वधारणाएँ एवं सम्भावित कारणों की विवेचना कीजिये।

बनकर अपने व्यापारिक व सामरिक हितों को काफी हद तक सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की। वास्तव में ब्रिटेन का स्वेज नहर के पूर्व से हटने का तथाकथित निर्णय एक प्रकार की चाल था जिसके अन्तर्गत यह हिन्द महासागरीय जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी कन्धे के उपयोग का इच्छुक था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के हिन्द महासागरीय उद्देश्यों तथा हितों में किसी प्रकार के टकराव का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः महासागर में उनके हित एक दूसरे के पूरक ही हैं। यही कारण है कि डीयागोगार्सिया के सम्मिलित अड्डे के विकास का कार्य तटीय राष्ट्रों के विरोध बावजूद द्रुत गति से चल रहा।

उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के मध्य संघर्ष अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ईरान, शाह के पतन ईरान - इराक युद्ध एवं श्रीलंका में तमिल सिंहली संघर्ष आदि घटनाओं ने हिन्द महासागरीय समर नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ज्ञातव्य है कि सोमालिया ने बारबेरा का अड्डा सोवियत संघ से वापस लेकर अमेरिका को सौंप दिया, जिससे अमेरिका वियतनाम युद्ध में प्राप्त असफलता एवं सीटो तथा सेण्टो के बिखराव आदि हिन्द महासागर में अपनी साख जमाने के लिए प्रोत्साहित हुआ। उसने अपने दोस्ती को सामरिक सहायता पहुंचाने एवं अपने हितों सुरक्षा को ध्यान में रखकर विश्व शान्ति का लबादा ओढ़कर एक त्वरित प्रतिस्तर टुकड़ी (R. F.) गठित की है जिसकी धाक जमाने में वह डीयागोगार्सिया एवं बारबेरा के नौ सैनिक अड्डों सहारा लिये बिना नहीं रह सकता। इस गतिशील टुकड़ी में 1,50,000 नाविक व सैनिक, 20 विमान, 4मालवाहक जहाज, 16 कूजर व विध्वंसक पोत, 3 विमानवाहक पोत (निमित्ज, विटहाक मिडवे) तथा भारी संख्या में बी - 52 बमवर्षक, एफ बी - 111 लड़ाकू विमान एवं सामरिक परमाणु सम्मिलित हैं। R.D.F. का अन्तिम लक्ष्य फारस की खाड़ी व हिन्द महासागर के क्षेत्र को अपने प्रभुत्व में रखना तथा अरब तेल क्षेत्रों पर नियन्त्रण स्थापित करना है।

इतना ही नहीं अमेरिका ने अपने सेण्टो से सेण्टकाम की नीति के अन्तर्गत सेण्टकाम (Centcom- Central command) का गठन किया है जिसमें इस क्षेत्र के 19 देशों को सदस्य बना दिया गया है जिसके उद्देश्य 3C (Command Control & Communication) पर आधारित हैं। इसके अलावा से अमेरिका की सैनिक पकड़ हिन्द महासागर में और भी सुदृढ़ हो गयी है। अमेरिका ने महासागर में गश्त अर्थात् समुद्रों की पहरेदारी और निगरानी हेतु कई उपग्रहों को अन्तरिक्ष में भेजकर नक्षत्र युद्ध (Star war) की योजना को भी अपनी रक्षा नीति में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक उपस्थिति का एक अपरोक्ष पहलू भी है। अमेरिका अपने तथाकथित वफादार देशों के सैन्यीकरण के द्वारा इस क्षेत्र में अपनी सैनिक स्थिति और भी मजबूत करता जा रहा है। पाकिस्तान, इसराइल, दक्षिण अफ्रीका व सऊदी अरब इसी श्रेणी में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका व इसराइल न केवल परमाणु हथियारों से लैस हो चुके हैं अपितु वे अमेरिकी शस्त्रीकरण नीति के पूरक सहयोगी व स्थानीय एजेंट (Local Agent) का कार्य कर रहे हैं। सऊदी अरब ने एक ओर अमेरिका से अरब डालर के हथियार खरीदकर ईरान के शाह की अनुबुद्धी शस्त्रों की भूख स्वयं अपना ली है दूसरी तरफ वह पाकिस्तान को इस्लामी बम के निर्माण में अपने धन की थैली खोलकर परमाणु हथियार को अपने शस्त्रागार में शामिल करने के प्रयास में है। यह सब हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिकी पौंजी उपस्थिति के ही स्वरूप माने जायेंगे। इसी में यदि हिन्द महासागर के बाहरी छोरों पर अमेरिकी सैनिक उपस्थिति के पूरक सहयोगी के रूप में जापान की बढ़ रही नौ सैन्य शक्ति को जोड़ दिया जाय तो यह तस्वीर और भी भयावह हो जाती है।

यद्यपि अमेरिका के परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी सोवियत संघ के विघटन से क्षेत्रीय सामरिक प्रतिस्पर्धा में कुछ शिथिलता के संकेत परिलक्षित हो रहे हैं, किन्तु चीन, इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया

सिंगापुर आदि देशों की बढ़ रही नौ सैन्य अभिरुचि क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इस समय साम्यवादी चीन अपने युद्ध पोतों के लिये आवश्यक आधार सुविधायें प्राप्त करने एवं अपनी सुरक्षा के लिये प्रयत्नरत है। विशेषकर तंजानिया जाम्बिया और जंजीबार में चीन ने अपने अड्डे निर्मित किये हैं। सम्भवतः इसलिये उसने न केवल तंजानिया को किंगमबोनी में डाक - यार्ड निर्माण में सहायता की अपितु तंजानिया - जाम्बिया रेलवे लाइन एक वाटर वर्क्स और समुद्र तटीय क्वैट्टी निर्माण कराकर उसने इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर लिया है। ज्ञातव्य है कि चीन कराची और जंजीबार में नौ सैनिक सुविधायें पहले ही प्राप्त कर चुका है। फ्रांस भी हिन्द महासागर की प्राचीन नौ - शक्ति है। बड़ी शक्तियों की गतिविधियों की देखा देखी फ्रांस ने भी पुनः अब इस महासागर में दो रूपों में दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी है एक तो अपने अड्डों के संरक्षक के रूप में और द्वितीय इस क्षेत्र (विशेषकर खाड़ी क्षेत्र) में युद्धोपयोगी शस्त्रों के निर्यातक के रूप में।

इस क्षेत्र में जापान, ईरान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, इण्डोनेशिया और सिंगापुर की नौ शक्ति गतिविधियाँ भी दृष्टिगत होती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जापान विश्व रगमंच पर बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा है साथ ही वह जहाज निर्माण और व्यापारिक जहाजी बेड़े के निर्माण में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। अतः जापान का अपने आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ के लिये हिन्द महासागर की गतिविधियों में दिलचस्पी लेना स्वाभाविक हो जाता है। ज्ञातव्य है कि जापान तेल कच्चे माल तथा बाजार की प्राप्ति हेतु हिन्द महासागरीय परिवहन एवं संचार मार्गों को निष्कटक बनाये रखना चाहता है। अतः तटीय देशों को आर्थिक सहायता अथवा नौ सैनिक साज सामान प्रदान कर अपने सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए वह प्रयत्नरत है। इथोपिया में खनिज निष्कर्षण हेतु Nippon mining Co. की स्थापना कर जापान वहाँ पर अपने नौ सैनिक अड्डे की स्थापना हेतु लालायित दिखाई देता है। जहाँ तक ईरान का सम्बन्ध है सन् 1967 तक उसकी हैसियत इस क्षेत्र में एक मार्ग दर्शक की थी किन्तु 1967 से 1971 के बीच ब्रिटेन के पीछे हटते ही वह खाड़ी क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नरत हुआ और खाड़ी युद्ध के बाद तो वह भी हिन्द महासागरीय शक्ति बनने के लिये कृत सकल्प प्रतीत होता है।

हिन्द महासागर एवं प्रशान्त महासागर को जोड़ने वाले मार्ग में फैले हुए इण्डोनेशिया की भूसागरिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिन्द महासागर के तीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तथा चीन, जापान, दक्षिण एशिया, अफ्रीका व दक्षिण एशियाई देशों का सामुद्रिक व्यापार इन्हीं मार्गों से होता है। इण्डोनेशिया प्रारम्भ से ही हिन्द महासागरीय प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए अपनी नौ सेना को आधुनिकतम व शक्तिशाली बनाने के हर सम्भव प्रयत्न करता रहा है। उसने पूर्व सोवियत संघ से भारी ऋण लेकर अपनी नौ सेना को अन्य किसी अफ्रीका एशियाई देश की तुलना में पर्याप्त सुदृढ़ कर लिया है। उसके पास ऐसी मारक क्षमता से युक्त नौ सेना है जो बंगाल की खाड़ी तक अपने पास के समुद्र में पर्याप्त आतंक उत्पन्न कर क्षेत्रीय सुरक्षा को संकटापन्न कर सकती है।

Q. 17. Discuss the assumptions and possible Causes of Insurgency.
Other Related Questions -

Q. What is possible causes of causes of insurgency?

Q. What are assumptions related to insurgency.

प्रश्न - विप्लव से सम्बन्धित पूर्वधारणाएँ एवं सम्भावित कारणों की विवेचना कीजिये।

बनकर अपने व्यापारिक व सामरिक हितों को काफी हद तक सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की। वास्तव में ब्रिटेन का स्वेज नहर के पूर्व से हटने का तथाकथित निर्णय एक प्रकार की चाल थी जिसके अन्तर्गत यह हिन्द महासागरीय जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी कन्धे के उपयोग का इच्छुक था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के हिन्द महासागरीय उद्देश्यों तथा हितों में किसी प्रकार के टकराव का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुतः महासागर में उनके हित एक दूसरे के पूरक ही हैं। यही कारण है कि डीयागोगार्सिया के सम्मिलित अड्डे के विकास का कार्य तटीय राष्ट्रों के विरोध बावजूद द्रुत गति से चल रहा है।

उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के मध्य संघर्ष अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ईरान शाह के पतन ईरान - इराक युद्ध एवं श्रीलंका में तमिल सिंहली संघर्ष आदि घटनाओं ने हिन्द महासागरीय समर नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ज्ञातव्य है कि सोमालिया ने हिन्द महासागर का अड्डा सोवियत संघ से वापस लेकर अमेरिका को सौंप दिया, जिससे अमेरिका (वियतनाम युद्ध में प्राप्त असफलता एवं सीटो तथा सेण्टी के बिखराव आदि) हिन्द महासागर में अपनी साख जमाने के लिए प्रोत्साहित हुआ। उसने अपने दोस्ती को सामरिक सहायता पहुंचाने एवं अपने हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर विश्व शान्ति का लबादा ओढ़कर एक त्वरित प्रतिस्तरा टुकड़ी (R. D. F.) गठित की है जिसकी धाक जमाने में वह डीयागोगार्सिया एवं बारबेरा के नौ सैनिक अड्डों का सहारा लिये बिना नहीं रह सकता। इस गतिशील टुकड़ी में 1,50,000 नाविक व सैनिक, 20 विमान, 4मालवाहक जहाज, 16 क्रूजर व विध्वंसक पोत, 3 विमानवाहक पोत (निमित्ज, विटहाक मिडवे) तथा भारी संख्या में बी - 52 बमवर्षक, एफ बी - 111 लड़ाकू विमान एवं सामरिक परमाणु सम्मिलित हैं। R. D. F. का अन्तिम लक्ष्य फारस की खाड़ी व हिन्द महासागर के क्षेत्र को अपने प्रभुत्व में रखना तथा अरब तेल क्षेत्रों पर नियन्त्रण स्थापित करना है।

इतना ही नहीं अमेरिका ने अपने सेण्टो से सेण्टकाम की नीति के अन्तर्गत सेण्टकाम (Centcom- Central command) का गठन किया है जिसमें इस क्षेत्र के 19 देशों को सदस्य बनाया गया है जिसके उद्देश्य 3C (Command Control & Communication) पर आधारित हैं। इसके अन्तर्गत से अमेरिका की सैनिक पकड़ हिन्द महासागर में और भी सुदृढ़ हो गयी है। अमेरिका ने महासागर में गश्त अर्थात् समुद्रों की पहरेदारी और निगरानी हेतु कई उपग्रहों को अन्तरिक्ष में भेजकर नक्षत्र युद्ध (Star war) की योजना को भी अपनी रक्षा नीति में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक उपस्थिति का एक अमरौष पहलू भी है। अमेरिका अपने तथाकथित वफादार देशों के सैन्यीकरण के द्वारा इस क्षेत्र में अपनी सैनिक स्थिति और भी मजबूत करता जा रहा है। पाकिस्तान, इसराइल, दक्षिण अफ्रीका व सऊदी अरब इसी श्रेणी में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका व इसराइल न केवल परमाणु हथियारों से लैस हो चुके हैं अपितु वे अमेरिकी शस्त्रीकरण नीति के पूरक सहयोगी व स्थानीय एजेंट (Local Agent) का कार्य कर रहे हैं। सऊदी अरब ने एक ओर अमेरिका से अरब डालर के हथियार खरीदकर ईरान के शाह की अनुबुद्धी शस्त्रों की भूख स्वयं अपना ली है दूसरी तरफ वह पाकिस्तान को इस्लामी बम के निर्माण में अपने धन की थैली खोलकर परमाणु हथियारों को अपने शस्त्रागार में शामिल करने के प्रयास में है। यह सब हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिकी फौजी उपस्थिति के ही स्वरूप माने जायेगे। इसी में यदि हिन्द महासागर के बाहरी छोरों पर अमेरिकी सैनिक उपस्थिति के पूरक सहयोगी के रूप में जापान की बढ़ रही नौ सैन्य शक्ति को जोड़ दिया जाय तो यह तस्वीर और भी भयावह हो जाती है।

यद्यपि अमेरिका के परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी सोवियत संघ के विघटन से क्षेत्रीय सामरिक प्रतिस्पर्धा में कुछ शिथिलता के संकेत परिलक्षित हो रहे हैं, किन्तु चीन, इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया

सिंगापुर आदि देशों की बढ़ रही नौ सैन्य अभिरूचि क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इस समय साम्यवादी चीन अपने युद्ध पोतों के लिये आवश्यक आधार सुविधायें प्राप्त करने एवं अपनी सुरक्षा के लिये प्रयत्नरत है। विशेषकर तंजानिया जाम्बिया और जंजीबार में चीन ने अपने अड्डे निर्मित किये हैं। सम्भवतः इसलिये उसने न केवल तंजानिया को किंगमबोनी में डाक - यार्ड निर्माण में सहायता की अपितु तंजानिया - जाम्बिया रेलवे लाइन एक वाटर वर्क्स और समुद्र तटीय फ्रैक्टरी निर्माण कराकर उसने इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर लिया है। ज्ञातव्य है कि चीन कराची और जंजीबार में नौ सैनिक सुविधायें पहले ही प्राप्त कर चुका है। फ्रांस भी हिन्द महासागर की प्राचीन नौ - शक्ति है। बड़ी शक्तियों की गतिविधियों की देखा देखी फ्रांस ने भी पुनः अब इस महासागर में दो रूपों में दिलचस्पी लेनी प्रारम्भ कर दी है। एक तो अपने अड्डों के संरक्षक के रूप में और द्वितीय इस क्षेत्र (विशेषकर खाड़ी क्षेत्र) में युद्धोपयोगी शस्त्रों के निर्यातक के रूप में।

इस क्षेत्र में जापान, ईरान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, इण्डोनेशिया और सिंगापुर की नौ शक्ति गतिविधियाँ भी दृष्टिगत होती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जापान विश्व रगमंच पर बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा है साथ ही वह जहाज निर्माण और व्यापारिक जहाजी बेड़े के निर्माण में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। अतः जापान का अपने आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ के लिये हिन्द महासागर की गतिविधियों में दिलचस्पी लेना स्वाभाविक हो जाता है। ज्ञातव्य है कि जापान तेल कच्चे माल तथा बाजार की प्राप्ति हेतु हिन्द महासागरीय परिवहन एवं संचार मार्गों को निष्कटक बनाये रखना चाहता है। अतः तटीय देशों को आर्थिक सहायता अथवा नौ सैनिक साज सामान प्रदान कर अपने सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए वह प्रयत्नरत है। इथोपिया में खनिज निष्कर्षण हेतु Nippon mining Co. की स्थापना कर जापान वहाँ पर अपने नौ सैनिक अड्डे की स्थापना हेतु लालायित दिखाई देता है। जहाँ तक ईरान का सम्बन्ध है सन् 1967 तक उसकी हैसियत इस क्षेत्र में एक मार्ग दर्शक की थी किन्तु 1967 से 1971 के बीच ब्रिटेन के पीछे हटते ही वह खाड़ी क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नरत हुआ और खाड़ी युद्ध के बाद तो वह भी हिन्द महासागरीय शक्ति बनने के लिये कृत संकल्प प्रतीत होता है।

हिन्द महासागर एवं प्रशान्त महासागर को जोड़ने वाले मार्ग में फैले हुए इण्डोनेशिया की भूसागरिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिन्द महासागर के तीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तथा चीन, जापान, दक्षिण एशिया, अफ्रीका व दक्षिण एशियाई देशों का सामुद्रिक व्यापार इन्हीं मार्गों से होता है। इण्डोनेशिया प्रारम्भ से ही हिन्द महासागरीय प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए अपनी नौ सेना को आधुनिकतम व शक्तिशाली बनाने के हर सम्भव प्रयत्न करता रहा है। उसने पूर्व सोवियत संघ से भारी ऋण लेकर अपनी नौ सेना को अन्य किसी अफ्रीका देश की तुलना में पर्याप्त सुदृढ़ कर लिया है। उसके पास ऐसी मारक क्षमता से युक्त नौ सेना है जो बंगाल की खाड़ी तक अपने पास के समुद्र में पर्याप्त आतंक उत्पन्न कर क्षेत्रीय सुरक्षा को संकटापन्न कर सकती है।

Q. 17. Discuss the assumptions and possible Causes of Insurgency.

Other Related Questions -

Q. What are the possible causes of causes of insurgency?

Q. What are the assumptions related to insurgency?

प्रश्न - विप्लव से सम्बन्धित पूर्वधारणाएँ एवं सम्भावित कारणों की विवेचना कीजिये।

अन्य सम्बन्धित प्रश्न :-

प्रश्न - विप्लव की सम्बन्धित कारण क्या है ?

प्रश्न - विप्लव से सम्बन्धित पूर्वधारणाएँ क्या हैं ?

उत्तर - विप्लव इन्सुरजेन्सी का अर्थ -

अन्वेषणीय है कि आधुनिक युद्धकर्म राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विचारों का एक सम्बद्ध समूह है जिसका उद्देश्य किसी देश की स्थापित सत्ता को अलग कर उसे स्थान पर दूसरी सत्ता स्थापित करना होता है। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आक्रमणकारी विप्लव (अन्वेषण स्थान) को जनता से आन्तरिक असन्तोष उत्पन्न करने के लिये उनके सौजन्य, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य मतभेदों को उभारता है। ऐसी वृत्ति में आक्रमण को इंसर्जेंसी (insurgency) तथा उसके कार्य को इंसर्जेंसी (insurgency) कहा जाता है। इंसर्जेंसी की प्रतिरोधक कार्यवाही को काउन्टर इंसर्जेंसी (Counter Insurgency) कहा जाता है।

लेफ्ट कर्नल बी. के. आनन्द ने इंसर्जेंसी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है -

"Insurgency is not a phenomenon but an improvised process of struggle in which the violence is thoroughly organised and controlled and the intangibles play a crucial role."

Random house dictionary में Insurgency को निम्न रूप से वर्णित किया है -

"The term insurgency itself merely conveys an insurrection against the government by a group not recognised as belligerent."

"इंसर्जेंसी एक प्रयास है जो सैनिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के द्वारा अपने से अधिक शक्तिशाली सैन्य वर्ग (जो कि सरकार होती है) के विरुद्ध गुरिल्ला युद्धकर्म को अपनाकर किया जाता है जिसका उद्देश्य शासन को अपने हाथ में लेना होता है।"

A. M. Scott ने बताया है कि, "इंसर्जेंसी के अन्तर्गत संगठित समूह अथवा समूहों द्वारा दीर्घकालिक अनियमित युद्धकला व संयुक्त राजनैतिक तकनीकों द्वारा राजनैतिक लक्ष्य की प्राप्ति से सम्बन्धित प्रयत्न शामिल होते हैं।" अनियमित युद्ध तथा इंसर्जेंसी में पर्याप्त अन्तर है जहाँ अनियमित युद्धकला विशुद्ध रूप से सैन्य गतिविधियों से सम्बन्धित होती है वहीं इंसर्जेंसी में सैन्य गतिविधियों के अतिरिक्त राजनैतिक घटक भी शामिल होते हैं। Scott के अनुसार -

"Insurgency is irregular warfare plus politics. Irregular warfare is insurgency minus politics."

क्रान्तिकारी युद्ध (Revolutionary war) लड़ने की तकनीक को ही इंसर्जेंसी कहा जाता है। सफल इंसर्जेंसी हेतु विद्रोहियों (Insurgents) को अपने सैद्धान्तिक मूल्यों पर काफी स्थिर व दृढ़ होना चाहिये तथा प्रचार को एक प्रमुख अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करके सम्पूर्ण जनता में अपने प्रति विश्वास व सहानुभूति (popular Support) उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिये। यद्यपि कई विद्वानों ने इंसर्जेंसी के अतिरिक्त क्रान्ति की तकनीक हेतु अन्य कई पारिभाषिक शब्दों जैसे - कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, मुक्ति संघर्ष (war of liberation), सशस्त्र संघर्ष (Armed Conflict) व लघु युद्ध (Little war) आदि का उल्लेख किया है तथापि सभी का आशय एक ही अर्थात् क्रान्तिकारी युद्ध के लड़ने की तकनीक (इंसर्जेंसी) से ही है।

इंसर्जेंसी के प्रमुख तत्व -

इंसर्जेंसी के सफल संचालन में निम्नांकित तत्व महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं -

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

(ग) दो स कारण -

इंसर्जेंसी के लिये सबल प्रमुख तत्व आन्तरिक कारण होना चाहिये। एक ठोस कारण ही आगे चलकर इंसर्जेंसी के लिये वास्तविक शक्ति का स्रोत होता है। समीक्षित कारण जनता की दली संस्था को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जनता का सहयोग परीक्षा से प्रत्यक्ष लक्ष्य की संरक्षा पर निर्भर करता है कारण ऐसा होना चाहिये जो कि जनता की समस्याओं से सम्बन्ध रखता हो। राजनैतिक कारण वह होता है जो लम्बे समय तक बना रहता है अर्थात् उस समय तक रहता है जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लिया जाये। सामंजस्यपूर्ण कारण वह होता है जिससे सीमित लक्ष्य की जल्दी प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। जैसे - जनता की मूल्य वृद्धि की समस्या अज्ञान की कमी पानी अथवा अन्न की समस्या को उपारना तथा उसी उत्पन्न असन्तोष का तुरन्त लाभ उठाना।

इंसर्जेंसी किसी भी समस्या से लाभ उठाने के लिये स्वतन्त्र होता है जैसे - सामंजस्य, जातीय, आर्थिक आदि। वह अनेक कारणों अथवा समस्याओं को अपने आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं के अनुसार चुन सकता है। इंसर्जेंसी को यदि एक समस्या दूसरे की अपेक्षा अधिक लाभकारी दिखाई देती है तो पहली को छोड़ देता है। इस कार्य में उसे हिचक नहीं होती है।

यह आवश्यक नहीं है कि समस्याएँ ज्वलन्त हों। वह गुप्त समस्याओं को भी जनता के प्रचार के द्वारा ज्वलन्त बना सकता है। समस्याएँ कृत्रिम उस समय तक हो सकती हैं जब तक यह सम्भावना रहती है कि उसे सत्य मान लिया जायेगा। इस प्रकार एक कारण या समस्या इंसर्जेंसी के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ समस्याएँ न हो इस कारण इंसर्जेंसी कहीं भी हो सकती है।

(ख) सरकार की शक्ति व कमजोरियाँ -

सरकार की शक्ति कमजोरी तथा उसका संगठनात्मक स्वरूप जैसे तत्व इंसर्जेंसी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साम्यवादी देशों की तुलना में प्रजातान्त्रिक देशों में इंसर्जेंसी की संचालन अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि प्रजातान्त्रिक देशों में विपरीत दलों के माध्यम से वे संगठन प्रचार व सदस्यों की भर्ती जैसे कार्य सरलता से कर सकते हैं। राजनैतिक सत्ता की शक्ति व शिथिलता में निम्नांकित तत्व महत्वपूर्ण होते हैं -

- (i) समस्याओं का न होना
- (ii) राष्ट्रीय सामंजस्य
- (iii) नेतृत्व की दृढ़ता
- (iv) नेतृत्व को काउन्टर इंसर्जेंसी का उचित ज्ञान
- (v) जनसमुदाय के नियन्त्रण का सशक्त तन्त्र।

जिन राष्ट्रों के पर्याप्त पहलू सुदृढ़ होते हैं वहाँ इंसर्जेंसी गतिविधियों के पनपने में कठिनाई होती है जब की इन पहलुओं की शिथिलता उनकी गतिविधियों को सरल बना देता है।

(ग) भौगोलिक दशाएँ -

इंसर्जेंसी की सफलता में सम्बन्धित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ व दशाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। इंसर्जेंसी की प्राथमिक अवस्था में क्रान्तिकारियों को अपने अभियान की गतिशील व प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न भौगोलिक तत्वों का सतर्कतापूर्वक अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिये। निम्नांकित भौगोलिक तत्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं -

1. स्थिति
2. क्षेत्र विस्तार
3. भू - विन्यास

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

4. अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ
5. भू-भाग
6. जलवायु
7. जनसंख्या
8. अर्थव्यवस्था।

पर्वतों व जंगलों से घिरे भू-भाग, छिन्ती हुई ग्रामीण आबादी, उष्णकटिबन्धीय जलवायु पर्वतों से युक्त सीमाएँ तथा संचार व यातायात रहित क्षेत्र इन्सर्जेन्सी गतिविधियों में सर्वाधिक सहायक होते हैं।

(घ) बाह्य सहयोग -

यद्यपि इन्सर्जेन्सी की प्राथमिक अवस्था में बाह्य सहयोग की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है किन्तु इसके विकास व निर्णयात्मक - चरण में बाह्य सहयोग न केवल उत्प्रेरक अभिप्राय निर्णयात्मक तत्व की भूमिका निभाते हैं। यह सहयोग निम्नांकित रूप में होता है -

1. नैतिक समर्थन
2. राजनैतिक समर्थन
3. तकनीकी समर्थन
4. वित्तीय समर्थन
5. सैन्य समर्थन

आतंकवाद व गुरिल्ला सक्रियाओं के सफल संचालन की प्राथमिक अवस्था में क्रांतिकारी शास्त्र गोलाबारूद व अन्य उपकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जबकि वे निर्णयात्मक चरण में ही प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग अथवा सैन्य हस्तक्षेप को उपयोगी मानते हैं।

इन्सर्जेन्सी की विशेषताएँ -

(क) उद्देश्य (जनसंख्या) -

इन्सर्जेन्सी का प्रथम उद्देश्य जनता का सहयोग प्राप्त करना होता है। वह इस प्रकार कार्य करता है जिससे काउन्टर इन्सर्जेन्सी कार्यकर्ता जनता से अलग - थलग पड़ जाये तथा उसे युद्ध जीतने में सरलता हो जाये। जनता के लिये युद्ध इन्सर्जेन्सी की प्रमुख विशेषता है और एतदर्थ जनमत प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है।

(घ) इन्सर्जेन्सी एक राजनैतिक युद्ध है -

प्रत्येक युद्ध सैद्धान्तिक रूप से राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये लड़ा जाता है। इन्सर्जेन्सी में एक राजनीतिक उद्देश्य निहित होता है जिसे इन्सर्जेन्सी द्वारा निश्चित किया जाता है।

(ग) शान्ति से युद्ध को क्रमबद्ध हस्तान्तरण -

इसर्जेन्ट नेताओं को क्रान्तिकारी आन्दोलन संगठित करने में बहुत समय लगता है। उसे अपने विरोधी की तुलना में उठने सैन्य संगठन उसके बराबर होने तथा उस पर विजय प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। अन्य शब्दों में प्रारम्भिक कमजोरी के कारण यह युद्ध लम्बा है। उदाहरणार्थ चीन का क्रांतिकारी युद्ध 22 वर्ष, ग्रीस का 5 वर्ष, हिन्द - चीन तथा फिलीपाइन्स में 9 वर्ष इंडोनेशिया में 5 वर्ष तथा मलाया में 12 वर्ष तक चला।

(घ) इन्सर्जेन्सी सस्ती तथा काउन्टर इंसर्जेन्सी महंगी होती है -

इंसर्जेन्ट आर्थिक दुर्व्यवस्था अव्यवस्था पैदा करके जनता में असन्तोष पैदा करके शासन की शक्ति को चुनौती पैदा कर देता है। दुर्व्यवस्था पैदा करना आसान होता है लेकिन व्यवस्था महंगी

होती है। जैसे यदि रेलवे लाइन की फिश हटा दी जाये तथा रेल दुर्घटना हो जाये तो सम्पूर्ण रेलवे पूल आदि की सुरक्षा शासन के लिये महंगी पड़ेगी। इसी प्रकार प्रत्येक कालेज सिनेमा हॉल पोस्ट ऑफिस अथवा महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा व्यय होगा। काउन्टर इन्सर्जेन्सी करने वाली सरकार को व्यय उठाना पड़ता है क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ सकती। व्यय का अनुपात सरकार तथा इंसर्जेन्ट में 20 : 1 का होता है अथवा प्रारम्भिक अवस्था में अधिक होता है।

(घ) गैर जिम्मेदार इंसर्जेन्ट तथा जिम्मेदार काउन्टर इंसर्जेन्ट -

इंसर्जेन्ट गैर जिम्मेदार होता है क्योंकि न तो उसकी कोई जिम्मेदारी होती है न ही कोई ठोस सम्पत्ति होती है जबकि काउन्टर इंसर्जेन्ट के पास दोनों ही होती हैं। जब शक्ति सन्तुलन प्राप्त हो जाता है उस समय काउन्टर इंसर्जेन्ट युद्ध प्रारम्भ करता है क्योंकि केवल सरकार ही लाभकारी लक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है यह इंसर्जेन्ट की इच्छा होती है कि वह युद्ध को स्वीकार करता है अथवा नहीं।

(घ) सैद्धान्तिक शक्ति -

जनता का मत प्राप्त करने के लिये इंसर्जेन्ट को एक दृढ़ सैद्धान्तिक आधार रखना पड़ता है। दृढ़ सिद्धान्त ही उसके आन्दोलन की मुख्य सम्पत्ति होते हैं। इनको इतना शक्तिशाली होना चाहिए जिससे वह स्वयं की कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा देखा गया है कि काउन्टर इंसर्जेन्ट दृढ़ सैद्धान्तिक विचार वाले इंसर्जेन्ट के सम्मुख पराजित हो जाते हैं।

(ज) प्रचार एक अतिरिक्त शस्त्र -

इंसर्जेन्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती इसलिये वे कोई भी उपाय अपना सकते हैं। आवश्यकता पर झूठ भी बोलते हैं अथवा ठगते हैं या बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। उसे कोई सिद्ध करने के लिये नहीं कह सकता। उसका आँकलन उसके आश्वासनों से होता है न कि उसके कार्यों से होता है। प्रचार उसके लिये एक शक्तिशाली अस्त्र होता है।

सत्ता पक्ष का आकलन उसके कार्यों से होता है न कि उसके आश्वासनों से। इसके लिये प्रचार केवल सूचना प्रदान का साधन होता है। सत्ता पक्ष जनता को धोखा झूठ या बढ़ा चढ़ाकर बातें कहकर भ्रम में नहीं रख सकता।

(झ) इंसर्जेन्सी अन्त होने तक अपारम्परिक होती है -

इंसर्जेन्सी में अपनी कुछ विशेष स्रातजीय समस्याएँ होने के कारण यह पारम्परिक ढंग का युद्ध नहीं होता जिसके कारण निम्नलिखित हैं -

1. स्थाई सेना के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता है कि उससे गुरिल्ला कार्यवाहियों का अंत हो जायेगा। जबकि दूसरी ओर वे अपना क्षेत्र तथा तीव्रता को बढ़ाकर स्थाई सेना की कार्यवाहियों को सुगम बना सकते हैं जिससे उनके प्रभावों को बढ़ाया जा सके।
2. जनता का सहयोग प्राप्त कर लेने के बाद भी इंसर्जेन्ट उसका प्रयोग अपने हित के लिए नहीं करता। जब तक जनता उसके साथ रहती है वह युद्ध को केवल अपनी शर्तों पर ही स्वीकार करता है।

Q. 18. Critically examine India's missile programme in the light of its ability in meeting our country's security requirements.

प्रश्न - हमारे राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता के प्रकाश में भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर - भारत में प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Programme) का शुभारम्भ प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा सन् 1983 में किया गया।

780 करोड़ रुपये की इस योजना के अन्तर्गत अर्ध - स्वचालित प्रक्षेपास्त्र व गति के आधार पर निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों की प्रौद्योगिकी के विकास का लक्ष्य निर्धारित था। यहाँ पर स्पष्ट कर देना समीचीन है कि भारत का यह मिसाइल विकास कार्यक्रम पूर्णतः रक्षात्मक उद्देश्यों पर आधारित है। भारत द्वारा मिसाइल निर्माण हेतु विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने के बाद से ही अमेरिका सहित बड़े औद्योगिक देशों (कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन) ने विकासशील देशों को महत्वपूर्ण तकनीकी से वंचित रखने हेतु अप्रैल 1988 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम (M. C. R.) संधि सम्पन्न करके मिसाइल निर्माण के कलपुर्वों व तकनीक के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर भारत के उक्त कार्यक्रम को बाधित करने की हर सम्भव चेष्टा की लेकिन भारत में हैदराबाद स्थित रक्षा शोध एवं विकास संगठन ने तमाम अवरोधों के बावजूद विभिन्न मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण करके अपनी तकनीकी क्षमता व श्रेष्ठता स्पष्ट कर दी। भारत में निर्मित मुख्यतः पाँच श्रेणियों की मिसाइलें निर्मांकित हैं -

1. त्रिशुल (Trishul) -

यह बहुउद्देशीय सतह से हवा में मार करने वाली (S. A. M. surface to Air Missile) है और कम ऊँचाई पर (5 - 50 मीटर) उड़ते हुए लक्ष्य के लिए अत्यधिक प्रभावशाली है। इसे पहिले वाले वाहन पर लगाते हैं तथा इसकी मारक क्षमता 8 - 9 किलोमीटर है। इस मिसाइल में बूस्टर तथा सस्तेनर राकेट मोटर होते हैं जिनमें एच 0 टी 0 पी 0 बी 0 आधारित संयुक्त नोदक प्रयुक्त होते हैं। इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण हो चुके हैं।

2. आकाश (Akash) -

मध्यम दूरी पर यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 25 - 30 कि. मी. है। इसमें भी बूस्टर तथा सस्तेनर फेज होते हैं। इस मिसाइल के भी सफल परीक्षण हो चुके हैं।

3. पृथ्वी (Prithvi) -

यह सतह से सतह (SSM - surface to surface Missile) पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। इसकी निर्देशन तथा नियन्त्रण प्रणाली काफी जटिल है। दागो और भूल जाओ की तकनीक पर इस मिसाइल में कम्प्यूटर युक्त इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। फरवरी 1988 में इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण कर इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है।

4. नाग (Nag) -

यह मिसाइल रूसी मिसाइल फैंगट के समान है जिसे तृतीय परम्परा की टैंक विरोधी फायर एण्ड फारगेट टाइप में गिना जाता है। इसकी मारक क्षमता 4 कि. मी है तथा इसके कई सफल परीक्षण किये जा चुके हैं। इस मिसाइल में कम्प्यूटर युक्त इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया गया है।

5. अग्नि (Agni) -

मध्यम दूरी तक मार वाली (I. R. B.M.) इस मिसाइल की रेन्ज 1500 से 2500 किलोमीटर है। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर निर्मित यह मिसाइल 19 मीटर लम्बी है तथा वजन 14 टन है। भारत सरकार का यह स्पष्ट दावा है कि यह कोई अस्त्र प्रणाली न होकर मात्र प्रौद्योगिक प्रदर्शन है।

वस्तुतः आत्मनिर्भरतापूर्ण यह गौरव रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला (D.R. D. L.) के तत्कालीन निदेशक एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम की संगत कुशलता एवं कार्य के समर्पण की उनकी भावना के परिणामस्वरूप ही साकार हो सका। मिसाइल के

के नाम से सुविख्यात डॉ० कलाम ने भारत की आर्थिक - क्षमता एवं भारतीय प्रयोगशालाओं में पूर्वी नियोजित कार्यक्रमों के विविध पक्षों का मनन व विश्लेषण करके एकीकृत मिलाइल विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सीमित वित्तिय व तकनीकी संसाधनों के माध्यम से यह उपलब्धि हाँसिल की। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय दबावों एवं भू - राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर डॉ० कलाम ने भारत में ही प्रक्षेपास्त्र निर्माण सम्बन्धी उपकरणों के विकास हेतु निर्मांकित प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित किया -

1. राडार के कला - स्थापना जाल।
2. इंपैट डायोड।
3. कार्बन कंपोजिट।
4. मार्ग दर्शन के लिए मुख्य व संवेदित (Sensors)।
5. कम्प्यूटरीय फ्लूइड डायनामिक मॉडल।

डॉ० कलाम ने मिसाइल विकास कार्यक्रम में सेना को भी प्रारम्भिक सहयोगी बनाते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया और कम से कम समय में भारत को अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्रों से सुसज्जित करने में सफलता प्राप्त की।

Q. 19. Critically examine Indias over all defence and military preparedness keeping in view the emerging threats.

प्रश्न - उभरते खतरो के परिप्रेक्ष्य में भारत की समग्र रक्षा एवं सैनिक तैयारियों का आलोचनात्मक परिक्षण कीजिये।

उत्तर - भारत की रक्षा - सामर्थ्य का विवेचन अध्ययन की सुविधा हेतु निम्नालिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रखना समीचीन होगा -

1. सशस्त्र सेनाएँ -

15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वाधीनता के साथ - साथ हुए भारतीय विभाजन के समय साम्प्रदायिक आधार पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का विभाजन भी किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत को पैदल सेना कवचित सेना तोपखाने तथा इन्जीनियरिंग ईकाइयों के क्रमशः 15, 12, 18.5, तथा 61 रेजीमेण्ट प्राप्त हुए। इसी प्रकार नौ सेना के 18 युद्धपोतों व 14 अन्य जलयान तथा नभ सेना के 7 लडाकू स्क्वाड्रन भारत के हिस्से में आये। पाकिस्तान को सैन्य राज - सामान का एक तिहाई भाग देकर आर्डिनेन्स फैक्ट्रीयों के हिस्से के बदले 6 करोड़ रुपये देकर भारत सरकार ने उससे समझौता कर लिया। विभाजन के समय 10 गोरखा बटालियनों में से 4 अंग्रेजों को सौंपकर शेष 6 भारतीय सेना में मिला लिया गया। अतः सैन्य शक्ति के विभाजन से छिन्न - भिन्न भारतीय सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन व उन्हे हथियारों से सुसज्जित करना तत्कालीन भारत सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती थी। फलतः जनरल के० एम० करियप्पा को प्रथम थल सेनाध्यक्ष बनाया गया तथा नभ व नौ - सेना का पुनर्गठन करने के अतिरिक्त भारतीय सैन्य - तन्त्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन व संशोधन करने पड़े। थल, नभ व नौ सेना के अलग अलग सेनाध्यक्ष नियुक्त करने व इन पर संसद के नियन्त्रण के साथ - साथ युद्ध मंत्री के स्थान पर स्वतन्त्र रक्षा मंत्रालय का गठन कर रक्षामंत्री के नियंत्रण में उसे व्यवस्थित करने जैसे कार्य गम्भीरता से किये गये। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक है कि स्वतन्त्रता से पूर्व कमाण्डर - इन - चीफ (C - in - C) ही प्रधान सेनापति होता था तथा वही युद्ध मन्त्री का कार्य करता था किन्तु इस व्यवस्था को समाप्त कर प्रजातान्त्रिक आधार पर इसका गठन किया गया। इतना ही नहीं सैन्य भर्ती में पूर्व प्रचलित जाति व धर्म का बन्धन समाप्त करके सैन्य संगठन में

भारी परिवर्तन किये गये। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतन्त्र बनने पर भारतीय सेना को साथ लगे रायल (Royal) व हिज मैजैस्टी (His Majesty) जैसे शब्दों को हटा तो दिया ही गया, सही सशस्त्र सेनाओं के ध्वजों व अधिकारियों के बैजों पर अंकित ताज (Crown) के स्थान पर उनके चक्र चिह्न के प्रयोग का शुभारम्भ किया गया। सन् 1955 में तीन सेनाओं के सेनाध्यक्षों को चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ, चीफ आफ दि नैवल स्टाफ तथा चीफ आफ दि एअर स्टाफ का दिया गया तथा सन् 1960 में भारतीय राष्ट्रपति को सम्पूर्ण सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति का दिया गया। सशस्त्र सेनाओं पर पूर्णतः राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित होने पर सैन्य संगठन भी प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में जाति, धर्म व रंगभेद से मुक्त होकर सैन्य शक्ति को विकसित व सुदृढ़ करने हेतु व्यापक प्रयत्न प्रारम्भ किये गये। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय के नियन्त्रण व निर्देशन में सशस्त्र के आधुनिकीकरण हेतु रक्षा उद्योगों की स्थापना पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इतना ही नहीं सैनिकों व अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देहरादून, खडगवासला, नई दिल्ली व पूना में संस्थानों के अतिरिक्त कोचीन, बम्बई, लोनवाला (नौ - सैन्य प्रशिक्षण हेतु) तथा वायु - सैन्य प्रशिक्षण के जोधपुर, कोयम्बटूर व जलाहाली आदि स्थानों पर नवीन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं की समाधात क्षमता व रक्षा तैयारियों का विवरण निम्नवत् है -

1. स्थल सेना -

भारतीय स्थल सेना का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में संतुलित स्थल सेना और राजपूत, मराठा व सिक्ख सैन्य पद्धति का क्रमिक विकास व इनके द्वारा विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा लड़े विभिन्न संग्राम इसके साक्षी हैं कि वस्तुतः भारतीय सेना में लड़ाकू क्षमता व शौर्य प्रदर्शन व सैन्य स्वाभिमान में कोई कमी नहीं थी। मेवाड़ के राजा सांग्राम सिंह और महाराजा प्रताप, मराठा सरदार शिवाजी सिक्ख सेनापति रणजीत सिंह तथा दक्षिण भारत में टीपू सूतान आदि ऐसे भारतीय सेनानी थे जिनके शौर्य गरिमा व युद्धकला के अभिनव प्रयोगों से भारतीय सैन्य इतिहास की कीर्ति सदैव उज्ज्वल रही है।

स्वाधिनता के पश्चात साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजित व लुंज-पुंज भारतीय स्थल सेना ने सन् 1947-48 के कश्मीर युद्ध में पहले ब्रिटिश जी० ओ० सी० इन - सी० जनरल डडले के तत्पश्चात प्रथम भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल के० एम० करियप्पा के नेतृत्व में जिस अद्भुत अप्रत्याशित युद्धकला का प्रदर्शन किया वह इस बात की पुष्टि करता है कि लड़ाकू भावना, अदम्य साहस व बलिदान हेतु पूर्व प्रसिद्ध भारतीय सेना की गौरवशाली परम्परा का अभी आंशिक क्षरण तक नहीं हुआ है। जनरल के० एम० करियप्पा ने अपने कार्यकाल में पारम्परिकता और आधुनिकता के सुन्दर समन्वय द्वारा सेना में उत्कृष्ट अनुशासन, कोर भावना, उच्च कार्य क्षमता एवं स्वस्थ नैतिक साहस का संचार करके एक संतुलित सैन्य ढाँचा निर्मित करने का दूरदर्शी कार्य किया। किन्तु सन् 1950 के मध्य में विभिन्न भारतीय राजनेताओं ने सैन्य तैयारियों के प्रति उदासीनता व चीन के कूटनीतिक झांसे में फँसकर न केवल भारतीय रक्षा गौरव पर दाग लगाया अपितु भारत की अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्राप्त प्रतिष्ठा को भी वे न बचा सके। किन्तु 1962 में चीन से हुई पराजय के पश्चात भारत सरकार ने रक्षा पंचवर्षीय योजना का निर्धारण कर अपनी रक्षा तैयारियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया। इन्हीं रक्षा तैयारियों का यह परिणाम था कि भारतीय सेना उत्तर पूर्व में आतंकवाद से लड़ने 1961 में गोवा मुक्ति 1970 में उत्तर प्रदेश में पुलिस विद्रोह से निपटने, 1970 में सिक्किम मुक्ति व सन् 1971 में बॉम्बा मुक्ति संघर्ष में अद्भुत विजय प्राप्ति में सफल रही।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1964-69) के अन्तर्गत स्थल सैन्य शक्ति को बढ़ाकर 8,25,000 करने तथा उसे आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करने का जो निर्णय लिया उसी का ही परिणाम

जो कि सन् 1971 तक भारत ने उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वर्तमान में भारतीय स्थल सेना की सामर्थ्य निम्नवत् है -

स्थल सेना - 12, 20,000

10 कोर

2 आरमई डिविजन

21 इन्फेन्ट्री डिविजन

11 पर्वतीय डिविजन

19 स्वतन्त्र विग्रेड

1 मुक्त आर्टिलरी विग्रेड

6 हवाई सुरक्षा विग्रेड

4 इन्जीनियर विग्रेड

प्रमुख युद्धक टैंक - 3414

टी - 55 टैंक - 800

टी - 22 टैंक - 650

विजयन्त टैंक - 1700, अर्जुन टैंक (5 टैंकों की पहली खेप 7 अगस्त 2004 को शामिल)

इन्फेन्ट्री कामेट व्हीकल - 1100

सैन्य तोपे - 4175

अटैक हेलीकाप्टर - शून्य

भारतीय थल सेना इस समय बोफोर्स तोपों बहुनाली राकेट लांचर, ओसा ए० के० मिसाइलों, स्ट्रेसा हवाई सुरक्षा मिसाइलों पुल बिछाने वाले उपकरणों तथा उपग्रह संचार प्रणालियों से तो सुसज्जित है ही साथ ही पाकिस्तान द्वारा एम - 11 मिसाइलों की भारतीय ठिकानों के विरुद्ध तैनाती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने थल सेना को पृथ्वी मिसाइलों से सुसज्जित कर लिया है। इसके लिए थल सेना में एक मिसाइल संचालक टुकड़ी (333 - मिसाइल ग्रुप) का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत संचालित होने वाली पृथ्वी मिसाइल की मारक क्षमता 150 किमी होगी और यह 1000 किलोग्राम तक की विस्फोट सामग्री शत्रु के ठिकानों पर गिराकर उसे नष्ट करने में सक्षम होगी। पृथ्वी मिसाइलों की रणनीतिक उपयोगिता में वृद्धि हेतु थल सेना को आठ पहियों वाले विशेष मोबाइल लांचर भी उपलब्ध कराये गये हैं जिससे इन मिसाइलों को सीमा तक ले जा कर शत्रु के अन्दर तक महत्वपूर्ण ठिकानों का विध्वंस अपेक्षाकृत सरल हो गया है।

पाकिस्तान को अमेरिका से प्राप्त एम - 1 टैंक के फलस्वरूप उसकी समाधान क्षमता को मद्देनजर रखकर भारत ने भी अपनी कवचित सेना को आधुनिकीकृत करने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की है। यद्यपि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 1996 तक थल सेना को अर्जुन टैंकों के दो रेजीमेण्ड के गठन की घोषणा की थी किन्तु विभिन्न तकनीकी बाधाओं के कारण ऐसा सम्भव होता न देखकर अब टी० - 72 टैंकों के आधुनिकीकरण किया जा रहा है। भारत में मद्रास के निकट आवडी में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बन रहे टी० - 72 टैंकों में सुधार लाकर स्लोवाक गणराज्य के मार्क - 2 किस्म के टैंक की डिजाइन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। युद्ध तकनीकी में हो रहे क्रान्तिकारी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुये भारतीय थल सेना में अधिक गतिशील डिवीजन तथा हवाई आक्रमण एवं जल व स्थल पर कार्य करने वाले तोपखाना डिवीजनों को सम्मिलित किया गया है। मुख्य युद्धक टैंकों पर आधारित दो कवचधारी डिवीजनों के अतिरिक्त एक यन्त्रीकृत डिवीजन तथा एक उड़ान भरने वाली कोर का भी गठन किया गया है जो जैविक व रसायनिक युद्ध तकनीकी के विकास में सक्रिय भागीदारी

भारतीय नौ सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये सोवियत किलो श्रेणी की 8 तथा जर्मन डब्ल्यू (H. D. W.) श्रेणी की 4 पनडुब्बियाँ प्राप्त करने के साथ-साथ पनडुब्बी निर्माण एवं विनिर्माण विशेष बल दिया गया। 1991-92 में नौ सेना ने मिसाइल कारबेट पनडुब्बी विरोध गश्तीपोत तथा हेलीकाप्टर तथा एक पनडुब्बी को अपने साथ जोड़ा गया तथा पनडुब्बियों से सम्पर्क सामान्य तमिलनाडु से एक संचार स्टेशन को भी जोड़ा गया और विशाखापट्टनम में पनडुब्बी मुख्यालय स्थापित किया गया। जर्मन शिपयार्ड के सहयोग से मलगांव डाकयार्ड में 1500 टाईप की आर्ई० एन० एस० शलकी का निर्माण कर भारत आधुनिक पनडुब्बियाँ बनाने वाले प्रमुख देशों की श्रेणी में आ गया। 7 फरवरी 1992 को इस आर्ई० एन० एस० शंकुल को समुद्र में उतारकर भारतीय नौ सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रशंसनीय योगदान दिया है।

नौ सेना के विकास को गति देने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ परियोजनाओं को सक्रिय बनाने के साथ-साथ नौ सेना के वायु स्कन्ध को अतिरिक्त सी हैरियर, डोनियर श्रेणी विमानों तथा चेतक हेलीकाप्टरों से सुसज्जित किया गया है। भारतीय समुद्र तट के किनारे सामरिक व आर्थिक ठिकानों की रक्षा हेतु ६० वायु सेना कमान के अड्डे पर सयुक्त भूमिका में भारतीय नौ सेना के आधुनिकतम लड़ाकू विमान जैंगुआर और मिग-29 को नियोजित किया गया है। दक्षिण में नौ सैनिक अड्डे के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।

सन् 1986 में भारतीय नौ सेना से हटाये गये आर्ई० एन० एस० ब्रह्मपुत्र के स्थान पर अप्रैल 2000 को बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र (3640 टन क्षमता वाला 125.61 मीटर लम्बा व 4.30 मीटर चौड़ा) शामिल किया गया। यह युद्धपोत न केवल दुश्मन की हवाई मिसाइलों को आकाश में निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है अपितु उसके लड़ाकू विमानों व राडारों की क्षमता को जाम करने में भी सक्षम है। साथ ही इसमें त्रिशूल मिसाइल को भी लांच करने की क्षमता है। 14 दिसम्बर 2000 को गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित प्रलय वर्ग के पहले युद्धपोत (477 टन विस्थापन क्षमता लम्बाई 56 मीटर), जिस पर सतह पर मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं (समुद्र में छापा मार भूमिका निभा कर शत्रु की किसी भी पोत को तबाह करने में सक्षम) का जलावतरण सम्पन्न हुआ। इसी तारतम्य में 17 मार्च 2001 को स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीव्र मारक क्षमता वाला आर्ई० एन० एस० तिलोचंग नौ सेना के पूर्वी तट में शामिल किया गया। दिल्ली श्रेणी के तीसरे युद्धपोत आर्ई० एन० मुम्बई, तेल टैंकर, रूसी पनडुब्बी सिन्धुशस्त्र के अलावा सर्वेक्षक पोत आर्ई० एन० एस० दर्शक (28 अप्रैल 2001 को शामिल) भारतीय नौ सेना में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण पोत हैं। 19 सितम्बर 2001 को नौ सेना से हटाये जा चुके मिसाइल श्रेणी के युद्धपोत आर्ई० एन० एस० प्रबल को एक संग्रहालय में रूपान्तरित करने की योजना है। उल्लेखनीय है कि भारत का पहला विश्व का चौथा पनडुब्बी संग्रहालय कुरसुरा (विशाखापट्टनम) में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय नौ सेना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 15 वर्षीय भविय योजना के साथ एक प्रोजेक्ट - 75 नामक परियोजना (फ्रांस व रूस के सहयोग से) पर भी कार्य कर रही है जिसमें 24 विध्वंसक पनडुब्बियों के निर्माण और उन्हें लम्बी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस करने एवं हवाई क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है। विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव (उपहार स्वरूप) प्राप्त करने के साथ-साथ विशाल समुद्री क्षेत्र की निगरानी हेतु भारत रूस से 4 TU - 22 समुद्री गश्ती विमान तथा M - 3 श्रेणी के खतरनाक बमवर्षक विमान भी ले रही है। 17 जनवरी 2003 को मारको में सम्पन्न भारत-रूस रक्षा समझौता के अन्तर्गत भारत रूस से 3 बिलियन रूबल के तहत परमाणु बम वर्षक और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी ले रहा है। 44,000 टन पुराने सोवियत एडमिरल गोर्शकोव की मरम्मत और सम्पूर्ण क्रियाएं भारत को करानी हैं। प्रतिदिन 1000 किमी० की दूरी तय करने की क्षमता से युक्त यह एअर क्राफ्ट कैरियर 30 विमानों के साथ आगे

चल सकता है। यह 24 मिग-29 के लड़ाकू विमानों, 6 हेलीकाप्टर और केए-31 जैसे आधुनिकतम विमानों से सुसज्जित है। भारत व रूस संयुक्त उपक्रम के तहत 30 करोड़ डालर मूल्य से निर्मित ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के 12 फरवरी 2003 को सम्पन्न सफल प्रशिक्षण से भारतीय नौ सेना की प्रहारक क्षमता में निसन्देह रूप से वृद्धि हुई है। 700 किलोमीटर तक मार करने वाली आर्ई० एन० वी० एम० व ब्रह्मोस श्रेणी की स्वदेशी लम्बी दूरी की मिसाइलों के साथ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता जल, थल व वायु तीनों मार्गों पर प्रभावी होगी। रूस से प्राप्त दो अकुल (शार्क) श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों एवं विमान वाहक पोतों से लैस भारत का नया बड़ा गोवा के दक्षिण में करवाड़ में तैनात होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा व भारतीय नौ सेना का अहम अड्डा होगा। इराक-युद्ध से अनुभव लेते हुए भारत ने खडी से मलक्का जलडमरूमध्य तक फैले क्षेत्र में गश्त पर विशेष ध्यान देने की योजना निर्मित की है तथा इस हेतु उसने शिवालिक, (उद्घाटन 18 अप्रैल 2003) सतपुडा (उद्घाटन 4 जून 2004) तथा सह्याद्री जैसे आधुनिक युद्धपोतों को अपने बेड़े में शामिल किया है। मजगाँव गोदी लिमिटेड द्वारा निर्मित सतपुडा स्वदेश में निर्मित दूसरा युद्धपोत है। आर्ई० एन० एस० विराट की 2009 में होने वाली सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखकर कोचीन शिपयार्ड लि० नये विमान वाहक पोत के निर्माण में तत्परता से सक्रिय है।

भारतीय नौ सेना की क्षमता निम्नांकित हैं -

नौ सैन्य बल - 53,000

(जलपोतीय वायुबल सहित)

पनडुब्बी - 16 (एक अणु चालित 13 अन्य निम्नवत)

सिन्धुघोष - 03 (रूसी किलो)

शिंशुमार - 02 (एफ० आर० जी० टी० 209 / 1500)

खुरसुरा - 08 (रूसी फाक्सट्राट)

विमान वाहक - 1

गाइडेड मिसाइल डेस्टायर्स - 8

क्रिगेट - 14

मिसाइल क्राफ्ट - 13

माइनवारफेयर वेसेल्स - 18

कुल पेट्रोल एवं कोस्टेल काम्बेड - 32

नौ सैनिक लड़ाकू विमान - 28

नौ सैनिक सशस्त्र हेलीकाप्टर - 53

पनडुब्बीरोधी युद्धक -

10 - एलीडो विमान

20 - सीकिंग

10 - चेतक हेलीकाप्टर

(Vii) वायु सेना -

यद्यपि किसी भी राष्ट्र की प्रतिरक्षा के लिए सेना के किसी भी अंग को कमजोर नहीं रखा जा सकता तथापि युद्ध विज्ञान व तकनीक की परिवर्तित हो रही अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में रक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व वायु सेना पर है। युद्ध की तकनीकों में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं वे मुख्यतः वायु युद्ध क्षेत्र से ही सम्बन्धित हैं। आज विश्व के जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनकी वायु सेना पर्याप्त शक्तिशाली है। सम्भवतः इन्हीं कारणों से वायु सेना को स्थल व नौ सेना के नेत्र व कान (Eye

& Ear) की संज्ञा दी जाती है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही स्वाधीनता के पश्चात् पाकिस्तान व चीन जैसे पड़ोसियों की वायु क्षमता व उनसे द्विपक्षीय सम्बन्धों के अतीत व वर्तमान ध्यान में रखते हुए अपनी वायु सामर्थ्य में पर्याप्त वृद्धि हेतु सतत प्रयत्नरत है। भारत के लिए सम्पूर्ण विन्ता की बात यह है कि उससे चिर शत्रुता रखने वाले पाकिस्तान को न केवल अमेरिका अर्थात् ने भी आधुनिकतम सैन्य साज सामान उपलब्ध कराकर उसकी समाघात क्षमता को इस हद तक बढ़ा दिया है कि वह आज भारत के लिए चुनौती बना हुआ है।

जहाँ तक भारतीय वायु सेना के विकास - पथ का प्रश्न है, सन् 1925 में गठित सैन्य समिति की सिफारिस पर तत्कालीन चीफ आफ जनरल स्टाफ सर एन्ड्रु स्कीन द्वारा सन् 1930 में पाकिस्तान के छः सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने को भारतीय वायु सेना का शुभारम्भ माना जा सकता है किन्तु वास्तविक रूप में 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायु सेना एक्ट के लागू होने के बाद भारतीय वायु सेना अस्तित्व में आ सकी। इसी दिन भारत के 6 पायलटों को कमीशन दिये गये। भारतीय वायुसेना के लिए यह दिन (8 अक्टूबर, 1932) विशेष महत्व रखता है। सन् 1933 में भारतीय वायु सेना की पहली फ्लाइट क्राची में स्थापित की गयी जिसमें 6 अधिकारी व 19 हवाई सिपाही थे। इस फ्लाइट के पास बहुत धीमी गति से चलने वाले 4 ऐसे पुराने वेस्टलैंड वापित विमान थे जो फैला के बाहर निकलते ही अप्रचलित हो गये किन्तु नवजात भारतीय वायुसेना को इन्हीं से सन्तोष का पड़ा। विंग कमाण्डर प्रफुल्ल बख्शी के अनुसार इन विमानों में शायद ही कोई ऐसे यन्त्र लगे थे जिसे नामित किया जा सके। पायलट को बन्दर बाधने वाली जंजीर से बाधना पड़ता था ताकि उड़ते समय वह विमान से निचे न गिर पड़े। सन् 1933 से 1939 की अवधि भारतीय वायु सेना का गर्मावर्ष था जिसमें भारतीय हवाईबाजों और भूमिकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा सर्वप्रथम 1939 में अफगान विद्रोहियों को कुचलने में इसने महत्वपूर्ण सामरिक भूमिका निभाई। सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने पर भारतीय हवाईबाज सुब्रतो मुखर्जी को नं० 1 स्क्वाड्रन का स्क्वाड्रन लीडर नियुक्त किया गया। इसी के साथ - साथ विशाखापत्तनम, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, कराची व कोलकाता तटवर्ती सुरक्षा फ्लाइट स्थापित किये गये। सन् 1943 में स्पिटफायर व 1946 में पहली बार परिवर्तित स्क्वाड्रन शामिल होने से भारतीय वायु सेना की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गयी।

किन्तु सन् 1947 में हुए भारतीय विभाजन के फलस्वरूप नवगठित वायुसेना के भी विभाजन के कारण यह शक्ति घटकर मात्र सात रिफ्टफायर और एक परिवहन स्क्वाड्रन तक सीमित हो गयी। इसी शक्तिहीन वायु सेना को संगठित कर भारत ने कश्मीर युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों के हौसले परत करते हुए अन्ततः अपने शौर्य व कुशलता का अनुठा उदाहरण प्रस्तुत किया स्वतन्त्र भारत ने सन् 1948 में वैम्पायर विमान प्राप्त करके जेट विमान उड़ाने वाली एशिया की प्रथम वायु सेना हो गयी। कानपुर में पड़े बेकार विमानों की मरम्मत करके भारत ने एक बमवर्षक स्क्वाड्रन का गठन करने के अतिरिक्त सन् 1949 में प्रशिक्षण कमान व 1956 में मेन्टेनेन्स कमान का गठन किया गया। सन् 1954 में एअर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के चीफ आफ एअर स्टाफ बनने पर भारतीय वायुसेना ने नये युग में प्रवेश किया। यहाँ पर यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने एक स्क्वाड्रन और एक कमान का सर्वप्रथम उत्तरदायित्व संभाला था। 1 अप्रैल, 1954 को राष्ट्रपति द्वारा वायु सेना को ध्वज प्रदान करने के परिणामस्वरूप वायुसेना पूर्णतः भारतीय हो गयी। यद्यपि भारतीय वायु सेना का विस्तार व विकास कार्य धीमी गति से चलता रहा किन्तु सन् 1962 में चीन से पराजित होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम पंचवर्षीय रक्षा योजना के अन्तर्गत वायु शक्ति के 45 स्क्वाड्रन करने, नये विमानों को शामिल करने तथा देशों में ही इनके निर्माण करने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से विकास गति में तीव्रता आयी। फलतः 1965 के भारत पाक युद्ध में भी

भारतीय वायु सेना ने आकाश व जमीन में पाकिस्तान के कुल मिलाकर 75 विमानों को नष्ट करके अपनी समाघात क्षमता स्पष्ट कर दी। इसी तरह - 1971 के बांग्ला मुक्ति संघर्ष में भारतीय वायुसेना ने शत्रु की हवाई शक्ति को छिन्न भिन्न करके इतिहास में गौरवशाली अध्याय जोड़ा।

सन् 1971 के पश्चात् भारत ने अपने पड़ोसियों विशेषकर पाकिस्तान व चीन के पृथक एवं संयुक्त दबावों तथा उनकी बढ़ रही हवाई क्षमता को देखते हुए न केवल मिग व मिराज - 2000 जैसे विश्व प्रसिद्ध वायुयानों को अपनी वायुसेना में सम्मिलित किया अपितु रक्षा में आत्मनिर्भरता हेतु अपने देश में ही इनके निर्माण पर विशेष बल दिया। भारत के उक्त प्रयत्नों का ही यह सुफल था कि सन् 1980 में भारतीय वायु सेना ने रियाचिन, श्रीलंका व मालदीव में थल सेना को सम्भरण सहयोग (Logistical Support) उपलब्ध कराकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह न केवल अपनी रक्षा में सक्षम व समर्थ है वरन् पड़ोसियों की अपेक्षित सहायता की भी क्षमता रखती है। बाह्य सुरक्षा के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं जैसे - बाढ़, भूकम्प, चक्रवात व अकाल आदि के समय भी वायु सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अत्याधुनिक तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आज भारतीय वायु सेना आधुनिकतम विमानों, शस्त्र प्रणाली व संचार यन्त्रों से सुसज्जित है। भारतीय वायु सेना की वर्तमान क्षमता निम्नवत् है -

- वायुसेना - 1, 15, 000
- लड़ाकू विमान - 738
- हथियारबन्द हेलीकाप्टर - 12
- हल्की बम्बर स्क्वाड्रन - 1 (10 कैनबरा विमान युक्त)
- ग्राउण्ड अटैक लड़ाकू विमान - 25 स्क्वाड्रन
- फाइटर्स - 13 स्क्वाड्रन
- मालवाहक विमान - 11 स्क्वाड्रन
- हेलीकाप्टर - 22 स्क्वाड्रन
- (लड़ाकू विमानों में केनबरा, मिग - 21, मिग - 23, मिग - 25, मिग - 27, मिग - 29, जगुआर, मिराज - 2000 तथा सुखोई (SU - 30)) प्रमुख।
- न्यूक्लियर वार हेड - 60

मिसाइल - पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि, सागरिका तथा धनुष
सात कमानों (पश्चिमी कमान, दिल्ली, दक्षिण - पश्चिमी एअर कमान, जोधपुर, दक्षिण एअर कमान, त्रिवेन्द्रम, मध्य एअर कमान इलाहाबाद, पूर्व एअर कमान शिलांग, प्रशिक्षण। एअर कमान बंगलौर, तथा मेण्टेनेन्स एअर कमान नामपुर) में नियन्त्रित भारतीय वायु सेना में मिराज - 2000 व मिग - 29 जैसे विमानों के शामिल होने से इसकी समाघात क्षमता में अद्भुत वृद्धि हुई है। फ्रांस से प्राप्त मिराज - 2000 (भारतीय नाम बज्र) विमान 14.35 मीटर लम्बा है तथा ध्वनि से तीन गुनी गति से 6500 फिट की ऊँचाई पर उड़कर 1480 किलोमीटर रेंज तक लक्ष्य भेद सकता है। इसमें 100 किलोमीटर क्षमता वाला राडार कंप्यूटर व राडार वार्निंग सिस्टम के साथ - साथ 30 एम0 एम0 की दो ड्रैफा मिसाइलें, दो मेटा सुपर - 530 इण्टरसेप्टर मिसाइलें तथा 2 मेटा - 500 मैजिक मिसाइलें भी लगायी जा सकती हैं। इसी प्रकार 6 दिसम्बर 1987 को मिग - 29 (भारतीय नाम बाज) को भी भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नं० 28 व 47 में शामिल किया गया है। यह विमान अमेरिका के F - 16 विमानों से बेहतर है। 150 रूसी SU - 30 MKI लड़ाकू विमानों के उत्पादन (कीमत 2 अरब डॉलर) हेतु सम्पन्न भारत - रूस सम्झौते के फलस्वरूप भारतीय वायुसेना में नयी ऊर्जा का संचार हुआ है। इस अक्रूट विमान में हवा में मार करने वाली मिसाइलों (A. A. M) की पाकिंग के लिए 12 हार्ड प्वाइंट बने हैं तथा

इसके लचीले इंजन नॉजल्स से विमान की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है। पूर्व वायुसेनाध्यक्ष एम. वी. विमानों का मत है कि यह हमारे लिए लम्बी छलांग है। इससे हमारी रणनीति और रक्षात्मक क्षमता में कई मामलों में इजाफा होगा एस0 यू0 - 30 वायुसेना को भारतीय एटमी हथियार देने के लिए मिराज - 2000 के अलावा एक अन्य प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। इतना ही नहीं ब्रिटेन से 66 आधुनिक ट्रेनर (कीमत 1.9 अरब डॉलर) तथा वायु व थल सेना हेतु इसराइल से हेरोन व हरमिश नामक मानवरहित हवाई वाहन प्राप्त करके भारत ने अपनी वायु सेना को अत्याधुनिक बनाने का प्रयत्न किया है। रक्षा - उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु निर्मित कार्ययोजना का ही यह परिणाम है कि 28 मई 2004 को स्वदेश निर्मित प्रथम नागरिक विमान सारस ने उड़ान भरी। 7 जुलाई 2004 को आरंभ एन0 एस0 बेतवा युद्धपोत को भारतीय नौ सेना में शामिल किया जाना तथा 7 अगस्त 2004 को स्वदेशी तकनीक से निर्मित अर्जुन टैंक (5 टैंक) भारतीय रक्षामंत्री द्वारा थल सेनाध्यक्ष को सौंपना इस आत्मनिर्भरता का शुभ संकेत है।

- Q. 20. Discuss the security problems in north eastern region of India.
Q. Elucidate the security problems in north eastern India.
प्रश्न - भारत के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र की सुरक्षा समस्याओं की विवेचना कीजिए।
प्रश्न - उत्तरी - पूर्वी भारत की सुरक्षा समस्याओं पर प्रकाश डालिये।
उत्तर - आसाम:-

आसाम उत्तरपूर्व का सबसे बड़ा राज्य था और स्वतन्त्रता के बाद जातीय समुदायों के आधार पर इसे छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त किया गया। आसाम में जातीय समूह सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण स्वायत्ता की माँग करने लगे। जंगलों, खदानों, तेल के क्षेत्रों और चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण राज्य जनसंख्याधिक्य की समस्या से ग्रस्त है। इससे खाद्यान्नों का अभाव उत्पन्न हुआ। आसाम ने इस क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस राज्य के लोगों ने अन्य राज्य के लोगों का अपने यहाँ स्वागत नहीं किया, क्योंकि जनसंख्या घनत्व के परिवर्तन से चिन्तित थे। अतः इनकी समस्या हर राज्य में जुड़ी है। इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण राज्य तथा पूर्व के अन्य सभी राज्यों के संचार मार्ग का केन्द्र होने के बावजूद भी इस राज्य के प्रति सरकारी उदासीनता और भ्रष्ट प्रशासन ने इसे विप्लवी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को ओर ढकेल दिया।

आसाम के लोगों द्वारा अवैध प्रवास और प्रवासियों, जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन और भाषा को लेकर 1951, 1960 और 1971 में अशान्ति, विरोध और दंगे किये गये। इस राज्य में विद्रोह की जड़े 1973 में प्रारम्भ हुए आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (A.A.S.U.) आन्दोलन से जुड़ी है, जिसमें महसूस किया बिना आन्दोलन के सरकार उनकी माँगों पर ध्यान नहीं देगी। उत्तरी आसाम स्थिति सिब सागर से आन्दोलन की शुरुआत हुई जो जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गयी। 1979 में आसू के चरमपंथियों ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ आसाम (ULFA, उल्फा) नाम से सैनिक छद्म का गठन किया जबकि दूसरी ओर सुधारवादियों ने आल असम गण संग्राम परिषद (A.A.G.S.P.), जिसे आज असम गण परिषद के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया। उल्फा ने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट कौन्सिल आफ नागालैण्ड (NSCN), इन्टर सर्विसेज इन्टेलिजेन्स (आई. एस. आई.) पाकिस्तान गुप्तचर संस्था और बंगलादेशी गुप्तचर संस्था की सहायता से स्वयं को गठित और अपने सामाजिक कार्यों की सहायता से राबिन हुड जैसी लोकप्रियता प्राप्त करने और साथ ही साथ अपने को विप्लवी समूह के रूप में संगठित करना प्रारम्भ किया। साथ ही आसू (AASU) ने राज्य में अवैध

प्रवासी और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया। चुनाव आयोग और राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहचान का कार्य प्रारम्भ किया, परन्तु राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए न केवल इसका विरोध किया बल्कि अवैध प्रवास को प्रोत्साहित किया। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर जनता के दबाव में त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और सेना बुला ली गयी।

आसाम में बंगाली विरोधी और साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये, जिसे सेना द्वारा नियन्त्रित किया गया। आसू और केन्द्र सरकार की बातचीत चलती रही। आसू की सबसे प्रमुख माँग यह थी कि सभी अवैध प्रवासियों की पहचान और गणना 1951 के नागरिकता के राष्ट्रीय राजिस्टर के आधार और 1952 के चुनाव मतदाता सूची के आधार पर किया जाय और सभी अवैध प्रवासियों को निकाल दिया जाय तथा पुनः भविष्य में अवैध प्रवास को नियन्त्रित किया जाय। आसू द्वारा किये प्रयास विफल रहे, केन्द्रीय सरकार 1971 के युद्ध के उपरान्त से आये लोगों को अवैध प्रवासी मानने को सहमत हुई, जिसके आधार पर 1985 का आसाम समझौता हुआ, जिसमें 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट माना गया और राज्य में आर्थिक निवेश बढ़ाने की बात को स्वीकार कर लिया गया। इसके उपरान्त चुनाव हुए और असम गण परिषद की सरकार सत्ता में आई, परन्तु समझौते में अवैध प्रवासियों की पहचान की अन्तिम तिथि 1971 उल्फा चरम पंथियों की राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी, परिणामस्वरूप समझौते को लागू करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी। 1988 के बाद उल्फा ने राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए अवैध प्रवासियों की हत्या द्वारा आतंक स्थापित करने का प्रयास किया। 1990 में पुनः राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए सेना बुला ली गई। थोड़े समय में सेना ने स्थिति को नियन्त्रित कर लिया और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कुछ ही महीने बाद सेना को उल्फा के विरुद्ध सक्रियता के लिए बुला लिया गया। यह प्रक्रिया 1995 तक चलती रही और जब सेना को वापस बुलाने के बारे में सोचा गया तो पाया गया कि अवैध प्रवासियों की पहचान और निकाल बाहर करने के आधारभूत मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप विप्लवी गतिविधियाँ पुनर्जीवित हुई और सेना को पुनः विप्लवी गतिविधियों से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया।

प्रारम्भ में उल्फा का मुख्यालय आसाम में स्थित था, परन्तु कालान्तर में सेना के बढ़ने दबाव के कारण बंगलादेश में स्थानांतरित कर दिया गया। इस संगठन को आर्थिक सहायता आसाम स्थित इसके अनुयायियों तथा बंगलादेश में स्थित बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से द्वारा प्रदान की जाती है। इस संगठन का नेतृत्व करने वाले नेता बंगलादेश में विलासपूर्ण जीवन-यापन कर रहे हैं तथा इनको पाकिस्तान, बंगलादेश और चीन से सहयोग एवं समर्थन प्राप्त है।

इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि पहले पूर्वी पाकिस्तान और कालान्तर में बंगलादेश की यह सुविचारित नीति थी कि इस क्षेत्र में अवैध प्रवास को प्रोत्साहन देकर इस क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन लाकर इस पूरे क्षेत्र को बंगलादेश में मिला लिया जाय। इस आयाम की जानकारी जुलफिकार अली भुट्टो की रचना "मिथ आफ इण्डिपिडन्स" और शेख मुजीबुर्रमान की रचना "ईस्ट पाकिस्तान-इट्स पापुलेशन एण्ड इकोनामिक्स" देखने पर मिलती है। बंगलादेश के समर्थन का प्रभाव यह पड़ा कि उल्फा अवैध प्रवासियों के मूल मुद्दे से पूरी तरह हट गया और जनता की रक्षक की भूमिका से दूर हो गया तथा आज यह आसाम में भारत विरोधी विदेशी शक्तियों के छद्म युद्ध का साधन मात्र बन कर रह गया है।

- Q. 21. How far science and technology has strengthened India's defence?

Q. Development of science and technology is the fundamental requirement of defence of a country. Comment.

प्रश्न - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किसी देश की सुरक्षा हेतु आधारभूत आवश्यकता है प्रकाश डालिये।

प्रश्न - विज्ञान और तकनीकी ने भारतीय रक्षा को कहाँ तक अधिक शक्तिशाली बना दिया है? व्याख्या कीजिये।

प्रश्न - विज्ञान एवं तकनीकी का विकास किसी देश के प्रतिरक्षा की आधारभूत आवश्यकता है समझाइये।

प्रश्न - युद्ध पर विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर - राकेट, उपग्रह, मिसाइल और परमाणु विस्फोट के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों की शानदार सफलताएँ इस बात का प्रमाण हैं कि हमारे पास क्षमतावान एवं प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं।

दुनिया के अन्य देशों के आर्थिक विकास पर जब हम नजर डालते हैं तो पता चलता है कि आज टेक्नालाजी किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अधिक सशक्त माध्यम बन चुकी है। औद्योगिक रूप से अग्रणी देशों ने जो विकास किया है उसमें से लगभग एक तिहाई से आधा हिस्सा टेक्नालाजी की प्रक्रिया से आया है। आर्थिक विकास के लिए टेक्नालाजी में लगातार सुधार के साथ-साथ नये आविष्कार करना भी बहुत जरूरी है। संचार तकनीक और कम्प्यूटर के क्षेत्र में हुई उन्नति ने पूरी औद्योगिक व्यवस्था को ही बदल दिया है।

तमाम आधारभूत सुविधाओं के बावजूद वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के मामले में हमारा रिकार्ड अच्छा नहीं है। तमाम आधारभूत सुविधाओं के बावजूद हमारे उद्योगों में 95 प्रतिशत तकनीक विदेशी है। हम आज भी नट बोल्ट बनाने से लेकर पावर प्लांट तक के लिए टेक्नालाजी विदेशों से लेते हैं। पिछले 35 वर्षों में हमने अनेक वैज्ञानिक और इंजीनियर पैदा किये हैं। पिछले चार दशकों के दौरान राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आधारभूत ढांचा बना है और सामर्थ्य उत्पन्न का ली गयी है। जिससे अन्य क्षेत्रों पर भारत की निर्भरता घटी है।

याद रखना होगा कि भारत एक विकासशील कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 79 प्रतिशत जनता अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि एवं इससे सम्बन्धित उद्योगों पर निर्भर है। अतः कृषि पर आधारित उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी यहाँ अनेक उद्योग धंधों का विकास हुआ है।

भारत में लोहा एवं इस्पात सूती वस्त्र उद्योग सीमेन्ट, जूट आदि उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं। आधुनिक विश्व में अर्थशास्त्र राजनीति पर प्रभावी है या राजनीति अर्थशास्त्र पर यह कहना कठिन है लेकिन यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि राजनीति एवं अर्थशास्त्र में गहन सम्बन्ध है और इन्हीं दोनों के योगदान राष्ट्रीय सुरक्षा को सबल अथवा निर्बल बनाने में काफी हद तक उत्तरदायी है।

आज शक्तिशाली भारत ही अपनी एकता और अखण्डता की रक्षा कर सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने देश के लिए दूसरे विजन की आवश्यकता पर बल दिया इसमें भारत को वर्तमान विकासशील राष्ट्र के दर्जे से विकसित देशों की कतार में लाने की कल्पना की गई है। इसमें कहा गया है कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में किये जा रहे लगातार प्रयासों से ऐसा किया जा सकता है।

एशिया में शोध व विकास पर जो खर्च होता है उसका 90 प्रतिशत खर्च अकेले जापान द्वारा

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

किया जाता है। रूस जैसा विकसित देश भी आज अपनी आय का 5.5 प्रतिशत शोध एवं विकास (R & D) पर खर्च करता है। यही खर्च अमेरिका में 2.6, जापान द्वारा 2.1, जर्मनी में 2.2 और भारत में 0.6 प्रतिशत है।

जापान ऐसा विकसित देश तकनीकी जानकारी को विदेश से खरीदता है। इन जानकारीयों की मरम्मत फिर वह अपनी जरूरत के अनुसार करता रहता है। हमारी प्रयोगशालाओं को भी यही नीति अपनानी चाहिए इससे विकास में तेजी आती है। हमारा सुझाव व्यवहारिक शोध कार्य की ओर होना चाहिए जिसमें शक्तिमान भारत की अनन्त सम्भावनाएँ हैं।

रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सरकारी उपक्रम हैं जो भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं -

- (1) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड,
- (2) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
- (3) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड,
- (4) मझगाँव डाक लिमिटेड,
- (5) गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड,
- (6) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड,
- (7) प्रागा टूल्स लिमिटेड,
- (8) भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
- (9) मिश्र धातु निगम लिमिटेड।

इनमें से सात उपक्रम पूर्वतः भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, मझगाँव डाक लिमिटेड की सहायक कम्पनी हैं। इसमें मझगाँव डाक लिमिटेड के 53.4 प्रतिशत शेयर हैं। शेष शेयरों का 3.6 प्रतिशत शेयर प्राइवेट संस्थाओं के और बाकी भारत सरकार के हैं। प्रागा टूल्स लिमिटेड में कुछ शेयर आन्ध्र प्रदेश सरकार के हैं और कुछ शेयर जनता के हैं।

इस समय रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में मुख्य बड़े तथा उच्च तकनीकी कार्यों के करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अन्तर विभागीय रक्षा अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार शुरू किया जा रहा है जिसमें उपयुक्त तकनीक का विकास कर उसे अपनाया जा सके। इस सम्बन्ध में कुछ प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। तदनुसार विकास में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रबन्ध के नये तौर तरीके अपनाये जा रहे हैं ताकि उपयुक्त तकनीकों को अद्यतन बनाया जा सके। रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो सके। इसके लिए वैज्ञानिक संस्थाओं तथा संगठनों के साथ निकट के सम्पर्क स्थापित किये जा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगीकरण एवं वैज्ञानिक विकास ने अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता में काफी हद तक योगदान दिया है और आने वाले समय में इसके विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में और भी आशाये हैं।

भारत में आर. एण्ड डी. (शोध और विकास) के पीछे राष्ट्रीय आय का 0.9 प्रतिशत खर्च किया जाता है जो बहुत कम है। यह एक गरीब देश की रकम है - इसलिए जरूरी है कि हम अपने कम से कम खर्च से ज्यादा नतीजे हासिल करें। जो शोध प्रयोगशालाये शोध कार्य करती ही न हो और प्रगति रिपोर्ट की खानापूर्ती करती हो उन्हें तत्काल बन्द कर देना चाहिए। जो वास्तविक शोध कार्य कर रही हो उन्हें सुनिश्चित कार्यक्रम सुनिश्चित दिशा दी जानी चाहिए।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation - DRDO) ने भारत के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर उल्लेखनीय प्रगति की है।

Visit Us for more detail at : www.winsomepublication.in

वैमानिकी, मिसाइल युद्धक वाहन, डिस्ट्रायर, फ्रिगेट, आधुनिक उन्नत सोनार, गोला बारूद, कम्प्यूटर तथा सिस्टम एनालिसिस और इलेक्ट्रॉनिक तथा इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में डी. आर. डी. ओ. का योगदान प्रशंसनीय है। इसके अन्तर्गत देश भर में कार्यरत रक्षा उत्पादन इकाइयों को एकीकृत एवं पुनर्गठित किया गया है। जिससे इनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। अनेक महत्वपूर्ण रक्षा विज्ञान से जुड़ी प्रयोगशालाएं डीआरडीओ के अन्तर्गत कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर रही हैं। इन महत्वपूर्ण इकाइयों निम्नलिखित हैं -

1. एयरोनाटिकल डेवलपमेंट इस्टैबलिशमेंट, बंगलौर।
2. एडवॉन्स सिस्टम इंटीग्रेशन एण्ड इवैलुएशन ऑर्गेनाइजेशन, बंगलौर।
3. एरियल डेलिवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टैबलिशमेंट, आगरा।
4. प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल इस्टैबलिशमेंट आवडी, चेन्नई।
5. व्हाइकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टैबलिशमेंट, अहमदनगर।
6. डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टैबलिशमेंट, ग्वालियर।
7. डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेट्री, हैदराबाद।
8. डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट लेबोरेट्री, हैदराबाद।
9. डिफेंस साइंस सेंटर, दिल्ली।
10. डिफेंस टेरेन रिसर्च लेबोरेट्री, दिल्ली।
11. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च, दिल्ली।
12. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एण्ड एलाइड साइंसेज, दिल्ली।
13. नेवल फिजिकल एण्ड ओशनोग्राफिकल लेबोरेट्री, कोचीन।
14. सेंटर फॉर एनवायरमेंट एण्ड एक्सप्लोजिव सेफ्टी, दिल्ली।
15. डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट यूनिट, कोलकाता।
16. सालिड स्टेट फिजिकल लेबोरेट्री, दिल्ली।
17. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, दिल्ली।
18. एडवॉन्स न्यूमेरिकल रिसर्च एण्ड एनालिसिस ग्रुप, हैदराबाद।
19. डिफेंस एप्लीकलर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इस्टैबलिशमेंट, बंगलौर।
20. इलेक्ट्रॉनिक एण्ड राडार डेवलपमेंट इस्टैबलिशमेंट, बंगलौर।
21. डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेट्रीज, बंगलौर।
22. सेण्टर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, बंगलौर।
23. गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टैबलिशमेंट, बंगलौर।
24. नेवल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजीकल लेबोरेट्री, विशाखापत्तनम।
25. टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च, चंडीगढ़।

हमेशा याद रखना होगा कि भारत का आर्थिक ढाँचा आदमी का मेहनत के जोर पर खड़ा है। हमें ऐसे यन्त्र नहीं चाहिए जो आदमी के हाथ से मेहनत करने के मौक़े छीन ले। हमें अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास को ऐसी दिशा देनी है जिससे ऐसे यन्त्र तैयार हो जो आदमी की मेहनत को आसान तो बनाये मगर शून्य पर न पहुँचें। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज हम जिस जोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं उसकी सशक्तता का मेरुदण्ड इस देश का वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी विकास ही होगा। अतः इस दिशा में महत्तम प्रयास अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि 21 वीं शताब्दी में सशक्त भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्व. श्री राजीव गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान वहाँ पर बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों का

आह्वान किया कि वे अपने देश में आकर अपना योगदान दें। निश्चित रूप से राजीव जी का यह प्रयास अविस्मरणीय है। प्रतिभा पलायन राष्ट्र के समक्ष एक गम्भीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए अपने देश की प्रतिभाओं को उचित सुविधा एवं अवसर दिया जाना आवश्यक है। हमारी प्रगति और रक्षा का प्रत्येक चरण वैज्ञानिक के प्रयासों का ही प्रतिफल है - इसे याद रखना चाहिए। अब इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमारी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए हमें सामर्थ्य प्राप्त हो गयी है तथा अन्य देशों पर निर्भरता घटी है।

Q. 22. For India to emerge as a major power the problems of internal security has become more vital than external threats discuss.

प्रश्न - भारत को बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के लिए आन्तरिक सुरक्षा समस्याएँ अधिक महत्वपूर्ण हो गयी हैं अपेक्षाकृत बाह्य खतरों के व्याख्या कीजिये।

उत्तर - राष्ट्रीय अखण्डता एवं सार्वभौमिकता को बनाये रखना तथा राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा नीति का निर्धारण करना दिन - प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। जहाँ एक ओर युद्ध तकनीकी के क्षेत्र में हुए क्रान्तिकारी परिवर्तनों से युद्ध का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया है वही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लेकर उसे अन्दर ही अन्दर खोखला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही कारण है कि राष्ट्र वाह्य आक्रमण का मुकाबला करने का लिए रक्षा तैयारियों के साथ - साथ अपनी आन्तरिक सुरक्षा के प्रति गम्भीर है। ध्यातव्य है कि सुदृढ़ सुरक्षा ढाँचे के निर्माण में जहाँ एक ओर सुदृढ़ अर्थतन्त्र एवं सुदृढ़ संस्थानिक ढाँचा जैसे कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वही आधुनिकीकरण की अर्थव्यवस्था जातीय विभेद भ्रष्टाचार व अतिकेन्द्रीयकरण जैसे तत्व सम्मिलित रूप से आन्तरिक सुरक्षा के ढाँचे को खिन्न - भिन्न करके बाह्य आक्रमणों की सम्भावनाओं को बढ़ा देते हैं।

आज भारतीय सुरक्षा को एक नही अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत सुलग रहा है। भारत नक्सलवाद प्रादेशिकता जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, गरीबी, बेरोजगारी एवं आर्थिक विषमता जैसी ज्वलंत एवं गम्भीर समस्याओं से जुझ रहा है। निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता अखण्डता भयानक खतरे से गुजर रही है।

इस प्रसंग में यह भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है कि पड़ोसी देश भी भारत को अशांत करने में पीछे नहीं हैं। भारत के अलगाववादी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों को पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल तथा चीन से बराबर मदद मिलती रहती है।

भारतीय सुरक्षा के आन्तरिक खतरों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत को बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के लिए आंतरिक सुरक्षा समस्याएँ अधिक महत्वपूर्ण हो गयी हैं अपेक्षाकृत बाह्य खतरों के।

प्रश्न. 23. भारत की स्वतंत्रता के तत्काल बाद की सुरक्षा समस्याएँ क्या थी।

उत्तर - हिमालय से हिन्द महासागर तक फैला भारत नाम का विशाल वट वृक्ष हजारों वर्षों से अनेकों थपेड़ों और चुनौतियों को झेल रहा है। फिर भी इसकी जड़ें हरी हैं तथा शाखाएँ आसमान चूम रही हैं। इसका तना दिन - प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है। भारत राष्ट्र नाम की जो चीज इस जमीन पर जन्मा है - हजारों साल से जिन्दा है वह आज भी कायम है, तेजस्वी है। लेकिन जिसे राष्ट्र राज्य कहते हैं और जो 1947 से इस धरती पर उतरा है उस भारत को अनेक समस्याएँ एवं चुनौतियाँ अपने आगोश में समा लेने के लिए बेचैन हैं।

सन् 1947 में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तथा देश के बँटवारे के साथ-साथ सैन्य भी दो भागों में बाँट दिया गया। यही नहीं भारतीय सेना का अंग्रेजी अंग जो अधिकारी पदों पर अधिक संख्या में था फौरन ही अलग हो गया। अतः सर्वप्रथम स्वतन्त्र भारत के समक्ष रक्षा सेना के पुनर्गठन (Reorganisation of defence forces) की समस्या आ खड़ी हुई। लेकिन इन समस्याओं बावजूद इंग्लैंड लौटने वाले अंग्रेजी अफसरों की यह भविष्यवाणी कि अंग्रेजों के नेतृत्व के बिना भारतीय सेना किसी काम की नहीं रहेगी, बहुत ही शीघ्र गलत साबित हो गई। सच तो यह है कि भारतीय अफसरों के नेतृत्व में और देश शक्ति की प्रबल भावनाओं से प्रेरित होकर भारतीय सेना और भी अधिक वीरता तथा कौशल से लड़ी। सेना के बारे में अंग्रेजों की इस मनगढ़न्त कल्पना को धजियाँ उड़ गयी।

चूँकि शान्ति और सुरक्षा राष्ट्रीय अखण्डता का अनिवार्य अंग है अतः शान्ति और सुरक्षा के दायित्वों का निर्वाह करने वाली सशस्त्र सेनाओं के विभाजन के सिद्धान्त को भी समझना अनिवार्य है। 30 जून 1947 की अपनी बैठक में विभाजन समिति ने सशस्त्र सेनाओं को दो स्वतन्त्र उपनिवेशों की सेनाओं के रूप में विभाजित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किये -

भारत तथा पाकिस्तान अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित सैन्य बलों का नियंत्रण प्राप्त कर लें।
(क) वे सैन्य दल जो 15 अगस्त 1947 से उनके संक्रियात्मक नियंत्रण (Operational Control) में हों।
(ख) वे 15 अगस्त को क्रमशः मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम समुदाय की हैं।
(ग) वे 15 अगस्त के पश्चात् क्षेत्रीय आचार पर संगठित की गई हैं।

काफी विचार - विमर्श के बाद सेनाओं का अन्तिम विभाजन निम्न प्रकार किया गया -

स्थल सेना	भारत	पाकिस्तान
पैदल सेना के रेजीमेन्ट	15	8
कवचित सेना के कोर	12	6
तोपखाने के रेजीमेन्ट	18.5	8.5
इंजीनियरिंग यूनिटें	61	34
सप्लाय यूनिटें जितनी जिसके क्षेत्र में उस समय थे।		
सिग्नल कोर		
इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल		
इंजीनियरिंग यूनिटें	10	4
पायोनियर कोर	9 कम्पनियाँ तथा ग्रुप मुख्यालय	2 कम्पनियाँ
पशु परिवहन रेजीमेन्ट	4	3
यन्त्रीकृत परिवहन यूनिटें	34	17
एम्बुलेन्स प्लाटून	15	7
आर्मी मेडीकल कोर अस्पताल	82	34
पर्वतीय रेजीमेन्ट	2	1
सैनिक फार्म	29	20

नोट - (1) एक रेजीमेन्ट के अन्तर्गत 3 से 6 कम्पनियाँ तक होती थी।

(2) एक समझौते के अन्तर्गत 12 गोरखा बटालियन भारत को और आठ इंग्लैंड को प्राप्त हुई। यह समझौता इंग्लैंड, भारत तथा नेपाल के बीच हुआ था।

नौ सेना

भारत

पाकिस्तान

स्लूप्स	9	3
फ्रिगेट्स	2	2
प्लीट माइन स्वीपर्स	12	4
कारबेट्स	1	0
सर्विशिप	1	0
ट्रालर्स	4	2
मोटर माइन स्वीपर्स	4	2
मोटर लांच	1	0
हार्बर डिफेन्स मोटर लांच	4	4
नभ सेना	भारत	पाकिस्तान
लडाकू स्वचाइन्	7	2
परिवहन स्वचाइन्	1	1

उल्लेखनीय है कि भारतीय सैनिकों का नेतृत्व अंग्रेजों के हाथ में होने के कारण कोई भी भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय बिग्रेडियर से ऊँचे स्तर का नहीं था। अतः भारतीय अफसरों की शीघ्रता से पदोन्नति करके ऊँचे स्तर (High Ranks) पर लगाया गया। अंग्रेजों के काल से चली आ रही लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों के आधार पर सेना में चयन की प्रक्रिया को भी तोड़ा गया।

देखा जाए तो आजादी के समय से ही भारत को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मोटे तौर पर इन सुरक्षा समस्याओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं।

1. स्वतन्त्र भारत की तत्कालीन सुरक्षा समस्याएँ - (Immediate Security Problems of Free India)

स्वतन्त्र भारत की तत्कालीन समस्याओं के अन्तर्गत हम निम्न समस्याओं को रेखांकित कर सकते हैं -

- (क) जूनागढ़ की समस्या,
 - (ख) हैदराबाद की समस्या,
 - (ग) काश्मीर की समस्या,
- ### 2. आजादी के बाद से लेकर अब तक की सुरक्षा समस्याएँ (Security Problems after Independence Till Date) -

आजादी के बाद से लेकर अब तक की प्रमुख सुरक्षा समस्याओं को हम निम्न भागों में बाँट सकते हैं -

- (क) गोवा मुक्ति अभियान,
- (ख) 1962 का भारत - चीन युद्ध,
- (ग) हिमालय की सुरक्षा का प्रश्न,
- (घ) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रक्षा चुनौतियों के समाधान का प्रयास,
- (ङ) भारत - पाक युद्ध 1965,
- (च) भारत - पाक युद्ध 1971,
- (छ) जलता पंजाब और सीमा पर बढ़ते तनाव की समस्या,
- (ज) रक्त के महासागर में डूबा श्रीलंका और भारत के समक्ष नई उलझने,
- (झ) काश्मीर समस्या और कारगिल की जंग।

1. स्वतन्त्र भारत की तात्कालिक सुरक्षा समस्याएँ -

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय अनेक पैंचीदा समस्याओं के साथ-साथ एक मुख्य सवाल खड़ा हो गया - छोटी 572 देशी रियासतों के भविष्य का था, जिन्हें ब्रिटिश राज ने विशेष संधियों के अन्तर्गत शासन दे रखी थी। ब्रिटिश राज के पक्षधर इन राजा-महाराजाओं को आशा थी कि उनकी सरकार उन्हें कानून बनाकर नहीं जाएगी। ब्रिटिश राज को दी सेवाओं को देखते हुए उनकी यह अपेक्षा अनुचित नहीं थी क्योंकि भारत को गुलाम बनाये रखने स्वातंत्र्य आन्दोलन को कुचलने भारतीय प्रामाण्य साम्राज्य को सामन्ती ढाँचे में जकड़े रखने का श्रेय इन्हीं को था। ब्रिटिश राज इनका आरक्षक था। अतः जब अंग्रेजी सरकार की विदाई होने लगी तो इस मण्डली में खलबली मचना स्वाभाविक था।

3 जून को माउण्टबेटन योजना की घोषणा के बाद इन राजवाड़ों को भी दोनों राज्यों में से किसी एक के साथ विलय की राय दी गयी। हालाँकि उन्हें अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने का भी अधिकार था। वैसे तो अधिकांश रियासतों ने भारत के साथ विलीन होने का निर्णय कर लिया किन्तु माउण्टबेटन के शब्दों में जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर - ये तीन क्षेत्र भारत के पिछरे से बाहर रह गये।

(क) जूनागढ़ की समस्या

राज्यों के विलय के सन्दर्भ में प्रथम विवाद भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित काठियावाड़ प्रान्त के छोटे से राज्य जूनागढ़ को लेकर उठा। जूनागढ़ का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मील था। इसकी आबादी लगभग 7, 50, 000 थी। यहाँ की 80 प्रतिशत जनता हिन्दू थी और 20 प्रतिशत मुस्लिम। यहाँ का शासक मुसलमान था। देखा जाए तो यह रियासत भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का अंग थी। इसके बावजूद 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नबाब ने पाकिस्तान के साथ अपने राज्य के विलय की घोषणा की। यद्यपि यहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ अपनी रियासतों के विलय के पक्ष में नहीं थी। जबकि दूसरी ओर बबरीगढ़ तथा मंगरोल की रियासतें - जिन्हें जूनागढ़ के नबाब अपनी आसानी से रियासतें मानते थे, भारत के साथ मिल गयीं। जूनागढ़ के नबाब ने अपनी इच्छा के विरुद्ध इनके भारत में विलय से असन्तुष्ट होकर बबरीगढ़ तथा मंगरोल के विरुद्ध सैनिक दुकड़ियाँ भेजी। दूसरी ओर काठियावाड़ी क्षेत्र के कई राज्यों के निवेदन पर भारतीय थल, जल तथा वायु सेना की दुकड़ियाँ पोरबन्दर में उतरी और जूनागढ़ के चारों ओर फैल गयीं। जूनागढ़ के नबाब ने जिन परिस्थितियों में अपने राज्य के पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी, भारत सरकार उसे मानने को तैयार नहीं थी। पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक तार भेजकर पाकिस्तान प्रधानमंत्री लियाकत अली को जन विरोधी निर्णय से अवगत कराते हुए भौगोलिक सम्बद्धता तथा जनमत संग्रह के आधार पर इस सन्दर्भ में निर्णय लेने की मांग की। जनता ने भी जागरूकता का परिचय देते हुए इतना सशक्त विद्रोह किया कि जूनागढ़ का नबाब भयभीत होकर सरकारी खजाने सहित पाकिस्तान भाग गया।

परिस्थिति को बदलता देखकर जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान शाहनवाज भुट्टो ने 1 नवम्बर 1947 को जूनागढ़ को भारत में विलय किये जाने के लिए एक पत्र लिखा। शाहनवाज भुट्टो की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया तथा 9 नवम्बर 1947 को भारत ने जूनागढ़ के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह सम्पन्न हुआ। इसमें 1, 80, 000 मतदाताओं ने भाग लिया, जिसमें मात्र 91 मत जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय के पक्ष में थे। पाकिस्तान ने दैन की सांस नहीं ली और इस मामले को पुनः सुरक्षा परिषद में उठाने का असफल प्रयास किया। इसे भारत के आन्तरिक मसला माना गया जिसमें पाकिस्तान की चाल नाकामयाब हो गयी। आधुनिक भारत में जूनागढ़ गुजरात प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार बिना किसी सैनिक कार्यवाही के ही जूनागढ़ की समस्या हल हो गई।

(ख) हैदराबाद की समस्या -

हैदराबाद भारत का एक प्रमुख विकसित देशी राज्य था। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश

राज्य की स्थापना के पूर्व इसका यूरोपीय शक्तियों जिनमें फ्रांस और इंग्लैंड भी थे, से सन्धि सम्बन्ध स्थापित था।

यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिन्दू है परन्तु नबाब मुसलमान था। इसका क्षेत्रफल लगभग 12, 000 वर्ग मील था। हैदराबाद को हिन्दू - मुसलमान एकता का परम्परागत स्थल माना जाता है क्योंकि जब ब्रिटिश भारत के अन्य भागों में हिंसा का दौर चल रहा था तब यहाँ शान्ति थी।

12 जून 1947 को हैदराबाद के निजाम ने एक फरमान जारी करके यह घोषणा की कि वह अपने राज्य का विलय भारत अथवा पाकिस्तान किसी के साथ नहीं करेगा। वह अपनी रियासत को स्वतन्त्र रखने के पक्ष में था। अतः 15 अगस्त 1947 को उसने हैदराबाद के लिए स्वतन्त्र राष्ट्र के स्तर की माँग की। भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम में कई दौर में बातचीत भी हुई किन्तु हैदराबाद के निजाम ने अपने कड़े एवं विरोधी रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया। निजाम के पृथक्तावादी नीति पर अडिग रहने से भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। अन्ततः 29 नवम्बर 1947 को भारत तथा हैदराबाद के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते में यह तय किया गया कि 1947 के पूर्व भारत सरकार व हैदराबाद रियासत के मध्य जो सम्बन्ध थे वे एक वर्ष तक और चलते रहेगे। इसे अन्तर्गत रक्षा विदेश नीति व संचार व्यवस्था का संचालन भारत को करना था। भारत सरकार ने इस समझौते का पूर्णरूप पालन किया किन्तु निजाम ने पग-पग पर इसका उल्लंघन किया। हैदराबाद का प्रधानमंत्री लायक अली पाकिस्तानी समर्थक होने के कारण हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय करने का इच्छुक था। हैदराबाद के निजाम ने 1939 की सन्धि को मानने से इंकार कर दिया। यह सन्धि भारत सरकार और देशी रियासतों की सेनाओं से सम्बन्धित थी। सन्धि का उल्लंघन करते हुए हैदराबाद पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी सेनाओं में भर्ती करके अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करने लगा, जबकि सन्धि के अनुसार हैदराबाद की रक्षा का भार भारत के कंधों पर था।

हैदराबाद में रजाकारों की एक अनियमित सेना भी गठित हो गई थी जिसने हिन्दू जनता पर हमला करके उन्हें आतंकित करना प्रारम्भ कर दिया। यही नहीं इन रजाकारों ने भारतीय सीमा में घुसकर दिन दहाड़े लूटपाट तथा आगजनी की वारदातें भी शुरू कर दी। स्थिति बड़ी ही भयावह हो उठी। उधर भारतीय सेनाओं भी 22 अक्टूबर 1947 को काश्मीर पर पाकिस्तानी हमलावरों के आक्रमण से निपटने के लिए काश्मीर में ही उलझी हुई थी।

भारत सरकार ने रजाकारों के संगठन को भंग करने तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सिकन्दराबाद में भारतीय सेना को प्रवेश करने की माँग की। निजाम ने इस माँग को ठुकरा दिया। स्थिति को अनियन्त्रित होते देखकर भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में सेना को शान्ति एवं नियन्त्रण बनाये रखने के आदेश दिये। 13 सितम्बर 1948 को मेजर जनरल जे. एन. चौधरी की कमान में भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद रियासत की सीमाओं में प्रवेश किया। केवल पाँच दिनों के भीतर ही हैदराबाद की अनियमित तथा नियमित सेनाओं के छत्के छुट गये। अन्ततः 18 सितम्बर 1948 को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सेना की कुशलता तथा इस सफलता पर तत्कालीन उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि इन संक्रियाओं, गतिशीलता एवं निपुणता की प्रशंसा हमारे कटुतम आलोचक भी करेंगे। इसलिए इतिहास इन संक्रियाओं को क्षमता संगठन और सर्वताम्युखी सहयोग के अनन्यतम उदाहरण के रूप में स्मरण करेगा। भारतीय सेना ने अपनी उपलब्धियों की गौरवपूर्ण परम्परा में एक अध्याय और जोड़ दिया। इसी के साथ हैदराबाद का भारत में पूर्णतः विलय हो गया है।

(ग) काश्मीर समस्या -

ब्रिटिश शासन की भारत से समाप्ति के पश्चात् कुछ राजाओं ने अपने स्वतन्त्र राज्य

निर्माण का स्वप्न देखा था और इसी कारण उन्होंने दुविधापूर्ण नीति को अपनाया। काश्मीर एक हिन्दू रियासत थी जिसका शासक हिन्दू था किन्तु इसकी 40 लाख की जनसंख्या का 66 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का था। यद्यपि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रियासत को भारत अथवा पाकिस्तान में मिल जाने की स्वतन्त्रता थी किन्तु तत्कालीन काश्मीर के राजा हरी सिंह पाकिस्तान और भारत के साथ कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दोनों के साथ दुविधापूर्ण नीति को अपनाया अनिश्चय की स्थिति में उन्होंने कुछ दिनों तक यथास्थिति को बनाये रखने का प्रस्ताव रखा। अगस्त 1947 को श्री हरी सिंह ने भारत और पाकिस्तान की सरकार को लिखा - जम्मू और काश्मीर की सरकार आपकी सरकार के साथ यथा - स्थिति समझौता (Stand still Agreement) का स्वीकार करेगी। इस सरकार का प्रस्ताव है कि जब तक नया समझौता वस्तुस्थिति को अधिक विस्तार से निश्चित करने के लिए न हो जाए तब तक मौजूदा प्रबन्धों को चालू रखा जाए।

भारत देशी राज्यों की एकीकरण की उलझी समस्याओं को सुझलाने में इतना व्यस्त था कि इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान न दे सका। पाकिस्तान को काश्मीर के शासक का स्वतन्त्र रूप से निर्णय आँखों में चुभने लगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने काश्मीर के यथास्थिति समझौते को खत्म कर लिया। परन्तु उसने इस करार का पालन नहीं किया, वरन् काश्मीर पर शक्ति के बल पर इसका दावा डालने लगा कि वह पाकिस्तान में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दे। उन्होंने काश्मीर के शासक को पत्र के द्वारा यह चेतावनी दी कि हम आपकी सेनाओं के साथ लड़ने के लिए अच्छी तरह सुसज्जित हैं। परिस्थितियों में सुधार करने की माँग की जा रही है, यदि ऐसा न हुआ तो इसके गम्भीर परिणामों के लिए तैयार हो जाइये। इस चेतावनी का कोई असर न होते देखकर पाकिस्तान ने काश्मीर की सीमा प्रान्त के कबायलियों को काश्मीर में घुसपैठ करने और तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित किया। 20 अक्टूबर, 1947 को इन्होंने काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कबायलियों की अग्रगण्य लगभग 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी ब्रेनगन, स्टैनगन तथा ग्रेनेड इत्यादि से लैस होकर काश्मीर पर हमला बोल दिया और वे शीघ्र ही काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर बारामूला नामक स्थान तक पहुँच गये। आक्रमणकारियों ने 24 अक्टूबर को श्रीनगर को बिजली प्रदान करने वाले मण्डल बिजलीघर पर अधिकार जमाकर श्रीनगर में अंधेरा फैला दिया। इस पर महाराजा हरी सिंह ने भारत में सम्मिलित होने और अपनी सुरक्षा के लिए तुरन्त सैनिक सहायता की प्रार्थना की। 26 अक्टूबर 1947 को अन्ततः काश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये और इसी के साथ संवैधानिक दृष्टि से सारा जम्मू और काश्मीर भारत का अंग बन गया।

Q. 24. Describe the role of foreign and defence policies in promoting the domestic developments of a nation.

प्रश्न - किसी राष्ट्र के आन्तरिक विकास के सम्बन्ध में विदेश तथा रक्षा नीतियों की भूमिका का वर्णन कीजिये।

उत्तर - "आज दुनिया की हालत यह है कि हर देश की अर्थनीति का सीधा रिश्ता उसकी विदेश नीति से जुड़ गया है और जहाँ तक बात विदेश नीति की है, उसका रिश्ता रक्षा नीति से तब से जुड़ गया है जबसे इस धरती पर देशों के आपसी सम्बन्धों की अवधारणा का सूत्रपात हुआ है।"

सूर्य कान्त बाली

"विदेश नीति का यद्यपि एक स्वतन्त्र क्षेत्र होता है किन्तु विदेश नीति रक्षा नीति तथा आर्थिक नीति के मध्य सामंजस्य की स्थिति विदेश नीति को अधिक प्रभावी बनाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करती है तथा आर्थिक नीतियों को क्रियाशील बनाती है।"

डॉ. अरविन्द नारायण सिन्हा राष्ट्र राज्यों का परराष्ट्र नीति

"केवल युद्ध और विग्रह ही नहीं, सामान्य नागरिकों का जीवन उस राष्ट्र की विदेश, रक्षा आर्थिक नीतियों से प्रभावित होता है। राष्ट्र की विदेश रक्षा एवं आर्थिक नीतियों की सफलता अथवा क्षमता एवं बुद्धिमता के साथ निर्धारण - संचालन पर देश की प्रतिष्ठा, गौरव, सुख तथा अस्तित्व तक कायम है।"

वी. पी. डाइक

"विदेश नीति के सम्पादन में आर्थिक तत्वों का विशेष योगदान होता है। रक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों पर वित्त विभाग का अप्रत्यक्ष रूप से अंकुश होता है। नियोजन में वित्त विभाग का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य रहता है। वित्त प्रशासन का हृदय है।"

आर. एल. सिंह

"बिस्मार्क ने अपने कुशल परराष्ट्र नीति संचालन के बल पर जर्मन एकीकरण (Unification) युद्धों का सपना साकार कर दिया तथा उसे उत्कर्ष एवं प्रतिष्ठा के शीर्ष बिन्दु तक पहुँचा दिया, पर जेम्स डी. विलियम II तथा उसके सलाहकारों की गलत नीतियों ने देश को अवांछित युद्ध (Unwanted War) में झोंक दिया एवं उसकी पराजय की भी राह प्रशस्त कर दी। परराष्ट्र नीति का सुरक्षा बजट से सीधा सम्बन्ध रहता है राज्य के बजट का सीधा प्रभाव प्रत्येक नागरिक के जीवन पर पड़ता है।"

विलियम काप्लीन

"सुरक्षा प्रयत्नों का देश की आर्थिक नीति तथा विदेश नीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जर्मनी शासन काल में जर्मनी की मक्खन के बदले बन्दूक (Guns for Butter) नीति की याद से अभी तक घरेलू नीतियाँ प्रभावित होती रहीं हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान एवं जर्मनी की जुदाई का एक मुख्य कारण उनकी सीमित सम्प्रभुता के फलस्वरूप परराष्ट्र सम्बन्धों का अत्यन्त परिसीमित होना तथा सुरक्षा पर नहीं के बराबर अथवा अत्यन्त अल्प व्यय करना रहा है।"

रजनी कोठारी

जिस प्रकार एक मानव के जीवन में वायु, जल और भोजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राष्ट्रों के जीवन में रक्षा, विदेश और आर्थिक नीतियों की ऐसी बुनियादी आवश्यकता होती है जिसके लिए सम्भवतः किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम विदेश नीति रक्षा नीति और आर्थिक नीति को अलग - अलग परिभाषित करना अनिवार्य है जिससे इनका रूप-उजागर हो सके।

जहाँ तक विदेश नीति का प्रश्न है इस सन्दर्भ में मोडेलस्का ने अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि विदेश नीति उन क्रिया कलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय के अन्य राज्यों के व्यवहार बदलने के लिए अपने क्रियाकलापों को अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया गया हो। हम देखते हैं कि किसी भी देश की नीति चाहे वह वैदेशिक मामलों में हो अथवा अपने राज्य के सन्दर्भ में प्रत्येक का अपना एक लक्ष्य होता है। नीति निर्धारित करने सरकार का कार्य होता है और सरकार नीति निर्धारण करने के पूर्व एक लक्ष्य सामने रखकर जाती है जिसकी पूर्ति वह सम्बन्धित नीति के माध्यम से करना चाहती है। यह तथ्य विदेश नीति के सन्दर्भ में उतना ही सत्य है जितना अन्य नीति विषयक मामलों में। सामान्यतः एक राष्ट्र के विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय प्रसंगों में उनके मत उसकी विदेश नीति की अभिव्यक्ति के रूप में लिए जा सकते हैं। यह तथ्य उसकी तात्कालिक आन्तरिक आवश्यकताओं दूरगामी आकांक्षाओं एवं तात्कालिक संकट तीनों से निर्धारित होते हैं। किसी भी देश का सामान्य सुझाव किसी एक निर्णय द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वैदेशिक शुकाव को एक प्रक्रिया मानना ज्यादा उचित है जिसमें तात्कालिक उद्देश्य विकास

की अनिवार्यतायें तथा राष्ट्रीय चरित्र सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निहित होते हैं।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सन्दर्भ में सामान्यतः उस राष्ट्र विशेष की शक्ति द्वारा राष्ट्रीय झुकाव तथा सामाजिक - आर्थिक आवश्यकताओं एवं राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति द्वारा निर्धारित होती है।

रक्षा नीति का जहाँ तक प्रश्न है हम भली भाँति जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। अतः सर्वप्रथम इस प्रसंग में हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ जानना आवश्यक है। फ्रैंक ट्रेजन तथा फ्रैंक एल. सायमोना के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सरकारी नीति का वह अंग है जिसका उद्देश्य वर्तमान व प्रबल विरोधी के विरुद्ध ऐसी लाभदायक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का निर्माण करना है जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मान्यताओं का विस्तार और उनकी रक्षा की जा सके। वाल्टन लिपमैन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक सन्दर्भों को स्पष्ट करते हुए अक्षरशः सत्य लिखा है कि "किसी राष्ट्र की सुरक्षा उसी समय तक बनी रह सकती है जब तक राष्ट्र न्यायोचित हितों का बलिदान किये बिना युद्ध को टालने में सक्षम होता है और यदि उसे चुनौती दी जाए तो वह युद्ध द्वारा उससे निपट सके।"

इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र रक्षा नीति का निर्माण करता है जिससे किसी भी समय जब कोई आक्रमणकारी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वभौमिकता के समक्ष चुनौती बनने का साहस करे तो उसे यह दिखाया जा सके कि तुम अभी नादान खिलाडी हो और हम तुम्हें जादुई करिश्मे की तरह मसल सकते हैं। सच कहिए तो रक्षा नीति को कदापि अन्तर्देखा नहीं किया जा सकता। विदेश नीति की तो इतनी व्यापक सीमाएँ हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का भाव स्वयं अन्तर्निहित है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि विदेश नीति को प्रभावी बनाए रखने के लिए रक्षा नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में विदेश नीति और रक्षा का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि रक्षा क्षमता के अनुरूप ही विदेश नीति दुर्बल अथवा सशस्त्र होती है। रणनीति की यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि राजनैतिक रूप से जो कुछ भी अभीष्ट है वह रण कौशल द्वारा भी सम्भव होना चाहिए।

अब प्रश्न उठता है आर्थिक नीति का। आर्थिक नीतियों के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति को जीवन प्रणाली को तथा उन महत्वपूर्ण आधारों को जिन पर युद्ध और शान्ति का भाग्य अवलम्बित है सही दिशा प्रदान की जाती है। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति में आर्थिक तत्वों का समावेश होता है। विदेश नीति के कई प्रमुख उद्देश्यों में राष्ट्र के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

आर्थिक नीतियाँ शक्ति के साधन और स्रोतों के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय शक्ति को सबलता प्रदान करती हैं। पामर और पर्किन्स का कहना है कि "जब कभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं चाहे वे दूसरे देशों का अहित करती हों या नहीं, वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन हैं।"

कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि धन और पूँजी का मानवीय कार्यों, लक्ष्यों एवं आपसी सम्बन्धों पर बड़ा उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। मार्क्स की विचारधारा को राज्यों पर लागू करके यदि यह कहा जाए कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कार्य के पीछे स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से आर्थिक कारण निहित रहता है तो इसे अतिशयोक्ति नहीं माना जा सकता। प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभु होने के नाते आर्थिक विषयों में स्वतन्त्रापूर्वक व्यवहार करता है।

प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों पर प्रतिबन्धों अथवा स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था करता है। ऐसा करते समय स्वाभाविक रूप से देश का व्यवहार अनेक तत्वों से प्रभावित होता है। सर्वप्रथम तो आर्थिक क्षेत्र से दूसरे देश को सुविधा देने समय या प्रतिबन्ध लगाते समय प्रत्येक देश पर उसकी विचारधारा एवं आदर्शों का प्रभाव रहता है।

अनुसरण के लिए साम्यवादी देश में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है किन्तु साम्यवादी प्रजातन्त्रों में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जबकि भारत जैसे देश मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को अपनाकर अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण करने वाले देश साम्यवादी और पूँजीवादी देशों के बीच का मार्ग अपनाते हैं। एक देश के आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला तत्व है उसका राष्ट्रीय स्वार्थ या हित। पामर और पर्किन्स के शब्दों में नियंत्रण तथा स्वतन्त्रता ऐसी नीतियाँ हैं जो प्रत्येक राष्ट्र द्वारा उनके राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर सचेत रूप से अपनायी जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं एवं नीतियों के स्वरूप को निर्धारित करने वाला अगला मुख्य तत्व उन दो राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध का रूप है। यदि वे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं तो एक देश अपने आन्तरिक विकास एवं कल्याण के लिए ऐसी नीतियाँ अपनायेगा जो दूसरे देश के हितों के लिए घातक न हो। किन्तु यदि उन दो देशों के बीच सम्बन्ध मित्रतापूर्ण न होकर परस्पर शत्रुतापूर्ण हों तो वह देश इस प्रकार की आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर सकता है जिनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से दूसरे देश को हानि पहुँचाना हो। एक देश द्वारा जो आर्थिक नीति अपनायी जाएगी उसका निर्धारण करने वाला अन्तिम महत्वपूर्ण तत्व है - दूसरे देशों का प्रभाव। उदाहरण के लिए रोडेशिया पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्धों पर ब्रिटेन के रुख को लिया जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन के रुख को देखकर लगता था कि वह इन प्रतिबन्धों का हृदय से समर्थन नहीं करता है किन्तु विश्व जनमत के प्रभाव में उसने रोडेशिया को तेल न भेजने की नीति को अपना लिया। दूसरे देश के प्रभावों को मानने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आज विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी सीमा तक दूसरे देश पर आश्रित रहता है और दूसरे यह कि प्रत्येक देश को कुछ चीजों का आयात और कुछ चीजों का निर्यात करने की आवश्यकता रहती है।

युद्ध काल और शान्ति काल में आर्थिक नीतियाँ अलग - अलग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होती हैं। युद्ध के समय आर्थिक नीतियाँ दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करती हैं - प्रथम तो अपने देश में युद्ध की तैयारियों को पूरे वेग से करने के लिए और दूसरे देश का अधिक से अधिक अहित करना होता है। यदि ऐसा करने में स्वयं का भी थोड़ा बहुत अहित हो जाए तो कोई खास बात नहीं।

वास्तव में आर्थिक नीति के द्वारा राष्ट्र के समस्त साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है। इस रूप में आर्थिक साधन को विदेश नीति का शस्त्र मान सकते हैं। आजकल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पराश्रयता के कारण आर्थिक साधन राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। पैडलफोर्ड तथा लिंकन ने आर्थिक साधन को किसी भी आर्थिक क्षमता संस्था या तकनीक के रूप में परिभाषित किया है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से विदेश नीति के लक्ष्यों के लिए प्रयोग की जाती है। जिन लक्ष्यों की ओर ये संचालित किये जाते हैं उनकी प्रकृति आर्थिक हो सकती है सैनिक हो सकती है अथवा मनोवैज्ञानिक हो सकती है।

आर्थिक शक्ति विश्व की घटनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव डालती है। एक अदृढ़दर्शी आर्थिक नीति पर आधारित आर्थिक व्यवस्था राजनैतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है और साम्यवाद के लिए अनुकूल भूमि तैयार कर सकती है।

Our Online Webportal
www.winsomepublication.in

You can collect old question papers
 Solution of previous examination questions
 E-books
 Many other useful things
 And so many details about WINSOME PUBLICATION.



Students preparing with WINSOME SERIES
 get excellent marks in exam

Our Publication

WINSOME SERIES
for ALLAHABAD STATE UNIVERSITY

WINSOME SERIES
for Dr. A. P. J. Abdul Kalam
Technical UNIVERSITY

&

Our coverage in examination
 paper is excellent

WINSOME SERIES
for ALLAHABAD UNIVERSITY

B.A. / B.Sc. IIIrd Year / Defence & Strategic Studies II Paper - I
 सत्र 2018 का हल प्रश्न पत्र

1. समसामयिक विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 1 पृष्ठ संख्या 1 पर देखें। (2018)
2. राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न मूर्त तत्त्वों को समझाइये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 2 पृष्ठ संख्या 5 पर देखें। (2018)
3. सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत इसकी भूमिका की विवेचना कीजिये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 4 पृष्ठ संख्या 15 पर देखें। (2018)
4. गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइये एवं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की समसामयिक प्रासंगिकता की विवेचना कीजिये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 6 पृष्ठ संख्या 19 पर देखें। (2018)
5. 'आतंकवाद' की संकल्पना पर प्रकाश डालिये एवं भारतीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विवेचन कीजिये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 7 पृष्ठ संख्या 25 पर देखें। (2018)
6. स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से 1962 के भारत-चीन संघर्ष तक भारत की रक्षानीति की विवेचना कीजिये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 9 पृष्ठ संख्या 30 पर देखें। (2018)
7. हमारे राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता के प्रकाश में भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 18 पृष्ठ संख्या 85 पर देखें। (2018)
8. विज्ञान और तकनीक ने भारतीय रक्षा को कहाँ तक सुदृढ़ किया है?
 प्रकाश डालिये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 21 पृष्ठ संख्या 97 पर देखें। (2018)
9. हिन्द महासागर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व का विवेचन कीजिये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 16 पृष्ठ संख्या 74 पर देखें। (2018)
10. नक्सलवाद से भारत की सुरक्षा के आन्तरिक खतरों के आयामों को समझाइये।
 उत्तर. प्रश्न संख्या 13 पृष्ठ संख्या 52 पर देखें। (2018)

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय की
परिक्षाओं में अपार सफलता पाने हेतु
WINSOME PUBLICATION'S

Graduation[®]

Series

अवश्य पढ़ें

एवं

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की

B.A., B.Sc. & L.L.B.

परिक्षाओं में अपार सफलता पाने हेतु

Graduation[®]

Series

अवश्य पढ़ें

Law
Series

B.A./B.Sc. IIIrd Year - Defence II Paper - I
सत्र 2019 का हल प्रश्न पत्र

1. समसामयिक विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिये।
प्रश्न संख्या 1 पृष्ठ संख्या 1 पर देखें। (2019)
2. विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों में भेद कीजिये।
प्रश्न संख्या 1 पृष्ठ संख्या 1 पर देखें। (2019)
3. समसामयिक विचारधारा के प्रकाश में राष्ट्रीय शक्ति की संकल्पना कीजिये।
प्रश्न संख्या 2 पृष्ठ संख्या 5 पर देखें। (2019)
4. शक्ति संतुलन की अवधारणा को समझाइये एवं विश्व की वर्तमान स्थिति में इसकी सार्थकता की विवेचना कीजिये।
प्रश्न संख्या 3 पृष्ठ संख्या 13 पर देखें। (2019)
5. विश्व की वर्तमान परिस्थिति में 'सामूहिक सुरक्षा' की अवधारणा का अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा के वैकल्पिक प्रतिमान के रूप में कीजिये। (2019)
प्रश्न संख्या 4 पृष्ठ संख्या 14 पर देखें।
6. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की समसामयिक प्रासंगिकता की विवेचना कीजिये।
प्रश्न संख्या 6 पृष्ठ संख्या 19 पर देखें। (2019)
7. भारत में विप्लव के सम्भावित कारण क्या हैं? प्रकाश डालिये। (2019)
प्रश्न संख्या 17 पृष्ठ संख्या 81 पर देखें।
8. आपके मतानुसार भारत की स्वतंत्रता के तत्काल बाद की सुरक्षा प्राप्ति क्या थी और क्या आप रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गये कदमों से सहमत हैं?
प्रश्न संख्या 23 पृष्ठ संख्या 101 तथा प्रश्न संख्या 9 पृष्ठ संख्या 30 पर देखें। (2019)
9. भारतीय रक्षा औद्योगीकरण एवं उसकी सफलताओं की विवेचना कीजिए।
प्रश्न संख्या 14 पृष्ठ संख्या 64 पर देखें। (2019)
10. भारत की आन्तरिक सुरक्षा पर एक लघु निबन्ध लिखिये।
प्रश्न संख्या 13 पृष्ठ संख्या 52 पर देखें। (2019)

Our Online Webportal
www.winsomepublication.in

- You can collect old question papers
- Solution of previous examination questions
- E-books
- Many other useful things
- And so many details about WINSOME PUBLICATION

Students preparing with WINSOME SERIES
get excellent marks in exam

Our Publication

WINSOME SERIES
for ALLAHABAD STATE UNIVERSITY

Our coverage in examination
paper is excellent

&

WINSOME SERIES
for Allahabad University

B.A./B.Sc. IIIrd Year - Defence II - Paper - I

सत्र 2024 का हल प्रश्न पत्र

- प्रश्न.1. समकालीन विचारधारा के प्रकाश में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
प्रश्न संख्या 1. पृष्ठ संख्या 1 पर देखें। (2024)
- प्रश्न.2. राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न मूर्त तत्वों को समझाइये।
प्रश्न संख्या 2. पृष्ठ संख्या 5 पर देखें। (2024)
- प्रश्न.3. गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइये एवं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की 21वीं सदी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिये।
प्रश्न संख्या 6. पृष्ठ संख्या 19 पर देखें। (2024)
- प्रश्न.4. 'सामूहिक सुरक्षा' की अवधारणा को समझाइये एवं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की 21वीं सदी में प्रासंगिकता की विवेचना कीजिये।
प्रश्न संख्या 4. पृष्ठ संख्या 15 पर देखें। (2024)
- प्रश्न.5. आतंकवाद की अवधारणा का परीक्षण कीजिये और प्रति आतंकवाद की नवीन प्रतियोगिता की विवेचना कीजिये।
प्रश्न संख्या 7. पृष्ठ संख्या 25 पर देखें। (2024)
- प्रश्न.6. स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से 1962 के भारत-चीन संघर्ष तक भारत की रक्षा नीति की विवेचना कीजिये।
प्रश्न संख्या 9. पृष्ठ संख्या 31 पर देखें। (2024)
- प्रश्न.7. भारत-चीन के मध्य सीमा विवाद एवं इसके निराकरण हेतु किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालिये।
प्रश्न संख्या 11. पृष्ठ संख्या 39 पर देखें। (2024)
- प्रश्न.8. पाकिस्तान के नाभिकीय एवं प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों का वर्णन कीजिये। (2024)
प्रश्न संख्या 10 पृष्ठ संख्या 34 पर देखें।
- प्रश्न.9. भारतीय रक्षा औद्योगीकरण में प्रमुख चुनौतियों एवं समस्याओं का परीक्षण कीजिये। (2024)
प्रश्न संख्या 14 पृष्ठ संख्या 64 पर देखें।
- प्रश्न.10. भारत की सुरक्षा के आन्तरिक खतरों के आयामों को समझाइये। (2024)
प्रश्न संख्या 13 पृष्ठ संख्या 52 पर देखें।